DEVELOPMENT PLANNING OF A BACKWARD ECONOMY A CASE STUDY OF AZAMGARH TAHSIL, UTTAR PRADESH

पिछड़ी अर्थव्यवस्था का विकास नियोजन आजमगढ़ तहसील (उत्तर प्रदेश) का एक संदर्भित अध्ययन

(इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी. फिल्. उपाधि हेतु प्रस्तुत)

शोध-प्रबन्ध

निर्देशक

डॉ. आर. एन. सिंह

रीडर, भूगोल विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

शोधकर्ता

ओम प्रकाश राय

भूगोल विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

1993

प्राक्कलन

भारत गॉवों में बसता है । प्राचीन काल से ही हमारे गॉव, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख आधार रहे है, किन्तु विज्ञान के बढ़ते प्रभाव ने अब यह स्थान नगरों को प्रदान कर दिया है । आज का भारत अपनी श्री-बृद्धि हेतु नगराश्रित हो गया है । आर्थिक उत्थान की सम्पूर्ण संभावनाओं से सम्पुष्ट नगरों ने भारतीय गाँवों को मात्र कच्चे माल के उत्पादन एवं निर्मित माल के उपभोग तक ही सीमित कर दिया है । आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सुविधाओ की बहाली द्वारा ग्राम्य-जीवन को खुशहाली प्रदान करने के लिए ही 1 अप्रैल, 1951 से पचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया सच तो यह है कि ग्राम-समृद्धि ही हमारी राष्ट्रीय समृद्धि है । स्वतन्तोपरान्त पर्याप्त प्रयास के बाद भी क्षेत्रीय विभिन्नताओ और असमानताओं ने, राष्ट्रीय योजनाओं की परिकल्पनाओ को साकार नही होने दिया । अत. विभिन्न क्षेत्रों के लिए, उनकी भौगोलिक पृष्ठभूमि में विशिष्ठ योजनाओं की आवश्यकताओं का अनुभव किया गया । परिणाम स्वरुप, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना द्वारा विकास-खण्ड से लेकर राज्यस्तरीय आर्थिक नियोजन को गति प्रदान की गयी । इसका प्रमुख उद्देश्य है–ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर व उत्पादकता को बढ़ाकर प्रतिव्यक्ति आय में बृद्धि करना, सकल घरेलू उत्पाद मे बृद्धि, पर्याप्त भोजन, वस्त्र एवं आवास उपलब्ध कराना, परिवहन, स्वास्थ्य एवं शिक्षण सुविधाओं के विकास द्वारा लोगों के रहन-सहन के स्तर मे सुधार करना तथा लोगों के व्यक्तित्व के सम्यक् विकास हेतु सतत् प्रयासरत रहना । किन्तु किसी भी क्षेत्र में उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति उस क्षेत्र के सम्यक् विकास पर ही निर्भर करती है और सम्यक विकास तभी सम्भव होगा जब एक निश्चित अवधि में सम्पूर्ण क्षेत्र पर सभी प्रगतिदायी तथ्यो को एक साथ विकसित किया जाय ।

समग्र एव समाकलित विकास को ही ध्यान में रखते हुये, प्रस्तुत शोध-कार्य "पिछड़ी अर्थव्यवस्था का विकास नियोजन, आजमगढ़ तहसील, उत्तर प्रदेश का एक विशेष अध्ययन" का चयन किया गया है । शोध-कार्य के लिए आजमगढ़ तहसील का चयन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है–

1 यह क्षेत्र आजमगढ़ जनपद का सबसे महत्वपूर्ण भू-भाग है ,

2 यद्यपि यह क्षेत्र भी औद्योगिक रुप से पिछड़े आजमगढ़ जनपद का ही एक अंग है फिर भी यहॉ पर औद्योगीकरण का शुभारम्भ हो चुका है,

3 इस प्रदेश में विकास की अपेक्षाकृत अधिक सम्भावनाएँ है, क्योकि यह क्षेत्र अपने विभिन्न उत्पादो के लिए जनपद में प्रथम स्थान रखता है,

4. अनुकूल भौगोलिक एव मानवीय दशाओं के कारण यहॉ की कृषि अपेक्षाकृत उन्नत अवस्था मे है । कृषि प्रयोगो के लिए यह क्षेत्र सबसे उपयुक्त है,

5 सघन जनसंख्या के कारण यह क्षेत्र विकट समस्याओ से जूझ रहा है । यहॉ अल्प, मौसमी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति भयकर है, किन्तु इन समस्याओं के समाधान की सम्भावनाएॅ भी इसी क्षेत्र में छिपी है,

6. अध्ययन-क्षेत्र शोध-कर्ता का कार्य क्षेत्र ही नहीं वरन् उसकी जन्म स्थली भी है । अतः यहॉ की सभी समस्याओं एवं आवश्यकताओं से वह पूर्णरुपेण परिचित है,

7. क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन एवं संचार व्यवस्था की कमी है तथा

8. क्षेत्र का त्वरित विकास सुनियोजित प्रयास से एक निश्चित समयावधि के भीतर सम्भव है ।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों पक्षो का समन्वय है । विकास एवं नियोजन आदि का संकल्पनात्मक विश्लेषण विषय सम्बन्धी उपलब्ध साहित्य के परिप्रेक्ष्य में हुआ है, जबकि व्यावहारिक अध्ययन विशेष रुप से क्षेत्रीय अनुभवों एवं सूचनाओं पर निर्भर है । शोध-प्रबन्ध मे प्राथमिक, द्वितीयक एवं गौड़ सभी प्रकार के आकड़ों का समावेश है । चूँकि अध्ययन क्षेत्र शूक्ष्म स्तरीय है, अतः यथासम्भव सुलभ प्राथमिक ऑंकड़ों पर अधिक निर्भर रहना पड़ा है । ये ऑकड़े जिला उद्योग केन्द्र, आजमगढ़, तहसील मुख्यालय, आजमगढ़, विकास खण्ड मुख्यालय; लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़, विद्युत विभाग, आजमगढ़; सिंचाई एव नलकूप विभाग,

आजमगढ़; एव जिला कृषि कार्यालय, आजमगढ़; के सौजन्य से ही प्राप्त हो सके है । आवश्यकतानुसार अन्य ऑकड़े जनगणना हस्तपुस्तिका, आजमगढ़, 1991, गजेटियर, जनपद आजमगढ़, यूनियन बैक आफ इण्डिया की वार्षिक कार्ययोजना, जनपद आजमगढ, 1991-92, साख्यिकीय पत्रिका, जनपद आजमगढ़, 1991, भारत, 1991-92 तथा उत्तर प्रदेश वार्षिकी 1990-91, से प्राप्त हुये हैं । सभी आवश्यक ऑकड़े सरलतापूर्वक उपलब्ध नहीं थे अत. व्यक्तिगत सर्वेक्षण का भी सहारा लेना पड़ा है । विषय को सरल एवं सुबोध बनाने के लिए आवश्यकतानुसार मानचित्रों, आरेखों एवं तालिकाओं के चित्रण एवं अंकन का भी प्रयास किया गया है । ऑकड़ो के विश्लेषण में प्राय. सांख्यिकीय विधियों का कम प्रयोग हुआ है किन्तु बस्तियों के अन्तरालन, सेवा-प्रदेशों के सीमांकन, शष्य-गहनता, एवं शष्य साहचर्य निर्धारण में आवश्यकतानुसार मात्रात्मक समीकरणों का प्रयोग किया गया है ।

ग्राम–वासी भारत का मुख्य कार्य कृषि है । इसी को आधार मानकर कुछ लोगों ने ग्रामीण विकास का सीमांकन कर डाला है । परन्तु मात्र कृषि ही ग्रामीण विकास कामापदण्ड नही हो सकता। सम्यक् विकास के लिए परिवहन, सचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग एवं अन्य सभी मानवीय सुविधाओं की उपलब्धता नितान्त आवश्यक है । प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में इन तथ्यों का वैज्ञानिक रीति से विवेचन किया गया है । इसमें विकास केन्द्रों के निर्धारण एवं उनके माध्यम से विकास-नियोजन को अपेक्षित महत्व प्रदान किया गया है । क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर उन्हीं बस्तियों को सेवा केन्द्र की मान्यता प्रदान की गयी है जो प्रशासन, कृषि एव पशुपालन, शिक्षा एव स्वास्थ्य, परिवहन एव सचार, उद्योग एवं वाणिज्य सम्बन्धी कार्यो /सेवाओं में से किन्हीं तीन कार्यो का सम्पादन करती हैं । इससे कार्यो/सेवाओं के सापेक्षिक महत्व का वास्तविक स्पष्टीकरण हो जाता है । सेवा केन्द्रों के प्रभाव-प्रदेशों के सीमांकन में अलगाव बिन्दु संकल्पना के परिमार्जित समीकरणों को ही प्रयुक्त किया गया है । निर्धारित एवं प्रस्तावित विकास/सेवा केन्द्रों के परिप्रेक्ष्म में ही सम्पूर्ण क्षेत्र का विकास नियोजन प्रस्तुत है ।

शोध-प्रबन्ध में आजमगढ़ तहसील के समग्र विकास नियोजन के अध्ययन को उपसहार के अतिरिक्त सात अध्यायों में सम्बद्ध किया गया है । इन अध्यायों को व्यवस्थित करते समय किसी आधारभूत् सिद्धान्त या समीकरण का पालन नहीं किया गया है । ये सामान्य क्रमानुसार ही है । प्रथम अध्याय में विकास एव नियोजन सम्बन्धी सिद्धान्तों तथा पिछड़ी अर्थव्यवस्था की सकल्पना एव उसकी निर्धारण विधियो का समालोचनात्मक विश्लेषण है । द्वितीय अध्याय मे अध्ययन प्रदेश की भौतिक एव सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की समीक्षा प्रस्तुत है ताकि उसकी अधः सरचना का सम्यक आकलन किया जा सके । अध्याय तीन बस्तियों के स्थानिक कार्य संगठन की समीक्षा के साथ-साथ आजमगढ़ तहसील के लिए उत्तरदायी विकास-ध्रुवों की सकारात्मक विवेचना से सम्बन्धित है । कृषि प्रतिरुप का समग्र विवेचन तथा उसके विकास की भावी रणनीति तय की गयी है अध्याय चार मे। अध्याय पॉच में, क्षेत्र मे स्थित उद्योगो का अध्ययन, भावी विकास एव उनके स्थानीकरण की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है । सामाजिक एवं शैक्षणिक सुविधाओ के वर्तमान प्रतिरुप की मीमासा और इनके वांछित विकास-हेतु योजनाएँ अध्याय छ मे प्रस्तुत की गयी है । अध्याय सात में परिवहन एव संचार व्यवस्था की वर्तमान स्थिति का अवलोकन किया गया है । साथ ही, भविष्य में इनके विकास-हेतु एक सकारात्मक नियोजन का प्रस्ताव भी है । अन्त में उपसंहार में 'समन्वित क्षेत्रीय विकास' शीर्षक के अन्तर्गत विकास नियोजन के निष्कर्षो पर प्रकाश डाला गया है । यद्यपि आर्थिक एवं राजनीतिक अवरोधों के फलस्वरुप विकास को तीव्र गति प्रदान करना एक दुरुह कार्य है फिर भी क्रमबद्ध योजनाओं के फलस्वरुप सन् 2001 तक इनके निवारण एवं नियोजन की पूर्णता की कल्पना की गयी है ।

ज्ञातव्य है कि स्वतन्त्रोपरान्त नियोजन सम्बन्धी कार्य अनेक सामाजिक विषयों के अध्ययन-विषय रहे हैं परन्तु सभी का समग्र अध्ययन एवं उनकी प्रस्तुति असम्भव नही तो दुरुह अवश्य है । जिन साहित्यों एवं सन्दर्भो का सहयोग लिया गया है वे शोध-प्रबन्ध में यथोचित स्थान पर उल्लिखित है। शोध-प्रबन्ध मे उल्लिखित सन्दर्भो को प्रत्येक अध्याय के अन्त मे संख्या-क्रम मे प्रस्तुत किया गया है । शोध-प्रबन्ध में कुल तीन परिशिष्टियॉ है ।
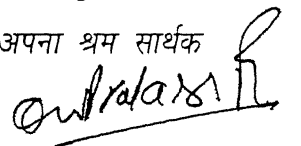
शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत करते हुये शोधकर्ता अपनी सीमित क्षमता के प्रति पूर्ण सर्तक एव सजग है। कहना ही पड़ता है कि "कवित्त विवेक एक नहि मोरे", किन्तु अति विनम्रतापूर्वक वह यह भी कहने के लिए विवश है कि 'निज कवित्त के हि लागि न नीका. .... ।

सर्वप्रथम मै सरस्वती के वरद् पुत्र, परम्-श्रद्धेय डॉ रामनगीना सिह, रीडर, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्व-विद्यालय के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुये, श्रद्धावनत हो, शत-शत नमन एव बन्दन करता हूँ जिनके सुयोग्य निर्देशन मे मुझे कार्य करने एवं शोध-प्रबन्ध को यथा शीघ्र प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । गुरुवर के सतत् प्रोत्साहन, महत्वपूर्ण मार्गदर्शन, विद्वतापूर्ण सुझावो तथा शोध-प्रबन्ध के सम्यक् निरीक्षण एवं परिमार्जन के फलस्वरुप ही यह दुरुह कार्य सम्भव हो सका है । अपने गुरुजन प्रवर प्रो० आर० एन० तिवारी, पूर्व विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय; डॉ० सविन्द्र सिंह, अध्यक्ष, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रो० एच० एन० मिश्रा, भूगोल विभाग, शिमला विश्व-विद्यालय, डॉ० बी० एन० मिश्र एव डॉ० बी० एन० सिह, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रो काशी नाथ सिंह, भूगोल विभाग, का० हि० विश्वविद्यालय के समक्ष मै साभार नतमस्तक हूँ । इन सुविज्ञ विद्वानों की विभिन्न स्तर पर, बहुमूल्य सहायता एव सुझावों ने मेरे शोध प्रबन्ध को गति एवं दिशा दी है । उनके गूढ़ विचारो को मैने शोध-प्रबन्ध मे धड़ल्ले से समावेश किया है ।

प्रेरणा के परम् स्रोत, पिता तुल्य अपने भ्राता श्री शिवमूर्ति राय तो मेरे लिए 'शिवम्' ही है । आज जो कुछ हूँ- उन्ही की बदौलत । मेरे डगमगाते कदमो को उन्हीं से शक्ति एव दिशा मिली है। मेरे सम्पूर्ण परिवार जनों ने सदा प्यार-दुलार सहित सन्मार्ग-दर्शन कराया है । इनके प्रति आभार शब्दो द्वारा प्रस्तुत करना सम्भव नही । मुझ अनाथ को परिवार जनों द्वारा मिला प्यार एव दुलार परिभाषा-रहित है । मै अपने अग्रजो, डॉ० सुधाकर त्रिपाठी, इलाहाबाद विश्व-विद्यालय, डॉ० अशोक लाल, भूगोल विभाग, डी ए० वी०, आजमगढ़, डॉ० राजमणी त्रिपाठी, डॉ० रमाशंकर मौर्य, एव डॉ० रामकेश यादव को कैसे भूल सकता हूँ जिन्होने मुझे शोध-कार्य हेतु प्रेरित किया एवं दिया हर संभव सहयोग।

शोध-कार्य मे विभिन्न प्रकार का सहयोग एवं सुझाव प्रदान करने के लिए मै डॉ० कात्यायनी सिह, पत्राचार पाठ्यक्रम एवं सतत् शिक्षा सस्थान, इलाहाबाद विश्व-विद्यालय, एव श्री महेन्द्र शुक्ल के प्रति हृदय से अभारी हूँ, इनके अभाव मे यह दुरुह कार्य कदापि सम्भव नहीं होता। विक्ट्री इण्टरमीडिएट कालेज के पूर्व प्रबन्धक गांधीवादी चितक 'वीर भोग्या वसुन्धरा' के अनुगामी स्व० बाबा रामा राय, वर्तमान प्रबन्धक श्री बाबू राम राय, प्रधानाचार्य डॉ० राम बहादुर सिह एव श्री चन्द्रधन राय, सदस्य, प्रबन्ध समिति, सभी के प्रति मेरा विनम्र आभार। इनके प्रेरणादायी योगदान शब्द सम्मान की सीमा मे नहीं बॉधे जा सकते। मै अपने मित्रो एवं सहयोगियो श्री धर्मवीर सिह, श्री अशोक सिह, श्री श्याम किशोर तिवारी, शोध-छात्र, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्व-विद्यालय, श्री अनमोल सिंह, श्री जितेन्द्र सिह, श्री दीपक सिह, श्री राजेन्द्र प्रसाद राय, श्री रवीन्द्र राय (द्वय), श्री जयराम राय, श्री वीरेन्द्र कुमार उपाध्याय, श्री राजीव सिंह, एव अनुजों ब्रजेश कुमार राय, धर्मेन्द्र कुमार राय एवं आलोक कुमार राय, को धन्यवाद दिये बिना नही रह सकता। इन्हे भूल जाना अपने आप को ही भूलना होगा।

इसके साथ ही मैं उन समस्त सस्थाओं एवं व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ हूँ जिनसे शोध-प्रबन्ध कार्य मे प्रत्यक्ष या परोक्ष मे सहायता मिली है। लकी फोटो स्टेट के मो० सुहेल, एव वीरेन्द्र कुमार जयसवाल धन्यवाद के पात्र है, जिन्होने तत्परता एव कुशलता पूर्वक अल्पावधि में ही समस्त पाण्डुलिपि का लेजर-प्रिंट निकालने का सराहनीय कार्य किया। भूगोल साहित्य के समृद्ध विशाल भण्डार मे पहुचकर मेरा यह अकिंचन प्रयास किसी योग्य साबित हुआ तो अपना श्रम सार्थक समझूँगा।

ओ० पी० राय

शोध-छात्र

भूगोल-विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय,

इलाहाबाद २११००२

कार्तिक पूर्णिमा

(२९.११.९३)

इलाहाबाद

विषय सूची

(LIST OF TABLES)
(तालिकाओं की सूची)

LIST OF MAPS AND DIAGRAMS

(मानचित्रों एवं आरेखों की सूची)

अध्याय एक

संकल्पनात्मक पृष्ठभूमि

1.1 विषय-प्रवेश

भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं का विज्ञान है । उपलब्ध संसाधनों के असमान वितरण एव स्थानीय आवश्यकताओं ने क्षेत्रो के भौतिक, सांस्कृतिक एव आर्थिक स्वरुप को बृहद् स्तर पर प्रभावित किया है । चूँकि किसी क्षेत्र का विकास वहॉ के संसाधन आधार एव मानव की तकनीकी प्रगति पर ही निर्भर करता है, फलस्वरुप विकसित, अविकसित एवं विकासशील जैसी क्षेत्रीय-विषमताओ का जन्म होता है ।

क्षेत्रीय आर्थिक एवं सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए अविकसित क्षेत्रों का विकास मानवीय एवं राष्ट्रीय दोनों ही दृष्टियों से अत्यावस्यक प्रतीत होता है । स्मिथ[1] ने अविकसित क्षेत्रो के विकास को विश्व की सबसे महत्वपूर्ण समस्या माना है । वास्तव में विकास का कोई एक ऐसा स्पष्ट आधार नहीं है जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई राष्ट्र या क्षेत्र अविकसित से विकासशील अथवा विकासशील से विकसित की श्रेणी प्राप्त कर सके । क्षेत्रीय असमानता को दूर करने हेतु सर्वप्रथम अविकसित क्षेत्रों की सही पहचान करने; और फिर मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा उसके सही दिशा मे विकास करने की आवश्यकता है । विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु उनकी भौगोलिक पृष्ठभूमि के अनुरुप विशिष्ट विकास योजनाओं की आवश्यकता पड़ती है । प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का मुख्य उद्देश्य भी अत्यन्त पिछड़े क्षेत्रों की पहचान एवं उनके विकास से सम्बन्धित नियोजन का एक वस्तुनिष्ठ एव नीतिपरक विश्लेषण प्रस्तुत करना है ।

1.2 विकास : भौगोलिक दृष्टिकोंण

मानव एक चिन्तनशील सामाजिक एवं सर्वाधिक सक्रिय प्राणी है । उसके अपने क्रिया-कलापों के द्वारा समाज में नित्य नये परिवर्तन दृष्टिगोचर होते रहते हैं । वस्तुओं एवं घटनाओं का यह स्वरुप परिवर्तन ही विकास के नाम से जाना जाता है । यह परिवर्तन या तो धनात्मक (रचनात्मक एवं

निर्माणपरक) होता है अथवा ऋणात्मक (विनाशात्मक)[2] । परन्तु स्मरणीय है कि विकास का तात्पर्य धनात्मक या निर्माणपरक परिवर्तन से ही लिया जाता है । अत विकास से तात्पर्य किसी क्षेत्र या मानव समुदाय के समस्त उपादानों में होने वाले धनात्मक परिवर्तनो की समष्टि से है । क्योकि विकास शब्द एकांकी नही सार्वजनीय है । चूँकि मानव ही भूगोल के अध्ययन का केन्द्र बिन्दु है, फलस्वरुप मानव के कल्याण में बृद्धि करना वर्तमान समय में भूगोल का मुख्य बिन्दु होता जा रहा है ।[3]

प्रायः समृद्धि एवं विकास को समानार्थी रुपों में प्रयोग करते हुये विकास को आर्थिक विकास अथवा आर्थिक प्रगति का पर्याय मान लेते हैं, और आर्थिक विकास के एक प्रमुख सूचक-प्रति व्यक्ति उत्पादन एवं आय को विकास के मापक के रुप में प्रयोग करते है । परन्तु प्रति व्यक्ति आय मे बृद्धि को हम समृद्धि तो मान सकते हैं, समग्र विकास का सूचक नहीं । विकास में अधिक उत्पादन के साथ तकनीकी एवं संस्थागत व्यवस्था में हुये धनात्मक परिवर्तनों को भी सम्मिलित किया जाता है । वास्तव मे विकास का तात्पर्य समग्र मानव जाति के कल्याण से है जिसमें आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ सामाजिक न्याय को भी सम्मिलित किया जाता है ।[4] सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य मे गुणात्मक परिवर्तन एव मात्रात्मक बृद्धि को ही विकास कहते है ।[5] सी० पी० किन्डलवर्गर तथा बी० हेरिक[6] की दृष्टि में विकास के अन्तर्गत न केवल प्रतिव्यक्ति आय को सम्मिलित करते हैं, वरन् आय के वितरण में न्याय,रोजगार की उपलब्धि तथा जीवन की अत्यावश्यक, आवश्यकताओं की संतुष्टि आदि को भी ध्यान में रखा जाता है । इतना ही नहीं वातावरण की गुणात्मकता में बृद्धि, आर्थिक सामाजिक प्रगति के आधारभूत् कारक-संरचनात्मक एवं संस्थागत परिवर्तन को भी विकास के अन्तर्गत समाहित किया जाता है । इसी कारण इसे हम सामाजिक विकास या आर्थिक विकास न कहकर केवल 'विकास' कहना ही सर्वथा उचित समझते हैं ।[7] ऐसे विकास को जिससे क्षेत्र के सम्पूर्ण मानव जाति के जीवन स्तर मे अपेक्षित सुधार एवं उसके कल्याण में मूलभूत बृद्धि न हो सके उसे हम विकास नहीं आँशिक विकास कह सकते है ।[8] वास्तव में विकास कार्यो की एक ऐसी श्रृंखला है जिससे मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक,

सांस्कृतिक एव वातावरणीय जीवन की दशाओ में वांछित सुधार सम्भव होता है तथा इससे भविष्य मे जीवन की संभावनाओं में बृद्धि होती है ।[9]

माइकेल पी० टोडेरो[10] विकास के स्वरुप को सामाजिक, आधारिक संरचना एव विचारो के वांछित परिवर्तन मे समाहित करते हैं । कल्याणकारी उपागमों के पोषक अनेक भूगोल वेत्ताओं ने मानव के कल्याण में बृद्धि को ही विकास माना है ।[11] प्रो० आर० पी० मिश्र[12] के अनुसार विकास, समाज एव अर्थव्यवस्था के मात्रात्मक विस्तार के अलावा उनमें वांछित गति से वांछित दिशा मे संरचनात्मक परिवर्तन के साथ-साथ मानव के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक रूपान्तरण से सम्बद्ध है, जिसमे सामयिक, क्षेत्रीय तथा स्थानिक पहलुओं के साथ नियोजन का समन्वय देखा जाता है । विकास के इतने व्यापक पहलू को देखते हुये आर० एन० सिंह[13] ने स्पष्ट किया है कि विकास एक आदर्शोन्मुख संकल्पना है, जिसमे सकारात्मक, प्रयोजनात्मक एवं वाछित सतत्-उर्ध्वोन्मुख परिवर्तन समाहित होता है । अतः आज के परिवेष में हमें ऐसे विकास की कल्पना करनी चाहिए जिससे मानव का सर्वागीण विकास सम्भव हो सके ।

1.3 विकास की प्रक्रिया एवं निर्धारक तत्व

विकास एक सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है, अकस्मात पैदा की गयी कोई घटना नहीं । विकास को यान्त्रिक क्रिया के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है । वास्तव में विकास मनुष्य का रचनात्मक पहलू है जिसमें मनुष्य अपने ज्ञान, विज्ञान एवं मानवीय मूल्यों के सहारे एक ऐसी क्रांति का संचार कर देता है जिससे मानव जीवन और अधिक सरल एवं सहज हो सके । अन्तिम रुप से यह एक मानवीय उपक्रम है एवं इसका परिणाम इसको संचालित करने वाले मनुष्यों की कुशलता, गुण एवं प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है । विकास की इस प्रक्रिया में कुछ शक्तियॉ जो एक दूसरे से सम्बन्धित होती है–कारण एवं कार्य की प्रकृति के रूप में क्रियाशील होती है । इन शक्तियो का उल्लेख करते हुये आर० पी० मिश्र ने प्रकाश डाला है कि विकास की प्रक्रिया संकेन्द्रण एव विकेन्द्रण–दो विपरीत स्वभाव वाली सहगामी स्थानिक प्रवृत्तियों द्वारा निर्देशित होती है । संकेन्द्रण

की प्रवृत्ति केन्द्राभिमुखी (केन्द्र की ओर उन्मुख) शक्तियो का परिणाम होती है जिसमे मानवीय क्रियाये एक ही स्थान पर केन्द्रीभूत होने लगती है, जबकि विकेन्द्रण की प्रवृत्ति मे–क्रियाओ मे केन्द्रापसारी (केन्द्र से दूर उन्मुख) शक्तियॉ कार्य करती है । परिणाम स्वरुप इनमें प्रकीर्णन की प्रवृत्ति पायी जाती है । स्मरणीय है कि व्यवहार में दोनो प्रक्रियायें एक साथ ही कार्य करती हैं ।

किसी समय एवं स्थान विशेष पर मानव क्रियाओं का स्थानिक प्रबन्धन इन दोनो ही क्रियाओं की सापेक्षिक शक्ति में तीव्रता का प्रतिफल होता है । जिस क्षेत्र में केन्द्रापसारी शक्तियॉ अपेक्षया प्रबल होती हैं वहॉ क्रियाओ का संकेन्द्रण सम्पूर्ण क्षेत्र में छोटे-छोटे एवं मध्यम नगरीय केन्द्रो के रुप में होता है । इसके विपरीत जब किसी क्षेत्र मे केन्द्राभिमुखी शक्तियॉ प्रबल होती है तो वहॉ पर क्रियाओं का केन्द्रित संकेन्द्रण होता है जिससे क्षेत्र में अपेक्षया बड़े-बड़े नगरीय केन्द्रों का उद्‌भव होता है । ये केन्द्र अविकसित क्षेत्र के लिए विकास केन्द्र का कार्य करते है । इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विकास की प्रक्रिया भिन्न होते हुये भी, विकास कार्य का सम्पादन दोनो ही माध्यम से सम्भव होता है । विकास के लिए सर्वोत्तम प्रक्रिया क्या है, इस पर विद्वानों मे मतभेद है। हर्शमैन[15] ने पिछड़ी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सकेन्द्रण (नगरीय-प्रतिरुप) की प्रक्रिया को उचित माना है । अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों मे केन्द्रित संकेन्द्रण की प्रक्रिया कुछ समय तक उपयोगी हो सकती है परन्तु बाद में सम्यक विकास, विकेन्द्रण प्रक्रिया के द्वारा ही सम्भव होगा । वास्तव में प्रक्रिया का युक्तिसंगत होना क्षेत्र के विकास के स्तर एवं उसके भौगोलिक परिवेश पर निर्भर करता है ।

विकास को सही गति एवं दिशा प्रदान करने में मानवीय साधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है । मानवीय साधनों की कार्यकुशलता तथा क्षमतावृद्धि के द्वारा विकास निर्धारण को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित किया जा सकता है । विकास की दिशा एवं स्तर का निर्धारण विकास के तीन आधारभूत् कारकों प्राकृतिक पर्यावरण, प्रोद्योगिकी एवं संस्थाओं के द्वारा सरलता पूर्वक किया जा सकता है ।[16] विकास निर्धारण के सूचक अथवा तत्व समय एवं स्थान के सन्दर्भ मे परिवर्तनशील होते है । विकास निर्धारण में एडेलमैन तथा मौरिस ने[17] राजनीतिक एवं सामाजिक विषयों से सम्बन्धित 41

सूचको को व्यावहारिक बताया है । हैगन ने[18] समाज एवं व्यक्ति के कल्याण से सम्बन्धित स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, रोजगार, संचार एव प्रतिव्यक्ति आय आदि से सम्बन्धित 11 सूचकों का प्रयोग विकास के स्तर को निर्धारित करने में किया है । संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास शोध सस्थान[19] ने विकास-स्तर के निर्धारण में 16 सूचकों को स्वीकार किया है । बेरी[20] ने विकास स्तर निर्धारण हेतु परिवहन, उर्जा के प्रयोग, कृषि-उत्पाद, संचार, व्यापार, जनसंख्या तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद आदि को प्रमुख सूचक स्वीकार किया है । यद्यपि सूचकों की संख्या एव उनकी कोटि पर विद्वानो में कोई मतैक्य नही है, परन्तु अधिकाश ने सकल राष्ट्रीय उत्पाद, रोजगार, शिक्षा, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य एव मनोरंजन, जनसंख्या एवं नगरीकरण को विकास स्तर के निर्धारण हेतु सवर्था उपयुक्त माना है। अतः किसी भी क्षेत्र के विकास स्तर के निर्धारण हेतु इनका प्रयोग किया जा सकता है ।

1.4 विकास सम्बन्धी परिकल्पनाएँ

विकास सम्बन्धी सिद्धान्तों का अध्ययन अभी भी शैशवावस्था में है । अनेक समाक-विज्ञानियो, अर्थशास्त्रियों, राजनीतिज्ञो एवं समाजशास्त्रियो ने विकास सम्बन्धी विभिन्न सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है । भौगोलिक दृष्टिकोण से जिन सिद्धान्तों का अध्ययन महत्वपूर्ण माना जाता है वे भी विकास की पूर्ण व्याख्या में सक्षम नहीं हैं । अध्ययन के महत्व की दृष्टि से स्वीकार किये गये कुछ मॉडलो का विष्लेषण प्रस्तुत किया गया है ।

मिरडल का 'क्युमुलेटिव काजेशन मॉडल'

मिरडल[21] महोदय ने 1956 में विकास सम्बन्धी अपना जो 'क्युमुलेटिव काजेशन मॉडल' प्रस्तुत किया उसका मूल उद्देश्य प्रादेशिक विभेदशीलता एवं आर्थिक विकास के मध्य स्थापित सम्बन्धो का विश्लेषण मात्र था । उनके अनुसार एक प्रदेश बिना दूसरे को हानि पहुचाये कभी भी विकास नही कर सकता । इन्होनें स्पष्ट किया कि आर्थिक विकास मुख्यतः उन्ही स्थानों पर केन्द्रित होता है जहॉ कच्चा माल एवं शक्ति संसाधनों की उपलब्धि आसानी से होती है । मिरडल महोदय के अनुसार किसी स्थान पर एक बार विकास की प्रक्रिया आरम्भ हो जाने पर कार्यो के संचयी प्रभाव,

केन्द्राभिमुखी शक्ति एवं गुणक प्रभाव के कारण उसमें सतत् बृद्धि होती जाती है । इसी के परिणामस्वरुप बढ़ती हुयी औद्योगिक इकाइयाँ द्वितीयक कोटि की औद्योगिक अवस्थापना को जन्म देती है, तथा केन्द्रीय प्रदेश का निर्माण होने लगता है (चित्र 1.1)। इस प्रकार के निर्मित केन्द्रीय प्रदेश से फैलने वाले सम्भावित विकास को 'स्प्रैड इफेक्ट' तथा केन्द्रीय प्रदेश की ओर आकर्षित निर्धन प्रदेश के संसाधन की क्रिया को 'बैकवाश इफेक्ट' के नाम से जाना जाता है । वास्तव मे सम्पूर्ण क्षेत्र का विकास इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा ही सम्भव है ।

मिरडल महोदय ने विकास की तीन स्थितियॉ स्वीकार की है । प्रथमावस्था मे प्रादेशिक विषमताएॅ न्यूनतम होती है । दूसरी स्थिति में प्रदेश विशेष का विकास अन्य प्रदेशो की तुलना में तीव्र गति से होता है जिसके फलस्वरुप संसाधनों के वितरण मे असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जबकि तृतीयावस्था में पुनः स्थानिक विषमताएॅ धीरे-धीरे कम होने लगती है ।

मिरडल महोदय के 'क्युमुलेटिव काजेशन मॉडल' के गुणात्मक पहलू की यद्यपि काफी आलोचनाएॅ हुयी फिर भी विकसित एवं विकासशील क्षेत्रों एव राष्ट्रों के मध्य अन्तर स्पष्ट करने में इस मॉडल का अपना एक विशिष्ट स्थान है ।[22]

फ्रीडमैन का 'केन्द्र-परिधि मॉडल'

फ्रीडमैन ने अपने केन्द्र परिधि मॉडल में विकास के स्तर के परिप्रेक्ष्य में 4 सकेन्द्रीय कटिबन्धों की व्यवस्था दी है ।[23] इन्होनें विश्व को गतिशील प्रदेश, द्रुतगति से बढ़ने वाले केन्द्रीय प्रदेश तथा अल्पगति से बढ़ने वाले स्थैतिक प्रदेश मे विभाजित किया है । फ्रीडमैन ने मिरडल के दो प्रदेशों की आर्थिक विषमताओं के स्थान पर स्थानिक रुप से विषमताओं के वर्णन को स्वीकार किया है । फ्रीडमैन ने पहले प्रदेश को केन्द्रीय प्रदेश के रुप में मान्यता प्रदान की है । यहाँ पर नगरीकरण, औद्योगीकरण, उच्च्व स्तरीय तकनीक, विविध संसाधन तथा जटिल आर्थिक संरचना के साथ उच्च्व बृद्धि दर पायी जाती है । दूसरा प्रदेश ऊर्ध्वोन्मुख मध्यम प्रदेश का होता है जहाँ संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं आर्थिक बृद्धि स्थिर जैसी विशेषताएॅ पायी जाती हैं । यहाँ पर जनसंख्या

MYRDAL'S PROCESS OF CUMULATIVE CAUSATION
LOCATION OF NEW INDUSTRY
Expansion of local employment and population
Increase in local pool of trained industrial labour
Development of ancilliary industry to supply former with inputs etc
Development of external economies for former's prod uction
Provision of better infrostructure for population and industrial development road factory sites, public utilies, health & education services, etc
Attraction of capital and enterprise to exploit expanding demands for locally produced goods and services
Expansion of service industries and others serving local market
Expansion of general wealth of community
Expansion of local government funds through increased local tax yield
Source R J Chorly and P Haggett, Models in Geography, Methuen

Fig 11

प्रवास वृहत् स्तर पर होता है । फ्रीडमैन का तीसरा प्रदेश ससाधन सम्पन्न सीमान्त प्रदेश का है जहॉ नवीन खनिजो के खोज एवं उनके विदोहन के कारण नवीन अधिवासों का विकास एवं उनकी सीमा मे बृद्धि जैसी संभावनाएं विद्यमान रहती हैं । केन्द्रीय प्रदेश से सबसे दूरवर्ती प्रदेश को फ्रीडमैन ने अधोन्मुख प्रदेश की संज्ञा प्रदान की है जहॉ ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्षीणकाय होती है तथा कृषि कार्य एव उत्पादन न्यूनतम कोटि का होता है । मिरडल के मॉडल की भाति इसका प्रयोग भी आर्थिक एवं क्षेत्रीय विश्लेषण हेतु किया जाता है ।

रोस्टोव का 'आर्थिक बृद्धि की अवस्थाओं का मॉडल'

रोस्टोव ने किसी प्रदेश के आर्थिक विकास की पॉच अवस्थाएँ रुढ़िवादी समाज, ऊपर उठने की पूर्वावस्था, ऊपर उठने की अवस्था, चरमोत्कर्ष की अवस्था एव अधिकतम् उपभोग की अवस्था स्वीकार की है ।[24] इनका यह सिद्धान्त मुख्यतः नवीनतम् तकनीकों के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रदेश में सामयिक आर्थिक वृद्धि का विश्लेषण करता है ।

रोस्टोव के सिद्धान्त की प्रथम अवस्था में मुख्य व्यवसाय निर्वाहन-कृषि होती है । इसमें सभावित संसाधानों की खोज भविष्य के गर्भ में है । कुछ दशकोंपरान्त ऊपर उठने के पूर्व की स्थिति आती है । तथा तीव्र आर्थिक विकास एवं व्यापार-विस्तार होने लगता है । इसे द्वितीयावस्था कहा गया है। इस समय परम्परागत तकनीकों के साथ-साथ नवीनतम तकनीकों का प्रयोग भी प्रारम्भ हो जाता है । रोस्टोव के मॉडल की तृतीयावस्था में 'टेक-आफ' की स्थिति होती है जब नवीन परम्पराओं द्वारा प्राचीन परम्पराओं का प्रतिस्थापन कर लिया जाता है । इस अवस्था में आधुनिकतम् समाज के निर्माण के साथ ही राजनीतिक एवं सामाजिक स्वरुप परिवर्तित होने लगता है तथा औद्योगीकरण की प्रवृत्ति का जन्म होता है । चौथी अवस्था में औद्योगिक समाज सुसंगठित हो जाता है, नयी औद्योगिक इकाइयों के विकास के कारण पुरानी इकाइयॉ मृतप्राय हो जाती हैं तथा बृहत् नगरीय प्रदेश के विकास के साथ ही यातायात संरचना भी जटिलतम् होती जाती है । इस अवस्था मे पूंजी न्यास भी बढ़ने लगता है । पाचवी एवं अन्तिम अवस्था में सम्पूर्ण स्थितियाँ अपने चरमोत्कर्ष पर

होती है । व्यवसाय मे तकनीकी व्यवसाय की प्रधानता हो जाती है । भौतिक सुख सुविधा की बृद्धि के साथ ही संसाधनों का वितरण सामाजिक कल्याण के कार्यो में होने लगता है तथा उत्पादकता की प्रचुरता भी काफी बढ़ जाती है ।

रोस्टोव का 'आर्थिक बृद्धि की अवस्थाओ का सिद्धान्त' भी आलोचनाओ से न बच सका । यह सिद्धान्त अपने पॉचों अवस्थाओं मे सम्बन्ध को स्थापित करने वाले तन्त्र की व्याख्या नहीं करता है। किन्तु सम्पूर्ण आलोचनाओं के उपरान्त भी यह सिद्धान्त विकसित देशों के विश्लेषण मे अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ है । विकासोन्मुख देशों मे यह प्रक्रिया किस सीमा तक सार्थक है ? विचारणीय तथ्य है । निश्चित रुप से विकासशील अधिकाश राष्ट्र प्रथम तीन अवस्थाओं के अन्तर्गत ही आते हैं (चित्र 1.2)।

'विकास-ध्रुव सिद्धान्त'

विकास सम्बन्धी सिद्धान्तों में विकास-ध्रुव सिद्धान्त का वर्तमान समय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है । इस संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन 1955 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पेराक्स[25] महोदय ने किया । इस सिद्धान्त को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण कार्य बाउडविले[26] ने किया । यह सिद्धान्त विकास के विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया तथा 'टाप-डाउन उपागम' को प्रश्रय देता है । इस सिद्धान्त के अनुसार किसी अविकसित क्षेत्र या प्रदेश का विकास, विकास सुविधा सम्पन्न चयनित विकास ध्रुवों के माध्यम से संभव है । इनके अनुसार विकास सुविधा सम्पन्न ऐसा केन्द्र आकर्षण एवं विकर्षण की प्रक्रिया से गुजरेगा जिसके कारण वहॉ से विकास की किरणें प्रस्फुटित होगी तथा 'ट्रिकिल-डाउन' प्रक्रिया द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश विकसित होगा । बोडविले ने ऐसे ध्रुवों के रुप में विभिन्न संख्या एवं आकार की उन बस्तियों की पहचान की है जिनमें दूसरी बस्तियो को प्रभावित करने की पूर्णक्षमता हो । इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा केन्द्र अपने से छोटे केन्द्रों के माध्यम से सबसे छोटे-केन्द्र को प्रभावित करेगा तथा उन छोटे विकास केन्द्रों से सम्पूर्ण अविकसित क्षेत्र लाभ उठायेगा । इस प्रकार सम्पूर्ण प्रदेश विकास के प्रभाव में आजायेगा । इस प्रक्रिया में राष्ट्र स्तर

THE ROSTOW MODEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT
1 The traditional society
2 The pre-conditions for take-off
3 Take-off
4 The drive to maturity
5 The age of high mass consumption
Decades
Source: R.J Chorley and P. Haggett, Models in Geography, Methuen

Fig.1.2

से लेकर जिला, ग्राम स्तर तक विकास ध्रुवों के माध्यम से विकास की ऐसी श्रृंखला का निर्माण हो जाता है जिसकी सेवा से सम्पूर्ण क्षेत्र या प्रदेश का विकास सरल एव सहज हो जाता है । अपनी इन्ही विशेषताओं के कारण स्थानिक विषमताओं को दूर करने में यह सिद्धान्त, अर्थशास्त्रियो, भूगोलविदों एवं नियोजकों में सर्वाधिक लोकप्रिय हो गया ।

लोकप्रिय होने के बावजूद भी इस सिद्धान्त की कुछ आलोचना हुयी है । सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सुविधा सम्पन्न विभिन्न स्तरीय विकास ध्रुवों की स्थापना हेतु पूँजी की व्यवस्था कहॉ से होगी ? यदि ऐसा सम्भव भी हो जाय तो भी इन विकास ध्रुवो की सेवा तब तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक वह सम्पूर्ण क्षेत्र सेवा प्राप्त करने हेतु आर्थिक रुप से समर्थ नहीं हो जाता है । वस्तुतः किसी अविकसित क्षेत्र में इस तरह के विकास ध्रुवो की उत्पत्ति एवं विकास उनकी मॉग एवं पूर्ति पर निर्भर करेगा । इस समस्या के समाधान हेतु दो अन्य उपागम 'बाटम–अप एप्रोच' (ग्रामीण उपागम) तथा 'इण्टरमीडिएट एप्रोच' (ग्रामीण-नगरीय उपागम) का भी प्रतिपादन किया जा चुका है। अन्ततः कुछ सुधारों के उपरान्त इस सिद्धान्त को और भी व्यावहारिक रुप प्रदान करके विकास प्रक्रिया हेतु महत्वपूर्ण एवं क्रियाशील बनाया जा सकता है ।

1.5 विकास नियोजन एवं नियोजन स्तर

राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक विकास को तीव्र गति प्रदान करने हेतु नियोजन एक अनिवार्य आवश्यकता हो गयी है । वस्तुतः आज सम्पूर्ण विश्व नियोजन को सामाजिक-आर्थिक विकास का प्रविधि स्वीकार कर रहा है । फलूदी[27] ने नियोजन को बहुआयामी स्वीकार किया है । उनके विचार से नियोजन की संकल्पना व्यक्ति, क्षेत्र तथा तथ्य के सन्दर्भ में बदलती रहती है । फ्रीडमैन[28] का मत है कि नियोजन सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं पर विचार करने का भविष्य पर आधारित एक मार्ग है, जिसमें सामूहिक निर्णय के उद्देश्यो को नीतिगत कार्य-क्रमों द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है । हिलहोर्स्ट[29] ने नियोजन को परिभाषित करते हुये लिखा है कि नियोजन निर्णय प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष में व्याप्त अनेक

क्रियाओ के मध्य आदर्श समन्वय स्थापित करना है। राविन्स[30] के अनुसार–नियोजन आज के युग की अचूक औषधि है। कल्याणकारी राज्य के आदर्शो को प्राप्त करने का एक मात्र साधन नियोजन ही है। लीविस[31] के अनुसार-आज मूल बात यह नहीं है कि नियोजन हो अथवा नहीं, वरन् यह है कि नियोजन का क्या रुप होना चाहिए ? वास्तव में नियोजन की धारणा से सम्पूर्ण विश्व इस प्रकार अनुप्र‍ाणित है कि यह युग की सर्वोत्तम प्रणाली बन गयी है। यह अनियन्त्रित पूँजीवादी समाज के बुराइयो की एक मात्र दवा है।

नियोजन में उद्देश्य, प्रणाली एवं विनियोग का विशेष महत्व होता है। नियोजन किसी दिये हुये समय में किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आर्थिक शक्तियों का युक्तिपूर्ण नियन्त्रण है।[32] यह सावधानी पूर्वक सोच समझकर किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति का सर्वोत्तम तरीका है। ड्रोर[33] के दृष्टि में नियोजन ऐसे निर्णयो के निर्माण की प्रक्रिया है जिनको उपलब्ध संसाधनों द्वारा भविष्य में प्राप्त किया जा सकता है। स्पष्टत. कोई भी नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो भविष्य पर आधारित होती है। अर्थात् नियोजन में भविष्य की कुछ निश्चित अवधि मे कुछ निश्चित उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए आवश्यक पद्धति का निर्माण किया जाता है। आर० एन० सिह एव अवधेश कुमार[34] के मतानुसार-नियोजन से तात्पर्य किसी कार्य को सुचारु रुप से सम्पन्न करने हेतु सुव्यवस्थित पद्धति के निर्माण करने की प्रक्रिया से है। नियोजन वस्तुतः वांछित सामाजिक, आर्थिक लक्ष्यों को निर्धारित अवधि में प्राप्त करने हेतु उपलब्ध संसाधनों के सुसंगठित करने एवं उनके समुचित प्रयोग करने की एक पूर्णनिश्चित क्रमवद्ध विधि है। अंततः सूचनाओं की व्याख्या, प्रविधि एवं लक्ष्य निर्धारण, नीतियों के परीक्षण एवं समन्वित नीतिगत निर्णय के उपयोग द्वारा ही अर्थव्यवस्था एवं समाज का विकास संभव हो सकता है।

वस्तुतः नियोजन एक बहुआयामी एव बहुविमीय संकल्पना है। इसीकारण इसका विभाजन भी कई रुपों में किया गया है। भूगोलविदों के लिए मुख्यतः क्षेत्रीय सन्दर्भ में नियोजन का विश्लेषण उचित प्रतीत होता है, किन्तु नियोजन की अवधि, उससे सम्बन्धित तथ्यों एवं क्रिया कलापों की

अवहेलना नही की जा सकती । इन्ही तथ्यो को ध्यान मे रखकर आर० पी० मिश्र[35] ने अवधि के आधार पर–अल्पकालिक, दीर्घकालिक तथा परिप्रेक्ष्य नियोजन, कार्यक्रम अन्तर्वस्तु के आधार पर- आर्थिक नियोजन एवं विकास नियोजन, संगठनात्मक आधार पर आदेशात्मक एवं निर्देशात्मक नियोजन, नियोजन प्रक्रिया के आधार पर पद्धतिशील एवं मानकीय नियोजन, क्षेत्र एवं तत्वों के आधार पर स्थानिक तथा प्रखण्डगत नियोजन; तथा प्रादेशिक स्तर के आधार पर एकल स्तरीय एव बहुल स्तरीय नियोजन; के रुप में विभाजित किया है । नियोजन–उद्देश्यो को प्राप्त करने मे लगने वाले अनुमानित समय के आधार पर नियोजन का जो अल्पकालिक, दीर्घकालिक एवं परिप्रेक्ष्य नियोजन के रुप में विभाजन किया गया है वह अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण है । अल्पकालिक नियोजन के द्वारा समाज की कुछ वर्तमान समस्याओ का निराकरण सरलतापूर्वक किया जा सकता है । इसके विपरीत दीर्घ कालिक नियोजन अर्थव्यवस्था एव समाज के सरचनात्मक तथा सस्थात्मक परिवर्तन के उद्देश्यों से सम्बद्ध होता है । इसमें उद्देश्यो की प्राप्ति की अवधि अपेक्षाकृत लम्बी होती है ।

क्षेत्र के आधार पर नियोजन को राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक दो भागो मे विभाजित किया जा सकता है । राष्ट्रीय नियोजन में सम्पूर्ण राष्ट्र को एक इकाई मानकर समस्त तथ्यो के विकास के लिए नियोजन किया जाता है । प्रादेशिक नियोजन मे राष्ट्र को छोटे-छोटे प्रदेशो में बांटकर क्षेत्र की सुविधानुसार नियोजन किया जाता है । इसके लिए विशिष्ट नियोजन की आवश्यकता होती है । कभी-कभी प्रदेशों को भी वृहत्, मध्यम एवं सूक्ष्म प्रदेशो मे विभाजित करके नियोजन कार्य किया जाता है । आज त्वरित विकास हेतु सूक्ष्म स्तरीय नियोजन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है । भारत में इस नियोजन को तहसील या विकासखण्ड स्तर पर मान्यता प्रदान की गयी है ।

सामान्यत· किसी भी नियोजन को विकास-नियोजन का पर्याय स्वीकार कर लिया जाता है क्योकि नियोजन के अभाव में विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है । नियोजन का पूर्ववर्णित कोई भी स्तर विकास को ही अपना अन्तिम लक्ष्य स्वीकार करता है।[36] विकास की प्रकृति को ध्यान में रखते हुये भूगोलविदों ने अ ल्पावधि तथा प्रखण्डगत नियोजन को आर्थिक तथा

समाज और अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक एव सस्थात्मक परिवर्तन से सम्बन्धित नियोजन को विकास नियोजन की संज्ञा दी है ।[37] आर्थिक नियोजन पाश्चात्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था के अनुकूल है जहॉ की सरचनात्मक एवं संस्थात्मक स्थिति काफी सुदृढ़ है । विश्व के विकासशील राष्ट्रों के लिए विकास-नियोजन ही उपयुक्त विधि है, जहॉ प्रति व्यक्ति उत्पादन एवं आय न्यूनतम् है, औद्योगिक विकास नही हुआ है, तथा लोगों का जीवन स्तर अति-निम्न है।[38] इस प्रकार विकास नियोजन का अर्थ आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ सरचनात्मक एवं सस्थात्मक परिवर्तन के लिए नीतियो के निर्माण से है ।

प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय सीमा के आधार पर किये जाने वाले नियोजन को दो रुपो-एकल स्तरीय एवं बहुल स्तरीय में विभाजित किया जाता है । जब एक ही राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए नियोजन किया जाता है तब इसे एकस्तरीय कहा जाता है। इसे राष्ट्रीय नियोजन भी कहा जाता है । वर्तमान समय मे विभिन्न देशों–विशेषकर विकासशील देशों में योजना निर्माण राष्ट्र स्तर पर किया जाता है । निचली प्रादेशिक सीमाएं यथा राज्य, जनपद, तहसील इत्यादि नियोजन प्रक्रम में केवल कार्यान्वियन स्तर पर सम्मिलित होते हैं । तकनीकी ज्ञान एवं संस्थागत सुविधाओं की कमी के कारण निचले स्तरों पर योजना निर्माण अत्यन्त कठिन होता है। बहुल स्तरीय नियोजन किसी राष्ट्र के एकल स्तरीय नियोजन का ही विस्तृत रुप होता है । इस स्तर के नियोजन में छोटे स्तर के प्रादेशिक नियोजन का निर्माण किया जाता है, जिनके माध्यम से सम्पूर्ण राष्ट्र के विकास की योजना प्रस्तुत की जाती है । किसी राष्ट्र में योजना निर्माण का कार्य कितने स्तरों पर होगा यह देश के भौगोलिक आकार, भू-संरचना, जलवायु, क्षेत्र आदि से प्रभावित होता है। अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय नियोजन की प्रभावी व्यावहारिकता की कमी एवं क्षेत्रगत नियोजन की विसंगतियों के कारण बहुस्तरीय नियोजन को अत्यधिक प्रश्रय मिलने लगा है । एकल एवं बहुल स्तरीय नियोजन पर अपने विचार प्रकट करते हुये आर० पी० मिश्र[39] ने लिखा है कि-राष्ट्र के एकल स्तरीय नियोजन के अतिरिक्त कुछ स्थानिक स्तर पर सामाजिक एव आर्थिक नियोजनों का निर्माण ही बहुल स्तरीय नियोजन होता है । इस प्रकार बहुल स्तरीय नियोजन, नियोजन प्रक्रिया का

विकेन्द्रीकरण होता है । विश्व स्तर पर बृहत्, मध्यम एवं लघु ये तीन सापेक्षिक स्तर प्रचलित है । किन्तु भारतीय नियोजन के सन्दर्भ मे सामान्यत. पाँच सापेक्षिक स्तर उल्लेखनीय है–

(1) केन्द्रीय स्तर (राष्ट्र स्तर)

(2) अन्तर्क्षेत्रीय स्तर (राज्य स्तर)

(3) अन्तर्स्थानीय स्तर (जिला स्तर)

(4) स्थानीय या सूक्ष्म स्तर (तहसील या विकास खण्ड स्तर) तथा

(5) आधार स्तर (ग्राम स्तर) ।

विकास की प्रक्रिया क्रमश : बृहत् स्तर से सूक्ष्म स्तर की ओर अग्रसर होती रहती है । अन्तत यह प्रक्रिया एक गाँव एव उसके क्षेत्र एव कुछ तथ्य तक सीमित हो जाती है । आधार स्तर (ग्राम स्तर) मे विकास की प्रक्रिया सूक्ष्म स्तर से प्रारम्भ होकर सम्पूर्ण राष्ट्र में व्याप्त हो जाती है । इसमें नियोजन के स्तर में बृद्धि के साथ-साथ समय एवं क्षेत्र में भी बृद्धि होती जाती है । अन्तत. इस प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्र धीरे-धीरे विकासशील से विकसित की श्रेणी में आ जाता है ।

1.6 भारतीय नियोजनः एक पुनरावलोकन

नियोजन का वर्तमान स्वरुप सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ में लेनिन के नेतृत्व मे दृष्टिगोचर हुआ।[40] भारत कई शताब्दियो तक परतंत्र रहा । पराधीनता के समय विकास-नियोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । उपनिवेशवादी शक्तियों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु भारत के आर्थिक एवं सामाजिक ढाँचे को ही ध्वस्त कर दिया था । परिणामस्वरुप भारतीय अर्थव्यवस्था निरन्तर क्षीण होती गयी तथा भारत विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होता चला गया ।

भारत में स्वतन्त्रता के समय तक देश के राजनेता एवं शीर्षस्थ-विचारक नियोजन की परिकल्पना और उसकी उपयोगिता से अवगत हो चुके थे । 1934 में विख्यात इन्जीनियर एम० विश्वेसरैया की पुस्तक 'प्लांड इकानमी फार इण्डिया' प्रकाशित हुयी । इस पुस्तक में उन्होने भारत

के नियोजित आर्थिक विकास हेतु एक 10 वर्षीय आयोजना बनायी । इस प्रकाशन ने नीति निर्धारकों एवं विचारकों को काफी प्रभावित किया । 1938 में पं० जवाहर लाल नेहरु की अध्यक्षता मे 'राष्ट्रीय नियोजन समिति' का गठन किया गया, जिसका कार्य नियोजन हेतु सामग्री एकत्रित करना था । 1946 में अन्तरिम सरकार के गठन पर 'नियोजन सलाहकार परिषद' का गठन किया गया, तथा 1947 में जवाहर लाल नेहरु की अध्यक्षता में नियोजन के लिए 'आर्थिक कार्यक्रम समिति' की नियुक्ति की गयी । अन्ततः स्वतन्त्रोपरान्त देश की जर्जर अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मार्च 1950 में 'योजना आयोग' का गठन किया गया ।

भारत ने 1 अप्रैल, 1951 से नियोजित आर्थिक विकास के प्रारुप को पूर्णरुपेण स्वीकार कर लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य-देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय मे बृद्धि करना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि सुविधाओं मे वृद्धि करना, लोगों के जीवन मे गुणात्मक सुधार लाना, धन एवं आय को समान रुप से वितरित करना, बेरोजगारी दूर करना, पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखना तथा समता एवं सहयोग पर आधारित समाज की रचना करना था ।[41]

प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल, 1951 से 31 मार्च, 1956 तक रही । इस योजना का प्रमुख उद्देश्य-खाद्यान्न एवं कच्चे पदार्थ के उत्पादन में सुधार करना, लोगों के जीवन-स्तर को उपर उठाना तथा देश के विभाजन से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना था । सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 2069 करोड़ रुपये के व्यय का लक्ष्य था परन्तु योजनाकाल में मात्र 1960 करोड़ रुपया व्यय किया गया । इस योजनावधि मे निर्धारित लक्ष्यों में काफी सफलता प्राप्त हुयी । 1 अप्रैल, 1956 को द्रुतगति से औद्योगिक विकास करने वाली द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू की गयी । यह योजना 31 मार्च, 1961 को समाप्त हुयी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र मे 4600 करोड़ रुपये (लक्ष्य 4800 करोड़ रुपये) व्यय हुआ । इस योजना का परिणाम भी सन्तोषप्रद रहा । तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल, 1961 से 31 मार्च, 1966 तक रही । इस योजना में कृषि विकास को वरीयता दी गयी तथा वृद्धि दर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष रखी गयी । इस योजना में व्यय का कुल लक्ष्य 7500 करोड़

रुपये था, परन्तु 8576 करोड़ रुपये व्यय करने के उपरान्त भी सफलता न प्राप्त की जा सकी। इस योजना की असफलता का कारण अकाल एव भारत-पाक युद्ध भी रहा। युद्धों एव प्राकृतिक प्रकोपो ने इस कड़ी को यही भंग कर दिया। परिणाम स्वरुप 1 अप्रैल, 1966 से 31मार्च, 1969 तक विकास हेतु तीन अलग-अलग तदर्थ वार्षिक योजनाएँ कार्यान्वित की गयी। अर्थव्यवस्था के सुधारोपरान्त पुनः 1 अप्रैल, 1969 को गरीबी हटाओ एव न्याय में बृद्धि के उद्देश्यों के साथ चौथी पचवर्षीय योजना लागू की गयी जिसका कार्यकाल 31 मार्च; 1974 तक रहा। इस योजना में कुल व्यय 15779 करोड़ हुआ। 1 अप्रैल, 1974 को आत्म निर्भरता के उद्देश्य की पूर्ति के साथ पॉचवी योजना प्रारम्भ की गयी। जिसका कार्यकाल 31 मार्च, 1978 को समय पूर्व ही समाप्त हो गया। इस प्रकार पॉचवी पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर जनता सरकार ने 1 अप्रैल, से पॉचवी योजना का नये प्रारुप के साथ शुभारम्भ किया जो 1980 में पुनः कांग्रेस सरकार द्वारा समय पूर्व समाप्त कर दी गयी। इस प्रकार इस क्रम में राष्ट्र का आर्थिक विकास बाधित रहा। फलत 1 अप्रैल, 1980 को छठवीं पंचवर्षीय योजना का विधिवत शुभारम्भ हुआ, जिसका कार्यकाल 31 मार्च, 1985 तक रहा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी निवारण, एवं प्रति व्यक्ति आय एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि करना था। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल व्यय 97500 करोड़ रुपये रहा। 1 अप्रैल, 1985 से 31 मार्च, 1990 की अवधि मे उर्जा पर सर्वाधिक प्राथमिकता वाली सातवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। इस योजना में कुल व्यय धन, 180000 करोड़ रुपये रहा। यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूर्णतया सफल न हो सकी। वर्ष 1990 के उपरान्त पुनः केन्द्रीय सरकारों की अस्थिरता के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन समय से न हो सका। 1992 में कांग्रेस सरकार (सत्तासीन होने पर) ने पुनः आठवीं योजना का प्रारुप तैयार किया जिसके परिणाम स्वरुप 1 अप्रैल, 1992 से आठवीं योजना प्रारम्भ हुयी। इस योजना का कार्यकाल 31 मार्च 1997 तक। इस व्यवस्था को और भी सशक्त एवं व्यापक बनाये जाने की आवश्यकता है।

भारत में नियोजन का स्वरुप प्रारम्भिक काल में एक-स्तरीय था, क्योंकि उस समय नियोजन की मुख्य भूमिका केन्द्र सरकार निभाती थी। प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजनाओ

का क्रियान्वयन केवल राष्ट्रीय स्तर से ही हुआ था । परन्तु वर्तमान समय में भारतीय नियोजन का स्वरुप बहुल स्तरीय हो गया है जिसमें केन्द्र, राज्य, जिला, एव विकास खण्ड स्तर समाहित है । चौथी पचवर्षीय योजना मे तो राज्यों ने भी अपनी-अपनी योजनाओं का अलग से क्रियान्वयन किया था । राज्य स्तर पर नियोजन प्रणाली को मजबूत करने के लिए योजना आयोग ने 1972 मे एक कार्यक्रम का निर्माण किया ।[42] इससे पूर्व 1969 मे ही जिला स्तर पर नियोजन कार्य प्रारम्भ हो चुका था।[43] 1978 से 1983 के मध्य विकास खण्ड स्तरीय नियोजन प्रारम्भ किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम को स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग द्वारा और भी गति प्रदान करना था।[44] इस प्रकार लघु क्षेत्रीय इकाइयो के नियोजन के माध्यम से प्रादेशिक नियोजन का विकास हुआ ।

छठीं पंचवर्षीय योजना में ग्राम्य विकास एवं नियोजन पर काफी बल दिया गया जिसके परिणामस्वरुप प्रादेशिक एवं विकेन्द्रित नियोजन की प्रक्रिया को पर्याप्त महत्व मिला । आयोग द्वारा प्रस्तुत पत्र में राज्य के नीचे के स्तरों विशेषतः जिला एवं विकास खण्ड की योजनाओं पर विशेष बल दिया गया यद्यपि विकास खण्ड स्तर पर नियोजन की अनेक समस्याओ के फल-स्वरुप इसे समुचित महत्व नहीं प्राप्त हो सका । विकास खण्ड अधिकारी योजनाओं को ऊपर के निर्देशानुसार कार्यान्वित करने के लिए बाध्य है ।

5 नवम्बर, 1977 को 'विकास खण्ड स्तर पर नियोजन' हेतु गठित दातवाला कमेटी ने कार्यो की एक सूची प्रस्तुत किया, जिनका नियोजन विकास खण्ड स्तर पर भी सम्भव है [45] –

1 कृषि एवं सम्बन्धित क्रियाएँ,

2 कृषि उत्पादन के साधनों की पूर्ति,

3 कृषि उत्पादों का प्रक्रमण,

4. गौण सिंचाई,

5. मत्स्यन,

6 वानिकी,

7 मृदा संरक्षण एवं जल प्रबन्धन,

8 पशुपालन एवं मुर्गीपालन,

9 कुटीर एवं लघु उद्योग,

10. स्थानीय सुविधाधार,

11 सार्वजनिक सुविधाएँ –

(i) पेय जल आपूर्ति,

(ii) स्वास्थ्य एव पोषण,

(iii) शिक्षा,

(iv) आवास,

(v) सफाई,

(vi) स्थानीय परिवहन तथा

(vii) जन-कल्याण कार्यक्रम

12. स्थानीय युवकों को प्रशिक्षण एवं

13 स्थानीय जनसंख्या के कौशल में बृद्धि।

1.7 पिछड़ी अर्थव्यवस्था : स्वरुप एवं निर्धारण

जीवन स्तर के सतत् उच्चतर प्रतिमानों एवं विविध उपभोग वस्तुओं की प्राप्ति, मानवीय गुणों एवं कार्य क्षमता में सुधार की आकांक्षा मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसीलिए प्रत्येक राष्ट्र मानव की उक्त आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु सतत् प्रयत्नशील रहता है। परन्तु आज विश्व की समस्त अर्थव्यवस्थाएँ समरुप नहीं हैं। विश्व अर्थव्यवस्था की आज की संरचना में कुछ गिने चुने राष्ट्रो का

छोटा समूह ही पर्याप्त रुप से सम्पन्न है, शेष विश्व अविकसित, विकासशील (पिछड़ी अर्थव्यवस्था) अथवा अर्द्ध विकसित समूहों में विभक्त है ।

सामान्यतया 'अर्थव्यवस्था' शब्दावली का प्रयोग किसी क्षेत्र के मात्र आर्थिक तन्त्र के लिए किया जाता है । परन्तु प्रस्तुत अध्ययन में इसका प्रयोग व्यापक अर्थो में किसी क्षेत्र या स्थान की समष्टि के रुप में किया गया है । इसमें आर्थिक तन्त्र के साथ-साथ अन्य भौगोलिक तथ्यो को भी समाहित किया गया है । मानवीय कार्य-कलापों मे आर्थिक क्रियाएँ सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जिनके संरक्षण में ही अन्य सभी क्रिया-कलाप सम्पादित होते है । अतः शोध प्रबन्ध के विषय में भौगोलिक शब्द 'पिछड़ा क्षेत्र' के स्थान पर 'पिछड़ी अर्थब्यवस्था' का प्रयोग ठीक समझा गया है । पिछड़ापन का क्षेत्र, क्षेत्रीय असन्तुलन एवं क्षेत्रीय-विभेदशीलता की तुलना में संकुचित एवं कम व्यापक है । क्षेत्रीय असन्तुलन एवं क्षेत्रीय विभेद-शीलता का सम्बन्ध अर्थव्यवस्था की तीनों दशाओं विकसित, विकासशील एवं अविकसित से होता है, जबकि पिछड़ापन मूलतः अविकसित अर्थव्यवस्था का पर्याय है । जैकब वाइनर ने भी इसे अविकसित अर्थव्यस्था से जोड़ा है ।

यद्यपि अविकसित अथवा विकासशील अर्थब्यवस्था की कोई उपयुक्त तथा सर्वमान्य परिभाषा देना तो सम्भव नहीं है, फिर भी उसके सामान्य लक्षणों तथा विशेषताओं के आधार पर उसे कई रुपों में व्यक्त किया जा सकता है । सामान्यतः पिछड़ेपन (विकासशील) से किसी अर्थव्यवस्था की उस दशा का बोध होता है जिसमें समाज का एक भाग न्यूनतम् आवश्यकताओं भी नहीं पूरा कर पाता है । इसकी तीव्रता का स्तर ऐसे लोगों, जिनकी न्यूनतम आवश्यकताएँ भी नहीं पूरी हो पाती, की संख्या पर निर्भर करता है । जैकब वाइनर के अनुसार–पिछड़ी अर्थव्यवस्था वह है जहाँ पूँजी अथवा श्रम अथवा अधिक मात्रा में उपलब्ध अन्य अप्रयुक्त साधनों अथवा इन सबके प्रयोग की महत्वमूर्ण सम्भावनाएँ हों और जिसके आधार पर वर्तमान जनसंख्या के लिए एक ऊँचा जीवन स्तर प्राप्त किया जा सकता है । यह पिछड़ापन भौतिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों के अविकसित होने अथवा पिछड़ेपन का परिणाम् कहा जा सकता है । भौतिक संसाधनों से तात्पर्य किसी स्थान के

उच्चावच, जलवायु, अपवाह, मिट्टी, वनस्पति एवं खनिज आदि से है। जबकि सास्कृतिक ससाधन मे सम्पूर्ण मानवीय क्रिया-कलाप समाहित किये जाते हैं। इन ससाधनो से सम्बन्धित पिछड़ेपन के आधार पर पिछड़ी अर्थव्यवस्थाएँ 4 प्रकार की हो सकती है–

1 भौतिक रुप से पिछड़ी अर्थब्यवस्था

2 सांस्कृतिक रुप से पिछड़ी अर्थब्यवस्था

3 भौतिक एवं सांस्कृतिक रुप से पिछड़ी अर्थब्यवस्था एवं

4 भौतिक एवं सांस्कृतिक रुप से अंशतः पिछड़ी अर्थब्यवस्था।

भौतिक रुप से पिछड़ी अर्थव्यवस्था में उन क्षेत्रो को समाहित किया जाता है जहॉ की जलवायु, उच्चावच एवं मिट्टी मानव जीवन के लिए अनुपयुक्त हो तथा जल संसाधन, वन संसाधन एव खनिज संसाधन का प्रायः अभाव हो। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की पहचान साधारणत क्षेत्र के नाम से ही हो जाती है। सांस्कृतिक रुप से पिछड़ी अर्थव्यवस्था में उन क्षेत्रों को समाहित किया जाता है जहॉ पर भौतिक दशाएँ अनुकूल होते हुये भी, संसाधन एवं मानव प्रबन्धन के अभाव मे उनका उचित प्रयोग न किया जा सका हो। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का विकास अपेक्षाकृत दीर्धावधि में ही संभव होता है। भौतिक एवं सांस्कृतिक रुप से पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओ में उन क्षेत्रो को सम्मिलित किया जाता है जो न तो भौतिक रुप से, न ही सांस्कृतिक रुप से विकास करने के योग्य होते हैं। भौतिक एवं सांस्कृतिक रुप से अंशतः पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं में उन क्षेत्रो को समाहित किया जाता है जिनके भौतिक एवं सांस्कृतिक तथा मानवीय संसाधन अंशत· पिछड़े हों अथवा कुछ संसाधनों की उपलब्धि संतोषजनक हो तथा कुछ की नहीं। अध्ययन क्षेत्र आजमगढ़ तहसील साधारणतः एक समतल मैदान है, जो भौतिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय संसाधनों से युक्त है, फिर भी यहाँ की अर्थव्यवस्था पिछड़ी है। निश्चित रुप से इसकी अर्थब्यवस्था का निर्धारण एक जटिलतम प्रक्रिया है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में अल्पावधि विकास नियोजन ही सर्वोत्तम होता है।

पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओ के अध्ययन मे सामान्यतया आर्थिक दृष्टिकोण ही महत्वपूर्ण माना जाता रहा है । इन क्षेत्रों मे प्रति व्यक्ति निम्न आय, प्रति व्यक्ति कम उत्पादकता, जनसख्या का अधिक दबाव एवं अति-वृद्धि दर, बेरोजगारी, कृषि पर अधिक निर्भरता, औद्योगिक पिछड़ापन, उपभोग की अधिकतम दर, पूँजी की कमी, बचत की कमी, तथा प्रौद्योगिक-पिछड़ापन आदि को ही पिछड़ी अर्थब्यवस्था का प्रतीक माना जाता है । किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का निर्धारण अधोलिखित तथ्यों के सन्दर्भ में किया जाता है[46] –

1 प्रति व्यक्ति आय एवं उत्पाद,

2 ग्रामीण नगरीय जनसंख्या अनुपात,

3 कृषि में सलग्न जनसंख्या,

4 कृषि भूमि-जनसंख्या अनुपात,

5 कुल जनसख्या से अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का अनुपात,

6 साक्षरता का स्तर एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ,

7 शक्ति संसाधनों एवं अन्य खनिज ससाधनों की उपलब्धता,

8. परिवहन, संचार एवं अन्य सेवाओं की उपलब्धता,

9. क्रियाशील जनसंख्या का सम्पूर्ण जनसंख्या से प्रतिशत, तथा

10. औद्योगिक पिछड़ापन ।

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पिछड़ी अर्थव्यवस्था के निर्धारण में सांस्कृतिक पक्षों की ही प्रधानता होती है । इसमें प्राकृतिक तत्वों की अवहेलना की गयी है जो वस्तुतः पिछड़ी अर्थव्यवस्था के लिए काफी सीमा तक जिम्मेदार होते है । अतः पिछड़ी अर्थव्यवस्था के निर्धारण में उक्त तथ्यो के साथ आश्रित जनसंख्या अनुपात, उच्चावच, अनुकूल जलवायु, जल संसाधन, वन संसाधन एवं धरातल तथा मिट्टी की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए । पिछड़ी अर्थव्यवस्था के निर्धारण में दो समस्याओं की भी प्रधानता होती है–

1. पिछड़ी अर्थव्यवस्था के निर्धारण मे अपनाये गये मानदण्डों की मानक सीमा क्या हो ? क्या राष्ट्रीय औसत अथवा योजना आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदण्डों को उसी रुप में ही स्वीकार करना उचित होगा ?

2. उस क्षेत्र का स्तर क्या हो जिसकी तुलना में पिछड़ी अर्थव्यवस्था का निर्धारण किया जाय ? भारत के सन्दर्भ में यह क्षेत्र सम्पूर्ण राष्ट्र हो सकता है अथवा योजना आयोग द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय स्तर को अपनाया जा सकता है ?

चूँकि उपर्युक्त दोनों तथ्यों का निर्धारण व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया है अतः इसके आधार पर अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन वास्तविक रुप से नहीं ज्ञात किया जा सकता। इसके अध्ययन से मात्र क्षेत्रीय असन्तुलन का ही आभास लगाया जा सकता है। वस्तुतः किसी क्षेत्र का पिछड़ापन उसी के वातावरणीय दशाओं में विभिन्न तथ्यों के सन्दर्भ में ज्ञात करना श्रेयष्कर होता है। इसका अर्थ यह है कि क्षेत्र से सम्बन्धित सभी क्रियाओं की सम्भाव्यता का कितना अंश विकसित किया जा चुका है, ज्ञात किया जाय। यदि कुल सम्भाव्यता का 50 प्रतिशत से कम भाग विकसित किया गया है तो वह क्षेत्र तत्सम्बन्धित दृष्टि से नितान्त पिछड़ा कहा जा सकता है। किन्तु कुल सम्भाब्यता के 75 प्रतिशत भाग को विकसित करने वाले क्षेत्र को विकासशील तथा 75 प्रतिशत से अधिक विकसित भाग वाले क्षेत्र को विकसित कहा जा सकता है।

अध्ययन क्षेत्र (आजमगढ़ तहसील), कलकल निनादिनी, पतित पावनी, तमसा के आगोस मे अठखेलियॉ करता हुआ राजनीतिक दाव-पेंच में उलझकर अपने अतीत के गौरवान्वित इतिहास से बढ़-चढ़कर विकास की योजनाएँ बनाता रहा है, लेकिन इसे विरासत में सिसकन के अलावा मिला कुछ भी नहीं है। समतल मैदानी प्रदेश होते हुये भी यह क्षेत्र अपने विकास का प्रथम-चरण भी पूरा नहीं कर सका है। यह प्रदेश प्राकृतिक संसाधन (वनस्पति एवं खनिज ससाधन के अतिरिक्त) सम्पन्न है। यहॉ की जलवायु अनुकूल एवं मिट्टी उपजाऊ है। तीव्र गति से बढ़ती हुयी जनसंख्या ने यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को काफी दयनीय बना दिया है। 1981 से 1991 के दशक मे

जनसख्या वृद्धि दर 2 48 प्रतिशत रही जो उच्च ही कही जा सकती है । यहॉ 1991 की जनगणना के अनुसार प्रतिवर्ग किमी० क्षेत्र में 792 व्यक्ति आबाद है । अध्ययन प्रदेश मे साक्षरता का प्रतिशत भी काफी कम है । 1991 की जनगणना के अनुसार तहसील मे साक्षरता प्रतिशत 30 53 है । यह प्रतिशत पुरुषों में मात्र 43 35 एवं स्त्रियों में 17 65 है । क्षेत्र में नगरीकरण का प्रतिशत मात्र 17.46 है । कार्यशील जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्र की स्थिति और भी दयनीय है । यहॉ कुल जनसख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत मात्र 26 44 है । अध्ययन प्रदेश कृषि प्रधान है । क्षेत्र की 86 25 प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है । कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषक जनसंख्या का प्रतिशत 78.4 है । क्षेत्र की मात्र 54.95 प्रतिशत भूमि ही शुद्ध सिंचित है । यहॉ के 87 53 प्रतिशत गॉवो को शीत गृह की सुविधा 5 किमी० या इससे भी अधिक दूरी पर उपलब्ध है । क्रय-विक्रय केन्द्र के सम्बन्ध मे यह प्रतिशत 91.48 है । उद्योग विहीन इस क्षेत्र की मात्र 6.64 प्रतिशत जनसंख्या ही उद्योगों मे संलग्न है । यहॉ के अधिकांश कृषक लघु एवं सीमान्त किस्म के हैं । पशुपालन, मतस्यपालन एवं कुक्कुट पालन का तहसील में कोई स्थान नहीं है । तहसील में बृहद् स्तर पर कार्यात्मक रिक्तता भी विद्यमान है । डाकघर, तारघर, दूरभाष के अतिरिक्त अन्य सामाजिक सुविधाओं हेतु आधी से भी अधिक बस्तियों को 5 किमी० से भी अधिक दूरी तय करना पड़ता है । संचार व्यवस्था की दयनीय स्थिति के कारण ही लोगो में जागरुकता का भी अभाव है । स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओ की उपलब्धता तहसील में प्रायः नगण्य है । लगभग एक हजार जनसंख्या पर एक चिकित्सक उपलब्ध है । क्षेत्र में मात्र 9 आयुर्वेद एवं 5 होमियोपैथ चिकित्सालय उपलब्ध है । तहसील में प्रतिलाख जनसंख्या पर एलोपैथ एवं प्रा० स्वा० केन्द्रों की संख्या मात्र क्रमशः 3.97 एवं 18.62 है । यहॉ पर शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं । प्रति लाखजनसंख्या पर जूनियर बेसिक स्कूल की संख्या 55.31, सीनियर बेसिक की 13.86 तथा माध्यमिक की 3.0 है । यहाँ की 48 36 प्रतिशत बस्तियों को माध्यमिक विद्यालय की सुविधा हेतु आज भी 5 किमी० या इससे भी अधिक दूरी तय करना पड़ता है । क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था भी अविकसित है । यहॉ प्रतिलाख जनसंख्या पर सड़कों की लम्बाई मात्र 52 24 तथा प्रति हजार वर्ग किमी० पर 348.9 किमी० है ।

क्षेत्र मे अभिगम्यता का प्रतिशत केवल 80 69 है । अध्ययन से स्पष्ट होता है कि हरी-भरी धरती एव वन प्रान्तर से आच्छादित मैदानी प्रदेश होते हुये भी क्षेत्र का विकास सम्भव नही हो सका है ।

ससाधन के अभाव, आकड़ो की अपर्याप्तता तथा समय की अल्पतता के कारण अध्ययन क्षेत्र में सम्पूर्ण मानदण्डों के अन्तर्गत पिछड़ी अर्थब्यवस्था की पहचान करना अत्यन्त दुरुह कार्य है । सामान्य सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष प्राप्त हो जाता है कि आजमगढ़ तहसील एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था का प्रतिरुप है । साथ ही इसकी किस्म भौतिक एवं सांस्कृतिक रुप से पिछड़ी अर्थब्यवस्था की है । इसकी पुष्टि योजना आयोग[47] एवं राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक परिषद[48] के विभिन्न प्रतिवेदनो से भी होती है । इनके द्वारा प्रयुक्त मानदण्डो के अनुसार सम्पूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश ही पिछड़े क्षेत्र के अन्तर्गत आता है । अत. अध्ययन क्षेत्र पिछड़ी अर्थव्यवस्था का ही एक प्रतिरुप है ।

सन्दर्भ

1 SMITH, D M. HUMAN GEOGRAPHY · A WELFARE APPROACH, ARNOLD HEINEMANN, LONDON, 1984, p 201

2. QURESHI, M. H.. INDIA : RESOURCES AND REGIONAL DEVELOPMENT, N C.E.R.T , NEW DELHI, 1990, p 81

3 OP. CIT , FN. 1.

4 OP. CIT., FN. 1, p. 205.

5 DREWNOWSKI, J. : ON MEASURING AND PLANNING, THE QUALITY OF LIFE, MOUNTON, THE HAGUE, 1974, p. 95.

6 KINDLEBERGER, C.P AND HERRICK, B : ECONOMIC DEVELOPMENT, NEW YARK, MC GRAW HILL, 1977, p. 1

7 OP. CIT., FN 5, pp. 94-95.

8 OP CIT , FN 5, pp 91-102

9 PRAKASH, B AND RAZA, M RURAL DEVELOPMENT ISSUE TO PONDER KURUKSHETRA, 32 (4), 1984, pp 4-10

10 TODARO, MICHAEL P. ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE THIRD WORLD, NEW YARK, LONGMAN, INC, 1983, p. 70

11 OP CIT., FN 1, p. 207

12 MISRA. R. P , SUNDARAM, K.V AND RAO, B L S P : REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING IN INDIA A NEW STRATEGY, VIKAS PUBLISHING HOUSE, NEW DELHI, 1974, p 189.

13 SINGH, R.N. AND KUMAR, A SPATIAL REORGNISATION · CONCEPT AND APPROACHES, NATIONAL GEOGRAPHER, 18 (2), 1983, pp. 215-26.

14 OP. CIT , FN 12.

15. HIRSCHMAN, A.C. : STRATEGY OF ECONOMIC DEVELOPMENT, NEW HAVEN, YALE UNIVERSITY PRESS, 1958.

16 OP. CIT , FN. 2, p 81

17 ADELMAN, I. AND MORRIS, C.T. : SOCIETY POLITICS AND ECONOMIC DEVELOPMENT, BOLTEMORE, THE JOHN HOPKINS, 1967

18 HAGEN, E.E. : A FRAME-WORK FOR ANALYSING ECONOMIC AND POLITICAL DEVELOPMENT IN DEVELOPMENT OF EMMERGING COUNTRIES BY ROBERT ASHER (ED), WASHINGTON D C., BOOKINGS INSTITUTIONS, 1962, pp. 1-38.

19 UNRISD · CONTENTS AND MEASUREMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT, GENEVA, REPORT NO 70-10, 1970

20 BERRY, B J L. 'AN INDUCTIVE APPROACH TO THE REGIONALIZATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT' IN ESSAYS ON GEOGRAPHY AND ECONOMIC DEVELOPMENT BY N GINSBURG (ED), RESEARCH PAPER 62, DEVELOPMENT OF GEOGRAPHY, UNIVERSITY OF CHICAGO, 1960

21 MYRDAL, G ECONOMIC THEORY AND UNDERDEVELOPMENT, LONDON, 1957

22 KEEBLE, D. 'MODELS OF ECONOMIC DEVELOPMENT' IN MODELS IN GEOGRAPHY BY R J CHORLEY AND P HAGGET (EDS), LONDON, 1967.

23 FRIEDMANN, J · 'THE URBAN-REGIONAL FRAME FOR NATIONAL DEVELOPMENT', INTERNATIONAL DEVELOPMENT REVIEW, 1966.

24 ROSTOW, W.W. : THE STAGES OF ECONOMIC GROWTH, LONDON, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1962, 1962, p. 2

25. PERROUX, F 'LA NATION DE CROISSANCE', ECONOMIQUE APPLIQUE, NOS. 1 & 2, 1955

26 BOUDEVILLE, T.R PROBLEMS OF REGIONAL ECONOMIC PLANNING, EDINBURGH, UNIVERSITY PRESS, 1966

27 FALUDI, A. . PLANNING THEORY, PERGAMON PRESS, OXFORD, 1973.

28 FRIEDMANN, J THE CONCEPT OF PLANNING REGIONS, THE EVOLUTION OF AN IDEA IN THE UNITED STATES, REPRINTED IN REGIONAL DEVELOPMENT AND PLANNING, A READER BY J FRIEDMANN AND W. ALONSO (EDS), THE M I.T PRESS, 1956

29. HILL HORST, J G M REGIONAL PLANNING : A SYSTEMS APPROACH, ROTTERDAME UNIVERSITY PRESS, 1971

30 ROBBINS, ECONOMIC PLANNING AND THE INTERNATIONAL ORDER, p. 3

31 LEWIS, W.A. THE PRINCIPLES OF ECONOMIC PLANNING p. 128.

32 IBID.

33 DROR, Y THE PLANNING PROCESS A FACET DESIGN, INTERNATIONAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCE, 29 (1), 1963

34 SINGH, R.N. AND KUMAR, A. : BHARTIYA NIYOJAN PRANALIEVAM GRAMIN VIKAS : EK SAMIKSHA, BHOO-SANGAM, 2 (1), ALLAHABAD GEOGRAPHICAL SOCIETY, ALLAHABAD, 1984, pp 17-24.

35 OP CIT., FN 12.

36. GILLINGWATER, D REGIONAL PLANNING AND SOCIAL CHANGE · A RESPONSIVE APPROACH, SAXON HOUSE, 1975, p. 1.

37. OP CIT., FN 12.

38 OP. CIT , FN 21

39. OP CIT., FN 12.

40 SINHA, B P 'RISE AND FALL OF INDUS VALLEY CIVILISATION', JOURNAL OF BIHAR RESEARCH SOCIETY, 1960, pp 267-75.

41 MISHRA, B.N · VIKAS EK VAIGYANIC-DHARMIK SANDARSH, BHOO-SANGAM, 2 (1), ALLAHABAD GEOGRAPHICAL SOCIETY, ALLAHABAD, 1984, pp. 1-16

42 SINGH, A. K. : PLANNING AT THE STATE LEVEL IN INDIA, COMMERCE POMPHLET 25, 1970, p. 25.

43 PLANNING COMMISSION : GUIDELINES FOR THE FORMULATION OF DISTRICT PLANS, 1969, pp 1-2, (U.P GOVERNMENT EDITION)

44 VAISHNAVA, P H. AND SUNDARAM, K V INTEGRATING DEVELOPMENT ADMINISTRATION AT THE AREA LEVEL, IN PLANNING COMMISSION, REPORT OF THE WORKING GROUP ON BLOCK LEVEL PLANNING, 1978, p 2.

45 IBID.

46\. CHAND, M. AND PURI, V.K. REGIONAL PLANNING IN INDIA, ALLIED PUBLISHERS LTD., NEW DELHI, 1983, p. 331.

47.(A) GOVERNMENT OF INDIA, PLANNING COMMISSION : REPORT OF JOINT STUDY TEAM ON UTTAR PRADESH (EASTERN DISTRICT) MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1964.

47 (B) GOVERNMENT OF INDIA, PLANNING COMMISSION : REPORT OF THE WORKING GROUP ON IDENTIFICATION OF BACKWARD AREA, NEW DELHI, 1969

48\. NATIONAL COUNCIL OF APPLIED ECONOMIC RESEARCH . TECHNO-ECONOMIC SURVEY OF UTTAR PRADESH, NEW DELHI, 1965.

* * * * *

अध्याय दो

अध्ययन प्रदेश : भौगालिक पृष्ठभूमि

शोध प्रबन्ध के इस अध्याय का मूल उद्देश्य अध्ययन प्रदेश की सम्यक् जानकारी प्राप्त करना है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी एक विशिष्ट भौगोलिक पृष्ठभूमि होती है, इसी कारण किसी भी क्षेत्र का समवेत विकास वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियो पर ही निर्भर करता है । प्रत्येक क्षेत्र का अपना अलग अस्तित्व निर्मित होता है । भौगोलिक परिस्थितियों के तीन उपागम प्रमुख है–

(1) सास्कृतिक क्रियाओं का नियामक मानव,

(2) भौतिक एवं सास्कृतिक शक्तियों का कार्यस्थल,

(3) मानव प्रयासो का प्रतिफल–मानव व्यवसाय ।

इस प्रकार ज्ञातव्य है कि अपनी महत्वपूर्ण क्रियाओं के कारण ही यह अध्याय किसी भी शोध प्रबन्ध का मूल पाठ होता है ।

2.1 स्थिति, सीमा एवं विस्तार

अध्ययन क्षेत्र आजमगढ़ (सदर) तहसील, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद की हृदय स्थल है । तहसील का मुख्यालय स्वय आजमगढ़ नगर ही है । अध्ययन प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति 25° 50' 30" उत्तरी अक्षांश से 26°11', 15" उत्तरी अक्षाश के मध्य है । प्रदेश की देशांतरीय स्थिति[1] 82°52'7" पूर्वी देशान्तर से 83° 25' 10" पूर्वी देशान्तर के मध्य है । प्रदेश की सर्वप्रमुख नदी तमसा तहसील के मध्य से प्रवाहित होती है ।

आजमगढ़ तहसील जनपद के मध्य भाग में स्थित होने के कारण पूर्ण रुपेण जनपद की अन्य तहसीलो से घिरी हुई थी, जिसके कारण इसका सम्पर्क सीमा रेखा से नहीं हो पाता था । 1988 में जनपद मऊ के निर्माणोपरान्त मुहम्मदाबाद-गोहना तहसील के दो विकास खण्ड क्रमश. जहानागज एव सठियॉव के आजमगढ़ तहसील में सम्मिलितोपरान्त यह इस विशेषता से बंचित हो गया । इस तहसील के पश्चिम में फूलपुर, उत्तर-पश्चिम में बूढ़नपुर, उत्तर में सगड़ी, दक्षिण में लालगज तहसीले तथा पूर्वी भाग में जनपद मऊ इसकी बाह्य सीमा का निर्माण करते है ।

जनपद मऊ के निर्माण के पूर्व लगभग वर्गाकार आजमगढ़ तहसील का वर्तमान आकार आयताकार हो गया। प्रदेश की उत्तर से दक्षिण अधिकतम चौड़ाई 40 किमी० तथा पूर्व से पश्चिम अधिकतम लम्बाई 52 किमी० है। आजमगढ़ तहसील का सर्म्पूण क्षेत्रफल 1158 3 वर्ग कि०मी० है, अर्थात् जनपद आजमगढ़ के सर्म्पूण क्षेत्रफल 4151 वर्ग कि०मी० की 27 9% भूमि इस तहसील के अन्तर्गत है।[2] आजमगढ़ तहसील जनपद की पाँच तहसीलों में सबसे बड़ी है। यह जनपद के 21 विकास खण्डो में से 7 विकास खण्डों को अपने में समाहित किए हुए है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विकास खण्ड जहानागज (197 83 वर्ग कि०मी०) तथा सबसे छोटा पल्हनी (123.21 वर्ग कि०मी०) है। इन विकास खण्डों को पुन· 67 न्याय-पंचायतों एवं 1115 ग्राम-सभाओं में विभाजित किया गया है। इस तहसील में पॉच नगरीय बस्तियाँ क्रमश· आजमगढ़, सरायमीर,, निजामबाद, मुबारकपुर एवं अमिलों है। तहसील का शेष भाग ग्रामीण है (देंखें तालिका 2.1 एवं मानचित्र 2 1)।

तालिका 2.1

आजमगढ़ तहसील का विकास खण्डवार विवरण

तहसील / विकास खण्ड	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	सम्पूर्ण क्षेत्रफल का प्रतिशत	न्याय पंचायतों की संख्या	ग्रामों की की संख्या
1 वि० ख० जहानागंज	197.83	17.08	9	170
2 मिर्जापुर	167.65	14.48	10	176
3. मोहम्मदपुर	186.34	16.08	8	128
4. पल्हनी	123.21	10.64	10	160
5. रानी की सराय	144.78	12.49	9	181
6. सठियाँव	162.42	14.03	9	125
7 तहबरपुर	176.07	15.20	12	175
आजमगढ़ तहसील	1158 30	27.90	67	1115

स्रोत – जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, जनपद आजमगढ़, 1991

TAHSIL AZAMGARH
LOCATION AND SUB-DIVISIONS
LOCATION MAP
STUDY AREA
INDIA
U P
TAHSIL BURHANPUR
TAHSIL SAGRI
TAHSIL LALGANJ
TAHSIL PHULPUR
MAU DISTRICT
DISTRICT BOUNDARY
TAHSIL BOUNDARY
BLOCK BOUNDARY
NYAY PANCHAYAT BOUNDARY
BLOCK H Q
NYAY PANCHAYAT H Q
Km

Fig 2 1

2.2 भ्वाकृतिक स्वरूप

इसके अन्तर्गत संरचना, धरातल एव अपवाह, जलवायु, वनस्पति एवं जीव-जन्तु तथा मिट्टी एव खनिज के अध्ययन को सम्मिलित किया गया है ।

(अ) संरचना

अध्ययन प्रदेश आजमगढ़ तहसील मध्य गंगा के मैदान का एक भाग है । इसका निर्माण सम्भवतः हिमालय के निर्माणोपरान्त अवशिष्ट भूसन्नति में नदियो द्वारा जमा किए गए अवसादों से हुआ है ।[3] यह प्रदेश अति नूतन अवसाद से लेकर पुरातन अवसादों के संयोग का ही प्रतिफल है । पुरातन अवसादों से निर्मित उच्च भाग को बॉगर तथा नूतन जलोढ़ से निर्मित निम्न भाग को खादर अथवा कछार के नाम से जाना जाता है । प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाए गए नवीन अवसादो के जमाव से यह क्षेत्र काफी उपजाऊ होता है । निक्षेपित अवसाद की मोटाई अथवा गहराई की सही माप असम्भव है । परन्तु इतना अवश्य है कि इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर काफी असमानता पायी जाती है । इसकी औसत मोटाई 300 मीटर अनुमानित है ।[4] कुछ विद्वानों के अनुसार इस पर अवसाद की मोटाई 32 कि०मी० तक आकी गई है । यहॉ निक्षेपित अवसादों मे बजरी, बालू एवं पंक की प्रमुखता है । ऊसर क्षेत्रों में कंकड़ की प्रधानता है ।[5] भू-वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह पूरा का पूरा मध्य घाटी क्षेत्र एक अस्थिर भूखण्ड है, जिसका निर्माण कार्य अब भी चल रहा है ।

यूॅ तो सामान्य रूप से आकृति विहीन यह प्रदेश एक समतल मैदान है, परन्तु नदियों एवं आन्तरिक अपवाहों के कारण कुछ उत्खात भूमि, अवनलिका एवं बीहणों का निर्माण हो गया है । अध्ययन प्रदेश का ढाल सामान्यतः दक्षिण-पूर्व को है परन्तु बीच-बीच मे असमान गहराई वाले झील, जलाशय एवं गड्ढे आन्तरिक अपवाह का कार्य करते हैं । इसी क्रम में कहीं-कहीं उच्च भूमि के रूप में ऊसर क्षेत्र फैले है । सागर तल पर इसकी औसत ऊँचाई कहीं भी 150 मी० से अधिक नहीं है । अनाच्छादन के कारणों विशेषतः बहता हुआ जल एव पवन ने कई स्थानों पर अपरदन

क्रियाओ द्वारा मैदान की निर्विघ्न समता को बाधित किया है । निर्माण, संरचना, प्रक्रम एवं अपवाह के आधार पर इस आकृति विहीन मैदानी भाग को सूक्ष्म स्तरीय दो प्रमुख भ्वाकृतिक प्रदेशों में बॉटा जा सकता है–

(1) दक्षिणी निम्न भूमि (खादर)

(2) उत्तरी उच्च भूमि (बॉगर)

ज्ञातव्य है कि इस समतल मैदान पर निम्न भूमि एवं उच्च भूमि के मध्य स्पष्ट सीमांकन नहीं किया जा सकता । यह मैदान शाहगंज-आजमगढ़-मउ पक्के मार्ग द्वारा ही अलग किया जाता है । इस मार्ग के उत्तर का भाग जो पुरातन जलोढ़ से निर्मित है, काफी उपजाऊ है । यह भाग टौस नदी एवं उसकी सहायक नदियो के अपवाह क्षेत्र में आता है । इस भाग में बलुई मिट्टी पाई जाती है । परन्तु निम्न भूमि में चिका मिट्टी का विस्तार है । इस मिट्टी की उर्वरता का मुख्य कारण वर्षा ऋतु मे बाढ़ के जल के अतिक्रमण के साथ प्रतिवर्ष अच्छे किस्म के जलोढ़ पंक का जमाव हो जाना माना जाता है ।

(ब) धरातल एवं अपवाह

उच्चावन एवं संरचना के आधार पर आकृति विहीन इस मैदानी भाग को यद्यपि दो भागों में विभक्त किया गया है, परन्तु निर्विवाद रूप से इस मैदान का सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है । अध्ययन प्रदेश के दक्षिणी भाग में मझोई, कुॅवर तथा मॅगई आदि नदियॉ पूर्व अथवा दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होती है । यहॉ कि मिट्टी चिका दोमट प्रकार की है (देखें मानचित्र 2.2) ।

प्रदेश के मध्य में प्रवाहित होने वाली एक मात्र बड़ी नदी तमसा (टौंस) है । यह लगभग 65 किमी दूरी तय करती है । इसी नदी में मझोई, सिलनी एवं कुँवर आदि नदियाँ गिरती हैं । टौंस नदी जनपद फैजाबाद से निकलकर घाघरा के समानान्तर प्रवाहित होती हुई जनपद आजमगढ़ में प्रवेश करती है । तहसील की पश्चिमी सीमा पर इससे मझोई तथा परगना निजामाबाद के पास कुॅवर

TAHSIL AZAMGARH
TOPOGRAPHY & DRAINAGE
N
TONS RIVER
Silani Nadi
TONS RIVER
Kunwar River
Magai River
MAGAI RIVER
RIVER
BAGAR LAND (UPLAND)
KHADR LAND (LOW LAND)
4
0
4
8
Km

Fig.2·2

नदियाँ मिलती है। आजमगढ़ के उत्तरी पश्चिम छोर से निकलकर सिलनी नदी प्रदेश के उत्तरी भाग में खरकौली, मेहमौनी बीबीपुर आदि गाँवों से प्रवाहित होती हुई आजमगढ़ शहर के पास टौंस नदी से मिल जाती है। मोहम्मदपुर विकास खण्ड से प्रवाहित होती हुयी मंगई नदी गंगा में गिरती है। यद्यपि टौंस सतत् वाहिनी नदी है परन्तु ग्रीष्म काल मे इसकी निचली घाटी में ही थोड़ा सा जल शेष रहता है। शेष घाटी भाग में फलों एव सब्जियों की कृषि की जाती है। प्रदेश में झीलों एव जलाशयों का प्रायः अभाव है। गम्भीरबन का ताल, गौरा-बछुवापार का ताल एवं खरकौली का ताल आदि छोटे-छोटे जलाशय पाये जाते हैं।

अध्ययन प्रदेश का जलस्तर काफी ऊँचा है। वर्षा के समय में जलस्तर इतना ऊपर आ जाता है कि बिना डोर का प्रयोग किए ही कुँए से पानी निकाला जा सकता है। यहाँ का औसत अन्तर्भौम्य जलस्तर 4 से 5 मीटर गहराई पर पाया जाता है।[6] यह विभिन्न स्रोतों—नहर निस्पन्दन, सिचाई एवं वर्षाजल निस्पन्दन द्वारा प्राप्त होता है। परन्तु यहाँ के आदर्श जलस्तर का प्रमुख स्रोत वर्षा-जल निस्पन्दन है। प्रदेश में भौम जल-स्तर का सर्वाधिक विदोहन व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होता है।

(स) जलवायु

प्रतिकूल स्थिति होते हुए भी हिमालय की निकटता से प्रभावित यह अध्ययन प्रदेश उपोष्ण कटिबन्धीय जलवायु के अन्तर्गत आता है। साधारणतया ग्रीष्मकाल एवं शीतकाल के मौसम के अतिरिक्त यहाँ की जलवायु आर्द्र है। मानसूनी प्रभाव के कारण यहाँ की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक है। यद्यपि सूक्ष्म स्तर पर मौसम सम्बन्धी सूचनाओं का अभाव है, परन्तु नगण्य परिवर्तन एवं सम जलवायु के कारण इस कमी का निराकरण हो जाता है। सामान्यतः यहाँ पर दो ऋतुएँ पायी जाती हैं। विस्तृत अध्ययनोपरान्त अध्ययन प्रदेश में चार मौसम दृष्टिगोचर होते हैं—

(1) ग्रीष्मकाल (मार्च से मध्य जून तक)

(2) वर्षाकाल (जून के उत्तरार्ध से सितम्बर तक)

(3) शरद अथवा संक्रमण काल (सितम्बर से नवम्बर तक)

(4) शीतकाल (दिसम्बर से फरवरी तक)

इस प्रदेश में जनवरी सर्वाधिक ठण्डक का महीना होता है । इस समय यहॉ औसत तापमान 5 1°C होता है जो कभी-कभी 0°C तक पहुँच जाता है । परिणास्वरूप ओला एवं पाला पड़ता है । इस मौसम में वर्षा लाभप्रद होंती है ।

मार्च महीने में सूर्य की उत्तरायण स्थिति के साथ ही इस प्रदेश में ग्रीष्मकाल का प्रारम्भ हो जाता है । 21 जून को सूर्य की कर्क स्थिति होने पर यह लम्बवत किरणों के प्रभाव में आ जाता है और प्रचण्ड गर्मी पड़ने लगती है । मई का उत्तरार्द्ध एव जून का पूर्वार्द्ध यहॉ का सबसे गरम समय होता है । यहॉ का औसत दैनिक तापक्रम 1991 में 43 5°C था । कभी-कभी यह तापक्रम 46°C से भी ऊपर चला जाता है । इस समय यहाँ प्रचण्ड धूल-भरी ऑधियॉ चलती है जिसे लू के नाम से जाना जाता है । कभी-कभी हल्की वर्षा भी होती है जो वास्तव में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आने का सकेत मात्र होती है ।

मानसून के आगमन के साथ ही ग्रीष्मकाल का मौसम समाप्त होने लगता है । यह समय प्राय. जून का उत्तरार्द्ध होता है । मानसून के आने का समय प्रायः अनिश्चित होता है जिसके कारण ग्रीष्मकाल के निश्चित समय में बृद्धि एवं संकुचन होता रहता है । दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन के साथ ही उच्च तापक्रप में तेजी से गिरावट होने लगती है एवं आपेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होने लगती है । आर्द्रता के शत-प्रतिशत होने पर हवाओं का सघनन प्रारम्भ हो जाता है और वर्षा होने लगती है । सितम्बर के उत्तरार्द्ध से अक्टूबर तक दिन के तापक्रम में पुनः वृद्धि होती है परन्तु रात्रि के तापक्रम में निरन्तर कमी होती रहती है । पुन. यह प्रदेश शीतकालीन जलवायु से आवृत्त हो जाता है ।

आजमगढ़ तहसील में अब तक का उच्चतम् तापमान 6 जून 1960 को 47.9°C (118.2°F) अंकित किया गया । न्यूनतम तापमान 26 दिसम्बर 1961 को 0.9°c (33.6°F) अंकित किया गया । इस प्रदेश में मानसून के समय आर्द्रता सबसे अधिक पायी जाती है । अन्य समय में आकाश मेघ-रहित होता है । दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के आगमन पर आकाश मेघाछन्न हो जाता है । मानसूनी मौसम के समय दक्षिणी पूर्वी एवं उत्तरी पूर्वी हवाएँ चलती हैं, जबकि शेष समय में इनकी दिशा दक्षिणी पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी होती है ।

तहसील में होने वाली अधिकाश वर्षा मानसूनी पवनों द्वारा होती है । कुल वर्षा का 85% मध्य जून से सितम्बर के मध्य दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा प्राप्त होता है । इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा सामान्यतः जुलाई माह में होती है । वर्ष 1991 में वर्षा की औसत मात्रा सामान्यत 1013 मि०मी० तथा वास्तविक वर्षा 1484 मि०मी० थी, उत्तरी भाग की अपेक्षा दक्षिणी एवं पश्चिमी भाग में वर्षा की मात्रा कुछ कम होती है । अधिकतम वर्षा 21 जुलाई 1968 को 24 घण्टे मे 355.6 मिमी० आजमगढ़ में ही अंकित की गयी। पूर्ण वर्षाकाल को यहाँ महानक्षत्र के नाम से जाना जाता है, जिसे यहॉ नखत कहते है। आद्रा, हथिया, पूनर्वा चिरैया, असरेखा, माघा, पूर्वा एवं उत्तरा वर्षाकालीन प्रमुख नखत हैं। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से मानसून का परावर्तन प्रारम्भ हो जाता है। सूर्य की स्थिति उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाती है । शुष्क स्थलीय समीर चलने लगती है । कुछ वायुमण्डलीय अस्थिरताओं के अतिरिक्त वायुमण्डल स्वच्छ एवं सुहावना रहता है (देखें तालिका 2 2) ।

तालिका 2.2

आजमगढ़ तहसील में वर्षा का कालिक-विवरण

मास	सामान्य वर्षा (मि०मी० में)	वर्षा के औसत दिन	24 घण्टे में अधिकतम वर्षा
जनवरी	16 3	1.4	
फरवरी	21 3	2 0	355.6
मार्च	7.1	0.9	21 जुलाई 1968
अप्रैल	6.9	0.6	
मई	14.5	1 3	
जून	112 3	5.7	
जुलाई	307 9	13.1	
अगस्त	295 7	14.1	
सितम्बर	215.4	9 3	
अक्टूबर	48.8	2.3	
नवम्बर	8 4	0.5	
दिसम्बर	5.80 5	0.5	
वार्षिक	160.4	51.71	

स्रोत – मौसम विभाग, उ० प्र०, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से संकलित

(द) वनस्पति एवं जीव-जन्तु

अनुकूल जलवायु एवं उर्वरा मिट्टी में उत्तम प्रकार की वनस्पतियाँ पायी जाती हैं। अध्ययन क्षेत्र भी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से आच्छादित है। परन्तु यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियो का अभाव ही है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति ने यहाँ जंगलों का विनाश ही कर डाला है।

क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में टौंस एवं उनकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पलास अथवा ढाक, बबूल, सिहोर एवं अन्य जंगली वनस्पतियों का विस्तार पाया जाता है। क्षेत्र की लगभग 300 हेक्टेअर भूमि पर जंगली वृक्षों एवं झाड़ियो का विस्तार है।[7] आजमगढ़ तहसील में चारागाह भूमि का अभाव है। वे स्थान जहाँ पलास एवं सिहोर के जंगल हैं, पशुओं के चारागाह के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऊसर भूमि प्रायः वनस्पति विहीन है। यहाँ पर नुकीली भूरी घास जिसे उसरैली कहा जाता है, पायी जाती है जो पशुओं के चारागाह की दृष्टि से अनुपयुक्त है।

प्रदेश में जंगली वृक्षों एवं झाड़ियों की अपेक्षा उद्यानों एवं उपवनों का महत्वपूर्ण स्थान है। क्षेत्र की बाँगर भूमि में लगाए गए आम, महुआ, सीसम, नीम, बरगद, गूलर, कचनार, जामुन, इमली आदि के वृक्ष यहाँ के सौन्दर्य एवं अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण वृद्धि करते हैं। यहाँ के विभिन्न किस्मों वाले आम अपनी मधुरता एवं स्वाद के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। ये वृक्ष गाँवों के चारों ओर अथवा किसी भी एक भाग में उद्यान, उपवन अथवा बगीचे के रूप में फैले हैं। ऊसर अथवा उत्खात भूमि के अतिरिक्त इनका विस्तार लगभग सम्पूर्ण तहसील में है। तहसील के कुछ भागों में ताड़ एवं पाम के वृक्ष हैं। ये वृक्ष व्यावसायिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हैं। ताड़ से पैदा की जाने वाली ताड़ी यहाँ के कुछ परिवारों की आय का प्रमुख साधन है। क्षेत्र की लगभग 0.02% भूमि पर इस प्रकार के वृक्षों का विस्तार है। मानव के आर्थिक जीवन को प्रभावित करने वाले इन वृक्षों के महत्व को शब्दों की सीमा में नहीं बाँधा जा सकता। भवन निर्माण से लेकर आक्सीजन, ईंधन एवं स्वादिष्ट फलों तक की आपूर्ति में इनका महत्वपूर्ण योगदान है।

जीव-जन्तुओ की सख्या एव प्रकार की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्षेत्र मे जगली जीवों की बहुत कमी है। जगली जीवो मे लोमड़ी, स्याल, नीलगाय एव एण्टीलोप महत्वपूर्ण हैं। यहाँ विषैले सर्प भी पाये जाते है, जो बासो के झुरमुट एव जगली झाड़ियों में निवास करते है। पालतू पशुओं मे गाय, बैल, भैस एवं बकरी महत्वपूर्ण है।

क्षेत्र मे रग-बिरगी पक्षियो का कलरव विद्यमान है। यहाँ पर तीतर, बटेर, कबूतर, बत्तख, कोयल, हारिल, चाहा, मोर, कौआ, एवं जलमुर्गी आदि महत्वपूर्ण पक्षियाँ पायी जाती है। यहाँ पर रोहू,कतला, भाकुर,गिरई, चनगा, फरहा, सिगी, मागर, टेंग्रा, ग्रासकर्प,सिल्वरकार्प एव बीग्रेड आदि मछलियाँ पायी जाती है।

(य) मिट्टी एवं खनिज

सम्पूर्ण आजमगढ़ तहसील क्षेत्र क्वार्टनरी युग में गंगा एव उसकी सहायक नदियो द्वारा लाकर जमा किए गए अवसादों से निर्मित है। इस मैदानी भाग पर पुरातन से नूतनतम सभी प्रकार के अवसादो के लक्षण दृष्टिगोचर होते है। इस प्रकार सम्पूर्ण क्षेत्र की मिट्टी, निर्माण में भाग लेने वाले प्रक्रम एवं तत्वों के आधार पर समान है। परन्तु संरचना, सगठन, निर्माण एव घनत्व तथा संरन्ध्रता की दृष्टि से इसमें पर्याप्त अन्तर दृष्टिगोचर होता है। नूतन जलोढ़ का जमाव बाढ़ वाले निम्नभूमि मे हुआ है। इस भाग मे मध्यम से महीन बालू एवं सिल्ट के कण पाये जाते हैं। यहाँ की मिट्टी मटियार किस्म की है क्योंकि इसमें चीका की प्रधानता है। इस भूमि पर धान की कृषि सर्वोत्तम प्रकार से की जाती है। बलुई मिट्टी का विस्तार टौस एव उसकी सहायक नदियों के कछारी भाग मे हुआ है। इस मिट्टी मे मूँगफली एव शकरकन्द की कृषि की जाती है। क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर दोमट मिट्टी का विस्तार है, जिसका निर्माण चीका एवं बालू के संयोग से होता है। इस मिट्टी में गेहूँ, जौ, चना, मटर, अरहर, आलू आदि की कृषि की जाती है। यहाँ की ऊसर भूमि कंकरीली, पत्थरीली, रेहयुक्त, अनुपजाऊ है।

अवैज्ञानिक कृषि, अनुपयुक्त उर्वरक के प्रयोग एवं जल भराव की समस्या ने आजमगढ़ तहसील के ऊपजाऊ भूमि की उर्वरा शक्ति को काफी सीमा तक कम कर दिया है। यहाँ की

उपजाऊ भूमि मे धीरे-धीरे रासायनिको की कमी होती जा रही है । विकास खण्ड तहबरपुर एव रानी की सराय मे नाइट्रोजन, जहॉनाबाद एव सठियॉव में पोटाश, मिर्जापुर एवं मोहम्मदपुर मे नाइट्रोजन एवं फासफोरस की कमी नें भूमि की उर्वरा शक्ति को काफी सीमा तक प्रभावित किया है। आजमगढ़ तहसील की ऊसर भूमि हानिकारक सोडियमकार्बोनेट तथा सल्फेट से प्रभावित है । यद्यपि पिछले कुछ वर्षो में यहॉ की ऊसर भूमि का, 'ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रम' के तहत सुधार का काफी प्रयास किया गया । परन्तु आज भी तहबरपुर, मोहम्मदपुर एवं जहानागंज विकास खण्डो की काफी भूमि ऊसर ही है । जलभराव वाले स्थानों एवं नहरों के किनारों की निम्न भूमि अत्यधिक नमी के कारण छारीय होती जा रही है । यहॉ पर कही-कहीं नदियों के समीपवर्ती भाग में भू-अपरदन एवं मृदा-अपरदन की स्थिति दृष्टिगोचर होती है ।

आजमगढ तहसील खनिजो की दृष्टि से प्रायः दरिद्र ही है । यद्यपि सड़क एव भवन निर्माण के लिए यहॉ पर स्थानीय रूप से बालू, रेत एवं कंकड़ की प्राप्ति होती है । परन्तु इनको पूर्णतया खनिजों की श्रेणी में नही रखा जा सकता । कंकड़ की प्राप्ति पुरातन जलोढ़ वाले भाग मे आसानी से होतीहै । ऊसर भूमि से रेह तथा नदियो के क्षेत्र से बालू की प्राप्ति होती है । रेह को लोग साबुन के स्थानापन्न के रूप में प्रयोग करते हैं । ईट उद्योग का तहसील मे महत्वपूर्ण योगदान है ।

2.3 सांस्कृतिक स्वरूप

प्रस्तुत शीर्षक के अन्तर्गत जनसंख्या स्वरूप एवं बस्तियों के स्वरूप का अध्ययन, अध्ययन क्षेत्र के सन्दर्भ में किया गया है ।

(अ) जनसंख्या स्वरूप

जनशक्ति ही किसी भी प्रदेश या राष्ट्र की मूलशक्ति होती है, इसीकारण इसका अध्ययन क्षेत्रीय अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग समझा जाता है । इसी के संदर्भ में सम्पूर्ण भौगोलिक अध्ययन सम्पन्न होता है । ट्रीवार्था के अनुसार मानव ही अध्ययन का केन्द्र बिन्दु होता है, जिसके माध्यम से अन्य सभी तथ्यों के अर्थ, महत्व एवं अस्तित्व को समझा एवं व्याख्यापित किया जा सकता है ।[8]

(1) **वितरण**

गगा की उपजाऊ घाटी मे स्थित होने के कारण यहॉ पर जनसख्या का सघन जमाव है । ऊसर भूमि, तालाबों एव नदी के कछारी भागो को छोड़कर शेष क्षेत्र पर जनसंख्या का समान वितरण दृष्टिगोचर होता है । सन् 1991 की जनगणना के अनुसार तहसील की जनसंख्या 917218 थी जिसमे पुरुषो एव स्त्रियों की संख्या क्रमशः 459709 तथा 457509 थी । जबकि इसी वर्ष मे आजमगढ़ जनपद की जनसंख्या 3153885 थी जिसमें 1571593 पुरुष तथा 1582292 स्त्रियॉ थीं । 1981 से 1991 के दशक मे क्षेत्र मे जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत 2 48 रहा । विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक जनसंख्या सठियॉव मे 161784 है । आजमगढ़ तहसील मे ऊसर भूमि में कृषि क्षेत्र के अभाव मे तथा नदियों के किनारों पर बाढ़ आदि के भय से जनसंख्या निवास कम हुआ है (देखे तालिका 2 3 एवं मानचित्र 2 3) ।

तालिका 2.3

आजमगढ़ तहसील में जनसंख्या वितरण प्रतिरूप 1991

तहसील / विकास खण्ड	कुल सख्या	पुरुष	स्त्री
1 जहानागंज वि० खण्ड	123745	61437	62308
2 मिर्जापुर	139010	68467	70543
3 मोहम्मदपुर	130331	64082	66249
4 पल्हनी	132607	68719	63888
5. रानी की सराय	123539	61540	61999
6 सठियॉव	161784	82837	78947
7 तहबरपुर	123559	61470	62089
तहसील योग	917218	459709	457509

स्रोत– जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, जनपद आजमगढ़, 1991

TAHSIL AZAMGARH
DISTRIBUTION OF POPULATION
1991
N
78567
45376
17357
8290
10621
ONE DOT REPRESENTS
1000 RURAL POPULATION
78567
45376
17357
10621
8290
URBAN POPULATION
4 0 4 8
Km

Fig. 2·3

(2) **घनत्व**

घनत्व की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र जनपद के अन्य क्षेत्रो के समान ही हैं । चूँकि यहाँ की अधिकांश जनसख्या कृषि में लगी है, अतः कृषि प्रदेशों में जनसख्या का घनत्व सघन है। 1981 की जनगणना के अनुसार आजमगढ़ जनपद में जनघनत्व 607 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि०मी० था जो 1991 में बढ़कर 759 हो गया । 1991 मे आजमगढ़ तहसील में जनघनत्व 792 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि०मी० था । विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक घनत्व पल्हनी मे 1076 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि०मी० तथा न्यूनतम घनत्व जहानागंज में 625 रहा । न्याय पंचायत स्तर पर सर्वाधिक घनत्व अमिलो मे 1568, तथा न्यूनतम गौधौरा में 551 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि०मी० रहा (देखे 2 4 एव मानचित्र 2 4)

तालिका 2.4

आजमगढ़ तहसील में जनघनत्व एवं लिंगानुपात, 1991

तहसील / विकास खण्ड	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी)	कुल संख्या	पुरुष	स्त्रियाँ	जनघनत्व (प्रति वर्ग कि०मी०)	लिगानुपात (1000 पुरुषों पर)
1. विकास खण्ड जहानागंज	197 83	123745	61437	62308	625	1014
2. मिर्जापुर	167 65	139010	68467	70543	829	1030
3. मोहम्मदपुर	186.34	130331	64082	66249	699	1033
4. पल्हनी	123 21	132607	68719	63888	1076	929
5 रानी की सराय	144 78	123539	61540	61999	853	1007
6. सठियॉव	162 42	161784	82837	78947	996	953
7. तहबरपुर	176 07	123559	61470	62089	701	1010
तहसील योग	1158.3	917218	459709	457509	792	995
आजमगढ़ जनपद	4151	3153885	1571593	1582292	759	1010

स्रोत —जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, जनपद आजमगढ, 1991

N
TAHSIL AZAMGARH
DENSITY OF POPULATION
1991
AZ
MP
AL
NB
SM
POPULATION DENSITY
(URBAN 1991)
POPULATION IN THOUSAND
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
AZ SM NB MP AL
TOWNS
< 700
700 – 800
800 – 900
900 – 1000
>1000
4 0 4 8
Km

Fig 2·4

(3) लिंगानुपात

लिगानुपात के अध्ययन का अर्थ पुरूष एवं स्त्री के आनुपातिक सख्या से है । 1991 की जनगणना के अनुसार तहसीलों में 1000 पुरूषों पर स्त्रियो की संख्या 995 है, जो जनपद की संख्या 1010 की तुलना में 15 कम है । विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक लिगानुपात मोहम्मदपुर मे 1033 एवं न्यूनतम पल्हनी मे 929 है । ज्ञातव्य है कि मोहम्मदपुर का लिंगानुपात जनपद एवं तहसील के औसत से अधिक है । न्यायपचायत स्तर पर सर्वाधिक लिंगानुपात गोसड़ी मे 1088 तथा न्यूनतम हीरापट्टी में 887 है (देखे तालिका 2 4 एव मानचित्र 2.5)।

तालिका 2.5

आजमगढ़ तहसील में साक्षरता प्रतिशत, 1991

तहसील / विकास खण्ड	सम्पूर्ण साक्षरता (प्रतिशत में)	पुरुष साक्षरता (प्रतिशत में)	स्त्री साक्षरता (प्रतिशत में)
1 विकास खण्ड जहानागंज	31.25	44 59	18 07
2 मिर्जापुर	33 13	45 25	21 37
3 मोहम्मदपुर	30 32	41 91	19 11
4 पल्हनी	33 47	47 23	18 66
5 रानी की सराय	29 79	43 06	16 61
6 सठियॉव	26 96	37 85	15 53
7 तहबरपुर	30 35	45 07	15 77
तहसील योग	30 53	43 35	17 65
(अ) ग्रामीण साक्षरता	26 81	40.40	13 35
(ब) नगरीय साक्षरता	48 10	56 05	39 27
जनपद आजमगढ़	31.40	44 33	18.60

स्रोत—जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, जनपद आजमगढ़, 1991

N
TAHSIL AZAMGARH
SEX-RATIO
1991
MP
AL
AZ
NB
SM
SEX-RATIO URBAN
1991
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
SEX-RATIO PER,000 MALE POP
AZ SM NB MP AL
TOWNS
SEX-RATIO/,000 MALE
< 900
900 - 1000
>1000
4 0 4 8
Km

Fig 2·5

(4) साक्षरता

विकास को गति प्रदान करने के लिए अनुकूल जनशक्ति की आवश्यकता पड़ती है । यदि वह जनशक्ति साक्षर हो तो विकास की गति और भी तीव्र हो जाती है । वास्तव में साक्षरता से ही प्रदेश के विकास का स्तर निर्धारित होता है । ज्ञातव्य है कि अध्ययन क्षेत्र ऐसे प्रदेश का भाग है जहॉ पर साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है । 1981 की जनगणना के अनुसार आजमगढ़ जनपद की साक्षरता 23 98 प्रतिशत थी, जो 1991 में बढ़कर 31 40 हो गयी । आजमगढ़ तहसील का प्रतिशत भी इससे अलग नही है । 1991 की जनगणना के अनुसार तहसील में साक्षरता का प्रतिशत 3053 है। इसमे पुरूष साक्षरता 4335तथा स्त्री साक्षरता 17.65 प्रतिशत है । विकासखण्ड स्तर पर सर्वाधिक साक्षरता पल्हनी में तथा न्यूनतम् सठियॉव में है । इनका प्रतिशत क्रमशः 33 47 एवं 26 96 है । स्मरणीय है कि अध्ययन क्षेत्र की साक्षरता जनपद से कम है । ग्रामीण क्षेत्रों मे यह साक्षरता और भी कम पायी जाती है । न्याय पंचायत स्तर पर सर्वाधिक साक्षरता खोजापुरडीह मे 41 64 तथा न्यूनतम् अमिलों में 16 91 प्रतिशत है । न्याय पंचायत स्तर पर पुरूष साक्षरता मे भी क्रमशः इन्हीं का स्थान है, जबकि न्यूनतम् स्त्री साक्षरता रैसिहपुर-सुदनीपुर मे 6 19 तथा अधिकतम् सजरपुर मे 29.13 है । पिछले कुछ वर्षो मे बढ़ते औद्योगीकरण एव नगरीकरण के कारण साक्षरता प्रतिशत तीव्र गति से बढ़ा है (देखें तालिका 2 5 एवं मानचित्र 2 6)।

पूर्वोक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जहा नगरों मे साक्षरता 48 10 है वही ग्रामीण साक्षरता मात्र 26 81 है । यद्यपि सर्वाधिक साक्षरता पल्हनी विकास खण्ड मे (33 47) पायी जाती है परन्तु सर्वाधिक स्त्री साक्षरता मिर्जापुर में है । यहॉ की 21 37 प्रतिशत स्त्री-साक्षरता, जनपद एवं तहसील के भी स्त्री-साक्षरता से अधिक है ।

(5) कार्यशील जनसंख्या

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार क्षेत्र की 26.44 प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है । तहसील का यह प्रतिशत जिले की औसत कार्यशील जनसंख्या 26.09 से अधिक है। यदि कार्यशील

N
TAHSIL AZAMGARH
LITERACY DISTRIBUTION
1991
MP
AL
NB
AZ
SM
LITERACY DISTRIBUTION
(URBAN 1991)
LITERACY IN PER CENT
80
70
60
50
40
30
20
10
AZ SM NB MP AL
TOWNS
LITERACY IN PER CENT
< 25
25 - 30
30 - 35
> 35
4 0 4 8
Km

Fig 2·6

जनसख्या का अनुपात लिगानुपात से देखे तो स्पष्ट होता है कि स्त्रियो की अपेक्षा पुरूषों मे यह प्रतिशत अधिक है। यद्यपि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की कार्यशील जनसंख्या के प्रतिशत मे कोई खास अन्तर नही है, परन्तु कार्यो के स्तर की दृष्टि से स्पष्ट होता है कि जहॉ गांवों की लगभग 75 प्रतिशत जनसख्या कृषि कार्य मे लगी है वही नगरों के 75 प्रतिशत लोग कृषि से अलग कार्यो मे लगे है। विकास खण्ड स्तर पर अधिकतम् कार्यशील जनसख्या पल्हनी में 28 01 तथा न्यूनतम् मिर्जापुर में 25 00 प्रतिशत है। पुरुषो मे कार्यशील जनसख्या का सर्वाधिक प्रतिशत सठियॉव में तथा स्त्रियों का मोहम्मदपुर में है, जो क्रमशः 46 24 एवं 11 59 प्रतिशत है। न्याय पंचायत स्तर पर अधिकतम् कार्यशील जनसख्या भीमलपट्टी में 33 16 तथा न्यूनतम् सोहवल में 20 85 प्रतिशत है (देखे तालिका 2 6 एव मानचित्र 2 7)।

तालिका 2.6

आजमगढ़ तहसील में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत, 1991

तहसील / विकास खण्ड	कार्यशील जनसंख्या (प्रतिशत में)	पुरुष कार्यशील जनसंख्या	स्त्री कार्यशील जनसंख्या
1 विकास खण्ड जहानागंज	26.06	42 24	10 11
2 मिर्जापुर	25.00	43.33	7 20
3 मोहम्मदपुर	27.53	44.01	11.59
4 पल्हनी	28.01	44 62	10 15
5. रानी की सराय	25.87	44.43	7 45
6 सठियाँव	27.14	46.24	7.09
7 तहबरपुर	25.99	43 93	8.23
तहसील आजमगढ़	26.44	44.19	8.62
जनपद आजमगढ़	26.09	43.83	8 47

स्रोत– जिला जनगणना हस्तपुस्तिका , जनपद आजमगढ़, 1991

N
TAHSIL AZAMGARH
WORKING POPULATION
1991
SM
NB
AZ
MP
AL
WORKING POPULATION
(URBAN 1991)
WORKERS IN %
50
40
30
20
10
0
AZ SM NB MP AL
TOWNS
WORKERS IN PER CENT
< 25
25 – 30
> 30
4 0 4 8
Km
377440
6042
562296

Fig. 2.7

वर्ष 1981 की जनगणना को ही आधार मानकर 1991 मे भी कार्यशील जनसख्या को विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक वर्गो मे विभाजित किया गया है । इनमे मुख्य वर्ग काश्तकार, खेतिहर मजदूर, गृह उद्योग एवं विनिर्माण उद्योग मे सलग्न एव अन्य कर्मियो का है (देखे तालिका 2 7) ।

तालिका 2.7

आजमगढ़ तहसील में कार्यशील जनसंख्या की कार्यात्मक संरचना, 1991

व्यवसाय	कार्यशील जनसंख्या (प्रतिशत मे)	कार्यशील जनसख्या प्रतिशत में		योग
		पुरूष	स्त्री	
1 काश्तकार	58 46	86.8	13 2	100
2. खेतिहर मजदूर	20 07	67 0	33 0	100
3. गृह उद्योग एवं विनिर्माण में संलग्न	14 76	90 5	9 5	100
4 अन्य कर्मी	6.71	92.4	7 6	100
5 सीमान्त कर्मी	9 54	7 8	92 2	100
अकर्मी	73 56	39.1	60 9	100
कुल कार्यशील	26 44	44.19	8.62	100

स्रोत :– जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, जनपद आजमगढ़, 1991

(6) **अनुसूचित जातियाँ अवं जनजातियाँ :–** राज्य की अनुसूची मे सम्मिलित अध्ययन क्षेत्र की वे जातियॉ या उपजातियॉ जिन्हें 1991 की जनगणना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रूप में मान्यता मिली वे अपने आचार-विचार रहन-सहन अवं अन्य सामाजिक एवं सास्कृतिक क्रियाओं में कुछ भिन्न थीं । हिन्दू, मुस्लिम एवं सिख धर्म के दलित पिछड़े एवं अछूत लोगों को अध्ययन क्षेत्र मे अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता मिली है । जबकि अनुसूचित जनजाति के खानाबदोश लोग

किसी भी धर्म के माननेवाले हो सकते है ।[9] अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति का प्राय. अभाव है । कही-कहीं बिखरे हुए रूप मे जगलो आदि मे इनका निवास है । आजमगढ़ जनपद मे अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या 210 है, जिसमें 131 पुरुष तथा 79 स्त्रियॉ हैं । तहसील मे अनुसूचित जनजाति की सख्या 82 है जिसमें 56 पुरुष तथा 26 स्त्रियॉ हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार विकास खण्ड स्तर पर अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या जहानागंज मे पायी जाती है । तहसील के 82 अनुसूचित जनजाति मे से 81 जहानागंज ब्लाक में रहते हैं जिसमे 55 पुरूष एव 26 स्त्रियाँ हैं । अनुसूचित जनजाति का मात्र एक पुरुष तहबरपुर विकासखण्ड मे रहता है । शेष विकास खण्डों में अनुसूचित जनजाति की कोई संख्या नहीं पायी जाती है ।

तालिका 2.8

आजमगढ़ तहसील में विकास खण्डवार अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 1991

तहसील / विकास खण्ड	सम्पूर्ण जनसंख्या से प्रतिशत		
	कुल	पुरूष	स्त्री
1 विकास खण्ड जहानागंज	30.88	30.26	31.49
2. मिर्जापुर	25 36	25.03	25.69
3. मोहम्मदपुर	28 71	28.15	29 24
4. पल्हनी	22.85	22 52	23.27
5 रानी की सराय	28.91	28 06	29.75
6. सठियाँव	25.71	25 51	25.92
7. तहबरपुर	24.47	24.13	24.81
तहसील आजमगढ़	26.79	26 31	27.27

स्रोत – जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, जनपद, आजमगढ़, 1991

भारतीय वर्ण व्यवस्था के कोप से ग्रसित, सेवाधर्म की भावना से ओत-प्रोत, शोषित, दलित एव अछूत अनुसूचित जाति का तहसील मे महत्वपूर्ण स्थान है। 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद मे इनका कुल प्रतिशत 25 6, पुरुषों में 25 1 तथा स्त्रियों मे 26.1 है। आजमगढ़ तहसील मे अनुसूचित जाति का प्रतिशत 26.79 है जो जनपदसे अधिक है। यह प्रतिशत पुरुषों मे 26 31 तथा स्त्रियों में 27.27 है। विकासखण्ड स्तर पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जहानागंज में तथा सबसे कम पल्हनी में पायी जाती है। अनुसूचित जाति के अन्तर्गत चमार, धोबी, मुसहर, गोड़ आदि जातिओ को सम्मिलित किया जाता है। न्यायपंचायत स्तर पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति अनौरा-शाहकुद्दन मे 41 05 तथा न्यूनतम् बरसरा-खालसा में 14.91 प्रतिशत है (देखें तालिका 2 8 एवं मानचित्र 2 8)।

(ब) बस्तियों का स्वरूप

आजमगढ़ तहसील मे आकारीय दृष्टि से दो प्रकार की बस्तियॉ, ग्रामीण एव नगरीय दृष्टिगोचर होती है। यद्यपि ये बस्तियाँ अपनी-अपनी विशेषताओं के आधार पर विशिष्ट स्थान रखती है, फिर भी अन्तरालन, बसाव-प्रतिरुप, आकार एवं गहनता की दृष्टि से समानता लिए हुए होती हैं।

बस्तियॉ सांस्कृतिक भू-दृश्य के रूप में विकसित मानव की प्रथम मौलिक रचनाएँ होती हैं। धरातल पर बस्तियॉ मानव व्यवसाय की सही अभिव्यक्ति होती हैं। यह मानव की आवश्यक आवश्यकताओं में से एक है। तहसील में नगरीकरण का प्रतिशत 17.46 है, अर्थात् तहसील के 18 33 प्रतिशत पुरुष तथा 16.59 स्त्रियाँ नगरीकृत हैं। कुल संख्या के 82. 54 प्रतिशत लोग आज भी ग्रामीण हैं। यह प्रतिशत पुरुषों मे 81 66 तथा स्त्रियों में 83.42 है। नगरीकरण में पुरुषों का प्रतिशत स्त्रियों के प्रतिशत से अधिक है। सम्पूर्ण नगरीय जनसंख्या में पुरुषों का अंश 52.61 तथा स्त्रियो का 47 39 प्रतिशत है।

(1) नगरीय स्वरूप

तहसील के नगर भौतिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक रूप से गाँव से अलग हैं। यहाँ की लगभग 75 प्रतिशत जनसख्या कृषि से अलग कार्यों में लगी है। यहाँ के भवन पक्के ईटों के बने है। जल निकास एवं विद्युत आपूर्ति की उत्तम सुविधा है। यहाँ सीसे के सामान, चमड़े के

TAHSIL AZAMGARH
SCHEDULED CASTE POPULATION
1991
N
AZ
MP
AL
NB
SM
S.C. POPULATION IN AZAMGARH TOWNS
S.C. POPULATION IN PERCENT
30
20
10
0
AZ SM NB MP AL
TOWNS
<25
25 - 30
30 - 35
>35
4 0 4 8
Km

Fig. 2·8

कारखाने, पाटरी उद्योग, दाल-मिल, तेल-मिल, ऑटा एव चावल-मिल तथा चीनी-मिल स्थापित है। यहॉ के नगरों मे कार्य करने के लिए हजारों की संख्या मे लोग नगरपालिका अथवा नगर क्षेत्र समिति के बाहर से आते है। यहॉ पर भारी उद्योगों की अपेक्षा लघु कुटीर उद्योग अधिक विकसित अवस्था में हैं।

आजमगढ़ तहसील का सबसे बड़ा नगर आजमगढ़ है। इसके अतिरिक्त सरायमीर, निजामबाद, मुबारकपुर एवं अमिलो, चार अन्य नगर है। नगरो में अधिकतम जनसंख्या आजमगढ़ की तथा न्यूनतम निजामबाद की है जो क्रमशः 78567 एव 8290 है। आजमगढ़ में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 23 74 है, जबकि अमिलों मे सर्वाधिक 31.42 है। नगरों में सर्वाधिक लिगानुपात सरायमीर एव निजामबाद में 967 प्रति हजार, जबकि आजमगढ़ में यह अनुपात 850 तथा मुबारकपुर में 941 है। आजमगढ़ में न्यूनतम लिंगानुपात का एक कारण पुरुषों का कार्यो के लए भारी संख्या मे नगरो मे निवास भी है (देखें तालिका 2.9 एवं मानचित्र 2 5 तथा 2 7)।

तालिका 2.9

आजमगढ़ तहसील के नगरों में कार्यशीलता एवं लिंगानुपात 1991

नगर	कार्यशील जनसंख्या (प्रतिशत में)	लिंगानुपात (1000 पुरुषों पर)	कुल जनसंख्या
आजमगढ़ (नगरपालिका)	23 74	850	78567
मुबारकपुर (क्षेत्र समिति)	19 43	941	45376
सरायसमीर (क्षेत्र समिति)	19 94	967	10621
निजामबाद (क्षेत्र समिति)	21.70	967	8290
अमिलों (क्षेत्र समिति)	31 42	962	17357

स्रोत – जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, जनपद आजमगढ़, 1991

क्षेत्र मे स्थित पॉचो नगरो का साक्षरता प्रतिशत अपेक्षाकृत ऊँचा है । साक्षरता का प्रतिशत स्त्रियो की अपेक्षा पुरूषों मे अधिक पाया जाता है । यह प्रतिशत अधिकतम 74 29 आजमगढ़ नगर मे तथा न्यूनतम 42 39 मुबारकपुर मे है । पुरुषो एवं स्त्रियों में भी साक्षरता का सर्वाधिक प्रतिशत आजमगढ़ नगर मे तथा मुबारकपुर मे क्रमशः 51 21 तथा 33.57 पाया जाता है (देखे तालिका 2 10) ।

तालिका 2.10

आजमगढ़ तहसील के नगरों में साक्षरता प्रतिशत, 1991

नगर	कुल साक्षरता (प्रतिशत में)	पुरूष साक्षरता (प्रतिशत में)	स्त्री साक्षरता (प्रतिशत में)
आजमगढ़	74 29	82 56	66 02
मुबारकपुर	42 39	51 21	33.57
सराय-मीर	52 23	62 92	41.54
निजामबाद	53 36	67 60	39 12
अमिलों	49 44	58.82	40.06

स्रोत — जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, जनपद आजमगढ़, 1991

पावन तमसा के दोनों तटों पर स्थित तहसील मुख्यालय आजमगढ, तहसील का सबसे बड़ा नगर है। इसकी अक्षांशीय स्थिति 26° 43' उत्तरी तथा देशान्तरीय स्थिति 83° 11' पूर्वी है । यहॉ से इलाहाबाद, गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी, मऊ, बलिया, फैजाबाद, लखनऊ आदि के लिए सड़कों का एक घना जाल बिछा है । यह नगर 1665 में आजमशाह द्वारा बसाया गया । यहॉ उत्तरी-पूर्वी रेलवे की भी सुविधा है । यह नगर तीन ओर से टौंस नदी से घिरा है । नगर में प्रवेश के लिए तीन पुल है । नगरपालिका शासित इस नगर मे कुल 14 वार्ड एवं 45 मुहल्ले हैं । यहॉ का सबसे बड़ा वार्ड मातबरगंज एवं सबसे छोटा खत्री टोला है । इस नगर में तीन डिग्री कालेज, नौ इण्टर कालेज,

पॉच शिक्षा प्रशिक्षण सस्थान, चार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा एक प्राविधिक प्रशिक्षण सस्थान स्थित है। यहॉ पुस्तकालय तथा कई सरकारी एवं निजी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है।

आजमगढ़ तहसील का दूसरा बड़ा नगर मुबारकपुर है। यह नगर 26°6' उत्तरी अक्षांश एवं 83°18' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। यह तहसील मुख्यालय से उत्तर पूर्व में लगभग 20 कि०मी० पर स्थित है। यह सड़क मार्ग द्वारा आजमगढ़, मोहम्मदाबाद, घोसी, तथा सठियॉंव से जुड़ा है। इसका नाम पहले कासिमाबाद था जो बाद में बादशाह मुबारक के नाम से जाना गया। यहॉ दशहरा एवं मुहर्रम के समय मेले का आयोजन किया जाता है। यहॉ निर्मित होने वाली बनारसी साड़ियॉ सुन्दरता एव मजबूती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहॉ सिनेमाहाल एवं प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र की सुविधा है। यहॉ वार्डो की कुल संख्या 12 है।

मुबारकपुर नगर से मिला हुआ क्षेत्र का तीसरा नगर अमिलो है। यहॉ की जनसख्या 17357 है। इसमें वार्डो की कुल संख्या 12 है। सबसे बड़ा वार्ड रसूलपुर पूर्वी भाग एवं छोटा वार्ड अहरन-भरौली है।

तहसील का चौथा नगर सरायमीर है। यह सड़क मार्ग द्वारा आजमगढ़ एवं फूलपुर से जुड़ा हुआ है। यहाँ उत्तरी पूर्वी रेलवे की सुविधा उपलब्ध है। यहॉ पर आबाद आवासीय मकानो की सख्या लगभग 1500 है। यहॉ की आबादी में हिन्दू एवं मुसलमान बराबर हैं। यहॉ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेलवे स्टेशन एवं सिनेमा हाल अदि की सुविधा है। यहॉ वार्डो की कुल संख्या नौ है। सबसे बड़ा वार्ड पूनापोखर है।

क्षेत्र का पॉचवा नगर निजामाबाद है। यह नगर 26°3' उत्तरी अक्षांश एवं 83°1' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। तमसा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित यह नगर मिट्टी के सामानों के निर्माण एवं निर्यात की दृष्टि से विश्व-प्रसिद्ध है। यह नगर तहसील मुख्यालय से 17 कि०मी० पश्चिम में स्थित है। यह नगर सड़क मार्ग द्वारा आजमगढ़, मोहम्मदपुर, तहबरपुर आदि से जुड़ा है। यहाँ 1565 मे मुगल सम्राट अकबर महान ने अपना जन्मदिन मनाने के लिए निवास किया था। यहॉ शिक्षण

सस्थाओ, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो एव मनोरजन के साधनों की सुविधा है । यहॉ कुल नौ वार्ड है। यहॉ का सबसे बड़ा वार्ड हुसेनाबाद पूर्वी एवं सबसे छोटा हुसेनाबाद है । तहसील के अन्य प्रमुख कस्बों मे सठियॉंव, जहानागंज, मोहम्मदपुर, रानी की सराय एव तहबरपुर हैं । ये सम्पूर्ण नगर विकास-खण्ड मुख्यालय है, जो सड़क मार्ग द्वारा तहसील मुख्यालय एव अन्य नगरों के सम्पर्क मे है। इन केन्द्रो की स्थिति ग्रामीण है । ये केन्द्र गांवो से कच्चे एव खड़जे मार्ग से जुड़े है । यहॉ पर डाक, तार, दूरभाष, प्राथमिक स्वास्थ्य, बैंक एवं मनोंरंजन सेवा उपलब्ध है । यहॉ लकड़ी, मिट्टी एव चमड़े के सामान तैयार करने के लघु एवं कुटीर उद्योग विकसित है । यहॉ तेल एवं आटा मिल, चावल मिल, एव सीमेण्ट जाली उद्योग विकसित हैं ।

नगरीकरण के वर्तमान प्रतिरूप के बावजूद भी पावन तमसा के तट पर स्थित आजमगढ़ तहसील को अपने विकास के कई चरण अब भी पूरे करने है । इन सभी तथ्यों के सन्दर्भ में इतना अवश्य स्मरणीय है कि आजमगढ़ तहसील में नगरीकरण का स्तर निम्नकोटि का ही है । जिस क्षेत्र की 80 प्रतिशत से भी अधिक जनसख्या गांवों में रहती हो उसके तीव्र विकास की सम्भावना कल्पना मात्र ही होगी ।

(2) ग्रामीण स्वरूप

ग्रामीण संरचना ही अध्ययन क्षेत्र की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करती है । यहाँ की सम्पूर्ण जनसंख्या का 82.53%भाग ग्रामीण है, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य है । क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की 1115 ग्राम सभाओं में लगभग 757007 लोग निवास करते हैं । जिसमें पुरुषों, स्त्रियो की सख्या क्रमशः 375430 एवं 381577 है । क्षेत्र की प्रत्येक बस्ती मे औसत रूप से निवास करने वाले व्यक्तियो की संख्या 596 है । ग्रामीण बस्तियों के आकार के सम्बन्ध में एक तथ्य विचारणीय है कि सर्वाधिक 605 बस्तियॉ अति लघु आकार की हैं । जनसंख्या एवं निवास स्थान के आधार पर बस्तियों को अति लघु (0 से 499), लघु (500 से 999), मध्यम (1000से 1499), बृहत् (1500 से 2999), अतिबृहत् (3000 से 4999) तथा अत्यधिक बृहत् (5000 से ऊपर) कुल छः भागों में

विभाजित किया गया है (देखें तालिका 2.11 एव मानचित्र 2 9) । मानचित्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बड़ी बस्तियो का अवस्थापन दूर-दूर हुआ है । बस्तियों के आकार में कमी के साथ-साथ उनके बीच की दूरी भी कम होती गयी । सामान्यतः बस्तियो का आकार सड़कों के उपलब्धता से प्रभावित होता है ।

तालिका 2.11

आजमगढ़ तहसील में आकारानुसार गाँवों की संख्या, 1991

आकार वर्ग	जनसंख्या सीमा	बस्तियों की संख्या
1 अति लघु	0 — 499	605
2 लघु	500 — 999	289
3 मध्यम	1000 — 1499	115
4 बृहत्	1500 — 2999	75
5 अति बृहत्	3000 — 4999	23
6 अत्यधिक बृहत्	5000 से अधिक	8
कुल योग	——	1115

स्रोत — जनगणना हस्तपुस्तिका, जनपद आजमगढ़, 1991

बस्तियों के वितरण को उनकी सघनता एवं अन्तरालन से भी स्पष्ट किया जा सकता है । सघनता का अर्थ प्रति 100 वर्ग कि०मी० पर फैली बस्तियो की संख्या से है, जबकि अन्तरालन का सम्बन्ध निकटस्थ बस्तियों के बीच की दूरी से है । यहाँ पर एक तथ्य का अध्ययन समीचीन होगा कि, जैसे-जैसे सघनता बढ़ती है अन्तरालन कम होता है तथा जब सघनता कम होती है तो अन्तरालन बढ़ता जाता है । तहसील में सर्वाधिक क्षेत्रफल 1774.83 धनारबन्ध ग्राम सभा के अन्तर्गत आता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह गाँव मध्यम कोटि में है।तहसील में 8 गाँवों की जनसख्या 5000 से ऊपर है (देखें तालिका 2 12) ।

N
TAHSIL AZAMGARH
SIZE DISTRIBUTION OF
SETTLEMENTS
POPULATION SIZE OF
SETTLEMENTS
< 499
500 - 999
1000-1999
2000-4999
> 5000
4 0 4 8
Km

Fig.2.9

तालिका 2.12

आजमगढ़ तहसील के अत्यधिक बृहत् गांवों का स्वरूप, 1991

क्रमॉक	गॉव का नाम	क्षेत्रफल (हिक्टेअर में)	जनसख्या	अवासीय मकानों की संख्या	विकास खण्ड का नाम
1.	बरहतिर–जगदीशपुर	556.97	9723	1303	जहानागंज
2	रानीपुर–रज्मों	1223.00	7527	1113	मोहम्मदपुर
3	मगँ¯रावा-रायपुर	1047.74	6668	714	मोहम्मदपुर
4	फरिहा	654.80	6434	891	रानी की सराय
5	समराहा	1037.21	5853	873	सठियॉव
6.	जगदीशपुर	504 65	5641	743	पल्हनी
7	सेठवल	84.99	5302	745	रानी की सराय
8.	इब्राहिमपुर	110 07	5206	660	मोहम्मदपुर

स्रोत – जनगणना हस्तपुस्तिका , जनपद आजमगढ़, 1991

बस्तियों के सघनता एवं अन्तराल के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि तहसील में बस्तियों का वितरण प्रतिरूप लगभग समान है। आजमगढ़ तहसील गंगा के मध्यवर्ती उपजाऊ मैदान पर स्थित है। अतः कृषि की अनुकूल परिस्थितियों ने बस्तियों के वितरण प्रतिरूप को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। स्पष्ट है कि स्थानीय भौगोलिक कारक बस्तियों के आकार एवं स्थानीयकरण को तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक व्यक्तियो के रहन-सहन एवं जातिगत व्यवस्था के बसाव को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। इस व्यवस्था के स्पष्ट उदाहरण यहाँ भी दृष्टिगोचर होते हैं। कृषि प्रधान इस क्षेत्र में कच्चे मकानों की अधिकता है। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति

ने तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में भी नयी क्रांति का संचार कर दिया है । कृषि कार्य धीरे-धीरे गौड़ होता जा रहा है, जबकि लघु एवं कुटीर उद्योगों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है ।

सन्दर्भ

1 JOSHI, E B UTTAR PRADESH DISTRICT, GAZETTEERS, AZAMGARH, GOVT OF U P , ALLAHABAD, 1960.

2. सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद आजमगढ़, 1991

3 SINGH, R. L · INDIA A REGIONAL GEOGRAPHY, NATIONAL GEOGRAPHICAL SOCITY OF INDIA, VARANASI, 1989 p 193.

4 OP CIT, FN, 1, p 15

5 IBID

6 PARHAK, R K ENVIRONMENTAL PLANNING RESOURES AND DEVELOPMENT, CHUGH PUBLICATIONS, ALLAHABAD, 1990, p.27

7 वार्षिक ऋण योजना, जनपद आजमगढ़, 1991-92, अग्रणी बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़ ।

8 TREWARTHA, G. T. · THE CASE FOR POPULATION GEOGRAPHY, A. A G, VOL. 43 (71)

9 CENSUS OF INDIA · DISTRICT CENSUS HANDBOOK PRIMARY CENSUS ABSTRACT, PART XIII–B, DISTRICT AZAMGARH, 1981

* * * * *

अध्याय तीन

बस्तियों का स्थानिक कार्यात्मक स्वरूप एवं नियोजन

3.1 विषय-प्रवेश

नगर एवं ग्राम के प्रादेशिक असतुलन को समाप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की विकासात्मक नीतियो का प्रस्ताव समय-समय पर किया जाता रहा है। नगर एव ग्राम की असमानता के फलस्वरूप ही ग्रामीण जनसख्या का नगरोन्मुख प्रव्रजन दिखलाई पड़ने लगा है। वर्तमान सन्दर्भ मे प्रायः सभी यह स्वीकार करते हैं कि किसी प्रदेश का सर्वागीण विकास तभी सम्भव है जब प्रदेश की प्रत्येक इकाई क्रमश· छोटे-छोटे सेवा केन्द्रो में श्रृखलाबद्ध हो। गाँवो से शहरोन्मुखी स्थानान्तरण की समस्या का समाधान ग्रामीण बस्तियो की सामाजिक एवं आर्थिक अध. सरचना के विकास मे ही निहित है।[1] यह विकास कुछ ऐसी बस्तियो के माध्यम से ही किया जा सकता है जहॉ आधुनिक विकास की सभी संभव आधारभूत् सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाओं का अधिकतम केन्द्रीकरण हुआ हो। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि इन सेवा-केन्द्रों के माध्यम से ही किसी क्षेत्र का समन्वित प्रादेशिक विकास किया जा सकता है। यही कारण है कि वर्तमान समय में सेवा केन्द्र प्रणाली के अध्ययन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। सेवा केन्द्रो के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार की सेवाओं का सम्पादन तथा स्थानिक कार्यात्मक संगठन सभव होता है।

अध्ययन प्रदेश आजमगढ़ तहसील मे ऐसी ही आधारभूत् बस्तियों को पहचानने एव निर्धारित करने का प्रयास किया गया है जो पिछड़ी अर्थव्यवस्था में भी सेवा केन्द्रों के रूप मे स्थापित है। तहसील के योजनाबद्ध विकास हेतु नवीन विकास केन्द्रों का नियोजन भी प्रस्तुत किया गया है।

3.2 विकास सेवा-केन्द्र तथा केन्द्रीय कार्य

भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रो में सेवा-केन्द्र स्थानिक विकास की प्रक्रिया मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। वास्तव में महत्वपूर्ण कार्यो के संकेन्द्रण एवं बस्तियो में विशिष्ट स्थितियों के कारण ही सेवा-केन्द्रों का जन्म होता है।[2] ये सेवा-

केन्द्र अपने सम्बन्धित कार्यो के माध्यम से ही समीपवर्ती क्षेत्रो को सेवा प्रदान करते है । ये सेवा केन्द्र अपने मुख्यालय के साथ-साथ अपने समीपवर्ती क्षेत्रों से भी परिवहन सुविधाओ, उपभोक्ताओं की वस्तुओ एवं अन्य सेवा कार्यो द्वारा जुड़े होते हैं । इस प्रकार के सेवा-केन्द्रों या अधिवासो की पहचान सर्वप्रथम मार्क जैफरसन ने [3] 'केन्द्र-स्थल' के रूप में किया था । पुन. 1933 मे जर्मन विद्वान डब्लू० क्रिस्टालर महोदय [4] ने 'केन्द्र-स्थल सिद्धान्त' का प्रतिपादन किया ।

केन्द्र स्थलों अथवा विकास सेवा केन्द्रो पर मुख्य रुप से दो प्रकार के कार्य, सामान्य कार्य एव आधारभूत् कार्य उद्भूत् होते है। सामान्य कार्यो द्वारा सेवा-केन्द्र मात्र अपनी ही जनसंख्या की सेवा करते हैं .जबकि बाह्य क्षेत्रों की जनसंख्या की सेवा करने वाले कार्यो को ही आधारभूत् कार्य की श्रेणी में रखा जाता है । आधारभूत् कार्यो वाली बस्तियों की अवस्थिति केन्द्रीय होती है, इसी कारण इसे केन्द्र-स्थल के नाम से भी जाना जाता है । सभी केन्द्र स्थल, केन्द्रीयता, अवस्थिति, जनसंख्या एवं सेवा कार्य क्षमता में समान आकार के नहीं होते हैं, बल्कि कुछ केन्द्र स्थलों पर अधिक मात्रा एवं संख्या में सेवाओं का संकेन्द्रण होता है तो कुछ केन्द्रों पर इनकी मात्रा एवं संख्या अपेक्षाकृत कम होती है । वस्तुत. अधिक मात्रा मे सेवाओ के एकत्रीकरण से अपेक्षाकृत उच्च स्तर की सेवाएँ केन्द्रीभूत होती है, जबकि कम सेवाओ के एकत्रीकरण पर सवाओ का स्तर भी निम्न कोटि का पाया जाता है ।

केन्द्रीय कार्य अपनी प्रकृति एवं स्वभाव के कारण सम्पूर्ण बस्तियों में समान स्तर एवं समान अनुपात में नहीं पाये जाते हैं । राजकुमार पाठक [5] के अनुसार केन्द्रीय कार्य वे कार्य है जिनके लिए जनसंख्या का स्थानान्तरण होता है । यह स्थानान्तरण दैनिक, मासिक, वार्षिक, अस्थायी, या स्थायी आदि किसी भी रूप में हो सकता है । केन्द्रीय कार्य का मुख्य उद्देश्य सेवा-केन्द्र एवं समीपवर्ती क्षेत्रों का विकास करना है । अतः ऐसे आधारभूत् कार्यो को केन्द्रीय विकास-कार्य कहना अधिक तर्कसंगत होगा ।

अध्ययन क्षेत्र, आजमगढ़ तहसील, जनपद आजमगढ़ का केन्द्रीय प्रदेश है । उक्त प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थितियों के सन्दर्भ में ही प्रशासन, कृषि एवं पशुपालन उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य, शिक्षा स्वास्थ्य एवं मनोरंजन तथा परिवहन एवं संचार आदि से सम्बन्धित कुल चालीस प्रमुख कार्यो को केन्द्रीय विकास कार्य के रूपमें चुना गया है ।

प्रदेश में केन्द्रीय विकास कार्यो को उनकी प्रवेशी जनसंख्या (Entry Point population), संतृप्त जनसख्या (Saturation Point population) , तथा अवसीमा/ कार्याधार जनसंख्या (Threshold population) के साथ तालिका 3 1 में दर्शाया गया है । प्रवेशी जनसंख्या से तात्पर्य उस निम्नतम जनसख्या से है जिस पर कोई कार्य किसी बस्ती में प्रारम्भ होता है । परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उस जनसंख्या से ऊपर सभी बस्तियो में वह कार्य पाया जायेगा । जनसंख्या की वह सीमा जिसके ऊपर वह कार्य प्रत्येक बस्ती में पाया जाना चाहिए, संतृप्त बिन्दु जनसंख्या के नाम से जानी जाती है, यद्यपि अपवादों की कमी इसमें भी नहीं होती है । अवसीमा या कार्याधार जनसंख्या किसी प्रदेश में किसी कार्य को सुचारु रुप से सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है । कार्याधार जनसख्या, प्रवेशी जनसंख्या एवं संतृप्त जनसंख्या का गणितीय माध्य होती है । यह वह अवसीमा है जिस पर वह कार्य सभी बस्तियों में होना चाहिए ।

तालिका 3.1

आजमगढ़ तहसील में केन्द्रीय विकास-कार्य

विकास-कार्य	तहसील में कुल संख्या	प्रवेशी जनसंख्या	संतृप्त जनसंख्या	अवसीमा/कार्याधार जनसंख्या
(अ) प्रशासनिक कार्य	—	—	—	—
1. तहसील मुख्यालय	1	78567	78567	78567
2. विकास खण्ड मुख्यालय	7	2016	6501	4259

3 न्याय पंचायत मुख्यालय	67	757	9723	5240
4 पुलिस स्टेशन	13	2016	78567	40292
5 पुलिस-चौकी	8	2232	78567	40400
(ब) कृषि एवं पशुपालन कार्य	—	—	—	—
6 शीत भण्डार	7	757	45376	23067
7 पशु चिकित्सालय	13	2897	78567	40732
8 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	9	2016	78567	40292
9 कीटं नाशक डिपो	7	2897	78567	40732
10 कृषि उत्पादन मण्डी समिति	2	6501	78567	42534
11. बीज/उर्वरक-केन्द्र	24	884	78567	39726
(स) उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य कार्य	—	—	—	—
12. विद्युत उपकेन्द्र	14	2897	78567	40732
13. थोक बाजार केन्द्र	20	1611	78567	40089
14. फुटकर बाजार केन्द्र	68	684	78567	39626
15. सस्ते गल्ले की दुकान	69	684	78567	39626
16. संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैक	28	757	78567	39662
17. राष्ट्रीय कृत बैंक	36	684	78567	39626
18. जिला सहकारी बैंक	9	2897	78567	40732
19 भूमि-विकास बैंक	2	6860	78567	42714

(द) शिक्षा स्वास्थ्य एवं मनोरजन कार्य	—	—	—	—
20 जूनियर बेसिक विद्यालय	437	684	78567	39626
21 सीनियर बेसिक विद्यालय	109	684	78567	39626
22 माध्यमिक विद्यालय	31	757	78567	39662
23 महाविद्यालय	5	6860	78567	42714
24 प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान	1	78567	78567	78567
25 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	4	2615	78567	40591
26 शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान	5	78567	78567	78567
27 पंजीकृत व्यक्तिगत चिकित्सालय	30	684	78567	39626
28 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	41	757	78567	39662
29 आयुर्वेद चिकित्सालय	9	2016	78567	40292
30. होमियोपैथ चिकित्सालय	5	2897	78567	40732
31 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	9	2897	78567	40732
32 औषधालय/चिकित्सालय	25	684	78567	39626
33. छवि-गृह	9	4512	78567	41540
(य) परिवहन एवं संचार कार्य	—	—	—	—
34. रेलवे-स्टेशन (हाल्ट सहित)	7	3475	10621	7048
35. बस स्टेशन	5	4402	78567	41485
36. बस स्टाप	40	684	10621	5653

37 डाकघर	142	684	78567	39626
38 डाकघर एवं तारघर	13	2897	78567	40732
39. दूरभाष	26	757	78567	39662
40. सार्वजनिक दूरभाष (पब्लिक काल)	30	684	78567	39626

3.3 केन्द्रीय विकास कार्यों का पदानुक्रम

केन्द्रीय विकास कार्यो का तुलनात्मक मान निर्धारित करने हेतु सेवा केन्द्रों में पाये जाने वाले केन्द्रीय कार्यो एवं सुविधाओं को विभिन्न श्रेणियों मे एक क्रम मे रखकर अध्ययन किया गया है । अध्ययनोपरान्त जो स्वरूप स्पष्ट होता है उसे ही केन्द्रीय कार्यो का पदानुक्रम कहा जाता है । केन्द्रीय कार्यो के अध्ययन में केन्द्रीय कार्यो की संख्या, प्रकार एवं स्तर का विशेष महत्व होता है । केन्द्रीयता कार्यों की कुल संख्या से न प्रभावित होकर विशेषतः कार्यो के स्तर से प्रभावित होती है । किसी विशेष स्तर के कार्यो की अधिक सख्या युक्त केन्द्र अपेक्षाकृत कम जनसंख्या की सेवा करते हैं, जबकि उससे उच्च स्तर के कार्यो की कम संख्या युक्त केन्द्र अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या की सेवा करते है । किसी सेवा केन्द्र में उच्च स्तर के कार्यो की कम संख्या होते हुए भी केन्द्रीयता अधिक होगी जबकि निम्न स्तर के अधिक कार्यों की संख्या होते हुये भी उसकी केन्द्रीयता कम होगी । केन्द्रीय कार्यो का तुलनात्मक मान ज्ञात करने के लिए कार्याधार जनसख्या सूचकांक की आवश्यकता पड़ती है ।

आजमगढ़ तहसील में कार्याधार जनसख्या सूचकाक की गणना रीड मुञ्च[6] विधि द्वारा की गयी है । इस विधि में कार्याधार जनसंख्या को आरोही या अवरोही क्रम में रखा जाता है; तत्पश्चात कार्याधार न्यूनतम जनसंख्या से सभी कार्याधार जनसंख्या में भाग देकर कार्याधार जनसंख्या सूचकाक ज्ञात किया जाता है (देखिये तालिका 3 2) ।

तालिका 3.2

आजमगढ़ तहसील में केन्द्रीय कार्यों का कार्याधार जनसंख्या सूचकांक

केन्द्रीय कार्य	कार्याधार जनसंख्या	कार्याधार जनसख्या सूचकांक
1 तहसील मुख्यालय	78567	18.45
2. प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान	78567	18 45
3 शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान	78567	18 45
4 भूमि विकास बैंक	42714	10 03
5 महाविद्यालय	42714	10 03
6 कृषि उत्पादन मण्डी समिति	42534	9 99
7. छवि गृह	41540	9.75
8 बस स्टेशन	41485	9.74
9 पशु चिकित्सालय	40732	9.56
10 कीट नाशक डिपो	40732	9.56
11. विद्युत उपकेन्द्र	40732	9.56
12 जिला सहकारी बैक	40732	9.56
13 होमियोपैथ चिकित्सालय	40732	9.56
14 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	40732	9.56
15 डाकघर एवं तारघर	40732	9.56

16	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	40591	9 53
17	पुलिस चौकी	40400	9 49
18	पुलिस स्टेशन	40292	9 46
19	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	40292	9 46
20	आयुर्वेद चिकित्सालय	40292	9 46
21	थोक बाजार केन्द्र	40089	9 41
22	बीज/ उर्वरक केन्द्र	39726	9 33
23	संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	39662	9.31
24	माध्यमिक विद्यालय	39662	9 31
25	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	39662	9 31
26	दूरभाष	39662	9.31
27	फुटकर बाजार केन्द्र	39626	9.30
28	सस्ते गल्ले की दुकान	39626	9 30
29	राष्ट्रीय-कृत बैक	39626	9.30
30	जूनियर बेसिक विद्यालय	39626	9.30
31	सीनियर बेसिक विद्यालय	39626	9.30
32.	पंजीकृत व्यक्तिगत चिकित्सालय	39626	9.30
33	औषधालय/चिकित्सालय	39626	9.30
34	डाकघर	39626	9.30

35 पब्लिक काल आफिस	39626	9 30
36 शीतभण्डार	23067	5 42
37 रेलवे स्टेशन (हाल्ट सहित)	7048	1 66
38 बस स्टाप	5653	1 33
39 न्याय पंचायत मुख्यालय	5240	1 23
40 विकास–खण्ड मुख्यालय	4259	1 00

प्रस्तुत अध्ययन में केन्द्रीय कार्यों का पदानुक्रम, कार्याधार जनसंख्या सूचकांक के आधार पर निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। विकास सेवा-केन्द्रों के पदानुक्रम तथा केन्द्रीय विकास कार्यो के पदानुक्रम में सीधा सम्बन्ध होता है। एल० के० सेन [7] ने मिरयालगुड़ा तालुका के अध्ययन में कार्यो का पदानुक्रम कार्यो के सापेक्षिक मान के आधार पर निर्धारित किया है। अध्ययन प्रदेश में कार्याधार जनसंख्या सूचकांक के अलगाव बिन्दुओं को ध्यान में रखकर केन्द्रीय कार्यो के तीन पदानुक्रम निर्धारित किए गये हैं। तालिका 3 3 के अध्ययन से पदानुक्रमका स्वरूप पूर्णरूपेण स्पष्ट हो जाता है।

तालिका 3.3

आजमगढ़ तहसील में केन्द्रीय कार्यों का पदानुक्रम

पदानुक्रम	कार्याधार जनसंख्या सूचकांक	केन्द्रीय कार्यो की संख्या
प्रथम	18 45 या इससे अधिक	03
द्वितीय	9 30 से 10 03	32
तृतीय	1 00 से 5 42	05

3.4 केन्द्रीयता मापन

विकास सेवा केन्द्रो का सापेक्षिक महत्व एव उनका पदानुक्रम केन्द्रीयता मापन पर निर्भर करता है । विकास सेवा केन्द्रों के चयन एवं उनके सम्यक अध्ययन हेतु केन्द्रीयता की संकल्पना का विशेष महत्व होता है।किसी सेवा केन्द्र का केन्द्रीयता मापन, वहॉ सम्पादित होने वाले कार्यो की संख्या, जनसंख्या, आकार एवं गुणों के ही आधार पर होता है ।[8] यद्यपि जनसंख्या का केन्द्रीयता पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, परन्तु केन्द्रीयता की अधिकतम एव न्यूनतम सीमा केन्द्रो के आकार से सदैव प्रभावित नहीं होती । आकार में बड़े केन्द्रों की केन्द्रीयता भी कम हो सकती है ।

केन्द्रीयता मापन का प्रयास समय-समय पर विदेशी एवं भारतीय विद्वानों द्वारा विभिन्न विधियों को अपनाकर किया गया है । केन्द्रीयता मापन एक दुरूह कार्य है इसीकारण इसकी गणना कई सम्मिलित आधारों पर की जाती है । सर्वप्रथम-क्रिस्टालर [9] ने 1933 में जमर्नी दक्षिणी में केन्द्रों की केन्द्रीयता मापन हेतु प्रत्येक केन्द्र की सेवा के लिए आवश्यक टेलीफोन सम्बद्धता की संख्या की गणना किया । टेलीफोन संख्या के आधार पर केन्द्रीयता मापन हेतु उन्होने निम्न सूत्र का सहारा लिया–

$$Z_z = T_z - E_z - \frac{T_g}{E_g}$$

जहॉ पर, Z_z = केन्द्रीयता सूचकांक

T_z = स्थानीय टेलीफोन संख्या

E_z = कुल स्थानीय जनसंख्या

T_g = क्षेत्रीय टेलीफोन संख्या

E_g = कुल क्षेत्रीय जनसंख्या

उपर्युक्त केन्द्रीयता मापन के आधार पर क्रिस्टालर ने दक्षिणी जर्मनी में सात प्रकार के केन्द्र स्थलों वाला पदानुक्रम भी प्रस्तुत किया । चूॅकि छोट-छोटे केन्द्र स्थलों पर टेलीफोन सेवा सुलभ नहीं

थी फलस्वरूप क्रिस्टालर का केन्द्रीयता मापन का सिद्धान्त मानक स्थान न प्राप्त कर सका। आलोचना के शिकार क्रिस्टालर महोदय ने फुटकर बाजार के आधार पर एक दूसरे परिमाणात्मक विधि का सहारा लिया –

$$Ct = St - Pf \frac{Sr}{Pr}$$

जहॉ पर, Ct = केन्द्रीयता सूचकांक

St = स्थानीय फुटकर बाजार मे लगे व्यक्तियो की संख्या

Pf = केन्द्रीय स्थान या नगर की जनसख्या

Sr = प्रदेश में फुटकर बाजार में लगे व्यक्तियों की संख्या

Pr = प्रदेश की जनसंख्या

केन्द्रीयता मापन के क्षेत्र में क्रिस्टालर के अतिरिक्त ब्रश[10] (1953), कार्टर[11] (1956), उल्मैन[12](1960) तथा हार्टले एव स्मैल्स[13] (1961) आदि विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान है। इन विद्वानो ने किसी स्थान पर पाये जाने वाले सम्पूर्ण कार्यो को ही केन्द्रीयता मापन का आधार बनाया, जबकि प्रेसी[14] (1953) ने केन्द्रों की आकर्षण शक्ति को तथा ग्रीन[15] (1948) ने आकर्षण शक्ति के साथ-साथ सेवा केन्द्रो के परिवहन सम्बद्धता को भी आधार बनाया। वाशिगटन के स्नोहोमिग काउंट्री के अध्ययन में बेरी एव गैरीसन[16] (1958) ने केन्द्रीयता मापन में महत्वपूर्ण कार्यो, उनके कार्याधार जनसंख्या तथा पदानुक्रम को भी आधार बनाया। इसी क्रम में सिद्‌दाल[17] (1961) ने फुटकर एव थोक बाजार के आधार पर तथा प्रेस्टन[18] (1971) ने फुटकर बाजार एवं औसत परिवारिक आय के आधार पर केन्द्रीयता मापन हेतु मॉडेल प्रस्तुत किया।

केन्द्रीय कार्यो की केन्द्रीयता मापन के सन्दर्भ में किए गये अधिकांशतः भारतीय अध्ययनों का आधार मुख्यतः केन्द्रीय कार्यो की संख्या ही रहा है। भारतीय विद्वानो विश्वनाथ[19] (1963), प्रकाशराव[20] (1974), एवं जगदीश सिह[21](1976) आदि ने केन्द्रीय कार्यो की संख्या के आधार पर

ही केन्द्रीयता मापन का प्रयास किया । जैन[22] (1971), एव ओ० पी० सिह [23] (1974) ने केन्द्रो की परस्पर यायायात सम्बद्धता के आधार पर केन्द्रीयता मापन का सराहनीय प्रयास किया । डॉ० ओ० पी० सिह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के नगरों तथा ग्रामीण बाजारों के अध्ययन में केन्द्रीयता ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रतिपादन किया–

$$C = \frac{N}{P} \times 100$$

जहॉ पर, C = केन्द्रीयता सूचकाक

N = व्यापार पर निर्भर जनसंख्या

P = कुल जनसख्या में व्यापारिक जनसख्या

केन्द्रीयता निर्धारण हेतु विद्वानों ने सामान्यत. शिक्षण संस्थाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन एव संचार सेवाओं आदि को सम्मिलित आधार माना है । अध्ययन प्रदेश आजमगढ़ तहसील में प्रशासन; कृषि एवं पशुपालन; उद्योग, व्यापार एव वाणिज्य;शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरजन तथा परिवहन एवं सचार कार्यो से सम्बन्धित केन्द्रीय कार्यो मे से चयन किये गये चालीस कार्यो को समान महत्व को स्वीकार करते हुये प्रत्येक कार्य को 100 मान दिया गया है । केन्द्रीय कार्यो के प्रति इकाई महत्व को दर्शाने के लिए तहसील में पाये जाने वाले प्रत्येक केन्द्रीय कार्य की कुल संख्या से मान 100 विभक्त कर दिया गया है । उपर्युक्त विधि से गणनोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि तहसील में कम संख्या वाले केन्द्रीय कार्य का प्रति इकाई मान अधिक तथा अधिक सख्या वाले केन्द्रीय कार्यो का प्रति ईकाई मान अपेक्षाकृत कम आता है । उदाहरण स्वरूप तहसील मुख्यालय का प्रति इकाई मान इस प्रक्रिया से 100 00 है, जबकि विकास खण्ड का प्रति इकाई मान 14.29 है जो वास्तविकता के भी अनुरुप प्रतीत होता है (तालिका 3 4)।

तालिका 3.4

आजमगढ़ तहसील में केन्द्रीय कार्यो का तुलनात्मक मान

केन्द्रीय कार्य	प्रदेश में कुल संख्या	प्रदेश मे उनका महत्व	केन्द्रीय कार्यो का प्रति ईकाई महत्व
(अ) प्रशासनिक कार्य	—	—	—
(1) तहसील मुख्यालय	1	100	100 00
(2) विकास खण्ड मुख्यालय	7	100	14 29
(3) न्याय पंचायत मुख्यालय	67	100	1 50
(4) पुलिस स्टेशन	13	100	7.69
(5) पुलिस चौकी	8	100	12 50
(ब) कृषि एवं पशुपालन कार्य	—	—	—
(6) शीत भण्डार	7	100	14 29
(7) पशु चिकित्सालय	13	100	7 69
(8) कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	9	100	11 11
(9) कीट नाशक डिपो	7	100	14 29
(10) कृषि उत्पादन मण्डी समिति	2	100	50 00
(11) बीज उर्वरक केन्द्र	24	100	4.17
(स) उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य कार्य	—	—	—
(12) विद्युत उपकेन्द्र	14	100	7.14
(13) थोक बाजार केन्द्र	20	100	5 00

(14) फुटकर बाजार केन्द्र	68	100	1 47
(15) सस्ते गल्ले की दुकान	69	100	1.44
(16) सयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैक	28	100	3 57
(17) राष्ट्रीय कृत बैक	36	100	2 78
(18) जिला सहकारी बैंक	9	100	11 11
(19) भूमि विकास बैंक	2	100	50 00
(द) शिक्षा, स्वास्थ्य एव मनोरंजन	—	—	—
(20) जूनियर बेसिक विद्यालय	437	100	0 23
(21) सीनियर बेसिक विद्यालय	109	100	0 92
(22) माध्यमिक विद्यालय	31	100	3.23
(23) महाविद्यालय	5	100	20.00
(24) प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान	1	100	100 00
(25) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	4	100	25 00
(26) शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान	5	100	20 00
(27) पजीकृत व्यक्तिगत चिकित्सालय	30	100	3 33
(28) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	41	100	2 44
(29) आयुर्वेद चिकित्सालय	9	100	11.11
(30) होमियोपैथ चिकित्सालय	5	100	20 00
(31) परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	9	100	11 11

(32) औषधालय/चिकित्सालय	25	100	4 00
(33) छवि-गृह	9	100	11 11
(य) परिवहन एवं सचार कार्य	—	—	—
(34) रेलवे स्टेशन (हाल्ट सहित)	7	100	14 29
(35) बस स्टेशन	5	100	20 00
(36) बस स्टाप	40	100	2 50
(37) डाकघर	142	100	0 70
(38) डाकघर एवं तारघर	13	100	7 69
(39) दूरभाष	26	100	3.85
(40) पब्लिक काल आफिस (STD & P C.O)	30	100	3.33

3.5 विकास सेवा-केन्द्रों का चयन

विकास सेवा केन्द्रो के चयन से तात्पर्य विकीर्ण बस्तियों में से उन बस्तियो की पहचान से है जो विकास सेवा केन्द्रों के रूप मे कार्यरत है, तथा अपने समीपवर्ती बस्तियों को सेवाएँ प्रदान करती हैं। इन के पहचान या निर्धारण से सम्बन्धित किसी विशिष्ट या मानक सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया जा सका है। सेवा केन्द्रों के आकार, संगठन एवं संरचना आदि का स्वरूप पूर्णरुपेण स्पष्ट नही है। यद्यपि सिद्धान्तः सेवा केन्द्रो के निर्धारण की प्रक्रिया आसान सी लगती है परन्तु व्यावहारिक स्तर पर उसमें अनेक कठिनाइयॉ भी है।

किसी भी प्रदेश में विकास सेवा केन्द्रों के चयन एवं उसके स्वरूप पर आर्थिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक एव सांस्कृतिक अवरोधों का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।[24] सेवा केन्द्रों की

पहचान केन्द्रीयता मापन एवं सेवा-केन्द्र प्रदेशो के सीमांकन से सम्बन्धित कई परस्पर विरोधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ।

1 विपुल जनसंख्या के कारण यह सुनिश्चित कर पाना दुष्कर हो जाता है कि जनसंख्या की किस सीमा को सेवा केन्द्रों की न्यूनतम एव अधिकतम सीमा माना जाय ।

2 प्रशासनिक दृष्टि से विभक्त एव परिभाषित क्षेत्रीय इकाइयों के नाम एव स्वरूप में असमानता के कारण सेवा केन्द्रो का निर्धारण सरल नहीं हो पाता है । कभी-कभी राजस्व गॉवो के नाम बस्ती के वास्तविक नाम से मेल नहीं खाते हैं । कुछ गॉव कई पुरवो में विभक्त होते है, जो अलग-अलग इकाईयों के रूप में कार्य करते हैं । कभी-कभी एक सांतत्य बस्ती कई राजस्व गॉवों में विभक्त होती है जबकि सिद्धान्त : वह एक सेवा केन्द्र के रुप में कार्य करती है । परिणामस्वरूप, सेवा केन्द्रो के नामकरण एवं पहचान में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है ।

3 किसी क्षेत्र या प्रदेश में ऐसी बस्तियों या केन्द्रों की सख्या काफी अधिक होती है जो सेवा केन्द्र के रुप मे कार्य करते है । ऐसी परिस्थिति में सही सेवा केन्द्रों का चयन या निर्धारण एक जटिल कार्य हो जाता है ।

4 आवश्यक एवं वांक्षित आकड़ो की अनुपलब्धता भी एक समस्या है । इनके अभाव मे परिमाणात्मक मापदण्डो का उपयोग संभव नही हो पाता है ।

इन सभी कारणों से विकास सेवा केन्द्रों के निर्धारण में कोई सर्वमान्य नियम नहीं बन सका है। परन्तु विभिन्न विद्वानों ने केन्द्रीय सेवाओं की उपस्थिति, जनसंख्या आकार, केन्द्रीय कार्यो की कार्याधार जनसंख्या, बस्तियों के सेवा क्षेत्र, कार्यशील जनसंख्या का कुल जनसंख्या में अनुपात, तथा केन्द्रीयता एवं केन्द्रीयता सूचकांक आदि के आधार पर विकास सेवा केन्द्रों के निर्धारण का प्रयास किया है ।

विकास सेवा केन्द्र के निर्धारण के सम्बन्ध में किए गये अध्ययनो में भारतीय विद्वानों का भी महत्वपूर्ण स्थान है । सेन[25], खान [26], एस० वनमाली [27], एस० वी० सिह[28], नित्यानन्द[29] आदि

ने सेवा केन्द्रो के निर्धारण का आधार कार्यो के सकेन्द्रण एव औसत कार्याधार जनसंख्या को स्वीकार किया है । इसी क्रम में राजकुमार पाठक[30] ने बस्तियों की केन्द्रीयता के आधार पर तथा जी० के मिश्रा[31] ने प्राथमिक कार्याधार जनसख्या के आधार पर सेवा केन्द्रो के निर्धारण का प्रयास किया है । जगदीश सिंह[32] ने जनसंख्या आकार एवं कार्यो की उपस्थिति के आधार पर तथा दत्ता[33] ने परिवहन सूचकांक के आधार पर विकास सेवा केन्द्रो का निर्धारण किया है ।

तहसील मे जनसंख्या के असमान वितरण के कारण कार्याधार जनसंख्या के आधार पर विकास सेवा केन्द्रो का निर्धारण अपने आप मे एक जटिल कार्य है । चालीस केन्द्रीय कार्यो में से तीस केन्द्रीय कार्यो की सेवा प्रदान करने वाले विकास केन्द्र, तहसील मुख्यालय की जनसंख्या, चार नगरीय क्षेत्रो की जनसख्या एवं अन्य विकास केन्द्रो की जनसख्या के मध्य व्याप्त भारी जनसख्या अन्तराल ने कार्याधार जनसंख्या को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है । इसी विषमता से बचने के लिए कार्याधार जनसंख्या के साथ-साथ केन्द्रीय कार्यो की उपस्थिति, परिवहन द्वारा बस्तियों की परस्पर सम्बद्धता एवं अन्य सामाजिक सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर ही विकास सेवा केन्द्रों का निर्धारण किया गया है । सर्वप्रथम अध्ययन क्षेत्र के पॉच कार्यो, फुटकर बाजार केन्द्र, सस्ते गल्ले की दुकान, जूनियर विद्यालय, सीनियर बेसिक विद्यालय एवं डाकघर को विकास सेवा केन्द्र के निर्धारण का आधार नही बनाया गया है क्योंकि–

1 उपर्युक्त पॉचों कार्य समान रुप से अधिकाश बस्तियों (सेवा केन्द्रों) में पाये जाते हैं ।

2 फुटकर बाजार केन्द्र, सस्ते गल्ले की दुकान, जूनियर बेसिक विद्यालय, सीनियर बेसिक विद्यालय एव डाकघर प्रत्येक का कार्यात्मक मूल्य (मानप्रति इकाई) 1 50 से कम है । उन केन्द्रीय कार्यो को विकास सेवा केन्द्र का आधार नहीं बनाया गया है जिनका मान प्रति इकाई (कार्यात्मक मूल्य) 1 50 से कम तथा सम्मिलित मान तीन इकाइयो के न्यूनतम सम्मिलित मान 6 44 से कम है।

प्रदेश में विकास सेवा केन्द्र के रुप में उन्हीं बस्तियों को चुना गया है जो केन्द्रीय कार्यो में से किन्ही तीन (फुटकर बाजार, सस्ते गल्ले की दुकान, जूनियर बेसिक विद्यालय, सीनियर बेसिक

विद्यालय एवं डाकघर को छोड़कर) को सम्पादित करती हों । साथ ही, उन बस्तियों को भी सेवा केन्द्रो के रुप में चयन किया गया है जिनका कार्यात्मक मूल्य किन्ही तीन केन्द्रीय कार्यो को सम्पादित करने वाली बस्तियों के कार्यात्मक मूल्य के ऊपर है भले ही वे तीन कार्यो से कम ही केन्द्रीय कार्य सम्पादित करती हों । उपर्युक्त मापदण्डों के आधार पर तहसील में तहसील मुख्यालय एवं अन्य चार नगरीय क्षेत्रों सहित कुल 50 बस्तियों को विकास सेवा केन्द्रों के रुप मे चयनित किया गया है । अध्ययन प्रदेश के इन 50 विकास सेवा केन्द्रों को उनके जनसंख्या आकार, सम्पादित होने वाले कार्यो की संख्या, सेवित बस्तियों की संख्या, सेवित जनसंख्या, कार्यात्मक मूल्य सूचकांक एवं केन्द्रीय अंक सूचकांक आदि के साथ तालिका 3 5 एवं मानचित्र 3.1 में स्थानिक अवस्थितियों सहित प्रदर्शित किया गया है ।

3.6 विकास सेवा-केन्द्रों का केन्द्रीयता सूचकांक एवं पदानुक्रम

विकास सेवा केन्द्रों द्वारा सेवित बस्तियो एव सेवित जनसंख्या के सम्यक् अध्ययन हेतु केन्द्रीयता सूचकाक का अध्ययन आवश्यक हो जाता है । सेवा केन्द्रो का प्रदेश जिसका समुचित प्रतिनिधित्व सेवित जनसंख्या करती है, का अध्ययन भी कम महत्वपूर्ण नही है । वस्तुतः सेवा क्षेत्र के स्तर का निर्धारित कार्यो के स्तर से ही निर्धारण होता है । प्रदेश में केन्द्रो की केन्द्रीयता मापन हेतु कार्यो के स्तर तथा केन्द्रों द्वारा सेवित जनसंख्या को भी ध्यान में रखा गया है । सेवा केन्द्रों के महत्व का आकलन सेवा केन्द्रों द्वारा सम्पादित सम्पूर्ण कार्यो के महत्वानुसार अक प्रदान कर (पुन. उन्हे जोड़कर) किया गया है जिसे कार्यात्मक अंक के नाम से जाना गया है । चूँकि कार्यो का महत्व प्रदेश में व्याप्त उनकी संख्या पर निर्भर करता है, इसी कारण अधिक संख्या वाले कार्यो का महत्व, कम संख्या वाले कार्यो के महत्व से अपेक्षाकृत कम है ।

कार्यात्मक अंक सूचकांक का आकलन प्रदेश में उपस्थित न्यूनतम कार्यात्मक अंक से सभी विकास केन्द्रों के कार्यात्मक अंकों को विभाजित करके किया गया है, जिससे उनके सापेक्षिक महत्व को सरलतापूर्वक समझा जा सके । प्रत्येक केन्द्र की कुल सेवित जनसंख्या को न्यूनतम सेवित

जनसंख्या से भाग देकर सेवित जनसंख्या सूचकांक ज्ञात किया गया है । इससे सेवा केन्द्रों के सापेक्षिक महत्व को और भी सरलतापूर्वक समझा जा सकता है ।

केन्द्रीयता अंक प्राप्त करने के लिए सेवा केन्द्रों के कार्यात्मक अंक सूचकाक एव सेवित जनसंख्या सूचकांक का योग निकाला गया है । प्रत्येक केन्द्र के केन्द्रीयता अंक को न्यूनतम केन्द्रीयता अंक से विभाजित करके तहसील आजमगढ़ में विकास सेवा केन्द्रों का केन्द्रीयता अक सूचकाक ज्ञात किया गया है । विकास सेवा केन्द्रों के सापेक्षिक महत्व का स्पष्ट अध्ययन केन्द्रीयता अंक सूचकांक द्वारा ही सम्भव हो पाता है (देखिये तालिका 3 5 एवं मानचित्र 3 1)।

प्रारम्भिक अध्ययनों में सेंवा केन्द्रो का पदानुक्रम निर्धारण उनमे मिलने वाली समस्त सुविधाओं एव सेवाओं के आधार पर किया जाता है परन्तु वर्तमान समय में सेवा केन्द्रों के पदानुक्रम का निर्धारण केन्द्रीयता सूचकांक तारतम्य को खण्डित करने वाले अलगाव बिन्दुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है । बस्तियो के स्थानिक अध्ययन मे पदानुक्रमीय व्यवस्था का विशेष महत्व होता है इसी कारण सेवा केन्द्रों का पदानुक्रम निर्धारण आवश्यक होता है । एल० एस० भट्ट[34] के अनुसार अधिवासों को उनके सापेक्षिक महत्व के आधार पर विभिन्न स्तरों में विभाजित करना ही पदानुक्रम कहा जाता है । यद्यपि बस्तियों के आकारों उनकी पारस्परिक दूरियों एवं कार्यों के मध्य परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है । परन्तु सूक्ष्म अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सेवा केन्द्रों की स्थानिक अवस्थितियाँ, केन्द्रों के स्तर से प्रभावित होती है । प्राय: पदानुक्रमीय व्यवस्था में उच्च स्तर के केन्द्र, निम्न स्तर के सेवा केन्द्रों की तुलना मे कुछ विशिष्ट कार्य सम्पादित करते हैं । क्रिस्टालर[35] की मान्यताओं के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह उच्च स्तर के सेवा केन्द्रों से निम्न स्तर के सेवा केन्द्रो की ओर होता है । परन्तु इस मत के प्रतिकूल निम्न स्तर के सेवा केन्द्र भी उच्च स्तर के सेवा केन्द्रो को कुछ सेवाएँ प्रदान करते है । वास्तव में पदानुक्रमीय व्यवस्था मे उच्चस्तरीय एवं निम्नस्तरीय सेवा केन्द्रों में परस्पर सम्बद्धता एवं कार्यात्मक सश्लिस्टता पायी जाती है । तालिका 3.5 के अवलोकनोपरान्त केन्द्रीयता अंक सूचकांक के तामतम्य को खण्डित करने वाले दो अलगाव बिन्दु प्रमुख रूप से दृष्टिगोचर होते है । इन्ही अलगाव बिन्दुओं के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के सेवा केन्द्रों को मुख्य रुप से तीन पदानुक्रमों मे रखा गया है (तालिका 3 6 एव मानचित्र 3.1) ।

तालिका 3.5

आजमगढ़ तहसील में विकास सेवा-केन्द्रों का केन्द्रीयता सूचकांक

विकास सेवा केन्द्र	जनसंख्या 1991	केन्द्रीय कार्यो की संख्या	सेवित बस्तियों की संख्या	कार्यात्मक अंक	कार्यात्मक अंक सूचकांक	सेवित जनसंख्या	सेवित जनसख्या सूचकांक	केन्द्रीयता अंक	केन्द्रीयता अक सूचकाक
1 आजमगढ़	78567	30	1115	553.25	85 91	995785	103 51	189 42	93 31
2 पल्हनी वेलइसा	6501	26	160	254.93	39 59	132607	13 79	53 38	26 30
3 मुबारकपुर	45376	23	62	190.04	29 51	90972	9 46	38 97	19 20
4. सठियॉव	4512	23	125	183.61	28.51	161784	16 82	45.33	22 33
5. चण्डेशर	6860	20	52	174.92	27.16	62113	6 46	33 62	16 56
6. तहबरपुर	2897	22	175	170 72	26 51	123559	12 84	39 35	19 38
7 जहानागंज	3590	21	170	155 05	24 08	123745	12 86	36 94	18 20
8 रानी की सराय	4402	20	181	147 82	22 95	123539	12 84	35 79	17 63
9 निजामबाद	8290	18	48	126 39	19 63	57413	5.97	25 60	12 61
10 मोहम्मदपुर	3610	17	128	115.79	17 98	130331	13 55	31 53	15 53
11. सरायमीर	10621	18	39	108 89	16 91	56070	5 83	22 74	11 20

12 मिर्जापुर	2016	15	176	80 67	12 53	139010	14 45	26 98	13 29
13. फरिहा	6434	15	34	75.01	11.65	34908	3.63	15 28	7 53
14. संजरपुर	3475	15	18	73 18	11 36	17389	1 81	13 17	6 49
15. अमिलो	17357	13	20	56 56	8 78	26184	2 72	11 50	5 67
16. बलरामपुर	2985	12	25	53 84	8 36	36556	3 80	12 16	5 99
17. शाहगढ़	3060	10	16	52 87	8 21	18536	1 93	10 14	5 00
18. गम्भीरपुर	3181	9	20	40 59	6.30	18514	1 93	8 23	4.05
19. हीरा पट्टी	757	9	18	38.99	6 05	11863	1 23	7 28	3 59
20. भवरनाथ	2615	4	21	34.06	5 29	25202	2.62	7.91	3 90
21. कोटिला	3610	6	19	28 57	4 44	15165	1 58	6 02	2 97
22 वीनापार	2990	8	34	27 13	4 21	28969	3 01	7 22	3 56
23 सेठवल	5302	8	19	26.09	4.05	13108	1 36	5 41	2 67
24 उकरौरा	3275	7	24	25.63	3 98	28894	3 00	6 98	3 44
25. दुर्वासा	2232	5	31	25.22	3 92	22428	2 33	6 25	3 08
26 बरसरा-कोइनहा	1611	7	9	23 40	3 63	11290	1 17	4 80	2 37

27 बैरमपुर-कोटिया	1463	7	13	20.74	3 22	10234	1 06	4 28	2 11
28 बीबीपुर	1581	7	15	20.30	3.15	9802	1 02	4 17	2 05
29. किसुनदासपुर	1612	6	30	17 13	2 66	23816	2.48	5 14	2 53
30 मुड़ियार	3620	5	13	16.90	2 62	16324	1.70	4 32	2 13
31 राजापुर-सिकरौर	4700	6	17	16 57	2 57	20159	2 10	4 67	2 30
32 चक्रपानपुर	684	5	12	15.94	2.48	15746	1 64	4 12	2 03
33. टीकापुर	884	5	13	15 29	2 37	11194	1 16	3 53	1 74
34 लक्षिरामपुर	2690	5	17	13 86	2 15	13343	1 39	3 54	1 74
35. खोजापुर-डीह	1174	5	22	13.77	2 14	10724	1 12	3 26	1 61
36. हाफिजपुर	1894	5	21	13 34	2 07	18848	1 96	4 03	1 99
37 नियाउज	4794	4	13	11 72	1 82	9794	1 02	2 84	1 40
38. सेंहदा	1994	4	13	11 05	1 72	9620	1 00	2 72	1 34
39 गम्भीरवन	4049	4	14	10 57	1.64	14266	1.48	3 12	1 54
40.बहतिर–जगदीशपुर	9723	4	24	10 56	1 64	22494	2.34	3.98	1.96
41 रानीपुर-रजमों	7587	4	16	10 29	1 60	17675	1 84	3 44	1 70

42	सोधरी-कुलकुला	864	4	22	9 77	1 52	9650	1 00	2 52	1 24
43	गन्धुवई	2466	3	24	8 28	1.29	12100	1 26	2 55	1 26
44	पिचरी	1377	3	29	7 85	1 22	23828	2 48	3 70	1 82
45.	आवंक	3110	3	20	7.57	1.18	19641	2.04	3.22	1 59
46	ओरा	2418	3	12	7 17	1 11	11744	1 22	2 33	1 15
47.	भीमल पट्टी	834	3	15	7 17	1 11	10458	1 09	2.20	1 08
48	सरसेना-लहबरिया	1135	3	21	6.44	1 00	11551	1 20	2 20	1 08
49.	मगरॉवा रायपुर	6668	2	18	6 44	1 00	16104	1 67	2 67	1 32
50.	गोधौरा	1731	2	11	6 44	1.00	9893	1.03	2 03	1 00

TAHSIL AZAMGARH
SERVICE CENTRES
N
Barsara
Ora
Bibipur
Bheemal patti
Durbasa
Bairampur
TAHBARPUR
Tikapur
Sehada
Ukraura
Kishundaspur
Hafizpur
Mundiar
Niauj
Sodhri
MIRZAPUR
Hira patti
Balrampur
MUBARAKPUR
Amilo
Bhavarnath
Khojapurdih
Pichori
Binapara
Rajapur-Sikraur
NIZAMABAD
AZAMGARH
PALHANI
Shahgarh
SATHIYAON
SARAIMIR
Gandhuai
Sanjarpur
RANI KI SARAI
Sethwal
Phariha
CHANDESAR
Kotila
Lahbaria
Lachhirampur
Godhaura
MOHAMMADPUR
Awank
JAHANAGANJ
Brahtir Jagdishpur
Ranipur Rajmou
Gambhirban
Bairadih urf Gambhir pur
Mangrawan
Raipur
Chakrapanpur
FIRST ORDER
SECOND ORDER
THIRD ORDER
4
0
4
8
Km

Fig. 3.1

तालिका 3.6

आजमगढ़ तहसील में सेवा केन्द्रों का पदानुक्रमीय स्तर

पदानुक्रमीय स्तर	केन्द्रीयता अंक सूचकांक वर्ग	सेवा केन्द्रों की संख्या
प्रथम	93.31 या इससे ऊपर	01
द्वितीय	11 20 से 26.30 तक	11
तृतीय	1.00 से 7 53 तक	38

तहसील में प्रथम स्तर का सेवा केन्द्र मात्र तहसील मुख्यालय आजमगढ़ है । आजमगढ़ की जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 78567 है । यह तहसील मुख्यालय एवं सबसे उच्च स्तर का सेवा केन्द्र होने के कारण तहसील की सम्पूर्ण आबाद 1115 बस्तियों एव सम्पूर्ण जनसंख्या 995785 को सेवा प्रदान करता है । यह तहसील के चयनित 40 विकास कार्यों में से 35 कार्यों का सम्पादन करता है । इसका कार्यात्मक अंक सूचकाक 85 91, सेवित जनसख्या सूचकांक 103.51, केन्द्रीयता अंक 18942 तथा केन्द्रीयता अंक सूचकांक 93 31 है । ज्ञातव्य है कि प्रति इकाई मान एवं केन्द्रीयता सूचकांकों के दृष्टिकोंण से तहसील मुख्यालय, जो जनपद मुख्यालय भी है, की तुलना किसी अन्य विकास सेवा केन्द्र से नही की जा सकती है ।

तहसील में द्वितीय स्तर के विकास सेवा केन्द्रो की कुल सख्या 11 है । इसके अन्तर्गत तहसील के विकास खण्ड मुख्यालय एव नगरीय क्षेत्र आते है । ज्ञातव्य है कि विकास खण्ड मुख्यालय अपने विकास खण्डों की सम्पूर्ण बस्तियों एवं सम्पूर्ण जनसंख्या को ही सेवा प्रदान करते हैं । अन्य विकास केन्द्रो की सेवित बस्तियों एवं सेवित जनसख्या की गणना अध्ययन विषय में प्रतिपादित नियमों के अनुकूल की गयी है । द्वितीय कोटि के अन्तर्गत सर्वाधिक केन्द्रीयता अंक सूचकांक 26.30 पल्हनी-वेलइसा विकास खण्ड मुख्यालय का है । न्यूनतम केन्द्रीयता अंक सूचकांक 11 20 सरायमीर नगरीय क्षेत्र का है । द्वितीय कोटि के अन्य सेवा केन्द्रो–सठियॉव, तहबरपुर, मुबारकपुर, जहानागंज, रानी

की सराय, चण्डेशर, मोहम्मदपुर, मिर्जापुर एव निजामवाद का केन्द्रीयता अक सूचकांक क्रमश. 22 33, 19 38, 19 20, 18 20, 17 63, 16 56, 15 53, 13 29, एवं 12 61 है । इस कोटि के विकास सेवा केन्द्र, प्रथम स्तर के विकास सेवा केन्द्र की तुलना में निम्न स्तर के केन्द्रीय कार्यों को सम्पन्न करते है ।

पदानुक्रम के तृतीय स्तर में तहसील के उन विकास सेवा केन्द्रों को समाहित किया गया है, जिनका अधिकतम केन्द्रीयता अंक सूचकांक 7 53 एवं न्यूनतम 1.00 है । यह अधिकतम एवं न्यूनतम सूचकांक क्रमश फरिहा एवं गोधौरा विकास सेवा केन्द्रों में पाया जाता है । 4.05 से 6.49 केन्द्रीयता अंक सूचकांक के मध्य संजरपुर, बलरामपुर, अमिलो, शाहगढ़ एवं गम्भीरपुर विकास सेवा केन्द्र आते है, जिनका केन्द्रीयता अक सूचकांक क्रमश. 6 49, 5 99, 5 67, 5 00 एवं 4.05 है। 2 03 से 3 90 के मध्य 14 विकास सेवा केन्द्र तथा 1.00 से 1 99 केन्द्रीयता अंक सूचकांक के मध्य 18 विकास सेवा केन्द्र समाहित किए गये है । इस स्तर के विकास सेवा केन्द्र अपेक्षाकृत निम्नतम कोटि के कार्यो की सेवा प्रदान करते है ।

अध्ययन प्रदेश में सेवा केन्द्रों के वितरण का अनुपात (1 11:38) किस्टालर के पदानुक्रम में, नियम K–3 से बहुत कुछ समानता रखता है प्रदेश के सेवा केन्द्रों को यदि किंचित सुव्यवस्थित कर दिया जाय तो आजमगढ़ तहसील के प्रादेशिक विकास की प्रक्रिया को और भी गतिशील बनाया जा सकता है ।

3.4 विकास सेवा–केन्द्रों का स्थानिक वितरण स्वरूप

विकास सेवा केन्द्रों के स्थानिक वितरण में प्राय समानता का अभाव होता है । यह असमानता जनसंख्या एवं बस्तियों के घनत्व से प्रभावित होती है ।[36] बस्तियों के स्थानिक वितरण पर सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक कारकों का भी विशेष प्रभाव होता है । विकास सेवा केन्द्रों या बस्तियों के स्थानिक वितरण स्वरूप मापन हेतु क्लाक एवं इवान्स[37] (1954) की निकटतम पड़ोसी विधि (Nearest Nighbour Ainalysis Method) सहित अन्य अनेक साख्यिकीय विधियॉ प्रचलित हैं।

भूगोल के क्षेत्रमें निकटतम पड़ोसी विश्लेषण विधि का प्रयोग डेसी[38], किग[39], स्टीवर्ट तथा हैगेट ने किया।

विकास सेवा केन्द्रों के स्थानिक वितरण अध्ययन में प्रत्येक सेवा केन्द्र को एक सीधी रेखा द्वारा मिलाकर निकटतम पड़ोसी की गणना की गयी है। उपर्युक्त गणना मे सेवा केन्द्रों के आकार तथा पदानुक्रम पर ध्यान नहीं दिया गया है। निकटतम पड़ोसी की गणना के समय प्रत्येक विकास सेवा केन्द्र को बराबर महत्व का स्वीकार किया गया है तहसील में सेवा केन्द्रों की अधिकतम दूरी मिर्जापुर (8 4 किमी०), मगरावां-रायपुर (8 2 किमी०), एव सठियॉव (7.3 किमी०) सेवा केन्द्रों के मध्य है, जबकि न्यूनतम सीमा तहबरपुर (0 8 किमी०), आजमगढ़ (1 00 किमी०) एव सेठवल (1 20 किमी०)के मध्य है।

प्रदेश में सम्पूर्ण सेवा केन्द्रों के मध्य की आदर्श औसत दूरी ज्ञात करने हेतु, माथर[40] द्वारा प्रतिपादित षटकोंणीय व्यवस्था का सहारा लिया गया है। इसकी गणना निम्न लिखित सूत्र से की गयी है–

$$Hd = 1\ 0746\ \sqrt{A/N}$$

जहॉ, Hd = आर्दश औसत दूरी

$$= 1.0746\ \sqrt{1158\ 3/50}$$

A = प्रदेश का क्षेत्रफल

$$= 1.0746\ \sqrt{23.17}$$

N = बस्तियों या सेवा केन्द्रों की संख्या

$$= 1\ 0746 \times 4.81$$

$$= 5\ 17$$

उपर्युक्त सूत्र से गणना करने पर सिद्धान्त . सेवा केन्द्रों के मध्य की औसत दूरी 5 17 होनी चाहिए, परन्तु अध्ययन प्रदेश में सेवा केन्द्रों के मध्य की औसत दूरी 3 20 किमी० है। इस प्रकार औसत वास्तविक दूरी आर्दश दूरी की 61.90 प्रतिशत है।

तहसील में सेवा केन्द्रों के वितरण स्वरूप को किग महोदय द्वारा प्रतिपादित निम्न सूत्र से ज्ञात किया गया है–

$Rn = 2D\sqrt{N/A}$ जहाँ, D = सेवा केन्द्रों के मध्य औसत निकटतम पड़ोसी दूरी

$= 2 \times 3\ 20 \sqrt{50/1158.3}$ N = सेवा केन्द्रों की संख्या

$= 2 \times 3.20 \sqrt{0.043}$ A = प्रदेश का क्षेत्रफल

$= 6\ 4 \times 0\ 21$

$= 1\ 344$

किग महोदय के अनुसार यदि सेवा केन्द्रों के Rn का मान 0 आता है तो सेवा केन्द्रों का वितरण पूर्ण गुच्छन के रूप में होगा। यदि मान 1 00 से कम है तो वितरण असमान होगा, तथा यदि मान 1 00 से 2.15 के मध्य है तो यह साधारण षडभुजीय जालयुक्त वितरण को प्रकट करेगा। चूँकि अध्ययन क्षेत्र में Rn का मान 1.344 है जो 1.00 से 2 15 के मध्य आता है अतः यह साधारण षडभुजीय कोटि का ही है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आजमगढ़ तहसील में नये विकास सेवा केन्द्रों के विकास की महती आवश्यकता है। क्षेत्रीय अन्तर्सम्बन्धो को व्यापक बनाने एवं विकास को नयी दिशा एवं गति प्रदान करने हेतु यह एकमात्र सराहनीय कदम होगा।

3.8 विकास सेवा–केन्द्रों के सेवा–प्रदेशों का सीमांकन एवं विशेषताएँ

प्रत्येक विकास सेवा केन्द्र का अपना एक विशेष निश्चित सेवा क्षेत्र होता है जो सेवाओं के गुण, पदानुक्रम एवं संख्या पर आधारित होता है। प्रत्येक विकास केन्द्र पर अनेक कार्य सम्पादित होते हैं तथा प्रत्येक कार्य का प्रभाव प्रदेश अलग-अलग होता है। ऐसी परिस्थिति में सेवा केन्द्रों के प्रभाव प्रदेशों का सीमांकन एक जटिल प्रक्रिया हो जाती है। इस सन्दर्भ में भारतीय एवं विदेशी विद्वानों द्वारा दो प्रकार की विधियाँ अपनायी गयी हैं –

1 गुणात्मक विधियॉ

2 साख्यिकीय विधियॉ

विकास सेवा केन्द्रों के द्वारा समाचार पत्रो, फुटकर एवं थोक व्यापार, परिवहन एवं सचार साधनों तथा दूसरी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति आदि के विश्लेषण से सम्बन्धित विधियों को गुणात्मक या आनुभविक विधि कहा जाता है । सम्बन्धित सूचनाओं एवं आकड़ों की सम्यक् उपलब्धता के अभाव मे अध्ययन प्रदेश, आजमगढ़ तहसील में गुणात्मक विधियो का प्रयोग संभव नहीं है ।

तहसील में विकास सेवा केन्द्रों के सेवा प्रदेशों के निर्धारण में एक मात्र सांख्यिकीय या सैद्धान्तिक विधियों का प्रयोग हुआ है । इस सन्दर्भ में किये गये अध्ययनों में पी० डी० कनवर्स[41] द्वारा निर्धारित अलगाव बिन्दु विधि का महत्वपूर्ण योगदान है । प्रदेश में सेवा केन्द्रों के विशिष्ट आकार एवं अन्तर्सम्बद्धता को दृष्टिगत रखते हुये पी० डी० कनवर्स की प्रणाली को आंशिक संसोधनो के साथ ही स्वीकार किया जा सकता है । पी० डी० कनर्वस ने सेवा प्रदेशों के सीमांकन हेतु निम्न सूत्र का प्रतिपादन किया–

$$B = \frac{d}{1+\sqrt{CA/CB}}$$

जहां, B = दो सेवा केन्द्रो के बीच अलगाव बिन्दु

d = दो सेवा केन्द्रों के बीच की सीधी दूरी

CA = बड़े केन्द्र का केन्द्रीयता सूचकांक

CB = छोटे केन्द्र का केन्द्रीयता सूचकांक

प्रदेश में सेवा केन्द्रों के प्रभाव प्रदेश पी० डी० कनर्वस के सिद्धान्त के अनुरूप बहुभुज आकृतियों मे ही पाये जाते हैं जिनके बीच की बस्तियों की संख्या एवं जनसंख्या को जोड़कर सेवित बस्तियों की संख्या एवं सेवित जनसंख्या का निर्धारण किया गया है । परन्तु अध्ययन प्रदेश के प्रत्येक विकास सेवा केन्द्र के सेवा प्रदेश का सीमांकन इसी विधि पर आधारित नहीं है । इसके अध्ययन हेतु व्यावहारिक पक्षो को भी विशेष महत्व दिया गया है ।

तहसील का मुख्यालय आजमगढ़ 40 सेवा केन्द्रों मे से 35 कार्यो की सेवा प्रदान करता है। यद्यपि ये सेवाएँ अन्य विकास केन्द्रों पर भी आंशिक रूप में प्राप्त होती है परन्तु तहसील मुख्यालय प्रशासनिक एवं कुछ अन्य सेवाओं द्वारा सम्पूर्ण बस्तियों एवं सम्पूर्ण जनसंख्या को ही प्रभावित करता है। इसी प्रकार विकास खण्ड मुख्यालय एवं न्याय पंचायत मुख्यालय में भी कुछ कार्य ऐसे पाये जाते है जिनके द्वारा ये केन्द्र अपनी सम्पूर्ण बस्तियों एवं सम्पूर्ण जनसंख्या को ही सेवा प्रदान करते है। इस प्रकार प्रशासनिक इकाइयो के प्रभाव प्रदेश का सीमांकन व्यावहारिक दृष्टिकोंण से ही किया गया है। अन्य विकास केन्द्रों के सेवा प्रदेश के सीमांकन हेतु पी० डी० कर्न्वस की उपर्युक्त विधि का प्रयोग किया गया है (तालिका 3.5)।

3.9 प्रस्तावित विकास सेवा केन्द्र एवं उनका स्वरूप

किसी भी क्षेत्र का सम्यक् प्रादेशिक विकास सेवा केन्द्रों द्वारा प्रदत्त सेवा स्तर पर ही निर्भर करता है। सेवा केन्द्रों के माध्यम से किसी क्षेत्र के विकास के सन्दर्भ में तीन तथ्य विचारणीय हैं–

(1) क्षेत्र में विकास सेवा केन्द्रों की समुचित संख्या

(2) सेवा केन्द्रों मे सह सम्बन्धात्मक पदानुक्रम, एवं

(3) सेवो केन्द्रों का सन्तुलित प्रादेशिक वितरण

सेवा केन्द्रों के नियोजन के लिए आवश्यक है कि प्रदेश में उनके कार्यात्मक रिक्तता, एव वितरण को भी ध्यान में रखा जाय। इस सन्दर्भ में ज्ञातव्य है कि प्रत्येक अधिवास को सेवा केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि सेवा-पोषण हेतु जनसंख्या की भी एक न्यूनतम् सीमा निर्धारित होती है। अध्ययन प्रदेश में प्रस्तावित विकास केन्द्रों की अवस्थिति का निर्धारण बस्तियों के जनसंख्या आकार, परिवहन सुलभता, यातायात अभिगम्यता एवं बस्तियों में स्थित आधारभूत् केन्द्रीय सुविधाओं तथा अन्य क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है।

सर्वप्रथम तहसील के उन्हीं अधिवासों को प्रस्तावित विकास सेवा केन्द्र के रूप में चुना गया है जहॉ पर प्राथमिक विद्यालय, सी० बेसिक विद्यालय, फुटकर बाजार, सस्ते गल्ले की दुकान एवं

तालिका 3.7

आजमगढ़ में प्रस्तावित विकास सेवा केन्द्रों का स्वरूप

विकास सेवा केन्द्र	जनसंख्या 1991	वर्तमान सेवाएँ	प्रस्तावित सेवाएँ
1 मझगवॉ-हरीरामपुर	2517	प्रा० बि०, डा० घ०, स० ग० दु०	कृ० ग० के०, पं० चि०, रा० कृ० बै०, प्रा० स्वा० के०
2 गोसड़ी	2811	स० ग० दु०, सी० बे० बि, फु० वा०	वी० उ० के०, शी० भ०, सं० क्षे० ग्रा० बै०, मा० वि०,
3 सोनपुर	1306	रा० कृ० बै०, प्रा० स्वा० के०	वि० उप० के०, आ० चि०, स० क्षे० ग्रा० बै०, वी० उ० के०
4. गूजरपार	3762	प्रा० बि०, डा० घ०, न्या० पं०	मा० बि०, प० मा० शि० क० के०, डा० घ० एवं ता० घ०,
5. समेंदा	4910	सी० बे० बि, फु० बा०, रा० कृ० बै०	की० ना० डि०, वी० उ० के०, प० चि०, पु० चौ०, मा० वि०
6. असौना	1638	न्या० पं०, फु० वा०, डा० घ०	डा० घ० एवं ता० घ०, प० का० आ०, प्रा० स्वा० के०, सी बे० बि०
7. मिन्नूपुर	3605	प्रा० बि०, डा० घ०, स० ग० दु०,	म० वि०, जि० स० वै०, हो० चि०, प० का० आ ०, शी० भ०,
8. दौलताबाद	2959	प० व्य० चि०, डा० घ० ,	सी० बे० बि, दू० भा०, औ०/चि०, प० मा० शि० क० के० रा० कृ० बै०
9. भुजाही	2368	सी० बे० बि, स० ग० दु०, डा० घ०,	प्रा० वि०, जि० स० बै०, की० ना० डि०, प० चि०
10. बरहल गंज	3180	प० का० आ०, डा० घ०, स० ग० दु०,	मा० वि०, रा० कृ० बै०, प० मा० शि० क० के०, प्रा० स्वा० के०
11. सेमरी-चन्दाभारी	1899	प्रा० बि०, फु० बा०, रा० कृ० बै०	वि० उ० के०, छ० गृ०, दू० भा०, प्रा० स्वा० के०, शी० भ०

12. सोनवरा	2841	व० स्टा०, प्रा० स्वा० के०, प्रा० बि०	मा० वि०, प० व्या० चि०, औ० / चि०, वि० उ० के०, सी० वे० वि०
13 जगदीशपुर	4996	प्रा० बि०, फु० बा०, डा० घ०	प० का० आ०, औ०/ चि०, प० मा० शि० क० के०,
14 छॉऊ	3035	डा० घ०, प्रा० बि०, स० ग० दु०	शी० भ०, प० चि०, कृ० ग० के०, वी० उ० के०
15. खरकौली	1445	फु० बा०, वी० उ० के०	सी० बे० बि०, वि० उ० के०, प्रा० स्वा० के०, प० चि०, सं० क्षे० ग्रा० बै०
16 भदुली	1598	फु० बा०, प्रा० स्वा० के०,	थो० बा०, छ०गृ०, प्रा० स्वा० के०, मा० वि०, रा० कृ० बै०
17 सोफीपुर	936	फु० बा०, डा० घ०, व० स्टा०	प्रा० वि०, थो० बा०, आं० चि०, डा० घ० एवं ता० घ०
18 आतापुर	503	मा० बि०, डा० घ०, स० ग० दु०	फु० वा०, प० चि०, वी० उ० के०, कृ० ग० के०,
19. सम्राहा	5853	प्रा० स्वा० के०, डा० घ०	सी० बे० वि०, वि० उ० के०, प० चि०, रा० कृ० बैं,
20. जिगरसण्डी	4193	प्रा० बि०, डा० घ०, सी० बे० बि०	स० क्षे० ग्रा० बैं०, प० मा० शि० क० के०, प्रा० स्वा० के०
21. कोल्हू खोर	1990	प्रा० बि, डा० घ०, स० ग० दु०	कृ० ग० के०, जि० स० बैं०, पु० स्टे०, मा० वि०
22 परसुरामपुर	1359	न्याय पं०, फु० बा०	प्रा० वि०, आ० वि०, औ० चि०, डा० घ०,
23. वस्ती	1417	न्या० पं०, स० ग० दु०, डा० घ०	रा० कृ० बै०, दू० भा०, औ० प्र० स०, प्रा० वि०,
24 रानीपुर-अली	1515	न्या० पं०, डा० घ०,	सी० बे० वि०, सं० क्षे० ग्रा० बैं०, प्रा० स्वा० के०
25. खुटौली-चक-चरहा	1900	डा० घ०, न्या० पं०, स० ग० दु०	प्रा० वि०, मा० वि०, वि० उ० के०, प० मा० शि० क० के०
26 करनपुर	1450	सी० बे० बि०, न्या० पं०, फु० वा०	डा० घ० एवं ता० घ०, रा० कृ० वै०, प्रा० स्वा० के०

27 बेलनाडीह-जोर इनामी	1213	प्रा० वि०, न्या० पं०, सी०बे० वि०	स० क्षे० ग्रा० बै०, वि० उ०, स० क्षे० ग्रा० बै०
28 जानकीपुर-अहियाई	622	सी० बे० वि०, न्या० पं०	पु० चौ०, वी० उ० के०, प० नि०, फु० वा०
29 ओहनी-रमेशरपुर	1635	न्या० पं०, डा० घ०, प्रा० स्वा० के०	सी० बे० वि०, सं० क्षे० ग्रा० बै, प० व्य० चि०
30 रैसिंहपुर-सुदनीपुर	1766	न्या० पं०, प्रा० वि०, डा० घ०	प० चि०, प० व्य० चि०, हो० चि०, कृ० ग० के०
31. ददरा-भगवानपुर	1577	न्या० प०, डा० घ०, फु० बा०	व० स्टा०, प्रा० स्वा० के०, शि० प्र० सं०
32 हुसामपुर-बड़ा गॉव	1468	न्या० पं०, सी० बे० वि०, डा० घ०	वी० उ० के०, प० चि०, स० ग० दु०, रा० कृ० बै०
33 सहरिया	1145	प्रा० वि०, फु० बा०, स० क्षे०ग्रा० बैं०	मा० वि०, वी० उ० के०, की० ना० डि०, स० ग० दु०
34 हैदरावाद	2383	डा० घ०, सं० क्षे० ग्रा० बै ०	सी० बे० वि०, प्रा० स्वा० के०, पं० चि०, छ० गृ०
35. सुम्भी	2612	डा० घ०, फु० बा०	रा० कृ० वै०, पं० चि०, वी० उ० के०, प्रा० वि०
36 वम्हउर	4337	न्या० पं०, डा० घ०, प्रा० वि०	सी० बे० वि०, कृ० ग० के०, वि० उ० के०
37 परसिया-कयामुद्दीनपुर	2694	न्या० प०, डा० घ०, सी० बे० वि०	फु० बा०, स० ग० दु०, मा० वि०, कृ० ग० के०
38 वयासी-वुन्दा	2614	डा० घ०, थो० वा० के०	स० क्षे० ग्रा० बै, प० चि०, प्रा० स्वा० के०
39 लखनपुर-बादल राय	1228	न्या० पं०, फु० बा० डा० घ०	थो० बा०, प्रा० वि०, प्रा० स्वा० के०, वि० उ० के०
40 नेवादा	878	डा० घ०, फु० बा०, रा० कृ० वै०	मा० वि०, प० चि०, प्रा० स्वा० के०, वी० उ० के०

संकेत

न्या० पं० — न्याय पंचायत
पु० स्टे० — पुलिस स्टेशन
पु० चौ० — पुलिस चौकी
शी० भं० — शीत भण्डार
प० चि० — पशु चिकित्सालय
कृ० ग० के० — कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र
की० ना० डि० — कीट नाशक डिपो
वी० उ० के० — बीज उर्वरक केन्द्र
वि० उ० के० — विद्युत उपकेन्द्र
थो० बा० — थोक बाजार
फु० बा० — फुटकर बाजार
स० ग० दु — सस्ते गल्ले की दुकान
सं० क्षे० ग्रा० बै० — सयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैक
रा० कृ० बैं० — राष्ट्रीय कृत बैंक
जि० स० बैं० — जिला सरकारी बैक
प्रा० वि० — प्राथमिक विद्यालय
सी० बे० वि० — सीनियर बेसिक विद्यालय

मा० वि० — माध्यमिक विद्यालय
औ० प्र० सं० — औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
शि० प्र० सं० — शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान
पं० व्य० चि० — पंजीकृत व्यक्तिगत चिकित्सालय
प्रा० स्वा० के० — प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
आ० चि० — आयुर्वेद चिकित्सालय
हो० चि० — होमियोपैथ चिकित्सालय
प० मा० शि० क० के० — परिवार मातृ शिशु कल्याण केन्द्र
औ/चि० — औषधालय/चिकित्सालय
छ० गृ० — छवि गृह
ब० स्टे० — बस स्टेशन
ब० स्टा० — बस स्टाप
डा० घ० — डाकघर
डा० घ० एवं ता० घ० — डाकघर एवं तारघर
दू० भा० — दूर–भाष
प० का० आ० — पब्लिक काल आफिस

TAHSIL AŻAMGARH
PROPOSED GROWTH CENTRES
N
Kharcauli
Newada
Ohani-
Rameserpur
Atapur
Khutauli
Charaha
Raisinghpur
Semari-
Chanda Bhari
Dadra
Janakipur
Gujarpar
Sonpur
Bamhaur
Lakhmanpur patti
Sofipur
Bhaduli
Ranipur Ali
Shaharia
Majhgawan
Harirampur
Jagdishpur
Belanadih
Asauna
Vasti
Parsia
Husampur
Semraha
Haidrabad
Sameda
Bayasi-
Bunda
Karanpur
Sonwara
Sumbhi
Mittupur
Kolhu-
Khor
Gosari
Chhanwoon
Bhujahi
Daulatabad
Barahal-
Ganj
Jigar-
Sandi
4
0
4
8
Km

Fig. 3.2

डाकघर आदि सेवाओं मे से कम से कम तीन सेवाएँ उपलब्ध हो | तहसील के प्रस्तावित विकास केन्द्रों पर ये सभी सेवाएँ उपलब्ध हैं । साथ ही, उन बास्तियों को भी प्रस्तावित विकास सेवा केन्द्र के रूप मे चुना गया है जिनकी सम्पूर्ण सेवाओं का सयुक्त मान उपर्युक्त न्यूनतम मानवाली तीन सेवाओं के संयुक्त मान से अधिक हो भले ही वे उपर्युक्त तीनों कार्यो से भिन्न कोई एक ही सेवा प्रदान करती हो | तालिका 3.7 एवं मानचित्र 3 2 में तहसील के प्रस्तावित विकास सेवा केन्द्रों का विवरण उनकी जनसंख्या, वर्तमान सेवाओं एवं प्रस्तावित सेवाओं के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन प्रदेश के सम्यक विकास हेतु आवश्यक है कि तहसील के उपर्युक्त प्रस्तावित विकास केन्द्रो को 2001 तक पूर्ण विकसित कर दिया जाय । क्षेत्र में बहुमुखी विकास के लिए एवं आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु तहसील के वर्तमान सेवा केन्द्रों की आधारभूत् सुविधाओं में भी गुणात्मक एवं परिमाणात्मक उन्नयन की आवश्यकता है । इन्ही प्रयासों के फलस्वरुप ही प्रदेश का समग्र विकास सम्भव हो सकेगा ।

सन्दर्भ

1. **PATHAK, R.K.** : ENVIRONMENTAL PLANNING RESOURCES AND DEVELOPMENT', CHUGH PUBLICATION, ALLAHABAD, 1990, p. 54.
2. **BABU, R.** 'MICRO-LEVEL PLANNING : A CASE STUDY OF CHHIBRAMAV TAHSIL (U P), UNPUBLISHED D. PHIL. THESIS, GEOGRAPHY DEPTT, ALLAHABAD UNIVERSITY, 1981.
3. **JEFFERSON, M.** · 'THE DISTRIBUTION OF WORLDS CITY FOLKS', GEOGRAPHICAL REVIEW, VOL 21, p 453.
4 **CHRISTALLER, W.** . DIE ZENTRALER ORTE IN SUDDENT-SCHLAND, JENA, G, FISHER, 1933, TRANS LATED BY C.W. BASKIN, ENGLEWOOD CLIFFS, N J. 1966

5 OP CIT, FN 1, p 55

6 **HAGGETT, P.** . DETERMINATION OF POPULATION THRESHOLD FOR SETTLEMENT, FUNCTIONS BY READMUENCH METHOD, PROFESSIONAL GEOGRAPHER, VOL. 16, 1964, pp. 6-9.

7. **SEN, L.K.** : PLANNING OF RURAL GROWTH CENTRES FOR INTEGRATED AREA DEVELOPMENT; A CASE STUDY IN MIRYALGUDA TALUKA; NICD, HYDERABAD, 1971, p. 92

8 **PRAKASH RAO, V.L.S.** PROBLEMS OF MICRO-LEVEL PLANNING' BEHAVIOURAL SCIENCES AND COMMUNITY DEVELOPMENT, VOL 6, NO 1, 1972, p. 151

9. OP CIT, FN. 4

10. **BRUSH, J.E.** : THE HIERARCHY OF CENTRAL PLACES IN SOUTH-WESTERN WISCONSIN, GEORAPHICAL REVIEW, VOL 43, NO 3, 1953, pp. 380-407

11 **CARTER, H.** . URBAN GRADES AND SPHERES OF INFLUENCE IN SOUTH-WEST WALES, SCOT, GEOGPRAPHY MAGZ. VOL 71, 1955, pp. 43-80.

12 **ULLMAN, E. L.** : TRADE CENTRES AND TRIBUTARY AREAS OF PHILLIPPINES, GEOGRAPHICAL REVIEW, VOL 50, 1960, pp. 203–218.

13 **HARTLEY, G. AND SMAILES, A.E.** SHOPPING CENTRES INGREATER LONDON AREAS, TRANS, INST. BR., GEOG 29, 1961, pp. 201 – 213.

14 **BRACEY, H. E.**: TOWNS AND RURAL SCIENCE ; TRANS, INST BR; GEOGRAPHY, 19, 1962, pp 95 – 105

15 **GREEN, F. H. W.** MOTOR BUS CENTRES IN SOUTH-WEST ENGLAND CONSIDERED IN RELATION TO POPULATION AND SHOPPING FACILITIES, TRANS; INST, BR , GEOGRAPHY, VOL. 14, 1948, pp 57-69

16 **BERRY, B.J.L. AND GARRISON, W.L.** . THE FUNCTIONAL BASES OF THE CENTRAL HIERARCHY, ECONOMIC GEOGRAPHY, VOL 34(2), 1958, pp. 145–154

17. **SIDDAL, W. R.** : WHOLES ALE RETIAL TRADE RATIOS AS INDEX OF URBAN CENTRALITY ; ECONOMIC GEOGRAPHY, VOL 37, 1961

18. **PRESTON, R.E.** · THE STRUCTURE OF CENTRAL PLACE SYSTUMS; ECONOMIC GEOGRAPHY, VOL 47 (2), 1971, pp 137–155

19 **VISHWANATH, M.S.** A GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF RURAL MARKETS AND URBAN CENTRES IN MYSORE, PH D. THESIS, B H.U, VARANASI

20 **RAO, V.L.S.P.** . PLANNING FOR AN AGRICULTRAL REGION IN NEW STRATEGY, VIKAS, NEW DELHI, 1974

21 **SINGH, J.** · NODAL ACCESSIBILITY AND CENTRAL PLACE HIERARCHY– A CASE STUDY IN GORAKHPUR REGIONS, NATIONAL GEOGRAPHER, VOL, XI (2), 1976, pp.101–112.

22 **JAIN, N. G.** : URBAN HIERARCHY AND TELEPHONE SERVICES, IN VIDARBH (MAHARASHTRA), N.G J.I , VOL. 17 – (2 & 3),1971, pp.134 - 137.

23. **SINGH, O.P.** : TOWARDS DETERMINING HIERARCHY OF SERVICE CENTRES – A METHODOLGY FOR CENTRAL PLACE STUDIES, N.G.J I., VOL XVII (4), 1971, pp 165 – 177

24 **ROY. P. AND PATIL, B. R. (ED.)** . MANUAL FOR BLOCK-LEVEL PLANNING; MACKMILLAN, NEW DELHI, 1977, P.25.

25 OP CIT., FN 7, p.92

26. **KHAN, W.** · PLAN FOR INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT IN PAURI GARHWAL, J I C.D , HYDERABAD, 1976. pp 15–21.

27 **WANMALI, S.** : REGIONAL PLANNING FOR SOCIAL FACILITIES – A CASE STUDY OF EASTERN MAHRASHTRA, NICD, HYDERABAD, 1970.

28 **SINGH, S.B.** : SPATIAL ORGANISATION OF SETTLEMENT SYSTEMS, NATIONAL GEOGRAPHER, VOL. XI, NO.2, 1976, pp. 130 – 140.

29 **NITYANAND, P. AND BOSE, S.** AN INTEGRATED TRIBAL DEVELOPMENT PLAN FOR KEONJHAR DISTRICT, ORRISA, NICD, HYDERABAD, 1976.

30 O.P. CIT , FN.1, p. 61.

31. **MISHRA, G. K.** : A METHODOLOGY FOR IDENTIFYING SERVICE CENTER IN RURAL AREAS, BEHAVIOURAL SCIENCES AND COMMUNITY DEVELOPMENT, VOL. 6, NO 1, 1972, pp 48-63.

32. **SINGH, J.** · CENTRAL PLACE AND SPATIAL ORGNISATION IN A BACK WARD ECONOMY, GROAKHPUR REGION, A CASE STUDY OF INTEGRATED REGIONAL DEVELOPMENT, UTTAR BHARAT BHOOGOL PARISHAD, GORAKHPUR, 1979.

33 **DUTTA, A.K.** : TRANSPORTATION INDEX IN WEST BENGAL-A MEANS TO DETERMINE CENTRAL PLACE HIERARCHY, NATIONAL GEOGRAPHICAL JOURNAL OF INDIA, VOL. 16, NO. 3 & 4, 1970, pp. 199–207

34 **BHATT, L.S.** . et. el, MICRO-LEVEL PLANNING – A CASE STUDY OF KARNAL AREA, HARYANA, INDIA. VIKAS, NEW DELHI, 1976.

35 OP CIT., FN.4.

36 **SHARMA, R. C.** : SETTLEMENT GEOGRAPHY OF THE INDIAN DESERT, K B P., NEW DELHI, 1972, p 180

37 **CLARK, P.G. AND EVANS, F.G.** : DISTANCE TO NEAREST-NEIGHBOUR AS A MEASURE OF SPATIAL RELATIONSHIP IN POPULATION, ECOLOGY VOL 35, 1964, pp.445-453.

38 **DACCEY, M. F.** . THE SPACING OF RIVER TOWNS; A.A. A.G. 50, 1960, pp 59–61

39. **KING. L.J.** . A QUANTITATIVE EXPRESSION OF THE PATTERN OF URBAN SETTLEMENTS IN SELECTED AREAS OF UNITED STATES; 53, 1962, pp.1 – 7.

40. MATHER, E. C. : 'A LINEAR DISTANCE MAP OF FARM OPOULATION IN UNITED STATES' ; A.A A.G. 34, 1944, pp. 173–180

41 **CONVERSE, P.D.** : NEW LAW OF RETAIL GRAVITATION, JOURNAL OF MARKETING, VOL-14, 1949.

* * * * *

अध्याय चार

कृषि एवं कृषि-विकास नियोजन

4.1 प्रस्तावना

अध्ययन प्रदेश की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है। वस्तुतः कृषि ही प्रदेश के अर्थतन्त्र की धुरी है। तहसील आजमगढ़ की संस्कृति की जड़ें भी भूमि में ही निहित हैं। हमारे अनेक त्यौहार एवं उत्सव भी कृषि से ही सम्बन्धित हैं। मानव सभ्यता के उदय-काल में ही विश्व के जिन कुछ भागों में कृषि विकसित हुयी थी, अध्ययन प्रदेश भी उनमें से एक है। वर्तमान युग में कृषि का आधुनिकीकरण एवं विज्ञानीकरण हो गया है, परन्तु इस प्रदेश की कृषि अभी भी परम्परागत एवं रुढ़िवादी ही है। कृषि तथा ग्राम्य-विकास अन्योन्याश्रित हैं तथा कृषि भारत की मेरूदण्ड है, कृषि पर सर्वाधिक ध्यान देकर ही हम भारत की आर्थिक उन्नति कर सकते हैं।

आजमगढ़ तहसील का सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल 115766 हेक्टेअर है, जिसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 87718 हेक्टेअर है जो सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का 75 8 प्रतिशत है। तहसील की कुल कार्यशील जनसख्या का 78.4 प्रतिशत भाग सीधे कृषि कार्यो में लगा है। अस्तु कृषि यहाँ के लोगों के जीविकोपार्जन का साधन एवं अभिन्न अंग ही नहीं अपितु मिट्टी की सुगन्ध भी उनके संस्कार मे रची-बसी हुयी है।

तहसील आजमगढ़ में विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत कृषि का यन्त्रीकरण, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों, खरपतवार एवं कीटनाशक दवाओं के प्रयोग के प्रारम्भ के साथ ही कृषि का विकास तो शुरु हुआ परन्तु विकास को वांछित गति प्राप्त न हो सकी जो क्षेत्र की बढ़ती हुयी जनसंख्या के भरण-पोषण के लिए प्रर्याप्त हो। कृषि का विकास पूँजी, तकनीक तथा सामाजिक एवं आर्थिक ससाधनों की कमी से वाधित है। कृषि का वांछित विकास सम्भव न हो पाने से आज भी क्षेत्र में लोगो का जीवन-स्तर काफी निम्न है।

प्रदेश मे कृषि के समुचित विकास के लिए कृषि का नियोजन आवश्यक है। नियोजन का मुख्य उद्देश्य तहसील की भूमि की उर्वरा-शक्ति को सुरक्षितरखते हुये अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है।[1] प्रस्तुत अध्ययन उक्त दिशा में किया गया एक लघु प्रयास है। इसमे कृषि-विकास के वर्तमान स्वरूप के विवेचनोपरान्त भावी कृषि-विकास हेतु नियोजन प्रस्तुत किया गया है। कृषि के वर्तमान स्वरूप के भौगोलिक विवेचन में मैकमास्टर[2] द्वारा प्रतिपादित भौगोलिक अध्ययन के तीनों उपागमो पारिस्थितिकी, भूमि-उपयोग, तथा सांख्यिकीय में से केवल भूमि उपयोग उपागम को ही अपनाया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में ग्राम स्तर पर तहसील मुख्यालय से अप्रकाशित राजस्व अभिलेखों, जिला कृषि कार्यालय और विकास खण्ड कार्यालयों से प्राप्त आकड़ों को आधार बनाया गया है।

4.2 समान्य भूमि-उपयोग

आजमगढ़ तहसील के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रपल का 86 25 प्रतिशत भाग कृषि योग्य है, जिसमे 75 77 प्रतिशत भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र, 0.55 प्रतिशत भाग चारागाह, 2.01 प्रतिशत भाग कृषि योग्य बजर, 4 43 प्रतिशत भाग वर्तमान परती एवं 3 49 प्रतिशत भाग अन्य परती का है। शेष 13 75 प्रतिशत भाग-कृषि के अयोग्य है, जिसमें 9.67 प्रतिशत अन्य उपयोग में, 2.35 प्रतिशत उद्यानों एवं वनों के अन्तर्गत तथा 1.73 प्रतिशत भूमि ऊसर है। विकास खण्ड स्तर पर कृषि योग्य भूमि का यह प्रतिशत सर्वाधिक 89.7 जहानागंज में है जबकि न्यूनतम 83.67 प्रतिशत रानी की सराय में है, जो तहसील के औसत से कम है। विकास खण्ड तहबरपुर एवं सठियॉव में कुल कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत क्रमशः 87.54 एवं 87.08 है जो तहसील के औसत से अधिक है। न्याय-पंचायत स्तर पर सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत (90.2) बरहतिल-जगदीशपुर में है, जबकि सबसे कम 52.02 प्रतिशत भूमि रायपुर-मगराँवा में है (देखें तालिका 4 1 एवं मानचित्र 4.1)।

(अ) शुद्ध बोया गया क्षेत्र

उन्नतशील बीजों, नवीन कृषि यन्त्रों, नूतन कृषि पद्धतियों, सिचाई के साधनों एवं उर्वरकों के प्रयोग तथा प्राविधिक ज्ञान से प्रभावित, वास्तविक रूप से कृषि किये गये क्षेत्र को शुद्ध बोये गये

तालिका 4.1

सामान्य भूमि-उपयोग तहसील आजमगढ़, 1990-1991 (हेक्टेअर में)

क्रम संख्या	भूमि–वर्गीकरण-विवरण	मिर्जापुर	मोहम्मदपुर	तहबरपुर	पल्हनी	रानी की सराय	सठियाँव	जहानागंज	सम्पूर्ण योग तहसील	भौगोलिक क्षेत्रफल से प्रतिशत
1.	कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल	16873	19192	17626	13332	14089	16565	18089	115766	100
2	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	12459	14508	13934	9943	10651	12861	13362	87718	75 77
3.	चारागाह	133	148	78	122	84	7	68	640	0 55
4.	कृषि योग्य बंजर भूमि	453	508	320	219	269	174	379	2322	2 01
5.	वर्तमान परती	582	740	408	497	452	1156	1288	5123	4.43
6.	अन्य परती	656	596	689	413	332	227	1129	4042	3 49
	कुल कृषि योग्य भूमि	14283	16500	15429	11194	11788	14425	16226	99845	86 25
7.	कृषि के अतिरिक्त अन्य उप–योग मे लायी गयी भूमि	1476	2176	1478	1455	1581	1660	1364	11190	9 67
8	उद्यानों एवं वनों का क्षेत्रफल	757	192	544	561	344	209	121	2728	2.35
9	ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि	357	324	175	122	376	271	378	2003	1 73

	कुल कृषि अयोग्य भूमि	2590	2692	2197	2138	2301	2140	1863	15921	13 75
10	दो फसली भूमि	4614	7171	6952	5859	8723	8370	9964	51653	44 62
11.	सकल फसली भूमि	16956	21679	20886	15598	19286	21182	23326	138913	120.0
	खरीफ-फसली भूमि	8662	11683	11182	7375	9366	10761	12659	71688	61 93
	रवी-फसली भूमि	8097	9844	9278	8005	9784	10241	10528	65777	56 82
	जायद-फसली भूमि	197	152	426	218	136	180	139	1448	1 25
12	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	7876	9584	9078	6949	9471	10177	10479	63614	54 95
13.	सकल सिंचित क्षेत्रफल	9166	10790	11289	8238	10805	11840	11955	74083	63 99

स्रोत – 1 सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद आजमगढ़, 1991

2. लेखपाल खसरा मिलान, तहसील आजमगढ़, 1991-92

3. वार्षिक ऋण योजना, यूनियन बैंक, जनपद आजमगढ़, 1991-92

N
TAHSIL AZAMGARH
GENERAL LAND-USE
1992-93
AREA IN HECTARES
120 000
110 000
99 000
88 000
77 000
66 000
55 000
44 000
33 000
22 000
11 000
0
REGION
(TAHSIL AZAMGARH)
NET SOWN AREA
NON-AGRICULTURAL USES
GARDEN
FALLOW LAND
BARREN LAND
PASTURE LAND NEGLIGIBLE
COULD NOT BE SHOWN
AREA IN HECTARES
18089
17626
16565
14089
4 0 4 8
Km

Fig. 4.1

क्षेत्र के अन्तर्गत समाहित किया जाता है। यह भूमि-उपयोग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। आजमगढ़ तहसील का शुद्ध बोया गया क्षेत्र 1990-91 में 87718 हेक्टेअर था, जो सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का 75.77 प्रतिशत है। विकास खण्ड स्तर पर शुद्ध बोये गये क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत 79.05 तहबरपुर में है। शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत 73.84 मिर्जापुर में है, जो तहसील के आँकड़े से कम है। सठियाँव विकास खण्ड में यह प्रतिशत 77 64 है, जो तहसील आजमगढ़ के औसत प्रतिशत से अधिक है, जबकि मोहम्मदपुर एवं रानी की सराय में शुद्ध बोये गये क्षेत्र का प्रतिशत क्रमश· 75.59 एवं 75 6 है, जो तहसील के औसत के लगभग समान है।

(ब) दो फसली भूमि

जब किसी एक ही क्षेत्र पर एक ही वर्ष में एक से अधिक फसलें विभिन्न समयों में उगायी जाती है तो उसे द्विफसली भूमि कहा जाता है। स्मरणीय है कि यह मिश्रित कृषि या मिश्रित-फसल से भिन्न तथ्य है। मिश्रित कृषि में अन्नोत्पादन एवं पशुपालन कार्य साथ-साथ सम्पादित होते है, जबकि मिश्रित फसल के अन्तर्गत एक ही भूमि पर एक ही समय में, एक ही साथ कई फसलों की कृषि की जाती है। द्विफसली कृषि में फसल-चक्र विधि के कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति का संरक्षण भी सम्भव होता है। तहसील आजमगढ़ में एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र 51653 हेक्टेअर है जो शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का 58.9 प्रतिशत है। विकास खण्ड स्तर पर इसका सर्वाधिक घनत्व रानी की सराय एवं जहानागंज में है। यहाँ पर द्विफसली भूमि का प्रतिशत क्रमश· 81 9 एव 74 6 है जबकि मिर्जापुर में यह प्रतिशत सबसे कम मात्र 37.03 है, जो तहसील के औसत से कम है। विकास खण्ड तहबरपुर, पल्हनी एवं सठियॉव में दो फसली भूमि का यह प्रतिशत क्रमश· 49 9, 58.9 एवं 65 1 है।

(स) सकल फसली भूमि

इसके अन्तर्गत विभिन्न फसलों, खरीफ, रवी एवं जायद में प्रयुक्त हुयी भूमि के सम्पूर्ण सम्मिलित भाग को समाहित किया जाता है। इसके अन्तर्गत कुल 138913 हेक्टेअर भूमि आती है,

जिसमें से 71688हेक्टेअर खरीफ के अन्तर्गत, 65777 हेक्टेअर भूमि रवी के अन्तर्गत तथा 1448 हेक्टेअर भूमि जायद के अन्तर्गत आती है । तहसील के सकल फसली भूमि का शुद्ध, बोये गये भूमि से प्रतिशत 158.4 है । इसमें खरीफ एव रवी तथा जायद का अंश क्रमशः 81.73,75.0 तथा 1 67 है । विकास खण्ड स्तर पर यह प्रतिशत सबसे अधिक रानी की सराय में पाया जाता है, जो 181 07 प्रतिशत है जबकि न्यूनतम 136.09 प्रतिशत मिर्जापुर में है (तालिका 4 2)।

4.3 शस्य—प्रतिरूप

विभिन्न फसलों के स्थानिक और कालिक वितरण से निर्मित प्रतिरुप को शस्य प्रतिरुप कहते हैं।[3] फसलों के इस वितरण प्रतिरुप को आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, भौतिक एवं तकनीकी आदि अन्यान्य कारक प्रभावित करते हैं । राष्ट्र के अनुरुप ही तहसील आजमगढ़ में वर्ष में तीन फसलें-खरीफ, रवी एवं जायद क्रमशः वर्षा, शरद एवं ग्रीष्म काल में उगायी जाती हैं । तहसील के सम्पूर्ण शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल के 81 7 प्रतिशत भाग पर खरीफ, 75 प्रतिशत भाग पर रवी तथा 1.7 प्रतिशत भाग पर जायद फसल का विस्तार है ।

(अ) फसलों का वर्गीकरण

अध्ययन-प्रदेश आजमगढ़ तहसील में परम्परागत रुप से फसलों के तीन वर्ग निर्धारित किए गये है–

(1) खरीफ

भूमि-उपयोग के दृष्टिकोण से तहसील के सर्वाधिक भाग पर खरीफ फसलों का ही विस्तार है । मानसून के आगमन के साथ ही जून-जुलाई में बोयी जाने वाली फसलों को ही खरीफ के नाम से जाना जाता है । खरीफ की फसलों में चावल, मक्का, जूट, मूँगफली, गन्ना, अरहर, उड़द, मूँग आदि मुख्य हैं । तालिका 4.1 से स्पष्ट है कि वर्ष 1990-91 में रवी के अन्तर्गत कुल भूमि 65777 हेक्टेअर थी जबकि खरीफ के अन्तर्गत 71688 हेक्टेअर भूमि थी । तहसील में वर्ष 1990-91 में कुल कृषि योग्य भूमि के 71.8 प्रतिशत भाग पर खरीफ की कृषि की गयी । जो सकल बोये गये क्षेत्र का 51 61 प्रतिशत था । विकास खण्ड स्तर पर यह प्रतिशत सर्वाधिक रानी की सराय एवं जहानागंज

तालिका 4.2

आजमगढ़ तहसील में विभिन्न फसलों के अन्तर्गत भूमि का प्रतिशत, 1991

तहसील/खण्ड विकास	सकल बोये गये क्षेत्र का शुद्ध बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत				खाद्यान्न फसल-भूमि का शुद्ध बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत	खाद्यान्न फसल-भूमि का सकल बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत
	खरीफ	रवी	जायद	योग		
मिर्जापुर	69 52	64 99	1 58	136 09	120 07	88 23
मोहम्मदपुर	80.53	67.85	1.05	149.43	136.95	91.65
तहबरपुर	80 25	66 58	3 06	149 89	131 73	87 88
पल्हनी	74.17	80.51	2 19	156 87	139.24	88 76
रानी की सराय	87 93	91 86	1.28	181.07	158.56	87 57
सठियॉव	83 67	79.63	1 40	164.70	147 98	89 85
जहानागंज	94 74	78 79	1 04	174 57	162 19	92 91
तहसील	81 73	75 0	1 67	158.4	142 39	89 55

स्रोत – 1 लेखपाल खसरा मिलान, जनपद आजमगढ़, 1991

2. सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद आजमगढ़, 1991 से सगणित

में है, जहॉ कुल कृषि योग्य भूमि के 79.45 एवं 78 02 प्रतिशत भाग पर खरीफ की कृषि की गयी, जो तहसील के प्रतिशत से अधिक है। सठियॉव के 74 6 तथा तहबरपुर के 72.47 प्रतिशत भाग पर खरीफ की कृषि की जाती है। यह प्रतिशत सबसे कम 60 65 मिर्जापुर मे है। न्याय पचायत स्तर पर यह सर्वाधिक सेठवल में है जबकि सबसे कम वेलइसा में है।

आजमगढ़ तहसील में खरीफ के अन्तर्गत खाद्यान्न कृषि की प्रधानता है। खरीफ में प्रयुक्त भूमि के 84 8 प्रतिशत तथा सकल भूमि के 43.76 प्रतिशत भूमि पर खाद्यान्न की कृषि की जाती है, जिसमे अनाज-भूमि का प्रतिशत 77.39 एवं दलहन-भूमि का प्रतिशत 7 41 है। खरीफ मे प्रयुक्त भूमि के 15 2 प्रतिशत तथा सकल भूमि के 7 85 प्रतिशत भूमि पर अन्य फसलों का विस्तार है, जिसमें गन्ना-भूमि का प्रतिशत 11.65, सनई का 1 44 तथा अन्य भूमि का प्रतिशत 2.11 है (देखे तालिका 4 3 एव मानचित्र 4.2, 4 3)।

तालिका 4.3

आजमगढ़ तहसील में खरीफ के अन्तर्गत प्रयुक्त भूमि-विवरण, 1990–91

खरीफ-फसल	प्रयुक्त क्षेत्रफल [हेक्टेअर]	खरीफ में बोये गये कुल क्षेत्रफल 71688 हेक्टेअर भूमि से प्रतिशत	सकल बोये गये क्षेत्र 138913 हेक्टेअर भूमि से प्रतिशत
(अ) कुल खाद्यान्न	60791	84 80	43 76
(1) धान्य या अनाज	55480	77 39	39 94
(i) चावल	50392	70.29	36 28
(ii) मक्का	4088	5 70	2 94
(iii) अन्य मोटे अनाज	1000	1.40	0.72
(2) दलहन (अरहर)	5311	7.41	3.82
(ब) गन्ना	8352	11.65	6.01
(स) सनई	1032	1.44	0 74
(द) अन्य	1513	2.11	1 10
कुल योग	71688	100%	51 61

स्रोत – 1 लेखपाल-खसरा मिलान, जनपद आजमगढ़, 1991

2 सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद आजमगढ़ 1991, से संगणित।

N
TAHSIL AZAMGARH
CROPPING PATTERN
KHARIF 1992-93
PERCENTAGE OF GROSS SOWN AREA UNDER RICE
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
MIRZAPUR
MOHAMMADPUR
TAHBARPUR
PALHANI
RANI KI SARAI
SATHIYAON
JAHANAGANJ
BLOCKS
PERCENTAGE OF AREA UNDER KHARIF CROPS
< 65
65 - 70
70 - 75
4
0
4
8
Km

Fig 4 2

I. अनाज

तहसील आजमगढ़ में खरीफ भूमि के 77.39 प्रतिशत भाग पर धान्य अथवा अनाज की कृषि की जाती है। धान्य में सबसे महत्वपूर्ण चावल है, जो खरीफ-भूमि के 70.29 तथा सकल भूमि के 36 28 प्रतिशत भूमि पर उगाया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण अनाज मक्का है जो खरीफ भूमि के 5 7 प्रतिशत भूमि पर उगाया जाता है।

आजमगढ़ तहसील में विकास खण्ड स्तर पर चावल की कृषि सर्वाधिक बड़े पैमाने पर जहानागंज में की जाती है। यहॉ के खरीफ भूमि के 85.21 प्रतिशत भाग पर चावल की कृषि की जाती है। तहबरपुर में यह प्रतिशत 66.29 है। जबकि मिर्जापुर में सबसे कम 56.85 तथा पल्हनी में 59.72 है। जिन विकास खण्डों में ऊसर भूमि की अधिकता है अथवा सिचाई के साधनों की कमी है, वहॉ चावल की कृषि का विस्तार अपेक्षाकृत कम है।

तहसील में खरीफ फसल के अन्तर्गत चावल के बाद दूसरा महत्वपूर्ण अनाज मक्का है, जो खरीफ भूमि के 5 7 प्रतिशत तथा सकल-भूमि के 2 94 प्रतिशत भाग पर बोया जाता है। मक्का की सबसे अधिक कृषि मिर्जापुर विकास खण्ड मे की जाती है। यहॉ पर खरीफ भूमि के 12 12 प्रतिशत, रानी की सराय के 7 22 प्रतिशत, पहल्नी के 7 61 प्रतिशत तथा तहबरपुर के 6.12 प्रतिशत भाग पर मक्के की कृषि की जाती है। मक्के की कृषि का सबसे कम विकास सठियॉव में हुआ है। यहॉ के मात्र 1 7 प्रतिशत खरीफ–भूमि पर मक्के की कृषि की जाती है। मिर्जापुर में मक्का अधिक बोने का कारण यहाँ मक्के की कृषि का सशक्त परम्परागत रूप एवं मिट्‌टी का अनुकूल होना है। अन्य अनाजों में ज्वार-बाजरा आदि हैं। जो कुल खरीफ भूमि के 1 4 प्रतिशत तथा सकल भूमि के 0.72 प्रतिशत भाग पर बोया जाता है।

II. दलहन

इसके अन्तर्गत अरहर, उड़द और मूँग आदि दलहनी फसलों को रखा जाता है। इनकी कृषि मिश्रित ढग से भी की जाती है। खरीफ में प्रयुक्त भूमि के 7.41 प्रतिशत तथा सकल भूमि के

3 82 प्रतिशत भूमि पर दलहन की कृषि की जार्ता है । ज्ञातव्य है कि उड़द एव मूंग की कृषि तहसील मे अविकसित अवस्था में है अतः दलहन फसल में मुख्यतः अरहर की कृषि को ही सम्मिलित किया गया है । अरहर की कृषि के लिए उपयुक्त भूमि,एवं उचित ढाल आवश्यक होता है जिससे वर्षा का पानी इनकी जड़ों में न लग सके । विकास खण्ड स्तर पर दलहन की कृषि का सबसे अधिक विकास मिर्जापुर में तथा सबसे कम जहानागंज में हुआ है । खरीफ भूमि के, मिर्जापुर में 10 7 प्रतिशत, पल्हनी में 10.6 प्रतिशत,.तहबरपुर मे 9.22 प्रतिशत तथा रानी की सराय में 8.03 प्रतिशत भाग पर दलहन फसल उगायी जाती है । जहानागंज मे यह प्रतिशत 3.23 है । न्याय पंचायत स्तर पर मिर्जापुर, ओहनी-रमेशरपुर, ओरा एवं सेठवल की स्थिति महत्वपूर्ण है । जहानागंज में दलहन फसल के विकास में कमी का मुख्य कारण धान्य फसलों का विस्तार एव नीची भूमि है ।

III. अन्य फसलें

खाद्यान्नों एवं दलहन फसलों के अतिरिक्त खरीफ के अन्तर्गत बोयी जाने वाली फसलों मे चारा, सब्जी, तिलहन, सनई, पटसन, एवं गन्ना प्रमुख हैं । इसमें सबसे अधिक महत्व पूर्ण रेशेदार फसल सनई एवं मुद्रादाग्निनी फसल गन्ना है । सम्पूर्ण खरीफ भूमि के 1 44 तथा सकल भूमि के 0 74 प्रतिशत भूमि पर सनई की कृषि की जाती है । अन्य फसलें खरीफ भूमि के 2 11 तथा सकल भूमि के 1 1 प्रतिशत भाग पर उगायी जाती हैं।

खरीफ के अन्तर्गत बोयी जाने वाली मुद्रादायिनी फसलों में गन्ने की कृषि प्रमुख है । यह प्रयुक्त खरीफ भूमि के 11 65 प्रतिशत तथा सकल भूमि के 6 01 प्रतिशत भाग पर उगाया जाता है । विकास खण्ड स्तर पर गन्ने की कृषि का सबसे अधिक विकास सठियॉव में हुआ है जिसका प्रमुख कारण सठियॉव गन्ना मिल की स्थानीय स्थिति है । यहाँ खरीफ भूमि के 14 07 प्रतिशत भूमि पर गन्ना उगाया जाता है, जो तहसील के औसत से काफी अधिक है । यह प्रतिशत सबसे कम जहानागंज में 8.26 है न्याय पचायत स्तर पर ओरा के 15% भूमि, पल्हनी के 14 3, मुबारकपुर एवं सठियाँव के 16.2 प्रतिशत भूमि पर गन्ने की कृषि की जाती है ।

(2) **रवी**

शरद-काल के समय अक्टूबर से दिसम्बर तक बोयी जाने वाली तथा मार्च से अप्रैल तक काटी जाने वाली फसलों को रवी फसल के अन्तर्गत रखा जाता है। ये फसलें मुख्यत सिंचाई पर आश्रित होती है। इसके अन्तर्गत गेहूँ, जौ, चना, मटर, आलू, सरसो तथा वरसीम मुख्य हैं। तहसील में खरीफ की तुलना में रवी की फसलो का विकास कम हुआ है। रवी की कृषि 65777 हेक्टेअर भूमि

तालिका 4.4

आजमगढ़ तहसील में रवी के अन्तर्गत प्रयुक्त भूमि-विवरण, 1990-91

रबी-फसल-विवरण	प्रयुक्त क्षेत्रफल [हेक्टेअर में]	रवी में कुल बोये गये क्षेत्र 65777 हेक्टेअर भूमि से प्रतिशत	सकल बोये गये क्षेत्र 138913 हेक्टेअर में रवी फसलों का प्रतिशत
(अ) कुल खाद्यान्न	63830	97.04	45 95
(1) धान्य या अ नाज	56334	85.64	40 55
(1) गेहूँ	49747	75 63	35 81
(11) जौ	6087	9 25	4 39
(111) अन्य अनाज	500	0 76	0.36
(2) दलहन	7496	11.40	5.40
(1) चना	4386	6.67	3.16
(11) मटर	3110	4.73	2.24
(ब) आलू	1329	2.02	0.96
(स) तिलहन	69	0.10	0 05
(द) अन्य	549	0.84	0.39
कुल योग	65777	100%	47 35%

स्रोत — 1. लेखपाल का रवी फसल ब्यौरा, तहसील आजमगढ़, 1991
2 सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद अजमगढ़, 1991 से संगणित !

N
TAHSIL AZAMGARH
CROPPING PATTERN
RABI 1992-93
PERCENTAGE OF GROSS SOWN AREA UNDER WHEAT
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
MIRZAPUR
MOHAMMADPUR
TAHBARPUR
PALHANI
RANI KI SARAI
SATHIYAON
JAHANAGANJ
BLOCKS
PERCENTAGE OF AREA UNDER RABI CROPS
< 60
60 - 70
70 - 80
> 80
4 0 4 8
Km

Fig 4 3

पर की जाती है । यह सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमि के 65 9 प्रतिशत तथा सकल बोये गये क्षेत्र के 47 35 प्रतिशत भाग पर स्थित है । विकास खण्ड स्तर पर इस कृषि का सर्वोत्तम फैलाव रानी की सराय में है । यहाँ पर कृषि भूमि के 83.0 प्रतिशत भूमि पर रवी की कृषि की जाती है ।

तहसील मे रवी के कुल बोये गये क्षेत्रफल के 97 04 प्रतिशत भूमि पर खाद्यान्न, 2.02 प्रतिशत भूमि पर आलू, 0 1 प्रतिशत भूमि पर तिलहन तथा 0 84 प्रतिशत भूमि पर अन्य फसलों का विस्तार है (तालिका 4 4) ।

I. अनाज

रवी फसल के अन्तर्गत कुल क्षेत्र के 97 04 तथा सकल भूमि के 45 95 प्रतिशत भूमि पर खाद्यान्न की कृषि की जाती है जिसमें 85 64 प्रतिशत भूमि धान्य अथवा अनाज द्वारा आच्छादित थी। अनाजों मे गेहूँ मुख्य है । कुछ क्षेत्र पर गेहूँ एवं जौ की मिश्रित कृषि की जाती है जिसे 'गोजइ' कहते हैं ।

गेहूँ की कृषि सम्पूर्ण रबी भूमि के 75.63 तथा सकल भूमि के 35.81 प्रतिशत भूमि पर की जाती है। सम्प्रति तहसील के गेहूँ की कृषि की लोकप्रियता का मुख्य कारण सिंचाई, उर्वरक, उन्नतशील बीज एवं नवीन कृषि पद्धति का उपयोग आदि है । विकास खण्ड स्तर पर गेहूँ की कृषि का सबसे अधिक विकास सठियाँव एवं जहानागज मे हुआ है । यहाँ सम्पूर्ण रवी भूमि के क्रमश 85 24 एवं 84 87 प्रतिशत भूमि पर गेहूँ की कृषि की जाती है । जब कि मोहम्मदपुर में यह प्रतिशत 78 07 मिर्जापुर मे 74 25 तथा तहबरपुर में 67 15 है ।

न्याय पंचायत स्तर पर बरहतिल-जगदीशपुर, सठियांव, ओरा, सेठवल आदि के 75 प्रतिशत से अधिक भाग पर गेहूँ की कृषि की जाती है । सिंचाई के साधनों के अभाव एवं ऊसर भूमि की अधिकता के कारण कुछ विकास खण्डों में गेहूँ की कृषि का समुचित विकास नहीं हो पाया है । सम्पूर्ण रवी भूमि के 9.25 तथा सकल भूमि के 4 38 प्रतिशत भूमि पर जौ की कृषि की जाती है जो अध्ययन प्रदेश का दूसरा प्रमुख रवी खाद्यान्न है । गेहूँ की कृषि के विकास के साथ ही जौ की कृषि में काफी गिरावट आयी है ।

II. दलहन

प्रदेश में सम्पूर्ण रवी भूमि के 11 40 प्रतिशत भूमि पर दलहन की कृषि की जाती है जो सकल बोये गये क्षेत्र का 5.4 प्रतिशत है । दलहन फसलों मे मुख्यतः चना एवं मटर है । सम्पूर्ण रवी भूमि के 6 67 तथा सकल कृषि भूमि के 3 16 प्रतिशत भूमि पर चना की कृषि की जाती है, जबकि सम्पूर्ण रवी भूमि के 4 73 तथा सकल बोये गये भूमि के 2 24 प्रतिशत भूमि पर मटर की कृषि की जाती है । चने की कृषि का सर्वाधिक विस्तार क्रमशः रानी की सराय एव तहबरपुर विकास खण्डों मे है । यहॉ कुल रवी भूमि के क्रमश. 8.6 एवं 8 52 प्रतिशत भूमि पर चने की कृषि की जाती है जबकि मिर्जापुर, पल्हनी एवं मोहम्मदपुर में यह प्रतिशत क्रमश . 7 1, 6.75 एवं 6 06 है । यह प्रतिशत सबसे कम 4 91 जहानागंज मे है । चने की कृषि को सामान्यतः सिचाई की आवश्यकता कम पड़ती है । रवी फसल काल मे यदि एक बार भी हल्की वर्षा हो जाये तो चने की कृषि के लिए पर्याप्त होती है । जहानागंज विकास खण्ड मे चने की कृषि के कम विस्तार का मुख्य कारण धान्य भूमि का अधिक विकास होना है ।

प्रदेश में मटर की कृषि का सर्वाधिक विकास पल्हनी विकास खण्ड मे है । यहॉ के सम्पूर्ण रवी भूमि के 6 01 प्रतिशत भूमि पर मटर की कृषि की जाती है, जबकि तहबरपुर के 5.70, रानी की सराय के 5 42 तथा मोहम्मदपुर के 5.11 प्रतिशत रवी भूमि पर ही मटर की कृषि सम्भव है । यह प्रतिशत सबसे कम 2.55 सठियॉव एवं 3.49 प्रतिशत जहानागंज में है, जिसका प्रमुख कारण वहाँ पर अनाज भूमि का अधिक विस्तार है । न्याय पंचायत स्तर पर मटर की कृषि का सर्वाधिक विकास पल्हनी-वेलइसा एवं ओरा में हुआ है । यहाँ पर रवी भूमि के 8.5 प्रतिशत से अधिक भूमि पर मटर की कृषि की जाती है । इस कृषि का न्यूनतम विकास जगदीशपुर न्याय पंचायत में हुआ है।

III. तिलहन

रवी के अन्तर्गत बोयी जाने वाली तिलहनी फसलों में सरसों, राई एवं अलसी है, जिनका उत्पादन गेहूँ तथा दलहनी फसलों के साथ मिश्रित कृषि के रुप में किया जाता है । सरसो की कृषि

मुख्यत. गेहूँ तथा मटर के साथ मिश्रित रुप मे की जाती है, जबकि अलसी की कृषि चने के साथ की जाती है। प्रदेश में सम्पूर्ण रवी भूमि के मात्र 0 1 प्रतिशत भाग पर ही तिलहनी फसलो का विस्तार है जो सकल भूमि का 0.05 प्रतिशत है। विकास खण्ड स्तर पर तिलहन की कृषि का सबसे अधिक विकास मिर्जापुर में हुआ है, जहाँ रवी भूमि के 0 24 प्रतिशत पर तिलहन की कृषि की जाती है।

IV. आलू एवं अन्य फसलें

तहसील में रवी में बोये गये क्षेत्र के 2 02 तथा सकल भूमि के 0 96 प्रतिशत भाग पर आलू की कृषि की जाती है। विकास खण्ड स्तर पर आलू की सबसे अधिक कृषि रानी की सराय, तहबरपुर एवं मिर्जापुर में की जाती है, जहाँ पर यह प्रतिशत क्रमशः 2.53, 2 51 एवं 2 16 है। रबी भूमि के 0 85 प्रतिशत भाग पर अन्य फसलों का विस्तार है।

(3) **जायद**

रवी एव खरीफ फसल के मध्य भाग को संक्रमण-काल के रुप में माना जाता है, जब जायद फसल की कृषि की जाती है। जायद की फसलो मे उड़द, मूग, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी एवं अन्य ग्रीष्म कालीन सब्जियां प्रमुख है। सम्पूर्ण तहसील के 1448 हेक्टेअर भूमि पर इसकी कृषि की जाती है जो सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का 1 25 प्रतिशत, शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का 1.65 प्रतिशत, कुल कृषि योग्य भूमि का 1 45 तथा सकल भूमि का 1 04 प्रतिशत है। विकास खण्ड स्तर पर जायद कृषि का सबसे अधिक विस्तार तहबरपुर एवं पल्हनी में है। यहाँ शुद्ध बोये गये क्षेत्र के क्रमशः 3 06 तथा 2 19 प्रतिशत भूमि पर जायद की कृषि की जाती है। जायद की कृषि पूर्णतः सिंचाई पर आधारित होती है। इसीलिए इसकी कृषि मुख्यतः नलकूपों वाले क्षेत्रो, नहरों के समीपवर्ती भागों एवं नदी तटों पर ही सम्भव हो पाती है। पिछले कुछ वर्षों से ग्रीष्म काल में नहरों में जलापूर्ति लगभग वाधित एवं अनिश्चित रही है, अतः इसकी कृषि अन्य सिंचाई के साधनों के समीप ही सम्भव हो पा रही है।

(ब) शस्य-प्रतिरुप में कालिक-परिवर्तन

गहन सर्वेक्षणोपरान्त स्पष्ट हुआ है कि पिछले दशक में अध्ययन प्रदेश मे फसल-प्रतिरुप मे कुछ विशिष्ट एव उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं । यह परिवर्तन कृषि निविष्ट, नवीन कृषि विधियो के विकास तथा कृषकों.की फसलों के प्रति जागरुकता के कारण सम्भव हो सका है ।

कार्तिकी, अगहनी धानों की विविधता एवं उन्नतशील बीजों ने प्रदेश में चावल की कृषि को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है । चावल की कृषि सदैव ही गेहूँ की कृषि से अधिक विस्तृत रही है । हरित क्रान्ति के प्रयासों के कारण पिछले दशक में गेहूँ की कृषि में भी क्रांतिकारी विकास हुआ है । चावल एवं गेहूँ दोनों के ही कृषि-क्षेत्र मे पिछले दशक मे 3 2 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुयी है किन्तु चना, मटर एवं अरहर के कृषि-क्षेत्र में क्रमशः ह्रास हुआ है । इसका मुख्य कारण इन फसलों की अपेक्षित उत्पादकता में लगातार होने वाली कमी है । प्रदेश मे गन्ने की कृषि भूमि में भी उल्लेखनीय प्रगति हुयी है । आलू की कृषि मे भी पिछले दशक में 1 2 प्रतिशत भूमि की वृद्धि हुयी है । इस प्रकार समय, मॉग एवं उपयोग के अनुरुप शस्य प्रतिरुप मे भी कालिक परिवर्तन हुआ है ।

4.4 कृषि जनसंख्या-प्रतिरुप

इसके अन्तर्गत कृषकों, कृषक-श्रमिकों एवं पशु-पालन आदि कार्यो में लगी जनसंख्या को समाहित किया गया है । आजमगढ़ तहसील की कुल कार्यशील जनसंख्या का 78 4 प्रतिशत भाग कृषि-जनसंख्या के रुप में है । इनमें कृषको का प्रतिशत 58.24, कृषक श्रमिकों का प्रतिशत 19.78 तथा पशुपालन में लगी जनसंख्या का प्रतिशत 0 38 है । तहसील की कुल कृषक जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत 50 47 है जबकि कृषक श्रमिकों में यह प्रतिशत 13.23 तथा अन्य श्रमिकों में 0 34 प्रतिशत है । शेष हिस्सेदारी स्त्रियों की है ।

विकास-खण्ड स्तर पर कृषि जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत मोहम्मदपुर में है । यहाँ कुल कार्यशील जनसंख्या की 90.44 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है, इसमें पुरुषों का प्रतिशत 69 87 तथा स्त्रियो का प्रतिशत 20.57 है । कृषि जनसंख्या का यह प्रतिशत मिर्जापुर मे 86.64,

जहानागज मे 81 37, तहबरपुर में 83.85 तथा रानी की सराय मे 80 7 है । सबसे कम कृषि जनसख्या सठियॉव एवं पल्हनी मे पायी जाती है, जहॉ यह प्रतिशत क्रमश 58 68 एव 67 05 है । इस कमी का मुख्य कारण इनकी नगरीय स्थिति एवं उद्योगों की अधिकता है । विकास खण्ड स्तर पर कृषक जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत 67 15 है जो मिर्जापुर में पाया जाता है, जबकि कृषक श्रमिक का अधिकतम प्रतिशत मोहम्मदपुर में पाया जाता है । कृषक जनसख्या में स्त्रियों की अधिकतम हिस्सेदारी 11 29 प्रतिशत है, जो जहानागंज में स्थित है जबकि कृषक श्रमिक मे स्त्रियों की अधिकतम हिस्सेदारी 10 26 है जो मोहम्मदपुर मे है (देखें तालिका 4.5 एवं मानचित्र 4 4)।

4.5 शस्य-संयोजन

जब एक ही क्षेत्र में एक से अधिक फसलें एक ही समय में साथ-साथ उगायी जाती हैं तो उसे शस्य-संयोजन या मिश्रित फसल कहते हैं । किसी इकाई क्षेत्र में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख फसलो के समूह को फसल संयोजन कहते हैं जो वहॉ की भौतिक, आर्थिक एवं कृषक की सामाजिक तथा वैयक्तिक गुणो के अन्योन्य क्रिया का परिणाम है ।[4] इससे कृषि की क्षेत्रीय विशेषताओ को आसानी से जाना जा सकता है तथा शस्य संयोजन प्रदेशों का निर्धारण उन फसलो के स्थानिक वर्चस्व के आधार पर किया जा सकता है जिनमें क्षेत्रीय सहसम्बन्ध पाया जाय तथा जो साथ-साथ विभिन्न रुपों में उगाई जा सके ।[5] इन प्रदेशो के अध्ययन से जहॉ एक तरफ क्षेत्रीय कृषि विशेषताओ के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है, वहीं वर्तमान कृषि समस्याओं के निराकरण हेतु समुचित सुझाव दिये जा सकते है ।[6] जे० सी० वीवर महोदय ने शस्य संयोजन के महत्व को स्पष्ट करते हुये कहा है कि 'विभिन्न क्षेत्रों में फसलों के अलग-अलग महत्व को समझने के लिए फसल संयोजन अध्ययन आवश्यक है । किसी भी क्षेत्र के फसल संयोजन का स्वरूप मुख्यत उस क्षेत्र विशेष के भौतिक (जलवायु, जल प्रवाह, एवं मुद्रा) तथा सास्कृतिक वातावरण (आर्थिक एवं सामाजिक) की देन होता है । इस प्रकार यह मानव तथा भौतिक वातावरण के सम्बन्धों को प्रदर्शित करता है ।[7]

तालिका 4.5

आजमगढ़ तहसील की कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि-जनसंख्या प्रतिशत, 1991

तहसील /	कृषक–प्रतिशत			कृषक–श्रमिक प्रतिशत			अन्य श्रमिक प्रतिशत			कुल प्रतिशत		
विकास खण्ड	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग
मिर्जापुर	60 69	6.46	67 15	12.28	7.01	19 29	0 17	0 03	0 20	73 14	13 50	86 64
मोहम्मदपुर	53.28	10.31	63 59	16 39	10 26	26 65	0 20	NA	0 20	69 87	20 57	90 44
तहबरपुर	55 7	8.19	63 89	13 58	6 10	19 68	0 26	0 02	0 28	69 54	14 31	83 85
पल्हनी	36.8	7 16	43.96	14.67	7 77	22 44	0 58	0 07	0 65	52 05	15 00	67 05
रानी की सराय	53 55	7.38	60 93	13 68	5 64	19 32	0 44	0 01	0 45	67 67	13 03	80 7
सठियॉव	39 16	3.59	42.75	12 24	3 15	15.39	0.49	0.05	0 54	51 89	6 79	58 68
जहानागज	54.11	11 29	65 40	9 74	5 98	15 72	0 24	0 01	0 25	64.09	17 28	81 37
योग तहसील	50 47	7 77	58.24	13 23	6 55	19.78	0.34	0 04	0 38	64 04	14 36	78 40

स्रोत – जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, जनपद आजमगढ़, सन् 1991 से संगणित !

N
TAHSIL AZAMGARH
AGRICULTURAL POPULATION
1991
AGRICULTURAL POPULATION
1991
PERCENTAGE OF AGRI POPULATION
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
MIRZAPUR
MCHAMMADPUR
TAHBARPUR
PALHANI
RANI KI SARAI
SATHIYAON
JAHANAGANJ
BLOCKS
CULTIVATORS
AGRICULTURAL LABOURERS
WORKERS LIVESTOCK FORESTRY & OTHERS
PERCENTAGE OF AGRICULTURAL POPULATION
< 70
70 – 90
> 90
4
0
4
8
Km

Fig 44

(अ) शस्य-कोटि निर्धारण

शस्य-कोटि से तात्पर्य सकल बोये गये क्षेत्र के सन्दर्भ मे फसलों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करना है । प्रस्तुत अध्ययन मे इसके लिए सकल बोये गये क्षेत्र से सभी फसलों के आच्छादित क्षेत्रो का प्रतिशत ज्ञात किया गया है । आँकड़ों की उपलब्धता के अभाव में न्याय पचायत स्तर पर शस्य कोटि का निर्धारण सम्यक रुप से सम्भव नहीं है।अतः विकास खण्ड स्तर पर ही शस्य कोटि निर्धारित की गयी है । इसे अवरोही क्रम में रखा गया है । फसलों की कोटि निर्धारित करते समय 1 00 से कम प्रतिशत वाली फसलों को महत्व प्रदान नहीं किया गया है तथा फसलो की केवल चार कोटियों की गणना की गयी है (तालिका 4.6 एवं मानचित्र 4.5) ।

तालिका 4.6

आजमगढ़ तहसील में शस्य-कोटि, 1991

तहसील /	फसल की कोटियॉ एवं उनका सकल बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत			
विकास खण्ड	I	II	III	IV
मिर्जापुर	W – 35 5	R – 29.1	S – 6.8	M – 6 2
मोहम्मदपुर	R – 41.1	W – 35.5	S – 4.9	M – 3 1
तहबरपुर	R – 35.5	W – 29 9	S – 7.3	A – 4.9
पल्हनी	W – 32 4	R – 28 2	S – 6 3	A – 5.0
रानी की सराय	W – 36.7	R – 30.1	S – 5.7	G – 4 4
सठियाँव	W – 41 2	R – 38 5	S – 7.2	A – 3.2
जहानागज	R – 46.2	W – 38 3	S – 4.5	G – 2 2
तहसील-आजमगढ़	R – 36.3	W – 35.8	S – 6.0	A – 3.7

संकेत R – चावल W – गेहूँ S – गन्ना M – मक्का

G – चना P – मटर A – अरहर

स्रोत – लेखपाल का खरीफ, रवी एवं जायद उपज ब्यौरा, तहसील आजमगढ़, 1990–91 से सगणित !

TAHSIL AZAMGARH
CROP-COMBINATION REGIONS
1992-93
N
RWSA
WRSM
WRSG
WRSAG
WRS
RWS
RW
CROP-COMBINATION REGIONS
TWO CROP
THREE CROP
FOUR CROP
FIVE CROP
R RICE
W WHEAT
S SUGAR CANE
M MAIZE
A ARHAR
G GRAM
4 0 4 8
Km

Fig 4 5

प्रदेश मे शस्य कोटि के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि तहसील में सकल फसली भूमि के 36 3 प्रतिशत भूमि पर चावल, 35 8 प्रतिशत भूमि पर गेहूँ, 6 0 प्रतिशत भूमि पर गन्ना तथा 3 7 प्रतिशत भूमि पर अरहर की कृषि की जाती है । इस प्रकार चावल को प्रथम तथा गेहूँ को दूसरा स्थान प्राप्त है । तहसील मे तीसरी कोटि पर गन्ना एव चौथी कोटि पर अरहर की कृषि की जाती है ।

विकास–खण्ड स्तर पर चावल को तीन विकास खण्डों मे प्रथम तथा चार विकास खण्डो में द्वितीय कोटि प्राप्त है, जबकि गेहूँ को चार विकास खण्डो में प्रथम तथा तीन में द्वितीय स्थान प्राप्त है । इस प्रकार स्पष्ट होता है कि चावल एवं गेहूँ की कृषि भूमि में बहुत ही कम का अन्तर है । गन्ना तीसरी कोटि मे है जो सभी विकास खण्डो में चावल एवं गेहूँ के बाद तीसरी विस्तृत फसल है। चौथी कोटि मे यह स्थान अरहर, मक्का एवं चना को सम्मिलित रुप से प्राप्त है तीन विकास खण्डो मे अरहर को चौथी कोटि प्राप्त है, तो मक्का एवं चना को दो-दो विकास खण्डों मे यह स्थान प्राप्त है ।

न्याय-पंचायत स्तर पर, तहसील की 67 न्याय पंचायतों में से 42 मे गेहूँ को प्रथम कोटि प्राप्त है जबकि चावल को यह स्थान 25 न्याय पचायतों में ही प्राप्त है । दूसरी कोटि में स्थिति ठीक इसके विपरीत है । जब कि तीसरी कोटि में गन्ना की कृषि की प्रधानता है जिसे 53 न्याय पंचायतों में यह कोटि प्राप्त है ।

(ब) शस्य-संयोजन प्रदेश

साख्यिकीय विधियों को आधार मानकर, फसल-सयोजन प्रदेश के निर्धारण का प्रयास अनेक पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वानों द्वारा किया गया है । विदेशी विद्वानों में वीवर[8], स्काट[9], जानसन[10], थामस[11], कोपैक[12] तथा दोई[13] की विधियाँ महत्वपूर्ण हैं । भारतीय भूगोल-वेत्ताओ में शस्य सयोजन का अध्ययन सर्व प्रथम बनर्जी[14] ने पश्चिमी-बंगाल के लिए, वीवर महोदय की संशोधित विधि को अपनाते हुये किया था । पंजाब मैदान के मालवा क्षेत्र के शस्य संयोजन प्रदेश का निर्धारण करते समय हरपाल सिह[15] ने भी वीवर महोदय की विधि को ही अपनाया था ।

पजाब मैदान के शस्य-सयोजन प्रदेश के सीमांकन हेतु दयाल[16] महोदय ने एक नयी विधि का प्रतिपादन किया जिसमे मुख्य फसलो के चयन हेतु 50% मापदण्ड का प्रयोग किया गया । इसी प्रकार राय,[17] अहमद तथा सिद्दीकी,[18] त्रिपाठी तथा अग्रवाल,[19] मण्डल[20], अय्यर[21], शर्मा,[22] र्नियानन्द[23] एव हुसेन[24] आदि विद्वानों ने दोई द्वारा प्रस्तावित सूत्र को शस्य-सयोजन हेतु भिन्न-भिन्न अध्ययन क्षेत्रो मे प्रयुक्त किया है । ज्ञातव्य है कि संयोजन प्रदेश के निर्धारण हेतु दोई तथा वीवर की विधियॉ अधिक महत्वपूर्ण हैं जिन्हे कुछ संशोधनों के साथ विद्वानो द्वारा समय-समय पर प्रयुक्त किया गया है । परन्तु इन विधियो का प्रयोग वहीं पर किया जा सकता है जहॉ सकल बोये गये क्षेत्र के 50% भूमि के अन्तर्गत दो या दो से अधिक फसलो का प्रतिनिधित्व हो । अत· प्रस्तुत अध्ययन मे इन दोनो विद्वानो द्वारा प्रतिपादित विधियो का प्रयोग नही किया गया है । अध्ययन प्रदेश मे इन विधियो द्वारा मात्र द्विफसली साहचर्य सम्पूर्ण क्षेत्र में निर्धारित हो सकता है । क्योकि गेहूॅ तथा चावल की फसल ही प्रत्येक न्याय पचायत में सकल बोये गये क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक भाग पर है ।

आजमगढ़ तहसील के शस्य संयोजन प्रदेश के निर्धारण हेतु एक अलग विधि का प्रयोग किया गया है । यदि किसी न्याय-पंचायत में उसके सकल बाये गये क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक भाग पर किसी एक ही फसल का आधिपत्य हो तो उसे एक फसली साहचर्य प्रदेश के अन्तर्गत रखा गया है । साथ ही न्याय पंचायतो के शस्य सयोजन प्रदेश में उतनी ही फसलो को सम्मिलित किया गया है जिनके द्वारा आच्छादित क्षेत्रों का योग 90 प्रतिशत तक है । यह मानक प्रतिशत तहसील के फसलो के क्षेत्रीय वितरण प्रतिरुप के आधार पर निर्धारित किया गया है ।

विकास खण्ड स्तर पर आच्छादित क्षेत्रों के 80 प्रतिशत मानक आधार पर तहसील में दो फसली से लेकर पॉच फसली तक कुल 4 प्रकार के शस्य संयोजन प्रदेश का निर्धारण किया गया है, जिनमें कुल सात फसलें-गेहूँ, चावल, गन्ना, मक्का, अरहर, चना, मटर, सम्मिलित हैं । विकास खण्ड स्तर पर एक फसली संयोजन किसी भी विकास खण्ड में नहीं है । जहानागंज दो फसली

प्रदेश के अन्तर्गत आता है । तीन फसली प्रदेश के अन्तर्गत सठियॉव एव मोहम्मदपुर तथा चार फसली प्रदेश के अन्तर्गत मिर्जापुर तहबरपुर एवं रानी की सराय को समाहित किया गया है (मानचित्र 4 5)।

(स) शस्य-गहनता

एक ही कृषि वर्ष में एक क्षेत्र पर जब एक से अधिक फसले पैदा की जाती है तो उसे शस्य-गहनता अथवा सघन-कृषि कहा जाता है । गहन-कृषि अथवा शस्य-गहनता भूमि उपयोग की तीव्रता को दर्शाता है । यदि किसी भी क्षेत्र मे सकल बोयी गयी भूमि, शुद्ध बोयी गयी भूमि से अधिक है तो शस्य-गहनता की स्थिति होती है । इनमें धनात्मक सह सम्बन्ध होता है । शस्य-गहनता सिंचाई, उर्वरक, तथा भूमि की उर्वराशक्ति आदि पर निर्भर करती है । शस्य-गहनता के आकलन के सम्बन्ध मे अनेक विद्वानो ने अपने विचार व्यक्त किए है जो मुख्यत. गहनता के क्षेत्रीय वितरण से सम्बन्धित है । डॉ० जसवीर सिह ने शस्य गहनता के आकलन हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया है ।

$$\text{शस्य-गहनता सूचकांक} = \frac{\text{कुल बोया गया क्षेत्र}}{\text{शुद्ध बोया गया क्षेत्र}} \times 100$$

प्रदेश मे शस्य-गहनता की गणना उपर्युक्त सूत्र के माध्यम से की गयी है । तहसील की औसत शस्य गहनता 158 4 प्रतिशत है । विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक शस्य गहनता रानी की सराय मे है । यहॉ शस्य-गहनता का प्रतिशत 181.07 , जहानागंज मे 174 57, सठियॉव 164 7, पल्हनी 156 87, तहबरपुर मे 149 89 तथा मोहम्मदपुर में 149 43 प्रतिशत है । शस्य-गहनता का न्यूनतम प्रतिशत मिर्जापुर हैं । यहाँ सकल भूमि का प्रतिशत शुद्ध भूमि के कुल भाग का मात्र 136 09 है । शस्य गहनता मे यह असमानता सिचाई की सुविधा, मिट्टी की उर्वरता तथा उर्वरको के प्रयोग मे क्षेत्रीय असमानता के कारण है (देखें तालिका 4.2) ।

4.6 कृषि के वर्तमान स्वरूप में हरित-क्रांति की भूमिका

स्वतंत्रतोपरान्त नियोजन काल मे भारतीय कृषि के विकास की दिशा में अनेक प्रयत्न किये गये जिनमे कृषि-विश्व-विद्यालयों की स्थापना, कृषि अनुसंधान सस्थाओं का विकास, नवीन कृषि

उपकरणो का प्रयोग, तथा सिचाई एव उर्वरको के प्रयोग मे तीव्र बृद्धि महत्वपूर्ण है । चौथी पचवर्षीय योजना मे कृषि विकास के लिए नयी कृषि रणनीति के अन्तर्गत अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम अपनाये गये । अभूतपूर्व सफलता से उत्पन्न प्रेरणा के कारण हरित-क्रान्ति का सूत्रपात हुआ ।

हरित-क्राति शब्द का सर्व प्रथम प्रयोग अमरीकी विद्वान डॉ० विलियम गैड ने किया । यह जैब प्राविधिकी के विकास का आरम्भिक चरण था । हरित-क्रान्ति से तात्पर्य कृषि कार्य के तरीकों में सुधार तथा कृषि उत्पादन में तीव्र बृद्धि करने से है । हरित-क्रान्ति से न केवल कृषि की निराशापूर्ण स्थिति और अनिश्चितता समाप्त हुयी बल्कि देश खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र मे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ । हरित क्रान्ति के प्रमुख घटक इस प्रकार है–

(अ) उच्च उत्पादकता एवं शीघ्र पकनेवाले उन्नतशील बीज

तहसील मे अधिकाशतः परम्परागत, निम्न उत्पादकता वाली, निर्वाहन कृषि का प्रचलन था । परन्तु वर्तमान समय में आवश्यकता एवं आविस्कार के फलस्वरूप एच० वाई० वी० (H.Y V) तथा शीघ्र पकने वाली किस्मों के बीजों का प्रयोग हो रहा है । इस प्रकार फसलों के प्रति हेक्टेअर उत्पादन के साथ-साथ कुल उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुयी है । अध्ययन प्रदेश में 90 प्रतिशत से भी अधिक भूमि पर एच० वाई० वी० किस्म के बीजों का प्रयोग हो रहा है । साथ ही शीघ्र तैयार होने वाली किस्मों के बीजो के (QUICK MATURING VARITIES) प्रयोग से एक ही वर्ष में एक भूमि पर कई फसलें पैदा कर ली जाती हैं । इस प्रकार अध्ययन प्रदेश की कृषि विकास को हरित-क्रान्ति से काफी सहयोग मिला ।

(ब) उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग

यदि पाचन-शक्ति हीन मानव को पौष्टिक आहार प्रदान किया जाय तो उसका प्रभाव स्वास्थ्य पर अनुकूल नही होगा । ठीक इसी प्रकार अच्छे बीज, पौध-संरक्षण, बहु-फसली एवं सघन कृषि कार्यक्रम रुपी तत्वों का प्रभाव तभी हो सकेगा जब भूमि की उर्वराशक्ति ठीक हो । भूमि की

उर्वराशक्ति में वृद्धि तभी सम्भव है जब भूमि को पर्याप्त एवं समयानुकूल उर्वरक प्राप्त हो । अन्य बाते सामान्य रहने पर भूमि मे एक टन उर्वरक के प्रयोग से खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 8 से 10 टन की वृद्धि होती है। अत. कृषि की उत्पादकता बढ़ाने मे उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है (तालिका 4 7) ।

प्रदेश मे रासायनिक उर्वरको के प्रयोग मे काफी वृद्धि हुयी है परन्तु अभी वाछित मात्रा में नहीं। तहसील मे 1990-91 में कुल 10295 मीट्रिक-टन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया जिसमे नाइट्रोजन की मात्रा 7449 मी० टन थी जो सम्पूर्ण उर्वरक का 72 4 प्रतिशत था । न्यूनतम प्रतिशत पोटाश का था, जो सम्पूर्ण उर्वरक का 4 7 प्रतिशत था, जबकि फास्फोरस का अंश 22 9 प्रतिशत था।

विकास-खण्ड स्तर पर उर्वरक का सबसे अधिक प्रयोग जहानागज मे होता है परन्तु प्रति हेक्टेअर उर्वरक का सबसे अधिक प्रयोग पल्हनी मे है । जहानागंज में प्रयोग किए गये उर्वरक मे नाइट्रोजन की मात्रा 77 0 प्रतिशत है जबकि पल्हनी मे 69 1 प्रतिशत। उर्वरकों में सबसे कम मात्रा पोटास की होती है । पल्हनी मे प्रति हेक्टेअर सर्वाधिक उर्वरक उपभोग का कारण वहॉ की नगरीय प्रवृत्ति एवं व्यापारिक कृषि की प्रधानता है ।

अध्ययन प्रदेश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन तहसील स्तर पर 279 किग्रा० है । विकास खण्ड स्तर पर प्रति व्यक्ति सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन जहानागंज में है । पल्हनी में खाद्यान्न उत्पादन न्यूनतम 197 किग्रा॰ है, जिसका मुख्य कारण मुद्रादायिनी फसलो का अधिक उत्पादन है ।

तहसील मे फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का उतना प्रयोग नहीं हो पा रहा है जितना वाछित है । इसका मुख्य कारण कृषकों की अशिक्षा, अदूरदर्शिता, निर्धनता तथा कृषि सम्बन्धी अज्ञानता है । वर्तमान समय में तहसील के प्रत्येक विकास खण्ड में एक-एक कीटनाशक डिपो कार्यरत है, जिसके प्रचार एवं प्रसार की तथा प्रभाव क्षेत्र को विकसित करने की आवश्यकता है ।

तालिका 4.7

तहसील आजमगढ़ में विकास खण्डवार उर्वरकों का उपयोग, 1990-91

तहसील / विकास खण्ड	कुल उर्वरक उपयोग (मीट्रिक टन)				प्रति हेक्टेअर उर्वरक का उपयोग (किग्रा०)	प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन (किग्रा०)	प्रति हेक्टेअर बोये गये क्षेत्र पर कृषि उत्पादन मूल्य प्रचलित भाव पर (रुपए)
	नाइट्रोजन	फास्फोरस	पोटास	योग			
वि० खण्ड मिर्जापुर	822	384	62	1268	74 8	214	5932
मोहम्मदपुर	1078	248	61	1387	64 0	323	5835
तहबरपुर	737	164	63	964	46 1	272	6088
पल्हनी	1248	438	120	1806	115.8	197	5711
रानी की सराय	989	416	58	1463	75 9	277	5812
सठियॉव	1105	331	61	1497	70 7	290	6249
जहानागज	1470	384	56	1910	81 9	372	5942
तहसील-योग	7449	2365	481	10295	75 6	277 9	5938 4

स्रोत – साख्यिकी पत्रिका,जनपद आजमगढ़, 1991 से सगणित ।

(स) कृषि का यन्त्रीकरण

कृषि के यन्त्रीकरण से तात्पर्य कृषि में लगने वाले पशु एव मानव-शक्ति को मशीनो द्वारा प्रतिस्थापित करने से है । यन्त्रो के प्रयोग से कृषि उत्पादन में बृद्धि तथा उत्पादन लागत में कमी आयी है । यन्त्रीकरण का ही प्रतिफल है कि पाश्चात्य देशों में हुयी कृषि-क्रान्ति की तुलना औद्योगिक क्रान्ति से की गयी[25]। तहसील मे कृषि का ढग आज भी परम्परागत एवं रुढ़िगत है, जिसका मुख्य कारक बड़े कृषको का अभाव तथा सीमान्त एवं लघु सीमान्त कृषको की प्रधानता है। वैज्ञानिक एव तकनीकी विकास के वाद भी तहसील में नवीन कृषि यन्त्रों का अभाव है । कृषि गणना 1990–91 के अनुसार तहसील में कुल हलों की संख्या 147497 है जिसमें 49409 लकड़ी, 28714 लोहे के हल तथा 69374 उन्नतशील हैरो एव कल्टीवेयर थे । इस प्रकार सम्पूर्ण हलों का 53 0 प्रतिशत आज भी परम्परागत देशी प्रकार का है । तहसील में 6131थ्रेसिग-मशीन, 295 स्प्रेयर, 1531 बोआई तथा 1499 ट्रेक्टर हैं ।[26] तहसील के मध्यवर्ती भाग में नगरीय प्रभाव एवं नवीन कृषि ढग के कारण यन्त्रीकरण कुछ अधिक हुआ है । यन्त्रीकरण से समय एव श्रम में बचत के साथ-साथ प्रति हेक्टेअर उत्पादन में भी वृद्धि हुयी है ।

(द) सिंचाई

वर्षा के अभाव मे खेतों को कृत्रिम ढग से जल-आपूर्ति की क्रिया को सिचाई करना कहा जाता है । भारत एक उष्ण कटिबन्धीय देश है जिसमें कृषि मुख्यत मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है । इस वर्षा की प्रकृति एवं उसके वितरण मे कई दोष पाये जाते है । इन दोषों को दूर करने का सर्वोत्तम साधन सिंचाई व्यवस्था है । भारत में वर्षा की अनिश्चितता के कारण अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक 6 वर्ष में एक बार सूखा पड़ जाता है । श्री लवडे के अनुसार अकाल पाँच वर्षों के चक्र पर और बड़े अकाल 50 वर्षो के चक्रो में पड़ते है। ये अकाल सम्बन्धित क्षेत्र की कृषि सम्बन्धी समूची अर्थ-व्यवस्था को ही अस्त-व्यस्त कर देते हैं और उनका सन्तुलन बिगाड़ देते हैं । प्रो० क्रेसी का यह कथन सर्वथा सत्य है कि ''किसी भी देश में इतने अधिक व्यक्ति वर्षा पर निर्भर नही रहते जितना भारत में, क्योंकि सामयिक वर्षा में जरा भी परिवर्तन होने से देश की सम्पूर्ण

समृद्धि ही रुक जाती है ।'' डार्लिंग के शब्दो मे इनके बिना खेत बिना जुते-बोये पड़े रहते है, खलिहान खाद्यान्नों के अभाव मे खाली पड़े रहते है । शाकाहारी देश में इससे अधिक दु.खदायी बात क्या हो सकती है कि यहॉ पशुओं के अभाव में घी, दूध, एवं पौष्टिक पदार्थो का उपयोग एवं पूर्ति स्वास्थ्य के हिसाब से कम हो जाती है ।

प्रदेश में शुद्ध सिचित क्षेत्रफल 63614 हेक्टेअर है जो सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का 54. 95 प्रतिशत, तथा शुद्ध बोये गये क्षेत्र का 72 52 प्रतिशत था । तहसील मे सर्वाधिक सिचित भूमि विकास खण्ड रानी की सराय में है, यहॉ शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत 88 92 है । न्यूनतम सिचित भूमि 63.22 प्रतिशत विकास खण्ड मिर्जापुर में है ।

तहसील मे सकल सिचित भूमि 74083 हेक्टेअर है जो शुद्ध सिचित क्षेत्र का 116 5 प्रतिशत है। यह प्रतिशत सर्वाधिक 124 4 विकास खण्ड तहबरपुर मे है । प्रदेश मे नहरो द्वारा सिचित क्षेत्र का शुद्ध सिचित क्षेत्र से प्रतिशत 19.9 है जबकि नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि, शुद्ध सिचित भूमि की 75 5 प्रतिशत है (तालिका 4 8) ।

प्रदेश में सिचाई के प्रमुख साधन नहरें एवं नलकूप है, परन्तु कुछ भूमि की सिचाई कुओं, रहटो, तालाबो एवं पोखरो द्वारा भी की जाती है । वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में इन साधनों का महत्व दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है । प्रदेश में कुओ की कुल संख्या 1530 है तथा रहटो की सख्या 66 है जिनसे 1342 हेक्टेअर भूमि की सिचाई की जाती है । जबकि तालाबो एव अन्य साधनो द्वारा 1582 हेक्टेअर भूमि की सिंचाई की जाती है । कुओ द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि 540 हे० मोहम्मदपुर में है। तालाबों एव अन्य साधनों द्वारा सर्वाधिक सिचित भूमि 578 हेक्टे मल्हनी में है।

I. नहरें

प्रदेश में सारदा सहायक परियोजना द्वारा निर्मित नहरों का जाल फैला हुआ है । वर्ष 1990-91 मे तहसील की कुल सिचित भूमि में नहरों द्वारा सिचित भूमि का प्रतिशत 19.9 था । विकास खण्ड स्तर पर नहरों द्वारा सिचित सर्वाधिक भूमि 62.6 प्रतिशत तहबरपुर में थी । तहबरपुर मे नहरों द्वारा

तालिका 4.8

तहसील आजमगढ़ में कुल सिंचित भूमि का प्रतिशत, 1991

तहसील / विकास-खण्ड	सकल सिचित क्षेत्र का शुद्ध सिचित क्षेत्र से प्रतिशत	शुद्ध सिचित क्षेत्र का शुद्ध बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत	नलकूपों द्वारा सिचित भूमि का शुद्ध सिचित क्षेत्र से प्रतिशत	नहरो द्वारा सिचित भूमि का शुद्ध सिंचित भूमि से प्रतिशत
वि० ख० मिर्जापुर	116.4	63 22	77 5	18 3
मोहम्मदपुर	112 6	66 06	66 9	22 8
तहबरपुर	124 4	65.15	34 2	62 6
पल्हनी	118 6	69 89	88.8	2.9
रानी की सराय	114 1	88 92	73 8	20 2
सठियॉव	116 3	79 13	99 5	—
जहानागंज	114.1	78 42	87 2	11 7
योग तहसील	116 5	75 52	75 5	19 9

स्रोत — सांख्यिकीय पत्रिका,जनपद आजमगढ़,1991 से संगणित ।

सिचित भूमि में असाधारण वृद्धि का कारण सरकारी एवं निजी नलकूपो का अभाव है । पल्हनी एव सठियॉव मे नहरों द्वारा सिचित भूमि 29 प्रतिशत से भी कम है ।

प्रदेश में सिचाई खण्ड के दो उपखण्ड 32 एवं 2 कार्यरत हैं । इसके अन्तर्गत प्रमुख नहरें रानी की सराय माइनर, बसही-सोफीपुर माइनर, कपसा-खरकौली माइनर तथा जहानागंज माइनर प्रमुख हैं। नहरों की तहसील में कुल लम्बाई 591 किमी है, जिसमे नहरों की सबसे अधिक लम्बाई मोहम्मदपुर विकास खण्ड में है, परन्तु नहरो द्वारा सर्वाधिक सिचित भूमि तहबरपुर में है । सिचित भूमि की दृष्टि से रानी की सराय का स्थान तृतीय है । तहसील में नहरों द्वारा सिचित कुल भूमि 12648 हेक्टेअर है, जिसमें से 5685 हेक्टेअर अकेले तहबरपुर में है । प्रदेश मे छोटी-छोटी नदियों जैसे सीलनी, मगई एवं कुँवर आदि का जल भी सिचाई के लिए प्रयोग किया जाता है । कही-कहीं पर ये नहरे जल विभाजक के रुप मे हैं, जो बॉगर एवं खादर भूमि के मध्य स्पष्ट सीमांकन का कार्य करती हैं । नहर की पटरियॉ यातायात-मार्ग के रुप में भी प्रयोग की जाती हैं । बसही-सोफीपुर मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अधिकृत भी है जो वास्तव में नहर की पटरी ही है (तालिका 4.9 एवं मानचित्र 4.6) ।

II. नलकूप

नहरों में जलापूर्ति की अनिश्चितता के कारण प्रदेश में पिछले दशक में नलकूपो की संख्या में काफी वृद्धि हुयी है । तहसील में सरकारी अथवा राजकीय नलकूपों की सख्या 98 है, जिनसे 923 हेक्टेअर भूमि की सिचाई की जाती है । सर्वाधिक 32 सरकारी नलकूप सठियॉव में है, जिससे 95 हेक्टेअर भूमि की सिचाई की जाती है । पल्हनी विकास खण्ड में नलकूपों की संख्या 22 है, जिनसे सिंचित भूमि का आँकड़ा उपलब्ध नहीं हो सका है । तहसील के कुछ प्रमुख नलकूप गौरा, मघरसिया, सेमरी, फरिहा, पल्हनी, भदुली, नीवी, कोटिला, टुइवल, रानीपुर-रजमो, आवंक, लप्सीपुर, गोधौरा, बरहतिल-जगदीशपुर, मुबारकपुर, एवं सठियाँव आदि स्थानों पर हैं ।

प्रदेश मे निजी नलकूपों की कुल संख्या 19478 है, जिनमें 11496 पंपिग सेट है । निजी नलकूपो से तहसील में 47119 हेक्टेअर भूमि की सिचाई होती है । तहसील के कुल सिचित भूमि की 75.5

तालिका 4.9

आजमगढ़ तहसील में विभिन्न साधनों द्वारा सिंचित भूमि का विवरण, 1990–91 (हेक्टेअर)

सिंचाई के साधन (क्षेत्रफल एवं संख्या)	मिर्जापुर	मोहम्मदपुर	तहबरपुर	पल्हनी	रानी की सराय	सठियॉव	जहानागंज	आजमगढ़ तहसील
नहरें क्षेत्रफल	1440	2185	5685	201	1910	—	1227	12648
लम्बाई	107	204	74	53	57	32	64	591
राजकीय नलकूप								
क्षेत्रफल	3	144	—	—	439	95	242	923
संख्या	8	8	3	22	14	32	11	98
निजी नलकूप								
क्षेत्रफल	6100	6270	3108	6170	6553	10026	8892	47119
संख्या	822	806	1207	1258	1180	1422	1287	7982
(पपिग सेट) संख्या	2188	2933	1382	1345	1069	1209	1370	11496
कुएँ क्षेत्रफल	183	540	285	—	182	56	96	1342
संख्या	12	272	852	—	278	20	96	1530
(रहटों की सख्या)	—	—	—	—	17	1	48	66
तालाब एवं अन्य साधन								
क्षेत्रफल	150	445	—	578	387	—	22	1582
कुल सिंचित भूमि	7876	9584	9078	6949	9471	10177	10479	63614

स्रोत — सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद आजमगढ़, 1991 से संगणित ।

TAHSIL AZAMGARH
IRRIGATION
RIVER AND CANAL SYSTEM
1992-93
N
TONS RIVER
KUNWAR R
MAGAI R
PHARIHA DY
RANI KI SARAI DY
NIZAMABAD DY
TANDA MAIN CHANNEL
SULTAN PUR BR
Km
RIVER
CANAL
IRRIGATION WORKS TAHSIL AZAMGARH
Sharda Sahayak Feeder Channel
SHARDA RIVER
GHAGHARA RIVER
Sharda Br
Girija Br
Faizabad
Phoolpur
Kedarpur escape
Tanda Canal km 74 0
Link Channel
Molanapur Escape
Kharcauli
Kaptangang mr

Fig. 4 6

प्रतिशत भूमि नलकूपों द्वारा सिचित है नलकूपों द्वारा सिचित सर्वाधिक भूमि 99 5 प्रतिशत सठियॉव विकास खण्ड में है । पपिग सेटो की सर्वाधिक सख्या 2933 मोहम्मदपुर मे है ।

(य) चकबन्दी एवं जोतों का आकार

कृषि मे कुशलता एवं अर्थ-व्यवस्था मे सुधार लाने के लिए गॉवो मे भूमि के बिखरे हुये जोतों की चकबन्दी आवश्यक होती है । वर्ष 1962 में चकबन्दी कार्य समाप्त होने के उपरान्त पुनः1980 से चकबन्दी कार्य प्रारम्भ हो गया है जिसके अगले 4 वर्षो में समाप्त होने की सम्भावना है । चकबन्दी के माध्यम से ही जोतों के आकार में वृद्धि एवं जलापूर्ति के लिये नालियो एवं आवागमन के लिए पगडण्डियो की व्यवस्था सम्भव हो पाती है । जिनके द्वारा ही कृषि विकास सम्भव होता है ।

प्रदेश मे जोतों के आकार एवं संख्या के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सीमान्त एवं लघु सीमान्त जोतो की अधिकता है,जो बढ़ती हुयी जनसंख्या, संयुक्त-परिवार प्रथा के विघटन तथा भूमि के प्रति लगाव आदि का सम्मिलित प्रतिफल है । जोत का आशय उस समग्र भूमि से है जिसके कुल या आंशिक भाग पर कृषि उत्पादन एक तकनीकी इकाई के तहत केवल एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियो के साथ किया जाता है । तकनीकी इकाई से तात्त्पर्य उत्पादन के साधनों तथा उसके प्रबन्धन से है [27] (देखे तालिका 4.10)।

कृषि गणना 1991 के अनुसार तहसील में जोतों की कुल संख्या 134506 थी जिसका क्षेत्रफल 98679 हेक्टेअर था । तहसील में सीमान्त जोतों की संख्या सर्वाधिक 79 7 प्रतिशत थी जिससे तहसील की मात्र 38.6 प्रतिशत भूमि ही आती थी । लघु सीमान्त जोतो की संख्या 11.6 प्रतिशत थी जिसमें 19.7 प्रतिशत भूमि थी । जोतों की सबसे कम संख्या वृहद् सीमान्त की थी । यह तहसील की 13 प्रतिशत भूमि को घेरे हुये था।अर्द्ध सीमान्त जोतों की संख्या 4 8 प्रतिशत तथा क्षेत्रफल 15 7 प्रतिशत है ।

विकास खण्ड स्तर पर सीमान्त जोतों की सबसे अधिक सख्या रानी की सराय मे तथा सबसे कम सख्या मोहम्मदपुर में थी जो क्रमशः17755 एवं 12931 है । लघु सीमान्त जोतों की सर्वाधिक

तालिका 4.10

आजमगढ़ तहसील में जोतों का आकार (हेक्टेअर में) एवं संख्या 1990-91

जोत-आकार	मिर्जापुर	मोहम्मदपुर	तहबरपुर	पल्हनी	रानी की सराय	सठियॉव	जहानागंज	तहसील आजमगढ़	कुल जोत का पतिशत
1 सीमान्त									
(1 हेक्टेअर से कम)									
संo–	13560	12931	15210	13761	17755	16460	17533	107210	79 7
क्षेo–	4979	4471	6087	5011	5156	6138	6198	38040	38 6
2 लघु सीमान्त संo–	2087	2001	2216	2115	2291	2413	2481	15604	11 6
(1 हेo से 2 हेo) क्षेo–	2380	2312	2801	2271	2416	3616	3661	19457	19 7
3. अर्द्ध सीमान्त-संo–	892	876	1089	891	1032	865	864	6509	4 8
(2 हेo से 3 हेo) क्षेo–	2251	2203	2387	2257	2286	2065	2039	15488	15 7
4. मध्यम सीमान्त-संo–	447	391	423	440	534	567	655	3457	2 60
(3 हेo से 5 हेo) क्षेo–	1616	1698	1862	1633	1706	2151	2197	12863	13 0
5. वृहद सीमान्त संo–	205	216	214	287	292	222	290	1726	1 3
(5 हेo से अधिक) क्षेo–	1907	1896	1947	1853	1872	1657	1699	12831	13 0
सम्पूर्ण योग सख्या–	17191	16415	19152	17494	21904	20527	21823	134506	100
क्षेत्रफल –	13133	12580	15084	13025	13436	15627	15794	98679	100

स्रोत – 1. सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद आजमगढ़, 1991 से संगणित ।

2. वार्षिक ऋण योजना, यूनियन बैंक, जनपद आजमगढ़, 1992 से सगणित ।

सख्या जहानागंज में, न्यूनतम संख्या मोहम्मदपुर में है जो क्रमशः 2481 एव 2001 है । जबकि क्षेत्रफल जहानागज मे 3661 हेक्टेअर है । बृहद सीमान्त जोतों की सर्वाधिक संख्या-जहानागंज मे 290 है जिसके अन्तर्गत 1699 हेक्टेअर भूमि समाहित है । तहबरपुर में जोतों की संख्या 287 तथा क्षेत्रफल 1853 हेक्टेअर है ।

(र) पशुपालन, मत्स्यपालन एवं कुक्कुटपालन

तहसील की अर्थव्यवस्था मे कृषि की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने, तथा लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में पशुपालन, मत्स्यपालन एव कुक्कुटपालन का महत्वपूर्ण योगदान है । तहसील मे तालाबो एवं पोखरों में सरकारी केन्द्रो से लाये गये मत्स्य-शिशुओं का विकास किया जा रहा है । तहसील में मत्स्य-बीज के कुल 1241 केन्द्र हैं । व्यक्ति एवं संयुक्त परिवार की अर्थ व्यवस्था को इस व्यवसाय ने पिछले दशक में काफी प्रभावित किया है । तहसील में स्थित इन 1241 तालाबें एवं पोखरों में मत्स्य पालन कार्य यद्यपि विकसित है परन्तु आवश्यकता अथवा मांग की पूर्ति इनके द्वारा सम्भव नहीं हो पाती है । कुक्कुट पालन का विकास अधिकतम नगरीय क्षेत्रों तक ही सीमित है । ग्रामीण स्तर पर उचित-देखरेख के अभाव एवं रोगो के भय से इसका वांछित विकास नहीं हो पा रहा है । यहॉ के तालाबों एवं पोखरों में मुख्यतः रोहू, नैना, सिल्वर, ग्रास – कार्प, भाकुर, बी-ग्रेड आदि मछलियॉ पाली जाती हैं । तहसील में मुर्गे एवं मुर्गियो की कुल संख्या 113187 है जबकि कुल कुक्कुट की संख्या 118845 है ।

पशुपालन की दृष्टि से अध्ययन प्रदेश जनपद मे प्रथम स्थान पर है । तहसील मे दूध देने वाले, बोझ ढोने वाले पशुओं के साथ-साथ मांस वाले पशुओं की भी प्राप्ति होती है । पशुओं में मुख्यत. गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़े, सूअर, आदि है । तहसील में वर्तमान समय में पशुओं की कुल संख्या 351627 है, जिसमें 28063 पशु नगरीय है । तहसील मे जनपद के कुल पशुओ का 27.4 प्रतिशत भाग है । पशुओं में देशी गाय 96372, क्रास-ब्रीड गाय 68031 है । इस प्रकार कुल गायों की संख्या 164403 है जो जनपद के कुल गायों का 26 8 प्रतिशत तथा तहसील के कुल पशुओं का 46 8

प्रतिशत है । तहसील मे कुल महषि सख्या 59346 है जो जनपद की 24 23 प्रतिशत तथा तहसील के कुल पशुओ की 16 9 प्रतिशत है । तहसील में भेड़ों की कुल संख्या 27859, बकरा-बकरी की कुल सख्या 51369, घोड़ों की सख्या 2153, सूअरो की कुल सख्या 13139 है ।तहसील में अन्य पशुओं की संख्या 33310 है जो सम्पूर्ण पशुओं का 9 5 प्रतिशत है । प्रदेश मे सम्पूर्ण पशुओ मे नगरीय पशुओ का प्रतिशत 8 0 है ।

4.7 कृषि-सुविधाओं का स्वरूप

क्षेत्र में समुचित कृषि विकास एवं सुख-सुविधा के लिए कृषि-सुविधाओ जैसे पशु चिकित्सालय, गर्भाधान केन्द्रो, शीत गृहों, बीज एवं उर्वरक गोदामों, तथा क्रय-विक्रय केन्द्रो आदि की आवश्यकता पड़ती है । तहसील आजमगढ़ में इनके विकास हेतु प्रयास अवश्य किये गये परन्तु वांछित सफलता प्राप्त न हों सकी । तालिका 4 11 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इस सुविधाओं हेतु अधिकाश गावों को 5 किमी० या उससे अधिक दूरी तय करनी पड़ती है । तहसील में गर्भाधान केन्द्रों की सख्या मात्र 8 है ।

तालिका 4.11

कृषि सुविधाओं का ग्राम स्तरवार विवरण, 1990-91

तहसील/ विकास खण्ड में सुविधाएँ	गांवों में उपलब्ध	1 किमी० पर उपलब्ध	1–3 किमी० पर उपलब्ध	3 – 5 किमी० पर उपलब्ध	5 किमी० पर या इससे अधिक दूर उपलब्ध
मिर्जापुर :–					
1 शीत–गृह	—	—	—	—	100
2 बीज/उर्वरक गोदाम	5.70	15 9	43 18	25 0	10 22
3 पशु-चिकित्सालय	2 27	3 98	45 45	21 59	26 71
4 क्रय–विक्रय केन्द्र	—	—	—	—	100

मोहम्मदपुर :–					
1. शीत–गृह	—	—	—	—	100
2 बीज/उर्वरक गोदाम	6 25	16.40	28 13	32 81	16 41
3 पशु-चिकित्सालय	3 91	10.94	20 31	2 34	62 50
4 क्रय–विक्रय केन्द्र	—	—	—	—	100
तहबरपुर –					
1 शीत–गृह	0.57	—	—	3 43	96 0
2 बीज/उर्वरक गोदाम	6.86	20 57	22 28	22 86	27 43
3 पशु-चिकित्सालय	1.71	4.57	6 86	8.00	78 86
4 क्रय–विक्रय केन्द्र	—	—	—	—	100
पल्हनी .–					
1 शीत–गृह	3.13	1.25	10 0	21.25	64.37
2 बीज/उर्वरक गोदाम	6.25	13 12	38.13	31 25	11.25
3 पशु-चिकित्सालय	3 75	6.87	18.13	23 75	47 5
4 क्रय–विक्रय केन्द्र	—	—	—	—	100
रानी की सराय :–					
1 शीत–गृह	0 55	4.42	16.02	18.23	60 78
2 बीज/उर्वरक गोदाम	4 42	14 36	24.86	25 97	30 39
3 पशु-चिकित्सालय	3.87	14 91	40.88	26.52	13 82
4 क्रय–विक्रय केन्द्र	0 55	7 73	27.62	16.58	57.52

सठियॉव .–					
1 शीत–गृह	—	—	—	0 8	99 2
2 बीज/उर्वरक गोदाम	7 20	24 8	28 8	22 4	16 8
3 पशु-चिकित्सालय	4.0	1 6	22 4	16 0	56 0
4 क्रय–विक्रय केन्द्र	—	—	—	—	100
जहानागज –					
1 शीत–गृह	—	—	—	—	100
2 बीज/उर्वरक गोदाम	5 88	18 24	28 82	31 76	15 30
3 पशु-चिकित्सालय	1 76	9 41	18.24	35 30	35 29
4 क्रय–विक्रय केन्द्र	—	—	—	—	100
तहसील आजमगढ़ :–					
1 शीत–गृह	0 63	0 90	4 30	6.64	87.53
2 बीज/उर्वरक गोदाम	6 01	17.40	30.67	27 35	18 57
3 पशु-चिकित्सालय	2 96	7 62	25.11	19 82	44.49
4 क्रय–विक्रय केन्द्र	0 09	1 26	4 48	2.69	91 48

स्रोत – साख्यिकीय पत्रिका, जनपद आजमगढ़, 1991 से संगणित ।

तहसील मे शीत गृहों की अपर्याप्तता है । तहसील के 87.53 प्रतिशत गांवो को यह सुविधा 5 किमी० या इससे अधिक दूरी पर उपलब्ध है । मात्र 0 63 प्रतिशत ही गाँव ऐसे है जिन्हे शीत-गृहों की सुविधा गॉव में ही उपलब्ध है । विकास खण्ड स्तर पर जहानागंज मिर्जापुर एव मोहम्मदपुर के शत प्रतिशत गॉवों को ही 5 किमी० या इससे भी अधिक दूरी तय करना पड़ता है । शीत गृहों की सर्वाधिक उत्तम सुविधा पल्हनी में है,यहाँ के मात्र 64.37 प्रतिशत गॉवों को ही 5 किमी० या इससे अधिक दूरी तय करना पड़ता है । 3.13 प्रतिशत गॉवों को यह सुविधा गाँव मे ही उपलब्ध है ।

प्रदेश मे क्रय–विक्रय केन्द्रों के सम्बन्ध मे स्थिति और भी दयनीय है। तहसील के 91 48 प्रतिशत गॉवो को क्रय-विक्रय केन्द्र की सुविधा 5 किमी० या इससे भी अधिक दूरी पर प्राप्त होती है। मात्र 0 09 प्रतिशत गॉवों को गॉव में तथा 4 48 प्रतिशत गॉवों को 1-3 किमी० पर यह सुविधा प्राप्त होती है। विकास-खण्ड स्तर पर क्रय-विक्रय केन्द्र की सर्वाधिक सुलभता रानी की सराय मे है। यहॉ के 47 52 प्रतिशत गॉवो को 5 किमी० या इससे अधिक दूरी पर, 27.62 प्रतिशत गॉवो को 1-3 किमी० की दूरी पर, 16 58 प्रतिशत गॉवो को 3-5 किमी० की दूरी पर क्रय-विक्रय केन्द्र की सेवा उपलब्ध है। गॉव मे ही इसकी सेवा मात्र 0 55 प्रतिशत गॉवों को ही उपलब्ध है। शेष छ. विकास खण्डों के शत प्रतिशत गॉवों को ही क्रय-विक्रय केन्द्र तक पहुँचने के लिए 5 किमी० या उससे भी अधिक दूरी तय करना पड़ता है।

तहसील में बीज/उर्वरक गोदाम एवं पशु-चिकित्सालय के सम्बन्ध में स्थिति कुछ भिन्न है। तहसील मे मात्र 18 57 प्रतिशत गॉवों को ही बीज/उर्वरक गोदाम के लिए 5 किमी० या इससे अधिक दूरी तय करना पड़ता है। 30 67 प्रतिशत गॉवों को 1-3 किमी० तक तथा 27 35 प्रतिशत गॉवों को 3- 5 किमी० तक दूरी तय करना पड़ता है, जबकि 6 01 प्रतिशत गॉवो को यह सुविधा गॉव मे ही प्राप्त हो जाती है। विकास-खण्ड स्तर पर सर्वाधिक सुविधाजनक स्थिति मिर्जापुर की है।

प्रदेश में पशु-अस्पतालो की स्थिति भी सन्तोष जनक नहीं है। तहसील के 44 49 प्रतिशत गॉवो को पशु-चिकित्सालय की सुविधा 5 किमी० या इससे अधिक दूरी पर उपलब्ध है। गॉवों मे इस सुविधा को प्राप्त करने वाले गॉवों का प्रतिशत मात्र 2 96 है। 25.11 प्रतिशत गॉव इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए 1 – 3 किमी० की दूरी तय करते है। विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक उत्तम स्थिति रानी की सराय की है। यहाँ के मात्र 13 82 प्रतिशत गॉवो को ही 5 किमी० या इससे अधिक दूरी की यात्रा करना पड़ता है।

प्रदेश मे सातवीं योजना के अन्तर्गत, ग्रामीण कम्पोस्ट टेक्नालाजी पर पायलट-स्केल' का प्रदर्शन आयोजित किया गया। **प्रजनक बीज,मूल बीज एवं प्रमाणिकृत** बीज का अन्वेषण तीन चरणों में पूरा हुआ। कृषि विकास के लिए उन्नत बीजों का उत्पादन , सिचाई सुविधा का विकास,

विशेषकर भूमिगत जल श्रोत का उपयोग, उर्वरको का पर्याप्त और सन्तुलित उपयोग, आवश्यकता पर आधारित पौध-संरक्षण कार्यक्रम, कृषि मे काम आने वाली वस्तुओं जिसमें निजी एवं संस्थागत वित्तीय संगठनों से प्राप्त होने वाला ऋण भी शामिल है की सुव्यवस्थित एव नियमित आपूर्ति जैसे अनेक कार्यक्रमो को अपनाया गया । इसके अतिरिक्त शिक्षण-प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को विज्ञान एवं तकनीकी से अवगत कराने तथा संगठनों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास किए गये । गॉवो के कमजोर वर्गो की दशा सुधारने हेतु विशेष कार्यक्रमों पर जोर दिया गया । भारतीय कृषि अनुसधान परिषद ने कृषि विभागों के सहयोग से तिलहन के उत्पादन को तेज करने के लिए 'टेक्नोलाजी-मिशन' विकसित किया । इस मिशन के द्वारा तिलहनों के उत्पादन मे बृद्धि करने तथा खाद्य तेलों के भारी आयात को कम करने का प्रयास किया गया । देश के भूतल एव भूमिगत जल संसाधनो के विकास एवं नियमन के लिए नीतियों एवं कार्य-क्रमों का निर्धारण किया गया ।

4.8 कृषि-विकास नियोजन

किसी क्षेत्र-विशेष की कृषि सम्बन्धी समस्याओ का निराकरण करते हुये उस क्षेत्र का समन्वित विकास करना ही कृषि नियोजन का सर्वप्रथम उद्देश्य है । प्रदेश में कृषि सम्बन्धी अनेक जटिल समस्याये है । तहसील आजमगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल का 86.25 प्रतिशत भाग कृषि योग्य है । परन्तु 51 7 प्रतिशत भूमि ही दो-फसली है । जायद की कृषि मात्र 1.04 प्रतिशत भूमि पर ही की जाती है । इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अध्ययन प्रदेश की कृषि पिछड़ी हुयी स्थिति में है । यह पिछड़ापन अधिक उपज देने वाली किस्मों के उन्नतशील बीजों, उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओ, नवीन कृषि उपकरणों के कम प्रयोग तथा सिचाई की अपर्याप्तता के कारण है । नयी कृषि नीति के अध्ययन प्रदेश में कम प्रचलन का कारण, लघु एवं सीमान्त कृषकों की अधिकता, जोतों के आकार का छोटा-होना, अशिक्षा के कारण कृषको मे नयी कृषि नीति की ग्राह्य क्षमता में कमी, परिवहन एव सचार व्यवस्था का अविकसित स्थिति में होना तथा विपणन केन्द्रो की कमी है । अतःतहसील में कृषि के बहुमुखी विकास के लिए, बहुफसली एवं सिंचित भूमि में बृद्धि, फसल प्रतिरुप में यथा

सम्भव परिर्वतन, मिश्रित कृषि, मिश्रित फसल एव गहन कृषि तथा नवीन कृषि पद्धतियो को विकसित करना आवश्यक है ।

(अ) भूमि-उपयोग के वर्तमान स्वरुप में सुधार

प्रदेश में कृषि को सर्वोपयोगी बनाने के लिए सर्वप्रथम शुद्ध बोये गये एवं सकल बोये गये भूमि मे विस्तार करना आवश्यक है । सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल की 2 01 प्रतिशत भूमि कृषि योग्य बंजर, 4 43 प्रतिशत वर्तमान परती, 3 49 प्रतिशत अन्य परती तथा 1 73 प्रतिशत भूमि ऊसर है, जिसे आधुनिकतम प्रयासों द्वारा सहज ही सिंचाई एवं उर्वरको के प्रयोग से कृषि योग्य बनाकर शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल में बृद्धि की जा सकती है ।

(ब) कृषि का वाणिज्यीकरण एवं गहनीकरण

प्रदेश की कृषि मुख्यत : जीविकोपार्जन तक ही सीमित है । फसल-प्रतिरुप के अध्ययन से भी स्पष्ट होता है कि तहसील मे धान्य फसलों मुख्यतः गेहूॅ एवं चावल की प्रधानता है । अन्य फसलो में गन्ना आलू, मक्का, चना, मटर, दलहन एव तिलहन प्रमुख है, जिनका उत्पादन घरेलू उपयोग तक ही सीमित है । अध्ययन प्रदेश मे बहुसख्यक जनता का जीवन स्तर ऊँचा उठाने के लिए इन फसलों का उत्पादन व्यापारिक दृष्टि से करना होगा । तहसील मे इन फसलो के उत्पादन के लिए सभी भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल हैं ।

व्यापारिक फसलों की उपज में बृद्धि से कृषि आधारित उद्योगों एवं कृषि-आधारित जनसख्या को प्रोत्साहन प्राप्त होगा । कच्चे मालो की आपूर्ति से किसानो को मुद्रा प्राप्त हो सकेगी तथा दूसरी तरफ कृषि के वाणिज्यीकरण से ग्रामीण मंडियो के विस्तार एवं समन्वय की प्रक्रिया तेज होगी और कृषि प्रधान इस क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर उपलब्ध हो सकेंगे ।

ग्रामीण अंचलों में भूमि की उर्वरा-शक्ति नष्ट होने की आशंका ने प्रदेश की कृषि को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है । क्षेत्र में शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का मात्र 58 9 प्रतिशत भाग ही द्विफसली है । क्षेत्र की शस्य गहनता भी मात्र 158 4 प्रतिशात है । इस कमी का एक मुख्य कारण

सिचाई के साधनों एव उर्वरको तथा कृषि यन्त्रो का अभाव है । गर्मियो मे नहरों की जलापूर्ति बाधित होने एवं भूमिगत जल स्तर के काफी नीचा होने के कारण प्रदेश मे सिचाई की समस्या पैदा हो जाती है । इस प्रकार इन मौसमों मे कृषि असम्भव हो जाती है । अत शस्य गहनता में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि सिंचाई सुविधाओं का विकास एवं मिट्टी की उर्वराशक्ति को बनाये रखने के लिए फसल-चक्र जैसे कार्यक्रमों को सर्वजन सुलभ बनाया जाय । इस कार्यक्रम को सुलभ बनाने के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण भी आवश्यक है । इसके लिए तहसील की दशाओ केअनुरुप बहुफसली तीन वर्षीय फसल चक्र का सुझाव दिया जा रहा है (तालिका 4 12) ।

(स) कृषि एवं पशु-पालन सेवा केन्द्रों का स्थानिक नियोजन

अध्ययन प्रदेश में कृषि एव पशु-पालन सेवा केन्द्रों को उपलब्ध कराने वाले केन्द्रों की पर्याप्त कमी है । अत· इन सुविधाओ को सम्पन्न कराने वाले केन्द्रो की अवस्थिति का नियोजन प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है । इनकी अवस्थिति का प्रस्ताव सम्बन्धित सुविधाओ की कार्याधार जनसंख्या, उनके बीच परस्पर दूरी तथा क्षेत्र में उसकी रिक्तता को ध्यान मे रखकर किया गया है । इसके अन्तर्गत बीज गोदाम, उर्वरक भण्डार, कीटनाशक डिपो, शीत भण्डार, कृषि सेवा केन्द्र, पशु-चिकित्सालय, पशु-विकास केन्द्र, पशु-गर्भाधान केन्द्र, सूअर-विकास केन्द्र, भेड़ विकास केन्द्र, पौल्ट्री यूनिट, कृषि ऋण सहकारी समितियाँ तथा बैंक प्रमुख है (देखें तालिका 4 11) ।

उन्नतशील बीज, उर्वरक, तथा कीटनाशक दवाएँ प्रत्येक वर्तमान एवं प्रस्तावित विकास केन्द्रो पर उपलब्ध होनी चाहिए । सम्पूर्ण तहसील में 14 नये पशु अस्पताल/डिस्पेसरी–खरकौली, ओरा, रानीपुर-रजमों, गोधौरा, निजामाबाद आदि स्थानों पर खुलने चाहिए तथा ये पशु अस्पताल कृत्रिम गर्भाधान जैसे प्राविधानों से युक्त होने चाहिए ।

प्रदेश में वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली इकाइयों की स्थिति सन्तोष जनक नहीं है । कृषि ऋण प्रदान करनेवाली सहकारी समितियों का गठन प्रत्येक न्याय पंचायत एवं प्रस्तावित विकास केन्द्रों पर होना चाहिए ।

तालिका 4.12

आजमगढ़ तहसील हेतु प्रस्तावित फसल-चक्र

मिट्टी की किस्मों	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1. दोमट मिट्टी	धान/गेहूँ/ गन्ना पौध	गन्ना / पेड़ी [TAROOR]	गेहूँ/ हरा चारा
2. मटियार-दोमट मिट्टी	मक्का / आलू/ गेहूँ/ मूँग	धान / गेहूँ तिलहन / गन्ना पौध	गन्ना पेडी
3. बलुई मिट्टी	अरहर / मोटे अनाज / तरबूज / खरबूज	मूँगफली / हरा चारा / मूँग	मंक्का / आलू/ सूर्यमुखी
4. बलुई-दोमट मिट्टी	हरा चारा / आलू / सब्जियाँ	मक्का / अरहर अगहनी / गेहूँ/हरा चारा	धान / चना / मटर / चन्ना

विपणन एव भण्डारण की सुविधाओ के लिए प्रत्येक वर्तमान एवं प्रस्तावित विकास केन्द्रो पर एक-एक ग्रामीण गोदाम तथा सहकारी क्रय केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए । इसके अतिरिक्त प्रत्येक विकास खण्ड पर एक-एक तथा ग्रामीण अचलो में एक-एक शीत-भण्डार की व्यवस्था होनी चाहिए । इन आवश्यक सुविधाओं के उपलब्ध होने पर क्षेत्र के कृषि विकास को निश्चय ही एक नयी दिशा और गति मिलेगी तथा प्रदेश एक उन्नतशील कृषि व्यवस्था का प्रारुप प्राप्त कर सकेगा।

(द) आधारभूत् कृषि सुविधाओं की उपलब्धता

क्षेत्र मे कृषि के वांछित विकास हेतु आवश्यक सुविधाओं को विकसित करना आवश्यक होगा। तहसील मे वर्तमान समय में 24 बीज/उर्वरक भण्डार, 88 कृषि समितियॉ, 9 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, 7 थाने, 64 ग्रामीण गोदाम, 7 कीटनाशक डिपो, 7 शीत भण्डार, कृषि मण्डी समिति, 892 गोबर गैस संयन्त्र, 73 कृषि सेवा केन्द्र, 5 भेड़ विकास केन्द्र, 2 सूअर विकास केन्द्र,41 ध्यावसायिक बैंक, 21 संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैक, 9 सहकारी बैक, 40 बस स्टाप, 23 राष्ट्रीयकृत बैंक तथा 32 पंचायत घर कार्यरत हैं। तहसील के नगरीय क्षेत्र में भी 69 सस्ते गल्ले की दुकान, 4 बीज गोदाम, 20 कृषि सेवा केन्द्र, 1 पशु चिकित्सालय 1 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, 13राष्ट्रीयकृत बैक, 2 गैरराष्ट्रीयकृत बैक, 7 ग्रामीण बैंक, 1 भूमि विकास बैंक कार्यरत है। परन्तु तहसील मे कृषि भूमि पर प्रति हेक्टेअर उत्पादन बढ़ाने हेतु कुछ आवश्यक कदम उठाने होगे, जैसे-सिंचाई,गहनता मे बृद्धि, उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं की उपलब्धता, उन्नतशील एवं शीघ्र पकने वाले बीजों की व्यवस्था, कृषि की नवीन पद्धतियों आदि का प्रयोग, कृषि का व्यावसायीकरण, भण्डारण तथा विपणन आदि सेवाएं प्रमुख है । इनका व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन आवश्यक है (देखे मानचित्र 4 7)।

(1) सिंचाई

किसी भी क्षेत्र की भूमि उपयोग क्षमता,द्विफसली भूमि, प्रति हेक्टेअर उत्पादन, शस्य प्रतिरुप, शस्य-गहनता, आदि को सिचाई के साधन काफी प्रभावित करते हैं। तहसील की शुद्ध सिंचाई भूमि

TAHSIL AZAMGARH
SPATIAL PATTERN OF BANKING FACILITIES
1991
N
TAHBARPUR
MIRZAPUR
PALHANI
SATHIYAON
RANI KI SARAI
JAHANAGANJ
MOHAMMADPUR
BANKING FACILITIES
EXISTING
PROPOSED
LAND DEVELOPMENT BANKS
DISTRICT CO-OPERATIVE BANKS
OTHER NATIONALIZED BANKS
REGIONAL GRAMIN BANKS
4 0 4 8
Km

Fig. 4.7

63614 हेक्टेअर है तथा सकल सिंचित भूमि 74083 हेक्टेअर है । शुद्ध सिचित भूमि का प्रतिशत शुद्ध बोये गये क्षेत्र का 72 5 प्रतिशत है । भविष्य मे कृषि के वांछित एव गहन कृषि प्रणाली के लिए तहसील की 85 प्रतिशत भूमि का सिंचित होना आवश्यक है । तहसील में सिचाई के प्रमुख साधनों नहरों एवं नलकूपों में वृद्धि आवश्यक है । विकास खण्ड स्तर पर न्यूनतम सिचित भूमि 63 22 प्रतिशत मिर्जापुर में है । सिंचाई की उत्तम सुविधा रानी की सराय (88 92), सठियॉव (79 13) तथा जहानागंज (78.42) में है । शेष विकास खण्डों में सिंचाई के साधनों मे अविलम्ब वृद्धि की आवश्यकता है । ओरा न्याय पंचायत, रानीपुर-रजमो, मिर्जापुर मे सिचाई के साधनों में वृद्धि अत्यन्त आवश्यक है ।

कई विकास खण्डों जैसे तहबरपुर, मोहम्दपुर, मिर्जापुर एवं जहानागंज मे राजकीय नलकूपो की अत्यन्त कमी है । विद्युत एवं डीजल की आपूर्ति कम होने तथा नहरों में जलापूर्ति की अनिश्चितता के कारण आवश्यक मात्रा में सिचाई सम्भव नहीं हो पाती है । सिचाई व्यवस्था को जन सुलभ बनाने हेतु नये नलकूपों एवं नहरों के निर्माण के साथ-साथ डीजल एव विद्युत आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाय । नहरों में जलापूर्ति की अनिश्चितता को समाप्त किया जाय ।

(2) उर्वरक एवं उन्नतशील बीजों का प्रयोग

प्रदेश में कृषि नवीकरण (Innovation) की सुविधा शिक्षण एवं प्रशिक्षण के द्वारा ही सम्भव है । कृषि उत्पादन में बृद्धि हेतु उर्वरक एवं उन्नतशील बीज, आवश्यक-आवश्यकता के रुप में सिद्ध हो चुके है । उर्वरक के नाम पर कृषक यूरिया, डाई एवं पोटास तक ही सीमित रहते है, जबकि मिट्टी की जॉच करके, आवश्यकतानुसार ही उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए । इसके लिए आवश्यक है कि विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर मृदा-परीक्षण प्रयोगशालाओ की स्थापना की जाय, जिससे कृषकों को इसकी सुविधा सुगमता पूर्वक प्राप्त हो सके ।

सरकारी प्रचार-प्रसार तथा शिक्षण-प्रशिक्षण के बावजूद भी तहसील में सीमान्त एवं लघु सीमान्त कृषको द्वारा उन्नतशील बीजों का प्रयोग वांछित स्तर तक नहीं है । इसका मुख्य कारण बीजों का

मंहगा होना, समय से उपलब्ध न हो पाना, तथा विश्वसनीयता का अभाव है। तहसील के 8-10 प्रतिशत सम्पन्न कृषक ही इन बीजों का प्रयोग कर पाते हैं। अत. आवश्यकता इस बात की है कि उन्नतशील बीजों को सरकार द्वारा उचित मूल्य पर असमर्थ कृषकों को उपलब्ध कराया जाय तथा इनके प्रयोग के लिए सभी कृषकों को प्रोत्साहित किया जाय। सर्वेक्षण से स्पष्ट हो गया है कि इतनी ही भूमि पर उचित उर्वरकों के प्रयोग, सिंचाई एवं नई कृषि नीति द्वारा सम्पूर्ण उत्पादन मे 50 प्रतिशत की बृद्धि सम्भव है।

(3) कीटनाशक दवाएँ एवं नवीन कृषि-यन्त्र

उन्नतशील बीजों के प्रयोग एवं नहरों द्वारा सिचित भूमि मे वृद्धि के साथ ही विभिन्न बीमारियों एवं विभिन्न प्रकार के खर-पतवार में अचानक बृद्धि हुयी है। इस बीमारियों के निवारण हेतु तहसील मे कीटनाशक दवाओं की उपलब्धता आवश्यक है। खरपतवार को समाप्त करने के लिए दवाओं का प्रयोग करते समय उचित ज्ञान आवश्यक है, जिससे दवाओ का फसलों पर हानिकारक प्रभाव न पड़ सके। प्रदेश की सहकारी समितियो एवं कीटनाशक डिपो के माध्यम से इसकी पूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। निर्धन कृषकों को ये सुविधाएँ उपलब्ध कराना सरकार का प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिए। तहसील मे विकास खण्ड स्तर पर फसल प्रदर्शनी का आयोजन होना चाहिए, जिनसे किसानों को इस सम्बन्ध में सम्यक जानकारी दी जा सके।

प्रदेश में कृषि का वैज्ञानिक यन्त्रीकरण करके अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकताहै। कुछ सम्पन्न कृषकों के पास तो ट्रैक्टर, थ्रैसर, नलकूप, मेस्टर-हल, कल्टीवेटर हैरो, सीड-कम-फर्टिलाइजर, ड्रिल, सिंह-हेण्ड-हो, तथा पहियेदार-हो आदि नवीन कृषि उपरण उपलब्ध है। परन्तु सीमान्त एवं लघु सीमान्त कृषकों के लिए ये यन्त्र दुर्लभ हैं। इन यन्त्रों की सुविधा कृषकों को प्रदान करने केलिए विकास खण्ड एवं सहकारी समितियो द्वारा सहायता दी जानी चाहिए। हल्के एव आवश्यक उपकरणों को खरीदने के लिए सहकारी समितियों द्वारा निम्न ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अति निर्धन कृषकों को इसके लिए सरकारी अनुदान भी प्रदान करना चाहिए।

(4) फसल-बीमायोजना

दैवी एवं मानवीय आपदाओं के समय कृषको को क्षति से राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा फसल-बीमा योजना का क्रियान्वयन किया गया है । प्रदेश मे भी सीमान्त एव लघु सीमान्त कृषको को इससे कुछ लाभ पहुँचा है । यह योजना धान, गेहूँ, मोटे अनाज, गन्ना, दलहन, तथा तिलहन फसलो पर और भी व्यापक रुप मे लागू की जानी चाहिए । फसल बीमा योजना मे निर्धन एव असहाय कृषकों के लिए बीमा शुल्क की ५० प्रतिशत राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा बहन की जानी चाहिए । साथ ही राज्य सरकारो द्वारा भी कुछ अनुदान प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। इसके व्यापक प्रचार-प्रसार की भी आवश्यकता है ।

(5) कृषि-साख

प्रदेश में कृषि को आधुनिकतम् एव सर्वजनसुलभ करने के लिए जिन सुविधाओं एवं आवश्यकताओ की उपलब्धता महत्पूर्ण होती है उनको सीमान्त एव लघु सीमान्त कृषको द्वारा क्रय करना सम्भव नही है । अत. इनके लिए उन्हे सस्ते-ब्याज-दर पर ऋण उपलब्ध कराना आवश्यक होता है । कृषकों को ऋण, कृषि-ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा ही प्राप्त हो सकता है । तहसील में ऋण वितरित करने वाली संस्थाओ मे भूमि विकास बैंक, जिला सहकारी बैक, ग्रामीण बैक तथा प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियॉ आदि प्रमुख हैं । अधिकाश कृषि सहकारी समितियाँ तथा अन्य बैक कु प्रबन्ध के शिकार हैं । इनकी ब्याज की दर ऊँची है तथा ऋण लेने के लिए जमानतदार की आवश्यकता होती है,जो निर्धन किसानो के लिए एक दुरुह कार्य है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि ऋण वितरण प्रणाली में पर्याप्त सुधार किया जाय । बैकों द्वारा आसान किस्तों में तथा निम्न ब्याजदर पर समय-समय पर ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

अध्ययन प्रदेश में कृषि के स्वरुप को आकर्षक एव व्यावसायिक बनाने हेतु अधिक उपज कार्यक्रम प्रर्वतन की आवश्यकता है । जिन व्यावहारिक कठिनाइयो के कारण क्षेत्र में वांछित स्तर पर उत्पादन नहीं हो पा रहा है, उन्हें दूर किया जाना चाहिए । उन्नत कृषि के लिए मृदा-परीक्षण एवं शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है । भूमि को सरक्षण प्रदान करते हुये मृदा-अपरदन, क्षारीयता, अम्लीयता, तथा अनुत्पातदकता को रोकना,अति

महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए । यद्यपि प्रदेश मे योजनाए प्रदर्शित की जा चुकी हैं, तथापि पौध-संरक्षण हेतुआवश्यक संसाधन तथा उपाय किसानो को उपलब्ध नही हो पा रहे है । अत इन समस्याओं का निराकरण अविलम्ब-आवश्यक है, जिससे क्षेत्र अपनी कृषि सम्बन्धी पूर्ण क्षमता का प्रर्दशन कर सके ।

सन्दर्भ

1 **PATHAK, R. K.** ENVIRONMENTAL PLANINING RESOURCES AND DEVELOPMENT, CHUGH PUBLICATIONS, ALLAHABAD, 1990, p 43

2 **MC MASTER, D.N** . A SUBSISTANCE CROP GEOGRAPHY OF UGANDA, THE WORLD LAND-USE SURVEY-OCCASIONAL PAPERS, NO-2, GEOGRAPHICAL PUBLICATIONS, 1962, P IX

3 **सिंह, व्रजभूषण** कृषि भूगोल, ज्ञानोदय प्रकाशन, गोरखपुर, 1988, पृष्ठ 165

4 **कुमार, पी०** तथा **शर्मा, एस० के०** . कृषि भूगोल; मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल 1985, पृष्ठ. 408

5 **DAYAL, E.** CROP COMBINATIONS REGIONS , A STUDY OF THE PUNJAB PLAINS, TEJ SCHRIFT VOOR ECONOMISCHE, SOCIAL GEOGRAPHY, VOL58, 1967, p 39

6 **HUSSAIN, M.** CROP COMBINATION IN INDIA, CONCEPT PUBLICATION COMPANY, NEW-DELHI, 1982 p 61

7 **AHMED, A. AND SIDDIQUI M.F.** CROP-ASSOCIATION PATTERNS IN THE LUNI BASIN, THE GEOGRAPHER, VOL XIV 1967, p 68

8 **WEAVER, T.C.** CROP COMBINATION REGIONS IN THE MIDDLE-WEST, GEOGRAPHICAL REVIEW, 44, 1954, p 175

9 **SCOTT, P.** THE AGRICULTURAL REGIONS OF TASMANIA, ECONOMIC GEOGRAPHY, 33, 1957, pp 109-121.

10 **JOHNSON, B.L.C.** CROP COMBINATION REGIONS IN EAST PAKISTAN, GEOGRAPHY 43, 1958, PP-86-103

11 **THOMAS, D.** AGRICULTURE IN WALES DURING THE NEOPLEANIC-WAR, CRADIFF, 1963, pp 80-81

12 **COPPACK, J. T.** :CROP-LIVE STOCK, AND ENTERPRISES COMBINATIONS IN ENGLAND AND WALES, ECONOMIC GEOGRAPHY, 40, 1964, pp-65-81

13 **DOI, K.** THE INDUSTRIAL STRUCTURE OF JAPANESE PREFECTURE, PROCEEDINGS OF I G U REGIONAL CONFERENCE IN JAPAN 1957-59, pp 310-316

14 **BANERJEE, B.** · CHANGING CROP LAND OF WEST BENGAL, GEOGRAPHICAL REVIEW OF INDIA, VOL 24 NO 1, 1964

15 **SINGH, HARPAL** CROP COMBINATION REGIONS IN MALWA TRACT OF PUNJAB, DECCAN GEOGRAPHER, VOL 3, NO.1, 1965 pp 21-30

16 **DAYAL, E.** CROP-COMBINATION REGIONS, A CASE STUDY OF PUNJAB PLAIN, NEATHERLAND, JOURNAL OF ECONOMIC AND SOCIAL GEOGRAPHY, VOL 58, 1967, pp 39-47

17 **ROY, B.K.** CROP ASSOCIATION AND CHANGING PATTERN OF CROPS IN THE GANGA-GHAGHARA DOAB, EAST, N G J I VOL XIII, 1967, pp 194-207.

18 पूर्वोक्त सन्दर्भ सख्या 7 पृष्ठ. 68

19 **TRIPATHI, V.K. AND AGRAWAL, V.** CHANGING PATTERN OF CROP LAND-USE IN THE LOWER GANGA-YAMUNA DOAB THE GEOGRAPHER, VOL XV 1968, pp.128-140

20 **MANDAL, B.** CROP COMBINATION REGIONS OF NORTH-BIHAR, N G J I VOL XV, pp 125-137

21 **AYYAR, N.P.** CROP-REGIONS OF MADHYA PRADESH, A STUDY IN METHODOLOGY, GEOGRAPHICAL REVIEW OF INDIA, 1969, pp 1-19

22 **SHARMA, T.C.** PATTERN OF CROP LAND-USE IN UTTAR PRADESH, DACCAN GEOGRAPHER, 1972, pp 1-17

23 **NITYANAND** CROP COMBINATION IN RAJESTHAN, GEOGRAPHICAL REVIEW OF INDIA, 1982, pp 61-86

24 पूर्वोक्त सन्दर्भ सख्या 6, पृष्ठ 61-86.

25 **दत्त, आर० एवं सुन्दरम, के० पी० एम०** . भारतीय अर्थ-व्यवस्था, एस० चन्द्र एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 1990, पृष्ठ 587

26 सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद आजमगढ़, 1991

27 **MALONE, C.C.** . BACKGROUND OF INDIAN AGRICULTURAL AND INDIAN'S INTENSIVE AGRICULTURE PROGRAMME, NEW-DELHI 1969

28 वार्षिक ऋण योजना, यूनियन बैंक, जनपद आजमगढ़, 1991

29 लेखपाल खसरा विवरण एवं फसली विवरण, जनपद आजमगढ़, 1991

30 जिला जनगणना हस्त पुस्तिका, जिला सूचना एव विज्ञान केन्द्र, जनपद आजमगढ़, 1991

* * * * *

अध्याय पाँच

औद्योगिक स्वरुप एवं विकास-नियोजन

5.1 विषय प्रवेश

कृषि भारतीय अर्थ-तन्त्र की धुरी है। पिछले दशक में आधुनिक साधनों के प्रयोग से कृषि के परम्परागत एव रुढ़िवादी स्वरुप मे परिवर्तन परिलक्षित होने लगे है। परन्तु जनसंख्या-बृद्धि के कारण देश की अर्थव्यवस्था मे मात्र कृषि का विकास ही पर्याप्त नहीं है। अतः स्वतन्त्रता के बाद, खाद्यान्न उत्पादन में स्वावलम्बन प्राप्त कर बढ़ती हुयी जनसंख्या के लिए रोजगार सृजन करने, कृषि क्षेत्र पर बढ़ रहे दबाव को कम करने एवं प्रति व्यक्ति औसत-आय बढ़ाने के लिए यह आवश्यक हो गया कि प्रदेश में उद्योगो का विकास तीव्र-गति से किया जाय।

उद्योग के अन्तर्गत मानव के प्रायः सभी क्रिया-कलापों को ही सम्मिलित किया जाता है। परन्तु उद्योग का शाब्दिक अर्थ मानव के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध कार्य से है। अतः प्राथमिक उत्पाद से प्राप्त कच्ची सामग्री को शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्ति द्वारा परिचालित औजारों की सहायता से पूर्व निर्धारित एवं नियन्त्रित प्रक्रिया द्वारा किसी इच्छित रुप, आकार अथवा विशेष गुण-धर्म वाली वस्तु मे परिणत करना ही उद्योग है। इस प्रक्रिया में अतिसाधारण वस्तुओं से लेकर भारी से भारी एव जटिलतम क्रिया-विधि से निर्मित उद्योगो के उत्पादों को सम्मिलित किया जाता है।[1]

अध्ययन प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति-प्रदान करने के लिए सन् 1979 में तहसील मुख्यालय आजमगढ़ में जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना की गयी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्षेत्र के समस्त उद्यमियों को सारी सुविधाएँ एक स्थान पर सम्यक् रुप से उपलब्ध कराना है। जिला-उद्योग केन्द्र के तत्वावधान मे स्वतः रोजगार, मार्जिनमनी ऋण, राज्य पूँजी उत्पादन, बिक्रीकर छूट, औद्योगिक आस्थान की स्थापना, औद्योगिक सहकारी समितियों का गठन, पावरलूम पंजीकरण तथा विद्युत उत्पादन आदि कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। प्रदेश में तृतीय पंचवर्षीय योजना से ही औद्योगिक विकास पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया जाने लगा है।

प्रदेश मे अभी तक हुआ औद्योगिक विकास अधिकांशतः शहर केन्द्रित रहा है। लघु उद्योग भी प्राय नगरोन्मुख सेवा केन्द्रों के उद्योगो मे प्रयोग किये जाने वाले कलपुर्जों का ही निर्माण करते है। नये रोजगार के अवसरो के सृजन सीमित रहे है, तथा इनके द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुएँ मुख्यत समाज मे समृद्ध वर्ग की आवश्यकताओं की ही पूर्ति करती हैं।[2]

प्रदेश मे क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने और ग्रामीण क्षेत्र का समुचित विकास सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान औद्योगिक स्वरुप में नये मानदण्डों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है।

अध्ययन प्रदेश राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा गठित वी० डी० पाण्डेय समिति द्वारा निर्धारित, औद्योगिक रुप से पिछले, आजमगढ़ जनपद की एक तहसील है। उद्योगों के नाम पर यहाँ कुछ गृह एव कुटीर उद्योगों का ही विकास हुआ है। इनमें परम्परागत शिल्प कौशल पर आधारित उद्योगों में कृषि उत्पादो का प्रयोग कर स्थानीय मॉग अभिप्रेरित वस्तुओं एवं सामानों का उत्पादन किया जाता है। बड़े उद्योगो के नाम पर मात्र एक चीनी मिल, 'द किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड सठियॉव' है। प्रदेश के नगर मुबारकपुर मे सिल्क एवं साड़ियों का कार्य तथा निजामाबाद में काली मिट्टी के बर्तनो का निर्माण कार्य विश्व प्रसिद्ध है।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के उन्नयन के लिए तथा जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण बढ़ती श्रमशक्ति को स्थानीय रुप से रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कृषि पर आधारित श्रम प्रधान उद्योगो का विकास आवश्यक है। ऐसे किसी भी विकास नियोजन में कृषि पर आधारित उद्योगों की भूमिका निर्णायक होती है। इसके द्वारा ही किसी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में स्थायित्व आ सकेगा तथा उसका बहुमुखी विकास होगा। इससे न केवल ग्रामीण प्रतिभाओं और पूँजी के पलायन पर नियन्त्रण रखा जा सकता है बल्कि कृषि, सिंचाई, परिवहन और संचार आदि क्षेत्रों के विनियोग और उत्पादन में वृद्धि होती है।

5.2 क्षेत्रीय-औद्योगिक स्वरुप

औद्योगिक इकाइयो की स्थापना की दृष्टि से यह क्षेत्र एक पिछड़ा प्रदेश है। वृहद् तथा मध्यम स्तरीय उद्योगो के नाम पर मात्र एक उद्योग 'द किसान सहकारी मिल लिमिटेड सठियाँव' स्थापित

है। लघु एव कुटीर उद्योगो के रुप मे प्रदेश की स्थिति कुछ ठीक है । मुबारकपुर का हथकरघा उद्योग विश्व-प्रसिद्ध है । इसके अतिरिक्त क्षेत्र में खाद्य-तेल लघु-इन्जीनियरिग, सीमेंट जाली, सिलाई, कढ़ाई, रेडीमेड-गारमेन्ट्स, ईट, प्रिटिग-प्रेस, मसाला तथा होजरी उद्योग आदि से सम्बन्धित लघु इकाइयॉ कार्यरत है (तालिका 5 1 एव मानचित्र 5 1)।

तालिका 5.1

आजमगढ़ तहसील में विकास खण्डवार औद्योगिक-जनसंख्या का स्वरुप, 1991

क्रमाक	तहसील/विकास खण्ड	कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या	गृह कार्यो मे सलग्न कुल जनसंख्या	गृह कार्य में संलग्न जनसंख्या का मुख्य कार्यशील जनसंख्या से प्रतिशत
1	मिर्जापुर	34754	663	1.91
2	मोहम्मदपुर	35883	475	1 33
3	तहबरपुर	32122	535	1 70
4	पल्हनी	37156	1086	2.92
5	रानी की सराय	31969	680	2.13
6	सठियॉव	43909	10910	24.85
7	जहानागंज	32255	2124	6.60
	योग तहसील	248048	16473	6.64

स्रोत – जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, जनपद आजमगढ़, 1991.

सारणी 5 1 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि तहसील में कुल कार्यशील जनसंख्या 248048 है, जिसमे से 16473 लोग गृह उद्योग में लगे हैं । इस प्रकार प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का

TAHSIL AZAMGARH
PROPORTION OF HOUSEHOLD INDUSTRIAL
WORKERS TO TOTAL MAIN WORKERS
1991
N
WORKERS IN PER CENT
< 1·5
1 5 – 3·0
3·0 – 4 5
> 4·5
4 0 4 8
Km

Fig. 5·1

मात्र 6 64 प्रतिशत भाग ही गृह उद्योगो में लगा है। विकास खण्ड स्तर पर यह प्रतिशत सर्वाधिक सठियॉव मे है। यहॉ कुल कार्यशील जनसंख्या का 24.84 प्रतिशत भाग गृह उद्योगों में लगा है, जबकि जहानागज की 6 6, पल्हनी की 2 92, रानी की सराय की 2 13,तथा मिर्जापुर की 1 91 प्रतिशत जनसंख्या ही गृह उद्योगो में लगी है। यह प्रतिशत तहबरपुर में 1.7 तथा मोहम्मदपुर में मात्र 1 33 है। स्मरणीय है कि तहसील मे गृह उद्योगों में लगी जनसंख्या का यह प्रतिशत सठियॉव विकासखण्ड में गृह उद्योगों में लगी जनसंख्या के प्रतिशत से स्पष्टतः प्रभावित है। सठियॉव विकास खण्ड मे उच्चतम प्रतिशत का मुख्य कारण चीनी मिल तथा मुबारकपुर मे हथकरघा उद्योग है। न्याय पचायत स्तर पर भी सठियॉव, अमिलों तथा पल्हनी में यह प्रतिशत तहसील के औसत से अधिक है।

5.3 उद्योगों का वर्गीकरण

प्रदेश मे विभिन्न प्रकार के उद्योगों को बृहद्, मध्यम, लघु, पूरक, अति लघु तथा खादी एवं ग्रामोद्योग स्तरों में विभाजित किया गया है।

(अ) बृहद् एवं मध्यम स्तरीय उद्योग

ऐसी इकाइयॉ जिनमें यन्त्र एवं संयन्त्र पर 2 करोड़ रुपये से अधिक पूँजी विनियोजित हो, बृहद् स्तरीय उद्योग के अन्तर्गत आती हैं। ऐसी इकाइयॉ जिनपर 2 करोड़ रुपये से कम परन्तु 60 लाख रुपये से अधिक लगा हो मध्यम स्तरीय उद्योग के अन्तर्गत आयेंगी।

प्रदेश मे एक मात्र बृहद् स्तरीय उद्योग सठियॉव विकासखण्ड मे कार्यरत है। 'द किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड सठियॉव', रेलवे स्टेशन सठियाँव से लगभग 100 मीटर दक्षिण की ओर स्थित है। इस कारखाने से सर्व प्रथम उत्पादन 1975 में प्रारम्भ हुआ। 31 मार्च 1975 तक इस उद्योग में 256000 रु० के सामान तथा 18189562 रु० अन्य खर्च के रुप में विनियोजित हो चुका था।[3] सठियॉव चीनी मिल की स्थापना के बाद ही इस क्षेत्र में विकास की किरणों का संचार हुआ, कृषि एवं उद्योग-जगत दोनों में ही परिवर्तन की शुरुआत हुई। वर्तमान समय में इस इकाई में 414 0 लाख रुपये की पूँजी का विनियोजन हुआ है तथा 691 लोगों को सीधे रोजगार प्राप्त है। प्रदेश में मध्यम स्तरीय उद्योगों का अभाव है।[4]

(ब) लघु / लघुत्तर/ पूरक उद्योग

ऐसी इकाइयॉ जिनमे स्थिर परिसम्पत्तियो के रुप में संयन्त्र एवं मशीनरी पर 60 लाख रुपये से अधिक की पूँजी न लगी हो, लघु उद्योग इकाइयों की श्रेणी में आती हैं। ऐसे उपक्रम जिनमें स्थिर पसिम्पत्तियो के रुप मे सयंत्र एवं मशीनरी पर 2 लाख से अधिक की पूँजी न लगी हो और जो 1981 की जनगणना के अनुसार 50 हजार से कम आबादी वाले कस्बों व गाँवों में स्थित हों, को लघुत्तर उद्योग के अन्तर्गत रखा जाता है। 30 मई 1990 तक लघु उद्योगों में संयन्त्र और मशीनरी में पूँजी विनिवेश की सीमा 35 लाख रुपये थी परन्तु 31 मई 1990 को यह सीमा बढ़कर 60 लाख कर दी गयी। पूरक उद्योग में स्थिर परिसम्पत्तियों की पूँजी सीमा 75 लाख रु. है। [5]

प्रदेश में लघु एवं लघुत्तर इकाइयों की कुल संख्या 764 है जिनमें 295 इकाइयॉ नगरीय क्षेत्र में है (तालिका 5 2 एवं मानचित्र 5.2)।

तालिका 5.2

आजमगढ़ तहसील में लघु / लघुत्तर इकाइयों की विकास-खण्डवार स्थिति, 1991-92

तहसील / विकास-खण्ड	इकाइयों की सख्या
विकास खण्ड मिर्जापुर	99
मोहम्मदपुर	51
तहबरपुर	21
पल्हनी	52
रानी की सराय	89
सठियाँव	82
जहानागज	75
नगर पालिका आजमगढ़	223
नगर पालिका मुबारकपुर	72
योग तहसील ग्रामीण	469
नगरीय	295
योग	764

स्रोत – जनपद प्रोफाइल, जिला उद्योग केन्द्र, जनपद आजमगढ़, 1991-92

N
TAHSIL AZAMGARH
INDUSTRIES
1991
Tahbarpur
Mirzapur
Rani ki Sarai
Palhani
Sathiyaon
Jahanaganj
Mohammadpur
EXISTING PROPOSED
SUGAR INDUSTRY
RICE MILLS
FLOUR MILLS
DALL MILLS
OIL MILLS
DAIRY UNITS
LEATHER TANNERY
ELECTRICAL GOODS
SOAP UNITS
PAPER INDUSTRY
AUTO SERVICING UNITS
CANDLE UNITS
AGRICULTURAL IMPLIMENTS
HAND LOOM & POWER LOOM
POTTERY
PLASTIC & CHEMICAL GOODS
LIGHT ENGINEERING UNITS
4 0 4 8
Km

Fig. 5 2

विकास खण्ड स्तर पर सर्वाधिक इकाइयॉ मिर्जापुर एवं रानी की सराय में हैं। यहॉ पर कुल 89 इकाइयॉ स्थापित है । जबकि मिर्जापुर मे 99, सठियॉव में 82 तथा जहानागंज में 75 इकाईयॉ स्थापित है । नगरीय क्षेत्र आजमगढ़ मे सर्वाधिक 223 इकाइयॉ कार्यरत है । इनके अंतर्गत खाद्य तेल, इन्जीनियरिग उद्योग, काष्ठकला उत्पाद, सीमेन्ट जाली उद्योग, मशीनरी उपकरण एवं मशीनरी मरम्मत उद्योग, सिलाई-कढ़ाई उद्योग, रेडीमेड-गारमेन्ट्स, बेकरी, प्रिन्टिंग प्रेस, ईट उद्योग तथा बीड़ी उद्योग आदि से सम्बन्धित इकाइयाँ प्रमुख है ।

(1) इन्जीनियरिग उद्योग

औद्योगिक इकाइयों की सख्या की दृष्टि से इन्जिनियरिग उद्योग का तहसील में प्रथम स्थान है । प्रदेश मे इसकी कुल 132 इकाइयॉ कार्यरत है जिसमें से 46 नगरीय क्षेत्र में है । इन्जीनियरिग उद्योग की सर्वाधिक इकाइयॉ पल्हनी एवं रानी की सराय विकास खण्डों में हैं । यहॉ पर इनकी संख्या क्रमश. 26 एवं 14 है । तहबरपुर विकास खण्ड में इनकी संख्या 11 है । इन औद्योगिक इकाइयों में ग्रिल, चैनल-गेट, खिड़की, दरवाजे, लोहे की अलमारियाँ, कुर्सी एवं मेज आदि का निर्माण किया जाता है ।

(2) मशीनरी उद्योग

प्रदेश मे इसकी कुल 112 इकाइयॉ कार्यरत हैं । सर्वाधिक 52 इकाइयॉ नगरीय क्षेत्र आजमगढ़ एवं मुबारकपुर में स्थापित हैं । इसमे कृषि औजार, इलेक्ट्रानिक सामानों की मरम्मत, सिलाई मशीन, आटो एवं अन्य वाहनों की मरम्मत सम्बन्धी कार्य सम्पन्न होते है । पल्हनी विकास खण्ड में सर्वाधिक 21 इकाइयॉ कार्यरत हैं । तहबरपुर में मात्र 6 इकाइयॉ स्थापित हैं ।

(3) काष्ठ-कला उत्पाद उद्योग

इन इकाइयो में लकड़ी की वस्तुओं, मेज, कुर्सी, दरवाजे, चौखट, कृषि उपकरणों, तथा अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुओं का निर्माण होता है । तहसील में इसकी 76 इकाइयाँ कार्यरत हैं । आजमगढ़ नगरीय क्षेत्र में 21 तथा तहबरपुर में 6 इकाइयाँ कार्यरत हैं ।

(4) सीमेंट जाली उद्योग

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता के फलस्वरुप पिछले वर्षो में प्रदेश में सीमेंट जाली उद्योग का काफी विकास हुआ । वर्तमान समय में तहसील में सीमेंट जाली उद्योग की कुल 74 इकाइयाँ कार्यरत हैं/ सर्वाधिक इकाइयाँ तहसील मुख्यालय पर एवं सठियॉव विकास खण्ड में स्थापित की गयी है । भवन निर्माण में गवाक्षो मे लगने वाली जालियों के अतिरिक्त, चौका एवं नाद का भी निर्माण किया जाता है ।

(5) खाद्य तेल एवं खाद्य पदार्थ उद्योग

प्रदेश में इनकी कुल 71 इकाइयाँ कार्यरत है । इनसे तेल एवं खली, आटा एवं चावल आदि से सम्बन्धित कार्य सम्पादित होते है । इनका विकास खण्ड स्तर पर विस्तार लगभग समान रुप से पाया जाता है । पल्हनी में 6, रानी की सराय में 5 तथा तहबरपुर में 7इकाइयॉ स्थापित है । नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक 34 इकाइयॉ स्थापित है ।

(6) सिलाई, कढ़ाई एवं रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग

इन इकाइयों में वस्त्रों की सिलाई, कढ़ाई, रेडीमेड कपड़ो एवं आभूषण सम्बन्धी कार्य सम्पन्न होता है । अध्ययन प्रदेश मे इसकी कुल 70 इकाइयॉ है जिनमें 28 रेडीमेड गारमेंट्स की हैं । विकास खण्ड स्तर पर पल्हनी में 7, मिर्जापुर में 6, रानी की सराय में 9, मोहम्मदपुर में 7, तहबरपुर में 6, जहानागज में 9, तथा सठियॉव में 1 इकाई कार्यरत है । शेष आजमगढ़ एवं मुबारकपुर क्षेत्र में स्थित है ।

(7) प्लास्टिक एवं अन्य उद्योग

प्रदेश में इसकी कुल 26 इकाइयाँ कार्यरत हैं । इन इकाइयों में पालीथीन, झोले, बोरियां तथा अन्य हल्के समानों का निर्माण होता है । इसकी 21 इकाइयाँ तहसील के नगरीय क्षेत्र में स्थापित हैं।

प्रदेश में इन प्रमुख उद्योगों के अतिरिक्त 32 ईंट उद्योग, 22 चर्म उद्योग, 14 प्रिंटिंग प्रेस, 12 साबुन उद्योग, 12 बेकरी उद्योग, 8 मसाला उद्योग, 6 मोमबत्ती उद्योग तथा 4 टाइल्स उद्योग से

सम्बन्धित इकाइयॉ कार्यरत है। अन्य उद्योगों में होजरी, कारपेट, स्टूडियो, बीड़ी आदि की भी इकाइयॉ स्थापित हैं।

इस प्रकार प्रदेश में उद्योगों की वर्तमान स्थिति के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि औद्योगिक दृष्टि से तहसील अत्यन्त पिछड़ी स्थिति में है। तहसील का औद्योगिक क्षेत्र अविकसित है। व्यावहारिक दृष्टि से प्रदेश में कोई भी तथा कथित उद्योग नहीं है। लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना 1979 मे की गयी थी किन्तु इससे वाछित स्तर की प्रगति न हो सकी। गृह उद्योग के रूप में पनपने वाले उद्योगों में हथकरघा एव पाटरी ही तहसील के प्रमुख उद्योग हैं। इनके अतिरिक्त गृह उद्योग के रूप में डलिया निर्माण तथा सूती कपड़े आदि सम्बन्धी कार्य भी होते है।[6]

(स) गृह उद्योग

प्रदेश में विकसित बढ़ईगिरी, खाड़सारी, तेलधानी, जूता एवं चप्पल निर्माण, लोहे के समान, मिट्टी के बर्तन, सूत कातने एवं डलिया निर्माण तथा खादी ग्रामोद्योग सम्बन्धी गृह कार्य, गृह उद्योग के अन्तर्गत आते हैं। ये औद्योगिक इकाइयॉ स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। जनगणना 1991 के अनुसार गृह उद्योग वह उद्योग है जो परिवार के मुखिया द्वारा स्वयं और मुख्यतः परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा घर पर या ग्रामीण क्षेत्रों में/गाँव की सीमा के अन्तर्गत और नगरीय क्षेत्र में उस मकान के अन्दर या अहाते में जिसमें परिवार रहता है, चलाया जाता है। मुखिया को सम्मिलित करके परिवारिक गृह उद्योग के अधिकतर कार्यकर्ता परिवार के होने चाहिए। उद्योग इस पैमाने पर नहीं होना चाहिए कि भारतीय कारखाना अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड हो या होने की योग्यता रखता हो।[7]

गृह उद्योग से सम्बन्धित कुछ प्रमुख उद्योगों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत है।

(1) पाटरी उद्योग

आजमगढ़ तहसील मुख्यालय से लगभग 20 किमी० दूरी पर स्थित निजामाबाद अपने चमकदार काले चादी के रंग के नक्काशीदार पात्रों के लिए विश्व-विख्यात है। यह निजामाबाद गाँव तहसील

का साधारण गॉव नहीं है । राजभरों के प्रसिद्ध किले हनुमन्तगढ़ की प्राचीर से घिरा यह गॉव गयासुद्दीन तुगलक की विजय-स्थली, गुरुनानक एव महान मुगल सम्राट अकबर की विश्राम स्थली, तथा हिन्दी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जन्म स्थली रहा है। यहॉ का औलिया के नाम पर बना किला-अवशेष, तथा नानक की स्मृति में बना गुरुद्वारा इसके गौरव-गाथा के स्पष्ट प्रमाण है । निजामाबाद में इस कला का आगमन गुजरात से हुआ । मुगल सम्राट बादशाह जहॉगीर एवं महारानी विक्टोरिया ने, मिट्टी से बने हुये काले बर्तनों की कला से प्रभावित होकर क्रमश हीरों का जड़ा हुआ ताम्र पत्र एवं एक तमगा, प्रमाणपत्र तथा 20 रुपये प्रदान किये थे । 1871 में लन्दन सरकार द्वारा सोने का तमगा तथा 1935 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक सौ रूपये का पुरस्कार यहाँ के कलाकारों को प्राप्त हुआ था । स्वतन्त्रोपरान्त 1978 में राजेन्द्र प्रसाद प्रजापति को 2000 रुपये का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ । इस प्रकार लगातार निजामाबाद के पात्रकारों को प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार प्राप्त होते रहे है ।[8]

निजामाबाद में चाक, पटरा, मुगदर, छाते की तीली, लोहे की तार, कुण्डा, भट्ठी आदि उपकरणो की सहायता से यहॉ के पात्रकार चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, काबिस, आम की छाल, बबूल की छाल, अड़से की पत्ती, रेह के रस, उपले, सरसों के तेल, रांगा, पारा, सीसा आदि पदार्थो द्वारा फूलदान, गोलक, सुराही, टी-सेट, ऐश-ट्रे, प्लेट, मछली, अगरबत्ती, मोमबत्ती स्टैण्ड, पेपरवेट, शिवलिग आदि तैयार करते हैं । यहॉ के कुम्भकारों के आय का प्रमुख साधन उनका यह उद्योग ही है । यहॉ से उन वस्तुओं का निर्यात बड़े पैमाने पर होता है । यद्यपि सरकार द्वारा समय-समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है परन्तु इस कला को भारत में जिन्दा रखने हेतु और भी प्रयास की आवश्यकता है । यहॉ के 15 किमी० के क्षेत्र में लगभग 300 परिवार इस कार्य में लगे हुये हैं। इस उद्योग के अन्य मुख्य गॉव हुसेनाबाद, सहराजा एवं बड़ागांव हैं । यहाँ के अधिकांश प्रजापति परिवार सहकारी समितियों द्वारा पंजीकृत हैं परन्तु कुछ परिवार निजी तौर पर भी इस उद्योग में लगे हुये है । जिला उद्योग केन्द्र, जनपद आजमगढ़ द्वारा 5 एकड़ नई भूमि पर इस उद्योग का विस्तार किया जा रहा है ।

(2) **हथकरघा उद्योग**

अध्ययन प्रदेश का हथकरघा उद्योग अपनी विशिष्टता एवं चमत्कारी के लिए भारत मे ही नही अपितु विश्व मे प्रसिद्ध है । इसका मुख्य केन्द्र मुबारकपुर है । इस उद्योग के द्वारा न्यूनतम पूँजीनिवेश से, स्थानीय रुप से अधिकतम रोजगार के अवसर बुनकरों को उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जा रहा है । इसके लिए सहायक निदेशक, उद्योग हथकरघा कार्यालय की स्थापना की गयी है । यहाँ पर राजकीय डिजाइनर सेंटर तथा राजकीय विविंग सेंटर स्थापित हैं । हथकरघा विकास में विभिन्न सुविधाएं जैसे पूँजी, ऋण, प्रबन्धकीय सहायता, रंगाइघरों की स्थापना, कार्यशाला निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि योजनाएँ बनाई जा रही हैं । जिले की बनी साड़ियाँ सम्पूर्ण देश मे बिकती हैं । साड़ियों के लिए मुबारकपुर विश्व विख्यात है । अध्ययन प्रदेश मे हथकरघा सर्वेक्षण भारत सरकार के निर्देशन पर कराया गया जिसके अनुसार विवरण तालिका 5.3 से स्पष्ट किया गया है ।

तालिका 5.3

तहसील आजमगढ़ में हथकरघा उद्योग का स्वरुप, 1991-92

विवरण	संख्या
1 कुल बुनकर परिवारों की संख्या	7291
2 कुल बुनकरों की संख्या	42150
3 नान हाउस होल्ड की संख्या	03
4 अनुसूचित जाति के बुनकरो (परिवारों) की संख्या	1235
5 अन्य जाति के बुनकर परिवारों की संख्या	6056
6 करघों की संख्या	11699

स्रोत – जनपद-प्रोफाइल, जिला उद्योग केन्द्र, जनपद आजमगढ़, 1991-92

सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य व्यक्तिगत बुनकरो को पर्याप्त सरक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम के माध्यम से सघन हथकरघा विकास परियोजना लागू की गयी है । इस परियोजना का मुख्य कार्य व्यक्तिगत बुनकरों के करघों का सर्वेक्षण कर अपने उत्पादन एवं मानक के अनुसार करघों का अधिग्रहण करके उन्हें पुस्तक जारी करना है । उनके द्वारा उत्पादित माल को उचित मूल्य पर क्रय करके उन्हें विचौलियों एवं महाजनों के चगुल से मुक्त कराना है । मुबारकपुर. नगर में, जो कि बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है, सिल्क विकास परियोजना की स्थापना की गयी है । इसका उद्देश्य बुनकरों को सस्ते दर पर सिल्क धागा उपलब्ध कराना एव परियोजना द्वारा दिये गये डिजाइन एवं मानक के अनुसार साड़ियों का क्रय करने का प्राविधान है । वर्ष 1991-92 मे इस परियोजना द्वारा 11.3 लाख रुपये के सिल्क धागे की बिक्री की गयी । तथा इसी वर्ष में 12 51 लाख रुपये की उत्पादित साड़ियों का क्रय किया गया ।[9]

प्रदेश मे बुनकरों की सुविधा के लिए सामूहिक बीमा योजना चलाई गयी है । इस योजना में बुनकरो को 5 रुपये वार्षिक देने पड़ते हैं तथा 10 रुपये हथकरघा निगम तथा 15 रुपये बीमा निगम द्वारा बुनकरो के खाते में जमा किया जाता है । बुनकर अंशदायी योजना के अन्तर्गत बुनकर को 180 रुपये वार्षिक जमा करना पड़ता है तथा 180 रुपया विभाग द्वारा जमा किया जाता है । इस प्रकार बुनकर के खाते में वर्ष में 360 रुपये वार्षिक जमा होता है । खाता निकटवर्ती पोस्ट-आफिस मे खोला जाता है । इस प्रकार की योजना से 30 बुनकर परिवार लाभान्वित हो रहा है । इस योजना का अन्य प्रमुख उद्देश्य उत्पादन में बृद्धि एवं गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु नई डिजाइनों एवं तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना तथा कोष स्थापित कराकर गरीब बुनकरों को चिकित्सा, शिक्षा एवं सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हेतु, आर्थिक सहायता सुलभ कराना है ।

इस प्रकार इन योजनाओं द्वारा सम्मिलित रुप से बुनकरों के करघों का आधुनिकीकरण किया जाता है जिसमें बुनकरों को 300 रुपये से 3000 रुपये तक क्रय हेतु अनुदान दिया जाताहै । इसका कुछ भाग ऋण पर भी होता है जिसकी वसूली आसान किश्तों में होती है ।

क्षेत्र मे बुनकरों को निदेशालय द्वारा 3000 रुपये आवास हेतु अनुदान के रुप में दिया जाता है। ताकि बुनकर अपने आवास के पास अपनी कार्यशाला बनाकर आसानी से कार्य करें। यह सुविधा पजीकृत एव सहकारी बुनकरों को ही प्राप्त है। हथकरघा निगम का सेल-डिपो सिविल लाइन, आजमगढ़ में स्थापित किया गया है, जहॉ से ऊनी, सूती, रेशमी सभी प्रकार के वस्त्रों की बिक्री होती है। त्यौहारों के समय ग्राहकों को सुविधा प्रदान की जाती है। कच्चे माल की आपूर्ति हेतु हथकरघा बाहुल्य क्षेत्र में कच्चे माल के डिपो भी स्थापित किये गये हैं। हथकरघा विहीन बुनकरो को कम्पोजिट ऋण योजना के अधीन अपने करघे लगाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

तहसील आजमगढ़ में उत्पादकता को बढ़ाने हेतु हथकरघा के साथ-साथ पारवलूम उद्योग को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पिछले दशक में नगरीय क्षेत्र के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस उद्योग का विकास हुआ। तहबरपुर विकास खण्ड के खरकौली ग्राम में भी एक पावरलूम की स्थापना हुयी जो तहसील में पावरलूम उद्योग के विकास का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। इस प्रकार सम्यक् अध्ययन से स्पष्ट है कि अधिकाधिक ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने में हधकरघा उद्योग, कृषि के बाद सबसे बड़ा क्षेत्र है।

(3) खादी एवं ग्रामोद्योग

दस हजार से कम आबादी वाले क्षेत्रों मे लगाये जाने वाले कुछ विशिष्ट उद्योग खादी ग्रामोद्योग की श्रेणी मे आते है। प्रदेश में ग्रामोद्योग को विकसित करने एवं ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमियों को मार्ग दर्शन एवं वित्तीय सहायता सुलभ कराने हेतु वर्ष 1960 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गयी। प्रारम्भ में उद्योग निदेशालय के माध्यम से कार्यो का क्रियान्वयन होता था। आशातीत उपलब्धि न होने के कारण वर्ष 1967 में बोर्ड अधिनियम में सशोधन कर इसे स्वयं क्रियान्वयन का अधिकार प्रदान किया गया। खादी ग्रामोद्योग द्वारा वर्तमान में तथा भविष्य में आच्छादित किये जाने वाले नये उद्योगों का विवरण तालिका 5 4 में प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 1990-91 में प्रदेश में 540 विभिन्न इकाइयों को ऋण

तालिका 5.4

आजमगढ़ तहसील में ग्रामोद्योग का वर्गीकरण, 1991-92

समूह	वर्तमान आच्छादित उद्योग	आच्छादित किए जाने वाले नये उद्योग
1. खनिज आधारित उद्योग	चूना निर्माण ग्रामीण / कुम्हारी	पत्थर पर नक्काशी / सिरे मिक्स तारकोल / भवन निर्माण / आभूषण निर्माण
2. वन आधारित उद्योग	हाथ कागज / कत्था / लाख / दियासलाई अगरबत्ती / बॉस-बेत	कागज स्टेशनरी / कार्ड बोर्ड / बुक बाइन्डिग ।
3. कृषि आधारित एवं खाद्य उद्योग	अनाज दाल / ताडगुड / खाड़सारी / मधुमक्खी फल एवं सब्जी संरक्षण / तेल घानी / रेशा / जड़ी	मछली डिब्बा बन्दी / तिनई उत्पाद / कोमल मज्जे एव मालए / आयुर्वेदिक औषधि / काजू प्रशोधन / खस की पट्टी ।
4 फर्निचर एवं रसायन उद्योग	ग्रामोद्योग चर्म / रबड / अखाद्य तेल साबुन	हड्डी एव सींग / रेक्सीन / प्लास्टिक / नाइलान / वेपर / ब्लीचिग पाउडर नमक / टूथपेस्ट / रंग / मोमबत्ती / ग्रीस / फ्लास्टर आफ पेरिस, पालिस / इत्र, सौन्दर्य प्रसाधान ।
5. इंजीनियरिंग	लौह एव काष्ठकला / एल्यूमिनियम के बर्तन	पीतल ताबें की वस्तु / कृषि उपरकरण / निब, बालपेन / स्टोव पिन / बटन बनाना / ताला / इलेक्ट्रानिक्स / ईधन / बिजली के बल्व ।
6. वस्त्रोद्योग	खादृय के पाली वस्त्र / लोक वस्त्र	होजरी / सिलाई / रेडीमेड / वाटिक कार्य / ऊन के गोले / लच्छी बनाना बढ़ई / जरी / खिलौना / गुड़िया / सर्जिकल वाइडेज ।
7. सेवा आयोग	————	लन्ड्री / टार्च मरम्मत / रबर / बाल बनाना / राजगीरी / शीशे का काम ।

स्रोत – औद्योगिक प्रेरणा, जिला उद्योग केन्द्र, जनपद आजमगढ़, 1991-92

सहायता उपलब्ध कराई गयी जिसमें 26 2 लाख पूँजी का विनियोजन हुआ । इस उद्योग में लगभग 1210 लोगो को रोजगार प्राप्त हुआ । प्रदेश में खादी-ग्रामोद्योग से सम्बन्धित अनेक आवेदन पत्र विभागीय कार्यवाहियों के अभाव में दफ्तरों की फाइलों में बन्द हैं । इस उद्योग के लिए ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं सहायता तथा बैंक से सहायता एवं करों में छूट आदि की सुविधा प्रदान की जाती है । 10

भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को अवसर कीसमानता के अधिकार दिये गये हैं।धर्म, जाति, रग या लिग के आधार पर कोई मतभेद नहीं किया गया है । स्पष्ट है कि महिलाओं को भी समान अधिकार उपलब्ध हैं । 46 वर्ष बाद भी देश की महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में पुरुषो के समान अवसर प्राप्त नहीं है । उक्त सन्दर्भ में उत्तर-प्रदेश महिला कल्याण निगम ने इसी अछूते क्षेत्र मे महिलाओ को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है । 'महिला उद्यमी प्रकोष्ठ,उद्योग निदेशालय', तहसील मे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अप्रैल 1990 से स्थापित किया गया है । इस प्रकार महिला उद्यमियों द्वारा उद्योग स्थापना के सम्बन्ध में परामर्श, प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स का वितरण, प्रोजेक्ट बनाना एव प्रस्तावित स्थाई पंजीकरण आदि की सहायता दी जाती है ।

5.4 विद्युत आपूर्ति

औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के अभाव में प्रदेश का विद्युतीकरण भी वांछित स्तर नहीं प्राप्त कर सका है । परन्तु पिछले दशक में इस दिशा में काफी प्रयास किया गया । सर्वेक्षण के दौरान ज्ञात हुआ कि तहसील के 86 64 प्रतिशत गॉवों का विद्युतीकरण 1991-92 के सत्र तक सम्पन्न हो चुका है । विद्युतीकरण का सबसे उच्च्व स्तर विकास खण्ड पल्हनी में है । यहाँ के 95.0 प्रतिशत गॉवों का, जहानागंज के 94.71 प्रतिशत मोहम्मदपुर के 86.72 प्रतिशत तथा तहबरपुर एवं सठियाँव के 84 0-84.0 प्रतिशत गॉवों का विद्युतीकरण हो चुका है । न्यूनतम स्तर का विद्युतीकरण रानी की सराय एवं मिर्जापुर विकास खण्डों में है जहां यह प्रतिशत क्रमशः 81.25 एवं 81.22 है । प्रकाश व्यवस्था के लिए दिये गये कुल कनेक्शनों की संख्या, तहसील में 4994 है । प्रदेश में कुल 32 सब

स्टेशन कार्यरत है, जो औद्योगिक एवं अन्य उपभोगों के लिए क्रमश. 1293 तथा 25893 कनेक्शन जारी किये है (तालिका 5 5)।

तालिका 5.5

आजमगढ़ तहसील में विद्युत आपूर्ति, 1992-93

ग्रामीण स्वरुप			नगरीय स्वरुप		
स्टेशन नम्बर B No	कनेक्शन– प्रकाश एवं पंखे के लिए	कनेक्शन– उद्योग के लिए	स्टेशन नं० B. No.	प्रकाश एवं पंखे के लिए कनेक्शन	उद्योग के लिए कनेक्शन
14 A	538	28	01	1098	11
14 B	131	—	02	560	11
19	508	20	03	841	74
20	541	25	04	288	05
21	1008	62	05	762	40
22A	560	—	06	1070	06
22B	1392	102	07	1375	22
24	270	20	08	401	40
25	—	03	09	444	08
27A	262	31	10	2135	87
27B	077	—	11	1517	01
28	—	03	12	1091	66
29	518	26	13	171	77
30A	1066	92	14	2269	20
30B	1453	—	15	1254	—
			16	—	16
कुल योग तहसील	8324	410	18A	1475	88
			18B	493	30
			23	325	321
			कुल योग तहसील	17569	883

स्रोत – अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण विभाग (कार्यालय), जनपद आजमगढ़, 1992-93

स्पष्ट है कि नगरीय क्षेत्र में विद्युतीकरण की गति ग्रामीण क्षेत्र की तुलना मे बेहतर है। ग्रामीण क्षेत्र मे उद्योग के कुल कनेक्सन मात्र 410 है जबकि नगरीय क्षेत्र मे यह संख्या 883 है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र मे प्रकाश एवं पंखे के लिए दिये गये कनेक्सनों की संख्या 8324 है, जबकि नगरीय क्षेत्र मे यह सख्या दो गुने से भी अधिक 17569 है।

5.5 औद्योगिक सम्भाव्यता एवं प्रस्तावित उद्योग

क्षेत्र की औद्योगिक स्थिति के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि तहसील की अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों की भूमिका नगण्य है। यहॉ की मुख्य कार्यशील जनसख्या का मात्र 6 64 प्रतिशत भाग ही गृह उद्योगों में लगा है। यह नहीं कहा जा सकता कि प्रदेश में उद्योगों के विकास की सम्भावनाएँ नही है। परन्तु इतना अवश्य है कि यहॉ के औद्योगिक स्वरुप के कायाकल्प के लिए एक सुनियोजित औद्योगिक नीति अपेक्षित है। यहाँ पर उद्योगों के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण प्रोत्साहन एव प्रशिक्षण की कमी है। साथ ही औद्योगिक अवस्थापना के प्रेरक तत्वों, वित्तीय सस्थाओ, बजार तथा परिवहन एवं सचार साधनों का अविकसित अवस्था मे होना है।

यदि प्रदेश मे औद्योगिक सम्भाव्यता पर विचार किया जाय तो स्पष्ट होता है कि तहसील में खनिज तत्वो की पूर्णतया कमी है। अतः खनिज आधारित उद्योगों की सम्भावना निकट-भविष्य में नहीं है। तहसील में मिट्टी एवं श्रमिकों की पूर्ति पर्याप्त है अत. यहाँ पर ईट उद्योग के विकास की सम्भावनाएँ सर्वाधिक है। चैम्बर के सेक्रेटरी वी० के० पारिख के अनुसार 179 उद्योगों को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से एन० ओ० सी० लेना जरुरी नहीं है।

क्षेत्र में कृषि, वन सम्पदा तथा पशुधन पर आधारित उद्योगों की सम्भावना सर्वाधिक है। पशुओं की सख्या एव उत्पाद को देखते हुये कहा जा सकता है कि तहसील में डेयरी एवं चमड़ा उद्योग के विकास की सम्पूर्ण सुविधाएँ उपलब्ध है। कृषि हेतु प्रयोग होने वाले उपकरणों के उद्योग की स्थापना भी तहसील के लिए लाभकारी साबित होगी। तहसील में चावल, गेहूँ, दलहन एवं तिलहन आदि फसलों की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। गन्ने की कृषि में अध्ययन प्रदेश की स्थिति,

पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में महत्वपूर्ण स्थान पर है । अतः तहसील मे चावल, आटा, दाल, तेल मिल एव चीनी मिलों के विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ है । जौ के उत्पादन को देखते हुए वीयर उद्योग, आलू के उत्पादन को देखते हुये चिप्स उद्योग तथा पटसन के उत्पादन को देखते हुए कारपेट उद्योग की स्थापना की जा सकती है । वनों पर आधारित उद्योगों में प्रमुख फर्नीचर उद्योग, फल संरक्षण उद्योग, इत्र उद्योग आदि का विकास किया जा सकता है (तालिका 5 6 एवं मानचित्र 5 2)।

तालिका 5.6

आजमगढ़ तहसील में प्रस्तावित उद्योग 1993

विकास खण्ड	प्रस्तावित उद्योग
1 मिर्जापुर	इनजीनियरिंग फाउन्डरी, बर्फ की सिल्ली, आटो रिपेरिग स्टील बाक्स, फर्नीचर
2 मोहम्मदपुर	प्लास्टिक फुट वियर, चावल मिल, जनरल इन्जीनियरिग, आइस कैन्ड्री, चमड़े का जूता, फल संरक्षण, ऊनी कालीन
3 तहबरपुर	कोल्ड-स्टोरेज, आइस कैन्ड्री, जन० इन्जीनियरिंग, चमड़े का जूता, फल संरक्षण, ऊनी कालीन, चावल मिल, तेल मिल
4 पल्हनी	दाल मिल, खाद्य तेल, होजरी गुड्स, लकड़ी का फर्नीचर, बढ़ई गिरी, फल संरक्षण, लुंगी, गमछा, जिंक सल्फेट, चावल मिल
5 रानी की सराय	दाल मिल, पी० वी० सी०, फुट-वियर, साबुन, बेकरी, हथकरघा, वस्त्र
6 सठियॉव	चावल मिल, पावर लूम पार्ट्स, हथकरघा, बॉस टोकरी
7. जहानागंज	जन० इन्जीनियरिंग, रेशमी धागे की रंगाई, साइकल स्टैण्ड, कलेन्डरिग, रेशमी साड़ी, बाँस की टोकरी, फर्नीचर, चावल मिल, तेल मिल

स्रोत – औद्योगिक-प्रेरणा, जिला उद्योग केन्द्र, जनपद आजमगढ़, 1991-92

प्रदेश मे मांग आधारित उद्योगों की भी सम्भाव्यता महत्वपूर्ण है । इन उद्योगों में बेकरी, सिलाई एव कढ़ाई उद्योग, कागज उद्योग, उर्वरक एवं कृषि रक्षक दवाएं, बिजली के सामानों, तथा कृषि उपकरणो आदि के पर्याप्त विकसित होने की सम्भावनाएँ हैं । इस प्रकार आजमगढ़ तहसील में ससाधन एवं मांग आधारित दोनो तरह के उद्योगों के विकास के पर्याप्त अवसर विद्यमान हैं । अतः इन उद्योगों के समुचित विकास के लिए औद्योगिक विकास नियोजन आवश्यक है ।

5.6 प्रस्तावित औद्योगिक विकास नियोजव

स्वतन्त्रतोपरान्त देश के आर्थिक विकास को तीव्र गति प्रदान करने हेतु लघु एवं कुटीर उद्योगों के स्थान पर वृहद् उद्योगों के विकास को प्राथमिकता प्रदान की गयी है । परन्तु चालीस वर्षों के नियोजन काल के उपरान्त भी भारत का औद्योगिक स्वरुप प्रथम-चरण से आगे नहीं बढ़ पाया है । भारत की आर्थिक एव सामाजिक संरचना में प्राचीन काल से ही ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की प्रभावी भूमिका रही है । अतः लघु एवं कुटीर उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता । विश्व के सर्वाधिक विकसित देशों ने भी औद्योगिक नियोजन में लघु एवं कुटीर उद्योगों की भूमिका को स्वीकार किया है । भारत में औद्योगिकविकास नियोजन हेतु चार पक्ष प्रस्तावित हैं जो अध्ययन प्रदेश में समान रुप से स्वीकार किए जाने योग्य हैं–

(अ) संसाधन-आधारित उद्योग

(ब) मॉग-आधारित उद्योग

(स) कौशल-आधारित उद्योग

(द) औद्योगिक आस्थान (मिनी आस्थान सहित)

(अ) संसाधन आधारित उद्योग

क्षेत्र में खनिजों का पूर्णतया अभाव है । अतः यहॉ उपलब्ध संसाधन आधारित उद्योगों का ही अधिकतम विकास सम्भव है । तहसील में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए मध्यम

तथा लघु स्तरीय विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की अवस्थिति का एक सकारात्मक नियोजन प्रस्तुत है। लघु उद्योगों के माध्यम से ही ग्रामीण उद्योगों एवं औद्योगीकरण को बल मिलेगा । ये उद्योग स्थानीय संसाधनों एवं जनशक्ति का भरपूर उपयोग कर सकते हैं । ये उद्योग कम से कम पूंजी पर सथापित किए जा सकते है और तहसील की विकास-अवस्था के साथ समायोजन भी सार्थकता पूर्वक कर सकते है । संसाधन आधारित उद्योगों का अध्ययन कई उप-वर्गो में विभक्त है ।

(1) कृषि उत्पादों एवं पशु पालन पर आधारित उद्योग

अध्ययन प्रदेश कृषि प्रधान भौगोलिक क्षेत्र है । यहाँ पर कृषि उत्पादों एवं पशु पालन आधारित उद्योग के विकास की सबसे अधिक सम्भावनाएँ हैं । तहसील में इनसे सम्बन्धित मध्यम/वृहद् एवं लघु स्तरीय इकाइयो की स्थापना सबसे अधिक सुलभ है । इन उद्योगों को कच्चे माल के रुप में गेहूँ, चावल, दलहन, तिलहन एवं गन्ना आदि उत्पादों का विशाल भण्डार उपलब्ध है । श्रमिकों के लिए यहा की विशाल जनसंख्या का अकर्मी भाग ही पर्याप्त है ।

प्रदेश मे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थानीय रुप से मात्र विद्युत-चालित छोटी-छोटी आटा चक्कियॉ, चावल कूटने की मशीनें एवं तेल-मशीनें ही उपलब्ध हैं । साधनों के अभाव में चावल कूटने एवं दलहन सम्बन्धी कार्य घरों में हाथ द्वारा ही सम्पादित करना पड़ता है । अतः सन् 2001 तक पूर्ति एवं मॉग को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक विकास खण्ड में 2-2 आटा मिलें, एक-एक चवाल मिलें एवं तेल मिलें स्थापित करने की महती आवश्यकता है । इसके लिए प्रस्तावित स्थान मनियारपुर, तहबरपुर, सरायमीर, कोटिला, शाहगढ़, सठियॉव, जहानागंज, चक्रपानपुर, मगरावॉ, सेठवल आदि है ।

प्रदेश का गन्ना उत्पादन में एक विशिष्ट स्थान है । परन्तु तहसील में मात्र एक चीनी मिल तहसील के पूर्वी भाग में है । पश्चिमी भाग के महत्व को स्वीकार करते हुये तहबरपुर विकास खण्ड मुख्यालय पर एक चीनी मिल की आवश्यकता है । इससे उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ बेरोजगारी को दूर करने का भी महत्वपूर्ण माध्यम निर्मित होगा । तहसील में दो दाल मिल की भी महती आवश्यकता है । इसके लिए प्रस्तावित स्थान तहसील मुख्यालय एवं निजामाबाद हैं ।

कृषि उत्पादो पर आधारित उद्योगों के साथ इसके अनुषंगी उद्योगों की भी स्थापना प्रस्तावित है। तहसील के औद्योगिक विकास हेतु यह प्रस्ताव किया जाता है कि आटा उद्योग के साथ उसके अनुषगी उद्योग जैसे केक, डबल-रोटी, एवं बिस्कुट बनाने की इकाइयॉ, चावल मिल के साथ पैकिग एवं भूसी-आधारित अनुषंगी इकाइयॉ, दाल एवं तेल मिल के साथ चुनी एवं खली उद्योग की इकाइयॉ तथा गन्ना मिल के साथ शराब उद्योग की इकाइयाँ स्थापित की जानी चाहिए । प्रदेश में इसके अतिरिक्त दालमोट, एवं खुशबूदार तेल एवं इत्र उद्योग की लघु इकाइयॉ स्थापित की जानी चाहिए।

प्रदेश आलू उत्पादन में भी अपना विशिष्ट महत्व रखता है । आलू संरक्षण के लिए तहसील में शीत गृहों का पूर्णतया अभाव है । सन् 2001 तक आलू उत्पादन की वृद्धि को देखते हुये प्रत्येक विकास खण्ड में एक एक शीत गृह खोलने की योजना प्रस्तावित है । इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान सरायमीर, निजामवाद, मोहम्मदपुर, जहानागज, सठियॉव, गौरा (कोइनहा) आदि हैं । स्मरणीय हैं कि प्रदेश में उत्पन्न होने वाले आलू का अधिकांश भाग बारहमासी सब्जी के रुप में ही प्रयोग होता है, परन्तु शीत भण्डार के सुविधोपरान्त आलू के उत्पादन में और भी अधिक वृद्धि अनुमानित है । अतः यहाँ पर चिप्स, नमकीन, पापड़, आदि अनुषंगी उद्योगों को प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है । इससे रोजगार-सृजन के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक स्तर में भी सुधार होगा । इसके लिए प्रस्तावित स्थान खरकौली, बैरमपुर, बीनापार, कोटिला, रानीपुर-रजमों, गोधौरा, शाहगढ़, मुबारकपुर, किशुनदासपुर आदि प्रमुख हैं ।

पशुपालन, मत्स्यपालन एवं कुक्कुटपालन से सम्बन्धित उद्योगों में आहार उद्योग, डेयरी एव चमड़ा उद्योग प्रमुख हैं । तहसील का पशुओं की संख्या एवं कोटि की दृष्टि से जनपद में प्रथम स्थान है । तहसील में दुग्ध उत्पादन में बृद्धि एवं कुक्कुट-सूअर तथा मत्स्य पालक केन्द्रों के लिए पर्याप्त मात्रा मे संतुलित आहार की आवश्यकता होगी । तेल मिलों से खली, आटा मिलों से चोकर, तथा दाल मिलो से दाल की चूनी एवं भूसी से प्रर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार तैयार किया जा

सकता है । इस प्रकार इन उद्योगो को अनुषंगी उद्योग के रुप में चावल, आटा, तेल, दाल एवं चीनी उद्योग के साथ स्थापित किया जा सकता है जिससे संतुलित आहार की उपलब्धता में बृद्धि होगी ।

प्रदेश मे पशुओ की भारी संख्या, उत्तम कोटि एव संतुलित आहार की उपलब्धता को देखते हुए कहा जा सकता है कि यहॉ पर दुग्धोत्पादन के विकास पर्याप्त सम्भावनाऍ हैं । परन्तु तहसील में डेयरी उद्योग एवं शीत भण्डार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है । इनके अभाव में दुग्धउत्पादकों को उनका उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है । नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में दुग्ध पदार्थों के मूल्य में दो गुने का फर्क है, उनके उत्पाद का उचित मूल्य न मिलने का कारण कुशल-प्रबन्ध का अभाव भी है अतः तहसील में दो डेयरी उद्योग, पूर्व में जहानागंज एवं पश्चिम में तहबरपुर विकास खण्ड मुख्यालय पर स्थापित करने की आवश्यकता है । इसके माध्यम से जहाँ ग्रामीण अंचलों के दुग्ध उत्पादकों को समुचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा, वहीं देश में संचालित श्वेत-क्रान्ति III के उद्देश्यों की पूर्ति सम्भव हो सकेगी ।

पशुपालन पर आधारित उद्योगों में चमड़ा उद्योग का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है । वर्तमान समय में फैशन की बढ़ती मांग के कारण प्रदेश में इस उद्योग के विकास की महती आवश्यकता है । चमड़े से निर्मित वस्तुओं में जूते-चप्पल, वेल्ट, बैग तथा वारसल प्रमुख हैं । अतः इस उद्योग से सम्बन्धित आधुनिक किस्म की एक इकाई तहसील के दक्षिणी भाग मोहम्मदपुर में तथा एक इकाई बलरामपुर में स्थापित की जानी चाहिए । इस उद्योग की एक-एक शाखा प्रत्येक विकास खण्ड में स्थापित करना लाभदायक होगा ।

कृषि उत्पादों एवं पशु-पालन पर आधारित प्रमुख उद्योगों के अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों में अचार, मुरब्बा, मसाला, सेंवई, सिरका एवं मिष्ठान उद्योग प्रमुख हैं । तहसील में इनका प्रस्तावित स्थान खरकौली-मनियारपुर, सेठवल, रानीपुर-रजमों, दुर्वासा, फरिहा, आदि हैं । पशु उत्पादो से क्रीम, पनीर, मक्खन, हड्डी का चूरा, सूअर के बाल, कम्बल आदि उद्योगों की भी स्थापना की जा सकती है ।

(2) वन-सम्पदा पर आधारित उद्योग

क्षेत्र मे यद्यपि वन सम्पदा की पर्याप्त पूर्ति सम्भव नहीं है परन्तु आम, महुआ, शीशम, बबूल, नीम, बॉस, अमरुद, इमली के वृक्ष पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हैं । वन सम्पदा पर आधारित उद्योगों में प्रमुख फर्नीचर उद्योग, फल संरक्षण उद्योग, नरकट की पिपनी, लकड़ी की चिराई, लकड़ी की वस्तुए एव आचार-मुरब्बा आदि हैं । इनकी इकाइयों की तहसील में स्थापना आवश्यक है । प्रत्येक विकास खण्ड मे इनकी कम से कम दो इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित है ।

(अ) खनिज सम्पदा पर आधारित उद्योग

खनिज संसाधन की दृष्टि से अध्ययन प्रदेश दरिद्र है । मात्र ईंट उद्योग के लिए मिट्टी ही इसका पर्याय है । वर्तमान समय में तहसील में पक्के मकानों का निर्माण-कार्य बहुत तेजी से हो रहा है । क्षेत्र में ईट सीमेंट, एव थपुआ तथा नरिया आदि की तीव्र मॉंग को देखते हुए प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम 4 भट्ठे अवश्य लगाये जायँ । इससे जहॉ लोगों को पक्के मकानों के लिए ईट की प्राप्ति होगी, वहीं कुछ लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा । मिट्टी के बर्तनों, थपुआ, नरिया, एवं खिलौनो हेतु कुम्भकारों को भूमि एवं पूंजी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है । प्रदेश में खनिज संसाधन के रुप में कंकड, चूना एवं सुर्खी तथा रेह का उत्पादन हो रहा है जो भवन निर्माण में प्रयोग होते है ।

(ब) मॉंग पर आधारित उद्योग

मानव की अनन्त आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सदैव से ही सीमित रहे हैं । नवीन आविष्कारों ने यद्यपि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी सफलता प्राप्त की है, परन्तु अभी भी मांग आधारित उद्योग-धन्धों की आवश्यकता महसूस की जाती है । अतः तहसील में भी माग आधारित उद्योग की महती आवश्यकता है । इसके माध्यम से जहॉ कृषि उपयोग में आने वाले यन्त्रों का निर्माण एवं मरम्मत हो सकेगी, वहीं कुछ लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे । मॉग आधारित उद्योगों को दो वर्गो में विभाजित किया गया है–

(1) कृषि-सम्बन्धी मांगों पर आधारित उद्योग

प्रदेश में नवीन कृषि पद्धतियो के विकास के साथ ही कृषि सम्बन्धी नवीन उपकरणों जैसे थ्रेसर, दवा छिड़कने की मशीन, कल्टीवेटर तथा मिट्टी पलटने के हल एवं ट्रैक्टर आदि की मांग बढ़ी है। इसी प्रकार रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक एवं खरपतवार नाशक दवाओं, लकड़ी के उपकरणों तथा इनकी मरम्मत से सम्बन्धित उपकरणों की भी मांग तेजी से बढ़ी है। कृषि उपकरणों की मरम्मत हेतु किसानों को 5 किमी० या इससे अधिक की ही यात्रा करनी पड़ती है। कीटनाशक एवं खरपतवार नाशक दवाओं की उपलब्धता प्रदेश में तहसील मुख्यालय के अतिरिक्त और कहीं सम्भव ही नही है। अतः कृषि उपकरणो, दवा छिड़कने वाली मशीनों, आदि की उपलब्धता हेतु प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में 2 लघु औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जानी चाहिए। इनके लिए प्रस्तावित स्थान खरकौली, सोफीपुर, दुर्वासा, मिर्जापुर, फरिहा, कोटिला, पल्हनी, शाहगढ़, मुबारकपुर आदि है। इन इकाइयों की स्थापना से किसानों को कृषि सम्बन्धी अत्याधुनिक उपकरण स्थानीय रुप से उपलब्ध हो सकेगा। जिससे अतिरिक्त समय एवं धन के व्यय में बचत होगी। किसानों को उर्वरक एवं कीट तथा खरपतवार नाशक दवाओ की उपलब्धता के लिए तहसील मुख्यालय आजमगढ़ में एक उर्वरक कारखाना तथा कृषि सम्बन्धी दवाओं के लिए लघु कारखाना स्थापित किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है। इस प्रयास के फलस्वरुप प्रदेश के ही नहीं अपितु सम्पूर्ण जनपद की कृषि व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन का संचार होगा जिससे तहसील की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी।

(2) दैनिक उपभोग एवं सेवा सम्बन्धी मांगों पर आधारित उद्योग

क्षेत्र में दैनिक उपभोग एवं सेवा सम्बन्धी आवश्यकताओं में एल्यूमीनियम एवं स्टील के बर्तन, बिजली के उपकरण, लकड़ी एवं लोहे के समान, साबुन, कागज, रेडीमेड गारमेंट्स, कूलर, टूथ-पेस्ट चाक, प्लास्टिक के समान, गाड़ियों की मरम्मत, चप्पल, माचिस, सीमेंट जाली आदि हैं। ज्ञातव्य है कि प्रदेश में इन आवश्यकताओं की पूर्ति वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, एवं नई दिल्ली की बाजारों से होती है। अतः तहसील के समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुये यह प्रस्ताव किया जाता है कि

तहसील मुख्यालय पर एल्यूमीनियम एवं क्राकरी के बर्तन, बिजली के उपकरण, गाड़ियों की मरम्मत तथा कागज की पूर्ति के लिए इनके एक-एक औद्योगिक इकाई की स्थापना की जाय। शेष दैनिक उपभोग एवं सेवा सम्बन्धी मांगों पर आधारित वस्तुओं के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में प्रत्येक की एक-एक इकाई स्थापित की जाय। इस कार्य से इन वस्तुओं की पूर्ति भी सुलभ होगी तथा रोजगार का सृजन भी होगा।

(स) कौशल पर आधारित उद्योग

इसके अन्तर्गत बनारसी रेशमी साड़ी, कालीन एवं काले एवं लाल मिट्टी के बर्तनों से सम्बन्धित उद्योग आते है। ज्ञातव्य है कि बनारसी साड़ी का एक मात्र केन्द्र मुबारकपुर है जबकि काली मिट्टी के बर्तनों का केन्द्र निजामबाद है। तहसील मे इन दोनों ही उद्योगों के और विस्तार की आवश्यकता है। बनारसी साड़ी उद्योग के लिए प्रस्तावित स्थान रानी की सराय है जबकि काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रस्तावित स्थान जहानागंज है। इस प्रकार के प्रयास से समग्र तहसील में इनकी उपलब्धता सरल हो जायेगी।

(द) औद्योगिक आस्थान (मिनी आस्थान सहित)

उद्योग निदेशालय द्वारा एक औद्योगिक आस्थान मुहल्ला सरफुद्दीनपुर में स्थापित किया गया है। जो सात एकड़ भूमि में फैला है। इसमे 11 शेड तथा 17 प्लाट है। ये शेड एवं प्लाट विभिन्न उद्यमियों को आवंटित है। ग्राम समेंदा में एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना 50 एकड़ भूमि पर औद्योगिक विकास निगम द्वारा की जा रही है। इनके तहसील में और भी व्यापक बनाने की आवश्यकता है।

तहसील आजमगढ़ में मिनी औद्योगिक आस्थान की आवश्यकता है। यह जनपद के चार तहसीलों में खोला जा चुका है। परन्तु तहबरपुर में प्रस्तावित होने के उपरान्त भी कार्य प्रारम्भ न हो सका। यह सुझाव दिया जाता है कि आम जनता के व्यापक हित को देखते हुये तहबरपुर में मिनी औद्योगिक आस्थान अविलम्ब खोला जाना चाहिए।

उपरोक्त प्रस्तावित एवं समृद्ध इकाइयों की स्थापना एवं कुशल संचालन के माध्यम से ही क्षेत्र का समुचित एव त्वरित औद्योगिक विकास सम्भव है । इन उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त पूँजी, उचित तकनीक, निर्भीक एवं साहसी उद्यमी, सही प्रशिक्षण एवं सरकारी स्तर पर पर्याप्त प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी । औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है कि उद्यमियों को पूँजी, ऋण के रुप मे सस्ते, आसान ब्याज-दरों पर उपलब्ध होनी चाहिए । ग्रामीण औद्योगिकरण के विकास में बैको की अहम भूमिका होती है । उद्यमियों को सम्बन्धित उद्योगों के विषय में उचित जानकारी, सुझाव एव प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । आवश्यक औद्योगिक इकाइयों के लिए उद्यमियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जा सकता है । उद्योगों के विकास के लिए कुछ विशेष कच्चे माल की सुनिश्चित पूर्ति भी आवश्यक होती है । इन सभी प्राविधानों की उपलब्धता के फल स्वरुप क्षेत्र में औद्योगिक विकास की सम्भावनाएँ बढ़ेगी और क्षेत्र का समुचित औद्योगिक विकास सम्भव हो सकेगा ।

सन्दर्भ

1 **सिंह, के० एन० तथा सिंह, जगदीश** : आर्थिक भूगोल के मूल तत्व, बसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर, 1948 , पृष्ठ. 296

2 **औद्योगिक प्रेरणा;** उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश, जिला उद्योग केन्द्र, जनपद आजमगढ़, 1992-93, पृष्ठ 2

3 **GAZETTEER OF INDIA; UTTAR PRADESH, DISTRICT-AZAMGARH,1989** p. 98.

4 **जनपद आजमगढ़ में लघु उद्योगों** के लिए सुविधाएं एवं रियायतें; जिला उद्योग केन्द्र, जनपद आजमगढ, 1992-93 पृष्ठ. 1

5 **भारत वार्षिकी,** सन्दर्भ ग्रन्थ, 1990, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत-सरकार, पटियाला हाउस, नई दिल्ली, पृष्ठ 497-502.

6 **वार्षिक ऋण योजना,** जनपद आजमगढ़; यूनियन बैंक आफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय आजमगढ़, 1991-92, पृष्ठ. 46.

7 **जिला जनगणना हस्त पुस्तिका;** प्राथमिक जनगणना सार, जनपद आजमगढ़, 1991

8 **निजामावाद के काले मिट्टी के बर्तन;** जिला उद्योग केन्द्र जनपद आजमगढ़ 1992-93 पृष्ठ 2–3.

9 **जनपद-प्रोफाइल;** जिला उद्योग केन्द्र, जनपद आजमगढ़, 1992-93, पृष्ठ. 21-23.

10 **जनपद-प्रोफाइल;** जिला उद्योग केन्द्र जनपद आजमगढ़, 1992-93, पृष्ठ. 23-24.

* * * * *

अध्याय छ :

सामाजिक सुविधाएँ एवं उनका विकास-नियोजन

6.1 प्रस्तावना

भौगोलिक अध्ययन क्षेत्र के बाहर ससाधन का अर्थ प्राय : मूर्त पदार्थो से ही लगाया जाता है, परन्तु ससाधन के अन्तर्गत मूर्त अथवा अप्राणिज पदार्थो के अतिरिक्त अमूर्त अथवा प्राणिज पदार्थो का अध्ययन भी महत्वपूर्ण होता है । ससाधन की अध्ययन परिधि में ही शिक्षा, स्वास्थ्य एव मनोरजन आदि सुविधाओं का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है । अतीत में इन्हें अनुत्पादक विनियोग के अन्तर्गत रखा जाता रहा है ।[1] किन्तु मानव के कार्य-क्षेत्र एवं कार्य क्षमता मे हुयी वृद्धि के फलस्वरुप इनको अपरिहार्य, महत्वपूर्ण एव उत्पादक विनियोग के अन्तर्गत गिना जाने लगा है । वस्तुत शिक्षा, स्वास्थ्य एव मनोरंजन सुविधाओं ने मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एव सास्कृतिक पक्षों के विकास को इतना बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है कि इनके अध्ययन के महत्व को नकारा नहीं जा सकता । इनके महत्व को स्वीकार करते हुये स्वतन्त्रतोपरान्त भारत के सविधान मे मौलिक अधिकारों एव नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी उपबन्धों को समाहित किया गया ।[2] इनके विकास एवं नियोजन हेतु छठीं पंचवर्षीय योजना में सशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को अपनाने हेतु बल दिया गया ।[3] इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रो के कमजोर वर्गो को आवश्यक आधारभूत् सुविधाए उपलब्ध कराने का प्रविधान था ।

साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद से ग्रस्त देश की जनता ने जिन मूल्यो एवं आदर्शो को अपनाकर इसके विरूद्ध सघर्ष किया वे स्वतन्त्रोपरान्त फलीभूत न हो सके । गांधी का ग्राम्य-विकास एवं ग्रामोत्थान का स्वप्न साकार न हो सका । स्वतन्त्रता के 46 वर्षोपरान्त भी देश की आबादी का एक बडा भाग न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति से भी वचित है । क्षेत्रीय एवं सामाजिक असन्तुलन ने देश के विकास-मार्ग में अवरोध खड़ा कर दिया है । किसी भी क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने के

लिए पहली आवश्यकता वहॉ की जन-शक्ति के मूल्य को स्वीकार करना एवं उसका विकास करना है, जिससे उपलब्ध योजनाओं को समझने और उन्हे कार्यान्वित करने की क्षमता उनमें सृजित हो सके। इसके अभाव मे समतावादी समाज की रचना की परिकल्पना के साथ प्रारम्भ की गयी योजनाओ को अपेक्षित सफलता मिलना असम्भव है। अतः जब तक भारत में अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को त्वरित गति प्रदान करने वाली सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान नहीं किया जायेगा तब तक देश का समग्र विकास भी सम्भव नहीं होगा।

प्रस्तुत अध्याय मे मानव की आवश्यक आवश्यकताओं में से दो प्रमुख आवश्यकता-शिक्षा एवं स्वास्थ्य को नियोजन-हेतु स्वीकार किया गया है। ये दोनों ही तथ्य मानव के ज्ञान-विज्ञान में वृद्धि एवं आधुनिकीकरण के लिए अपरिहार्य है। इस प्रकार यह अध्याय दो खण्डों में विभाजित हो गया है–

शिक्षा

शिक्षा, समाज का दर्पण होती है। शिक्षा के द्वारा ही मानव जीवन में ज्ञान एवं समृद्धि का सचार होता है। शिक्षा के अभाव में देश एव समाज के उन्नयन एवं समृद्धि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शिक्षा लोकतन्त्र की आधार शिला होती है। यह राष्ट्र एवं व्यक्ति की भविष्य निधि के समान है। बी० के० थपलियाल और डी० वी० रमन्ना के शब्दों में "अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यक नवीन आर्थिक क्रियाओं में आधुनिक विधियों तथा तकनीकों का प्रयोग शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव है।[4] इस प्रकार शिक्षा का नियोजन, आवश्यक-आश्यकताओं के सन्दर्भ में ही करना चाहिए।

आजमगढ़ तहसील प्राचीन कौशल राज्य का एक भाग है। महर्षि दुर्वासा के नाम से विख्यात, माझी एव टोस नदी के संगम पर स्थापित दुर्वासा आश्रम अतीत में शिक्षा का एक महान केन्द्र था। सम्पन्न एवं निर्धन दोनों ही वर्गो के लोग गुरुकुल में समान रुप से शिक्षा ग्रहण करते थे। परन्तु कालान्तर मे गुरुकुल की प्रथा तुर्क शासकों द्वारा समाप्त कर दिये जाने के उपरान्त पाठशालाओं एवं

मकतबो की स्थापना की गयी । आधुनिक-विद्यालयो को अध्ययन क्षेत्र में विकसित करने का प्रथम श्रेय आर० टी० तूकर महोदय को है । 1846 तक जनपद में विद्यालयों की संख्या 249 हो गयी जिसमे से 161 विद्यालय पारसी एवं अरबी भाषा के तथा 88 संस्कृत भाषा के थे । एक विद्यालय आजमगढ़ तहसील के मुबारकपुर नगर मे भी स्थापित किया गया था । इस प्रकार प्रगति के सोपानों को धीरे-धीरे तय करता हुआ अध्ययन क्षेत्र 1922 तक उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होने लगा, जब नगर-मुख्यालय पर जार्ज नेशनल स्कूल.एव स्मिथ हाई स्कूल की स्थापना हो गयी । इस प्रकार 1881 मे साक्षरता का जो प्रतिशत 1 9 था वह 1921 में बढ़कर 3.15 हो गया । महिलाओं मे सारक्षरता का प्रतिशत मात्र 0 3 था जबकि पुरुषो मे यह प्रतिशत 6 0 था ।

प्रगति के कई चरणो को पूर्ण कर लेने के उपरान्त भी तहसील में साक्षरता दर में अपेक्षित प्रगति न हो सकी । ज्ञातव्य है कि भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार वह व्यक्ति जो किसी भाषा में समझ के साथ लिख एवं पढ़ सकता है साक्षर है । वह व्यक्ति जो पढ़ सकता है परन्तु लिख नही सकता, साक्षर की कोटि के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता । इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ शिक्षा जनसख्या आयोग ने किसी भी भाषा में साधारण संदेश को समझ के साथ पढ़ने एवं लिखने की योग्यता को साक्षरता निर्धारण का आधार माना है ।[5] परन्तु यह भी ज्ञातव्य है कि साक्षर होने के लिए औपचारिक शिक्षा प्राप्त करना अथवा निम्नतम् स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक नही है ।[6]

सन् 1991 की जनगणना के अनुसार तहसील में साक्षरता का कुल प्रतिशत 30.153 था । यह पुरुषो में 43 35 तथा महिलाओं में 17 65 प्रतिशत था । विकास खण्ड स्तर पर सबसे अधिक साक्षरता पल्हनी मे एव सबसे कम साक्षरता सठियॉव विकास खण्ड में थी । इनका प्रतिशत क्रमशः 33 47 एव 26 96 था । साक्षरता प्रतिशत पुरुषों मे सबसे अधिक पल्हनी में तथा स्त्रियों में सबसे अधिक विकास खण्ड मिर्जापुर में था । इसका प्रतिशत क्रमशः 47 23 एवं 21.37 था । ज्ञातव्य है कि ये सभी प्रतिशत जनपद एव तहसील के प्रतिशत से अधिक हैं । पुरुषों एव स्त्रियों मे साक्षरता का सबसे कम प्रतिशत विकास खण्ड सठियॉव में था जिसका प्रतिशत क्रमशः 37 85 एवं 15.53

था। ये दोनो ही प्रतिशत तहसील के साक्षरता प्रतिशत से कम है । न्याय पंचायत स्तर पर साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक वेलइसा-पल्हनी मे एवं सबसे कम भीमल-पट्टी मे था । ये दोनो न्याय पचायते क्रमश. विकास खण्ड पल्हनी एवं तहबरपुर में स्थित हैं । आजमगढ़ तहसील में ग्रामीण साक्षरता मात्र 26 81 प्रतिशत थी, जबकि नगरीय साक्षरता का प्रतिशत 48 10 था ।

6.2 औपचारिक शिक्षा का स्वरुप

औपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत विद्यालयी शिक्षा को ही सम्मिलित किया जाता है । स्कूल-परिधि के बाहर प्राप्त प्रौढ़ शिक्षा एव घरेलू-शिक्षा को औपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता । औपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत जूनियर बेसिक विद्यालय, सीनियर बेसिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एव महाविद्यालय आदि की शिक्षा का ही अध्ययन प्रस्तुत है ।

(अ) जूनियर बेसिक विद्यालय

1990-91 के आँकड़े के अनुसार आजमगढ़ तहसील में बेसिक जूनियर विद्यालयों की कुल सख्या 402 थी । तहसील में विकास खण्ड स्तर पर सबसे अधिक जूनियर बेसिक विद्यालय विकास खण्ड सठियॉव मे थे, इनकी कुल संख्या 64 थी । अन्य विकास खण्डों जहानागंज, मोहम्मदपुर, मिर्जापुर एवं तहबरपुर मे विद्यालयों की संख्या क्रमश. 62,62,58 एवं 58 थी । आजमगढ़ तहसील मे प्रति लाख जनसख्या पर जूनियर बेसिक विद्यालयो की संख्या 55.31 है । प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे अधिक 63 4 विद्यालय जहानागंज विकास खण्ड में है । दूसरा स्थान मोहम्मदपुर विकास खण्ड का है, जहा विद्यालयों की संख्या प्रति लाख जनसंख्या पर 61.9 है । यह संख्या सबसे कम (43.7) विकास खण्ड पल्हनी में है । आजमगढ़ के जूनियर बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों की कुल संख्या 1708 थी । तहसील में महिला शिक्षकों की संख्या 281 थी । शिक्षकों की सबसे अधिक संख्या 289 तहबरपुर विकास खण्ड मे थी । महिला शिक्षको की सबसे अधिक संख्या 104, विकास खण्ड पल्हनी मे थी । इन संस्थाओं में पंजीकृत कुल छात्रों की संख्या 101280 थी, जिसमें बालिकाओं की संख्या 37037 थी (सारणी 6 1 एवं मानचित्र 6.1)।

तालिका 6.1

आजमगढ़ तहसील में बेसिक विद्यालय (जूनियर) का स्वरुप एवं संगठन, 1991

तहसील / विकास खण्ड	कुल संख्या	विद्यार्थी		शिक्षक		प्रति लाख जनसंख्या पर जू० बे०- विद्यालय
		बालक	बालिका	कुल	महिला	
मिर्जापुर	58	7847	3927	186	11	52.2
मोहम्मदपुर	62	12976	7347	167	7	61.4
तहबरपुर	58	9478	5296	289	35	55.5
पल्हनी	47	7296	4311	268	104	43.7
रानी की सराय	51	8387	5105	261	37	52 5
सठियॉव	64	9775	6070	249	45	58.0
जहानागज	62	8484	4981	288	42	63.4
तहसील योग	402	64243	37037	1708	281	55.31

स्रोत – साख्यिकीय पत्रिका, जनपद आजमगढ़, 1991

तालिका के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि तहसील में प्रति विद्यालय विद्यार्थियों का घनत्व 251 94 है। इसी प्रकार प्रति विद्यालय शिक्षक घनत्व 4 24 है। तहसील में शिक्षक छात्र अनुपात 1 59 3 है। ये सम्पूर्ण ऑकड़े राष्ट्र के मानक शिक्षा स्तर से मेल नहीं खाते हैं। शिक्षक-छात्र अनुपात अधिक होने के कारण अध्ययन एव अध्यापन दोनों में ही गतिरोध उपस्थित होता है।

तहसील में जूनियर बेसिक विद्यालयों से दूरी के अनुसार ग्रामों का स्तर वार विवरण तालिका 6 2 मे प्रस्तुत किया गया है। सारणी के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि तहसील के केवल 35.16 प्रतिशत ही गॉव ऐसे है जिन्हें जूनियर बेसिक विद्यालय की सुविधा गाँव में ही उपलब्ध है। तहसील के 30 09 प्रतिशत गांवों को यह सुविधा 1 किमी० की दूरी पर तथा 27.57 प्रतिशत गांवों को 1-3 किमी० की दूरी पर प्राप्त होती है। तहसील के 6.58 प्रतिशत गाँवों को 3–5 किमी० पर तथा 0.66 प्रतिशत गॉवो को 5 किमी० या इससे भी अधिक दूरी पर जूनियर बेसिक विद्यालय की सुविधा प्राप्त

TAHSIL AZAMGARH
SPATIAL PATTERN OF EDUCATIONAL FACILITIES
1991
N
Tahbarpur
Mirzapur
Rani Ki Sarai
Palhani
Sathiyaon
Jahanaganj
Mohammadpur
JUNIOR BASIC SCHOOL
SENIOR BASIC SCHOOL
MADHYAMIC SCHOOL
DEGREE COLLEGE
GOVERNMENT POLYTECHNIC INSTITUTE
GOVERNMENT TRAINING SCHOOL
4 0 4 8
Km

Fig. 6·1

तालिका 6.2

आजमगढ़ तहसील में शैक्षणिक सुविधाओं से दूरी के अनुसार ग्रामों का स्तरवार प्रतिशत 1991

तहसील/विकास खण्ड	गॉव में उपलब्ध सेवा	1 किमी० तक सेवा प्राप्त करने वाले गॉव	1–3 किमी० तक सेवा प्राप्त करने वाले गॉव	3–5 किमी० तक प्राप्त करने वाले गॉव	5 किमी० तक या उससे अधिक दूर
1 मिर्जापुर					
1 जूनियर बेसिक विद्यालय	31 82	39 28	28 98	—	—
2. सीनियर बेसिक विद्यालय	4 55	3 41	65 91	25 00	1 13
3 माध्यमिक विद्यालय	2 84	5 11	34 66	14 20	43 19
2. मोहम्मदपुर					
1 जूनियर बेसिक विद्यालय	41.41	24 22	32 82	1 55	—
2. सीनियर बेसिक विद्यालय	10 93	7 81	59 37	6 25	15 64
3 माध्यमिक विद्यालय	1.56	9 37	13.28	7 03	68 76
3. तहबरपुर					
1. जूनियर बेसिक विद्यालय	33 14	34 29	28 0	3.43	1 14
2 सीनियर बेसिक विद्यालय	5.71	20 0	26.86	18 86	28 57
3 माध्यमिक विद्यालय	3 43	13.71	21.14	20.57	41 15

4 पल्हनी					
1. जूनियर बेसिक विद्यालय	29.37	23 13	26.25	21 25	—
2 सीनियर बेसिक विद्यालय	4 37	12 50	50 63	9 37	23 13
3 माध्यमिक विद्यालय	1 86	8 13	38 13	10 00	41 88
5. रानी की सराय					
1. जूनियर बेसिक विद्यालय	27 07	38 67	33 15	1 11	—
2 सीनियर बेसिक विद्यालय	6 63	17 13	46 41	19 89	9 94
3. माध्यमिक विद्यालय	1.10	9.94	28 73	11 60	48 63
6 सठियाँव					
1 जूनियर बेसिक विद्यालय	48.0	26.4	21.6	4 0	—
2 सीनियर बेसिक विद्यालय	9.6	8 0	57 6	11 2	13 6
3. माध्यमिक विद्यालय	0 8	—	20 0	18.4	60 8
7. जहानागंज					
1. जूनियर बेसिक विद्यालय	35 30	24.70	21 76	14 70	3 54
2. सीनियर बेसिक विद्यालय	8 82	9 41	32 94	28 24	20 59
3. माध्यमिक विद्यालय	1.18	7.06	20.59	37.06	34 11
तहसील–आजमगढ़ योग					
1. जूनियर बेसिक विद्यालय	35.16	30.09	27.51	6.58	.66
2. सीनियर बेसिक विद्यालय	7 23	11.18	48.53	16.96	16 10
3. माध्यमिक विद्यालय	1 82	7 62	25.22	16 98	48 36

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद आजमगढ़, 1991 से परिकलित ।

है । विकास खण्ड स्तर पर गॉव मे ही विद्यालय की सुविधा प्राप्त करने वाले सबसे अधिक गॉव 48 0 प्रतिशत सठियॉव के है । मिर्जापुर के शत-प्रतिशत गांवो को यह सुविधा 1–3 किमी० की दूरी तक प्राप्त हो जाती है । जबकि जहानागज के 3 54 प्रतिशत गॉव आज भी इस सुविधा से 5 किमी० या इससे अधिक दूर स्थित हैं ।

(ब) सीनियर बेसिक विद्यालय

तहसील मे सीनियर बेसिक विद्यालयों की कुल संख्या 100 है । 9 विद्यालय नगरीय क्षेत्र में आते हैं । इन विद्यालयो मे 22 विद्यालय बालिकाओ के है । सीनियर बेसिक विद्यालयों की सबसे अधिक सख्या मोहम्मदपुर एवं सठियॉव मे 17-17 है । रानी की सराय एवं जहानागंज में इनकी संख्या 16-16 है । बालिकाओं के सबसे अधिक विद्यालय सठियॉव में हैं । यहा पर इनकी संख्या 5 है । आजमगढ़ तहसील के इन विद्यालयों मे शिक्षकों की कुल संख्या 472 है जिसमें 78 महिला शिक्षक है। सबसे अधिक एव सबसे कम शिक्षको की सख्या क्रमशः जहानागंज एवं मिर्जापुर विकास खण्डों मे है, यहा इनकी संख्या क्रमशः 97 एवं 40 है । जबकि पल्हनी में शिक्षकों की संख्या 86 एवं तहबरपुर में 56 है । महिला शिक्षकों की सबसे अधिक सख्या 23, विकास खण्ड पल्हनी में है । सीनियर बेसिक विद्यालयो में छात्रो की संख्या में बालकों की संख्या 20122 तथा बालिकाओं की सख्या 6800 है । विकास खण्ड स्तर पर सबसे अच्छी स्थिति सठियॉव की है । यहॉ पर छात्रों की कुल सख्या 5281 है, जबकि रानी की सराय में यह सख्या 5279 है । ज्ञातव्य है कि बालिकाओं की सबसे अधिक सख्या रानी की सराय में है । तहबरपुर में छात्रों की कुल संख्या 3085 है जिसमें 940 लड़किया है । घनत्व के दृष्टिकोंण से प्रति विद्यालय में शिक्षकों की औसत संख्या 4.72 है । जबकि प्रति विद्यालय छात्रों की संख्या 269 22 है तहसील मे शिक्षक छात्र अनुपात 1 : 57.04 है (देखें तालिका 6 3 एव मानचित्र 6 1)!

सुलभता की दृष्टि से सामान्यत. स्वीकार किया जाता है कि सीनियर बेसिक विद्यालय की अभिगम्यता 5 किमी० से अधिक नहीं होनी चाहिए । इस दृष्टि से तहसील की स्थिति सन्तोषजनक

तालिका 6.3

आजमगढ़ तहसील में सीनियर बेसिक स्कूल का स्वरुप एवं संगठन, 1991

तहसील / विकास खण्ड	मान्यता प्राप्त विद्यालय		कुल विद्यार्थी		शिक्षक		प्रति लाख जनसंख्या पर सी० बे०- विद्यालय
	कुल सख्या	महिला	बालक	बालिका	कुल	महिला	
मिर्जापुर	11	3	2101	344	40	7	10 0
मोहम्मदपुर	17	3	2666	740	42	10	17 0
तहबरपुर	12	2	2145	940	56	5	11 5
पल्हनी	11	4	2191	756	86	23	10 2
रानी की सराय	16	4	3698	1581	84	13	16 5
सठियॉव	17	5	3866	1415	67	1	15 4
जहानागंज	16	1	3455	1014	97	19	16.4
तहसील योग	100	22	20122	6800	472	78	13 86

स्रोत — सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद आजमगढ़, 1991 से परिकलित ।

कही जानी चाहिए । तहसील की 16 1 प्रतिशत बस्तियॉ ही है जो यह सुविधा 5 किमी० या इससे अधिक दूरी पर प्राप्त करती है । 7 23 प्रतिशत गॉवो को यह सुविधा गाँव मे ही उपलब्ध होती है, जबकि 48 53 प्रतिशत बस्तियों को यह सुविधा 1-3 किमी० की दूरी पर प्राप्त होती है ।

(स) माध्यमिक विद्यालय

इसके अन्तर्गत हाई-स्कूल एव इण्टरमीडिएट दोनों विद्यालयो को समाहित किया गया है । 1990-91 के ऑकड़ों के अनुसार तहसील मे इन विद्यालयों की संख्या 22 है, जिसमें एक बालिका विद्यालय विकास खण्ड मिर्जापुर मे है । सबसे अधिक विद्यालयों की सख्या तहबरपुर एवं मिर्जापुर विकास खण्ड मे है । यहाँ पर इनकी संख्या क्रमशः 6 एवं 6 है । तहसील के इन विद्यालयों में कुल पजीकृत बालकों की सख्या 17082 तथा बालिकाओं की संख्या 2179 थी । पंजीकृत सबसे अधिक बालको की सख्या तहबरपुर मे एव जहानागंज मे थी जो क्रमश. 5393 एवं 3179 थी । बालिकाओं की दृष्टि से जहानागज का स्थान प्रथम एव तहबरपुर का द्वितीय है । यहॉ पर संख्या क्रमशः 447 एव 431 है । तहसील के सम्पूर्ण माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कुल संख्या 622 है जिसमें 11 मिर्जापुर विकास खण्ड की महिला शिक्षक भी सम्मिलित हैं । तहसील में प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयो की औसत संख्या 3 है, विकास खण्ड स्तर पर सबसे अधिक औसत तहबरपुर एवं मिर्जापुर विकास खण्डों का है । जहॉ पर यह संख्या क्रमशः 5.7 एवं 5.4 प्रति लाख थी (सारणी 6.4 एवं मानचित्र 6.1) ।

ज्ञातव्य है कि जनपद आजमगढ़ में प्रति लाख जनसंख्या पर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 4.00 है जो तहसील के औसत 3 0 से अधिक है । जनपद में प्रति शिक्षक, छात्रों का औसत 32.43 है, जो तहसील के औसत 1 . 30.97 से अधिक है । इस प्रकार इस दृष्टि से तहसील की स्थिति बेहतर है । आजमगढ़ तहसील में विद्यालय-शिक्षक अनुपात 1 : 28.27 है जबकि जनपद में यह औसत 1 26 86 है अतः इस दृष्टि से तहसील का औसत जनपद के अनुपात से अधिक है । इसी प्रकार तहसील मे प्रति विद्यालय छात्रो का अनुपात 1 875 5 है जो जनपद के अनुपात

तालिका 6.4

आजमगढ़ तहसील में माध्यमिक विद्यालयों का स्वरुप एवं संगठन, 1991

तहसील / विकास खण्ड	मध्यमिक विद्यालय		विद्यार्थी		शिक्षक		प्रति लाख जनसंख्या पर माध्यमिक- विद्यालय
	कुल संख्या	महिला	बालक	बालिका	कुल	महिला	
मिर्जापुर	6	1	2892	403	89	11	5 4
मोहम्मदपुर	2	—	1561	305	73	—	2 0
तहबरपुर	6	—	5393	431	145	—	5.7
पल्हनी	3	—	1574	195	131	—	2.8
रानी की सराय	2	—	1253	194	65	—	2 1
सठियाँव	1	—	1230	204	43	—	1 0
जहानागंज	2	—	3179	447	76	—	2.0
तहसील योग	22	1	17082	2179	622	11	3 0

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद आजमगढ, 1991 से संकलित ।

1 871 1 से थोड़ा अधिक है । आजमगढ़ तहसील में नगरीय विद्यालयों के अतिरिक्त प्रमुख माध्यमिक विद्यालय, ओरा, तहबरपुर किशुनदासपुर, सरायमीर, मगरावां, खासवेगपुर, सोढ़री, बैरमपुर, जगदीशपुर, जहानागंज, सठियॉव, डीहा, मोहम्मदपुर, बीनापार निजामबाद आदि स्थानों पर स्थित है । नगरीय क्षेत्र आजमगढ़, तहसील मुख्यालय पर कुल 9 कालेज स्थापित हैं ।

तहसील मे माध्यमिक विद्यालयों की अभिगम्यता की दृष्टि से तस्वीर भिन्न है । माध्यमिक विद्यालय किसी भी गॉव से 8 किमी० से अधिक दूर नहीं होना चाहिए । तालिका 6.2 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि तहसील के मात्र 1 82 प्रतिशत गॉव ही ऐसे है जिन्हें यह सुविधा गॉव मे ही प्राप्त है । तहसील के 48 36 प्रतिशत गॉव आज भी ऐसे हैं जिन्हें यह सुविधा 5 किमी० या इससे अधिक दूर प्राप्त होती है । जबकि 25 22 प्रतिशत लोगों को यह सुविधा 1-3 किमी० की दूरी पर प्राप्त होती है । विकास खण्ड स्तर पर सबसे विकट स्थिति मोहम्मदपुर की है । जहाँ के 68 76 प्रतिशत गावो को यह सुविधा 5 किमी० या इससे अधिक दूरी पर उपलब्ध है ।

(द) महाविद्यालय

आजमगढ़ तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में एक महाविद्यालय विकास-खण्ड पल्हनी मे है । यहॉ पर पजीकृत कुल छात्रों की सख्या 1042 है । जिसमें 75 लड़कियां हैं । इस प्रकार प्रति लाख जनसंख्या पर यहॉ महाविद्यालयो की सख्या 0 3 है, जो जनपद के औसत के बराबर है । यहाँ पर प्रति महाविद्यालय शिक्षकों की संख्या 71 है, जिसमें 7 महिला शिक्षक भी है । तहसील का यह अनुपात प्रदेश के अनुपात 1 50 से अधिक है । प्रति विद्यालय छात्रों की संख्या भी प्रदेश के अनुपात 1237 तथा जनपद के अनुपात 1306 से कम है । यहाँ का प्रति शिक्षक-छात्रों का अनुपात 14.67 है जो जनपद के अनुपात 36.5 एवं राज्य के अनुपात 25 से कम है । इस प्रकार तहसील की स्थिति जनपद की तुलना मे ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त है ।

जनपद के आजमगढ़ तहसील के नगरीय क्षेत्र में 4 महाविद्यालय हैं, जिसमें अग्रसेन महिला महाविद्यालय भी सम्मिलित है । इसकी स्थापना 1966 में हुयी थी । इसके अतिरिक्त शिबली नेशनल

स्नातकोत्तर महाविद्यालय 1946 ,दयानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय 1962 तथा श्री दुर्गाजी महाविद्यालय चण्डेशर 1955, अन्य महाविद्यालय है। इन महाविद्यालयों की स्थापना पहले हाई-स्कूल एव इण्टरमीडिएट कालेज के रूप मे हुयी थी। कालान्तर में ये स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रुप मे परिवर्तित हो गये। इन महाविद्यालयों का कार्य क्षेत्र नगरीय एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में फैला है। इन चारो महाविद्यालयों में छात्रो की पजीकृत सख्या 6772 है, जिसमें 2700 बालिकाए है। इसमे शिक्षको की संख्या सम्मिलित रुप से 210 है, जिसमें 36 महिला शिक्षक है। इस प्रकार प्रति शिक्षक, छात्रो की संख्या 32 25 है जो जनपद केअनुपात 36 5 से कम एवं प्रदेश के अनुपात 25 0 से अधिक है। इन महाविद्यालयों मे प्रति विद्यालय छात्रो का अनुपात 1693 है, जो प्रदेश एवं जनपद दोनो के औसत से अधिक है। यहॉ पर प्रति विद्यालय शिक्षकों का अनुपात 52 5 है। आजमगढ़ तहसील का यह अनुपात जनपद के अनुपात 1:50 से अधिक है।

(य) व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान

आजमगढ़ तहसील मुख्यालय पर कुल 10 व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान है। इसमें एक प्राविधिक शिक्षा सस्थान है, इसमें सीटो की कुल संख्या 105 है जबकि पजीकृत छात्रों की संख्या 115 है। तहसील मे चार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिसमें सीटो की संख्या 904 है, तथा पजीकृत छात्रो की सख्या 1105 है। तहसील के 5 शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में कुल सीटें 448 है, तथा कुल छात्र 448 हैं, जिसमे 127 स्त्रिया थी। इन संस्थानों में पालिटेक्निक, राजकीय नार्मल स्कूल, वी० टी० सी० राजकीय बालिका विद्यालय, राजकीय पायलट वर्कशाप, हरिऔध कला भवन, राहुल साकृत्यायन संग्रहालय एवं कुसुम सगीत विद्यालय सर्वप्रमुख है।

तहसील में इन शैक्षणिक संस्थानों के अतिरिक्त कुल 10 संस्कृत पाठशाला एवं 2 पारसी/अरबी मकतब भी है। तहसील में 3 बड़े पुस्तकालय, सर्वहितकारी एवं हरिऔध कला भवना है। तहसील मे नगरीय क्षेत्र में 10 मांटेसरी, 35 जूनियर, 9 सीनियर बेसिक विद्यालय भी स्थित हैं। आजमगढ़ तहसील में कुल 9725 छात्रवृत्तियां प्रदान की गयी। इसकी सबसे अधिक सख्या 1820, विकासखण्ड पल्हनी में थी। तहबरपुर में कुल छात्रवृत्तियो की सख्या 1525 तथा रानी की सराय मे 1380 थी।

6.3 अनौपचारिक शिक्षा

अनौपचारिक-शिक्षा के अन्तर्गत प्रौढ़-साक्षरता कार्यक्रम बालवाणी/ ऑगनवाणी कार्यक्रम, युवक सगठन कार्यक्रम एव महिला मण्डल आदि कार्यक्रमो को सम्मिलित किया जाता है । वर्तमान समय मे आजमगढ जनपद मे कुल प्रौढ़ साक्षरता केन्द्रो की सख्या 600 है । जनपद मे अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रो की सख्या 1535, बालवाणी/ऑगनवाणी केन्द्रो की सख्या 345, युवक सगठन 2118 तथा महिला मण्डल की सख्या 523 है । अनौपचारिक शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम सभी नागरिको को राष्ट्र की मुख्य धारा मे जोड़ने के लिए सचालित किया जा रहा है । इसका उद्देश्य साक्षरता के साथ-साथ जनता मे व्यावसायिक दक्षता एव सामाजिक तथा राजनैतिक चेतना का विकास करना है। नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देशो के अनुसार सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा का 'राष्ट्रीय साक्षरता मिशन' नामक एक विस्तृत कार्यक्रमो की रुपरेखा तैयार की है जिसका प्रधान लक्ष्य 15–35 वर्ष की आयु वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाना है । यह पाठ्यक्रम 12 महीने चलता है, तथा इसमें आने वाले प्रौढ़ो को कक्षा तीन तक की शिक्षा पूरी कर दी जाती है । इस कार्यक्रम मे स्वैच्छिक सस्थाओ एव शिक्षित युवको का विशेष योगदान होता है ।

1990-91 के ऑकडो के अनुसार तहसील मे प्रौढ शिक्षा केन्द्रो की कुल सख्या 162 है । प्रस्तुत कार्यक्रमो के अन्तर्गत इन केन्द्रो की स्थापना गॉवो मे भी प्रस्तावित है परन्तु अभी अपेक्षित सफलता नही प्राप्त हो सकी है । तहसील मे बालवाणी एव ऑगनवाणी कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया गया है । यहॉ पर युवक मगल दल एव महिला सगठन भी कार्यरत है ।

6.4 शिक्षा की समस्याएँ

तहसील मे प्रभावी एव उत्तम शैक्षिक योजना प्रस्तुत करने के लिए शिक्षा के वर्तमान प्रतिरुप एव उसमे व्याप्त समस्याओ का आकलन प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है । वर्तमान प्रतिरुप एव उसमे आयी गिरावट के ही सन्दर्भ मे नियोजन प्रस्तुत किया जा सकता है । तहसील के गहन अध्ययनोपरान्त स्पष्ट हुयी कुछ प्रमुख समस्याए इस प्रकार है –

1 तहसील मे शिक्षा की सबसे प्रमुख समस्या उद्देश्यहीन एव अर्थहीन, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। शिक्षा प्रत्येक वर्ष कुछ और बेरोजगारों को पैदा करने तक ही सीमित हो गयी है । क्षेत्र मे रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा का पूर्णतया अभाव है । अत· तहसील मे शिक्षा के उन्नयन हेतु रोजगार परक-व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता है ।

2 देश की दोहरी एव भेद-भावपूर्ण शिक्षा प्रणाली ने अध्ययन क्षेत्र मे भी शैक्षिक स्तर को काफी सीमा तक प्रभावित किया है । क्षेत्र मे ९९ 2 प्रतिशत विद्यालयों मे पुस्तकालय एवं वाचनालय की कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है । तहसील के लगभग 60 प्रतिशत विद्यालयो में भवन अथवा आसन की कोई उपयुक्त सुविधा नहीं है । वृक्षों के नीचे विद्यार्थियो एवं अध्यापकों द्वारा अध्ययन-अध्यापन मात्र खानापूर्ति तक ही सीमित हो गया है । विद्यार्थियो को बैठने के लिए चटाई एव बोरे घर से ही लाने पड़ते है । शौचालय एवं मूत्रालय की कोई व्यवस्था नहीं उपलब्ध है ।

3 उबाऊ पाठ्यक्रम एवं उसके बोझ ने शिक्षा को इस स्तर तक प्रभावित किया कि पाठ्यक्रम पूर्णरुपेण न समाप्त हो पाने के फलस्वरुप अध्यापक एव छात्र के मध्य एक समझौता इस प्रकार का हो गया कि परीक्षा एव मूल्याकन की शुचिता ही समाप्त हो गयी । नकल की प्रथा ने विद्या-मन्दिरों को छात्र एवं अध्यापक विहीन कर दिया क्योंकि दोनों को ही शिक्षा की कोई आवश्यकता नही रह गयी थी । पिछले वर्ष नकल अध्यादेश द्वारा इस क्षेत्र मे शिक्षा पर कुछ सकारात्मक प्रभाव अवश्य पडा है ।

4 वर्तमान शिक्षा की एक प्रमुख समस्या विद्यार्थियो का हाई स्कूल के स्तर तक आते-आते विद्यालय को छोड़ देना है । प्रधानाध्यापकों द्वारा मिली सूचना के अनुसार विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों का प्रतिशत कक्षा 5 तक लगभग 50 प्रतिशत था । एक से 10 के मध्य इनका प्रतिशत लगभग 60 है । वर्षा के दिनो मे एवं ग्रीष्म काल में भवन की उपयुक्त व्यवस्था की कमी के कारण जो छात्र एक बार विद्यालय आना बन्द करते हैं तो अनुकूल मौसम में भी पुन· उनके द्वारा विद्यालय आना एक दुरुह कार्य हो जाता है, इस प्रकार शिक्षा वाधित होती

है । वर्षा काल मे तो कभी-कभी भवन के अभाव मे निकट के गॉव मे ही अध्ययन एवं अध्यापन सम्भव होता है ।

5 प्रौढ़ शिक्षा आदि सरकारी कार्यक्रमो के क्रियान्वयन की कोई समुचित व्यवस्था न होने के कारण अध्ययन क्षेत्र मे शिक्षा का स्तर काफी नीचा रहा है । उच्च शिक्षा स्तर के लिए इन कार्यक्रमो की सफलता आवश्यक है । जिसके लिए एक निश्चित रुप रेखा एवं ठोस आधार की आवश्यकता है ।

6 अर्ध-सरकारी विद्यालयो में अध्यापकों का शोषण एवं अयोग्य अध्यापकों की नियुक्ति एक आम घटना हो गयी थी । परन्तु प्रबन्धकीय व्यवस्था को समाप्त कर देने से अध्यापको एव विद्यार्थियो के उपर से स्थानीय नियन्त्रण समाप्त हो गया । फलस्वरूप बढ़ती स्वेच्छाचारिता एव अनुशासन हीनता शिक्षा के गिरते स्तर के लिए काफी सीमा तक जिम्मेदार है।

7 सरकारी प्राथमिक एव माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति तहसील मे और भी निन्दनीय है । विद्यालय न जाना, अध्यापन से विरत रहना, निजी सस्थाओं मे अध्ययन हेतु बाध्य करना आदि घटनाए इसके निन्दनीय स्वरुप को प्रमाणित करती हैं । स्थानीय नियुक्ति एवं स्थानान्तरण के अभाव मे अध्ययन क्षेत्र की सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली ही चरमरा गयी है ।

इस प्रकार शिक्षा के उन्नयन एव इसमें गुणात्मक सुधार हेतु आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है । विद्यालयो मे अध्यापन कक्षो एव शिक्षकों मे **बृद्धि,**रोजगार परक शिक्षा के विकास, गरीब मेधावी छात्रो को सहायता, प्राप्त सुविधाओं के अधिकतम उपयोग एव बेहतर तथा प्रभावी अनुशासन की महती आवश्यकता है ।

6.5 विद्यालयों का शैक्षिक एवं स्थानिक स्तर

शिक्षक-छात्र, विद्यालय-शिक्षक तथा विद्यालय-छात्र अनुपात का यद्यपि कोई सर्वमान्य राष्ट्रीय मानक स्तर तैयार अथवा स्वीकार नहीं किया गया है । परन्तु कुछ मानदण्ड भारतीय शिक्षाविदों द्वारा तैयार किया गया है । इसके अनुसार प्राथमिक विद्यालयों मे प्रति शिक्षक छात्रो की संख्या कम

से कम 25 तथा अधिकतम 50 तक उचित होती है। इसी प्रकार सेकेण्डरी विद्यालयो मे प्रति शिक्षक छात्रो की सख्या कम से कम 20 तथा अधिकतम 30 उचित बताया गया है।[7] इसी तरह राष्ट्रीय मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय किसी भी बस्ती से 1–5 किमी० से अधिक दूरी पर नहीं होने चाहिए। सीनियर बेसिक एवं हाई स्कूल के सन्दर्भ मे यह दूरी क्रमश 5 एवं 8 किमी० होनी चाहिए।[8] यद्यपि यह राष्ट्रीय मानक प्रत्येक क्षेत्र मे पूर्णरुपेण लागू नही किया जा सकता। परन्तु राष्ट्र एव राज्य के मानकों की पूर्णतया अवहेलना भी नहीं की जा सकती। फलत राष्ट्रीय एवं प्रदेशीय मानदण्डो की सीमाओ को ध्यान मे रखते हुये तथा वर्तमान शैक्षणिक सुविधाओं के सन्दर्भ मे तालिका 6 5 मे आजमगढ़ तहसील मे उपयुक्त, शैक्षणिक मानदण्डों को दिया गया है।

तालिका 6.5

आजमगढ़ तहसील के लिए शैक्षणिक मानदण्ड

क्रम सख्या	विद्यालयो का स्तर	शिक्षक-छात्र अनुपात	स्कूल-छात्र अनुपात
1	जूनियर बेसिक विद्यालय	1 30	1 150
2	सीनियर बेसिक विद्यालय	1 25	1 110
3	माध्यमिक विद्यालय	1 20	1 325

स्रोत – After R K Pathak

उक्त शैक्षणिक संस्थाओं की अवस्थिति के सन्दर्भ में भी एक उचित मानदण्ड होना चाहिए। आजमगढ़ तहसील में भी यह अवस्थिति मानदण्ड, बस्तियो की जनसंख्या, परिवहन के साधनों की प्रकृति एवं किस्मों, शैक्षणिक इकाइयो की कार्यात्मक रिक्तता तथा उनके विशिष्ट जनसख्याधार के सन्दर्भ मे निर्धारित किया गया है। इस प्रकार किसी भी जूनियर बेसिक विद्यालय की दूरी 1 5 किमी० से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीनियर बेसिक विद्यालयों की दूरी किसी भी बस्ती से 2 से 4 किमी०, तथा माध्यमिक विद्यालयों की दूरी 4 से 6 किमी० के बीच होनी चाहिए।

6.6 शिक्षा-नियोजन

शिक्षा के वर्तमान स्वरुप के वर्णनोंपरान्त इसकी भावी आवश्यकता की गणना क्षेत्र की बढ़ती हुयी जनसख्या के एव तहसील के शैक्षिक मानदण्डों के अन्तर्गत की जा सकती है । तहसील में अगले वर्षो मे होने वाली जनसख्या वृद्धि का अनुमान लगाना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का शैक्षिक नियोजन वहॉ की भावी जनसंख्या एव छात्र सख्या की वृद्धि पर ही आधारित होगा ।

(अ) जनसंख्या-प्रक्षेपण एवं छात्रों की भावी संख्या

शैक्षिक नियोजन प्रस्तुत करने की प्राथमिक आवश्यकता अध्ययन क्षेत्र की भावी जनसख्या वृद्धि सम्बन्धी सूचना की उपलब्धि है । जनसख्या प्रक्षेपण मे विभिन्न विद्वानो द्वारा सामान्य रुप से आयु समूह, सरचना, उत्पादकता तथा पिछली जन्मदर एवं मृत्युदर आदि आधारों का प्रयोग किया जाता रहा है । परन्तु किसी प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि गतिशील प्रक्रिया है जो समय के साथ बदलती रहती है ।

शिशु जन्मदर एवं मृत्युदर , जनसख्या स्थानान्तरण [9] आदि के अतिरिक्त कुछ और तथ्यों पर ध्यान देते हुये जनसंख्या प्रक्षेपण प्रस्तुत किया गया है ।

1 जनसख्या प्रक्षेपण मे इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि भविष्य मे लोग परिवार-नियोजन के विभिन्न कार्यक्रमो को अपनायेगे फिर भी जनसख्या वृद्धि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और जनसख्या इसी गति से बढ़ती रहेगी ।

2 जनसख्या बृद्धि का स्वरुप चक्रबृद्धि-दर का होगा ।

3 जनसख्या प्रक्षेपण में तहसील की जनसख्या बृद्धि को ही न्याय पचायतों की भी बृद्धि-दर के रुप मे स्वीकार किया गया है ।

सर्वप्रथम तहसील की 1951 की जनगणना को आधार वर्ष एवं 1991 की जनगणना को अन्तिम वर्ष के रुप मे स्वीकार करके जनसंख्या की वार्षिक बृद्धि दर की गणना गिब्स द्वारा बताये गये सूत्र से की गयी है ।[10]

$$R = \frac{(P2 - P1)/T}{(P2 + P1)/2} \times 100$$

जहाँ, R = औसत वार्षिक बृद्धि दर

P_1 = आधार वर्ष की जनसंख्या

P_2 = अन्तिम वर्ष की जनसंख्या, तथा

T = समयावधि

सूत्र से गणना करने पर आजमगढ़ तहसील की औसत वार्षिक बृद्धि दर 1 952 आती है। पुनः सभी न्याय-पचायतों की 2001 तक की भावी जनसख्या का अनुमान निम्नलिखित सूत्र से निकाला गया है।[11]

$$A = P (1 + R/100)T$$

जहाँ, A = प्रक्षेपित जनसख्या

P = वर्तमान जनसंख्या

T = वर्तमान तथा प्रक्षेपित जनसंख्या के बीच की अवधि तथा

R = औसत वार्षिक बृद्धि दर।

उपर्युक्त सूत्र के आधार पर गणना करने पर यह निष्कर्ष निकला कि सन् 2001 तक तहसील की जनसख्या बढ़कर 1112615 हो जाने की सम्भावना है। जिसमें नगरीय जनसख्या 194374 तथा ग्रामीण जनसंख्या 918241 होगी।

आजमगढ़ तहसील में छात्रों की भावी सख्या का अनुमान विद्यालय-स्तर के आधार पर लगाया गया है। इसके अन्तर्गत केवल जूनियर-स्तर के आधार पर लगाया गया है। इसके अन्तर्गत केवल जूनियर बेसिक विद्यालय, सीनियर बेसिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयो को ही समाहित किया गया है। छात्रो की वार्षिक वृद्धि दर की गणना 1981 से 1993 के मध्य के 12 वर्षो के, जनसख्या-छात्र अनुपात का औसत निकालकर की गयी है। प्राथमिक विद्यालयों में छात्रो की औसत वार्षिक

वृद्धि दर 0 71 है । सीनियर बेसिक विद्यालयो मे यह प्रतिशत 0 18 है, जबकि विद्यालयो में वृद्धि का यह प्रतिशत 0 06 है (तालिका 6 6)।

तालिका 6.6

तहसील में जनसंख्या-छात्र अनुपात (प्रतिशत में)

क्रम स०	विद्यालय का स्तर	1991 में छात्र प्रतिशत	औसत वार्षिक वृद्धि	2001 तक अनुमानित छात्र %
1	जूनियर बेसिक विद्यालय	11 04	0 71	19 56
2	सीनियर बेसिक विद्यालय	2 93	0 18	5 09
3	माध्यमिक-विद्यालय	2 09	0 06	2 81

जनसख्या-छात्र अनुपात की गणना प्रक्षेपित जनसख्या के आधार पर की गयी है ।

(ब) विद्यालयीय स्तर के अनुसार नियोजन

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सन् 2001 तक आजमगढ़ तहसील में जूनियर-बेसिक विद्यालयो के छात्रो की संख्या 217628 हो जाने का अनुमान है । इसी प्रकार सीनियर बेसिक विद्यालयो में छात्रों की संख्या 26922 थी जो 2001 तक बढ़कर 56632 हो जाना अनुमानित है । तहसील के माध्यमिक विद्यालयो में छात्र संख्या 19261 थी जो 2001 तक बढ़कर 31265 हो जाना अनुमानित है । इस प्रकार आजमगढ़ तहसील मे विद्यालय स्तर के अनुसार बृद्धि क्रमशः 116348, 29710 तथा 12004 अनुमानित है (देखें तालिका 6 7 एवं मानचित्र 6 2)।

(1) जूनियर बेसिक विद्यालय

आजमगढ़ तहसील में वर्तमान समय मे जूनियर बेसिक विद्यालयों की कुल संख्या 402 है जिसमें 101280 छात्र एवं 1708 शिक्षक अध्ययन-अध्यापनरत हैं । सन् 2001 तक प्रक्षेपित जनसंख्या के आधार पर छात्रो की अनुमानित सख्या 217628 हो जायेगी इस प्रकार 116348 छात्रों की अतिरिक्त

TAHSIL AZAMGARH
PROPOSED EDUCATIONAL FOCI
N
Tahbarpur
Mirzapur
Palhani
Sathiyaon
Rani Ki Sarai
Jahanaganj
Mohammadpur
UNIVERSITY (TECH.)
DEGREE COLLEGE
MADHYAMIC SCHOOL
GOVERNMENT POLYTECHNIC INSTITUTE
GOVERNMENT TRAINING SCHOOL
SENIOR BASIC SCHOOL
4 0 4 8
Km

Fig 6·2

तालिका 6.7

आजमगढ़ तहसील में सन् 2001 तक आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएँ

क्रम सख्या	विद्यालय का स्तर	छात्र सख्या			विद्यालय संख्या			शिक्षक सख्या		
		वर्तमान	2001 तक	वृद्धि अतिरिक्त	वर्तमान	2001 तक	वृद्धि अतिरिक्त	वर्तमान	2001 तक	वृद्धि अतिरिक्त
1	जूनियर बेसिक विद्यालय	101280	217628	116348	402	1451	1049	1708	7254	5546
2.	सीनियर बेसिक विद्यालय	26922	56632	29710	109	515	406	472	2265	1793
3.	माध्यमिक विद्यालय	19261	31265	12004	31	96	65	622	1563	941

स्रोत — तालिका 6.5 एवं 6.6 में दिये गये मानको के आधार पर प्रक्षेपित जनसंख्या से संगणित !

वृद्धि होगी । इसके लिए राष्ट्रीय मानक स्तर के आधार पर 1049 अतिरिक्त जूनियर बेसिक विद्यालयो की आवश्यकता होगी । जिसमें 5546 अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक होगी । यद्यपि तहसील में जूनियर बेसिक विद्यालयो की सख्या 402 है परन्तु असमान वितरण के कारण कुछ क्षेत्र आज भी उपेक्षित हैं । सन् 2001 तक तहसील के सभी ग्राम पंचायतों में एक जूनियर बेसिक विद्यालय की आवश्यकता होगी । आजमगढ़ तहसील मे इस सस्थान में छात्रो की अपेक्षाकृत कमी का एक मात्र कारण निजी शिशु मन्दिरों का सफल संचालन है ।

(2) सीनियर बेसिक विद्यालय

तहसील आजमगढ़ में सीनियर-बेसिक विद्यालयो की कुल संख्या 109 है, जिसमे पजीकृत छात्रों की कुल सख्या 26922 है तथा इनमें कुल 472 शिक्षक अध्यापन कार्य करते है । ज्ञातव्य है कि सीनियर-बेसिक स्तर की शिक्षा माध्यमिक विद्यालयों मे भी दी जाती है । अत. इन विद्यालयों की सख्या को इसमें समाहित नही किया गया है । सन् 2001 तक तहसील में सीनियर-बेसिक विद्यालयो में छात्रो की संख्या बढ़कर 56632 हो जाना अनुमानित है । इस प्रकार 29710 छात्रों की अतिरिक्त वृद्धि होगी जिसके लिए 406 अतिरिक्त विद्यालयो एवं 1793 अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होगी । सन् 2001 तक तहसील के समस्त ग्राम पंचायत को 5 किमी० की दूरी तक सीनियर बेसिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है ।

(3) माध्यमिक विद्यालय

तहसील मे वर्तमान समय में माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या 22 है नगरीय क्षेत्र में कुल 9 माध्यमिक विद्यालय स्थापित हैं । इन माध्यमिक विद्यालयो में पजीकृत छात्रो की संख्या 19261 है, अध्यापको की सख्या 622 है । सन् 2001 तक तहसील मे छात्रो की सख्या मे 12004 की अतिरिक्त वृद्धि होगी जिसके लिए 65 अतिरिक्त विद्यालयो एव 941 अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होगी। सन् 2001 तक तहसील के समस्त ग्राम-पंचायतों को माध्यमिक विद्यालयों की सुविधा 8 किमी० की दूरी तक प्राप्त कराना प्रस्तावित है । इन विद्यालयों की ग्रामीण क्षेत्रों मे महती आवश्यकता है । सन् 2001 तक कुछ विद्यालय, खरकौली, पूरब-पट्टी, भूरा-मकबूलपुर, कोटिला,

गोधौरा, बीनापार, दुर्वासा आदि स्थानो पर आवश्यक हैं। इनमे बालिका विद्यालयो की स्थापना अति आवश्यक है।

(4) महविद्यालय एवं विश्व विद्यालय

जनपद गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, एव फैजाबाद से तहसील मुख्यालय आजमगढ़ नगर की दूरी को, यहॉ पर अध्ययन-रत छात्रों की संख्या को, एवं प्रदेश में तकनीकी/स्वास्थ्य विश्व विद्यालय के अभाव को दृष्टिगत रखतें हुये रुड़की विश्व विद्यालय के प्रारुप पर यहाँ एक तकनीकी/स्वास्थ्य विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्वी उत्तर प्रदेश के व्यापक हित में होगी। प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजो को भी इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जा सकता है। पिछली स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकते हुये इस कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

तहसील में वर्तमान समय में चार महाविद्यालय है जो तहसील मुख्यालय पर स्थित है। आम छात्रो की सुगमता एव सुलभता को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित है कि ओरा, तहबरपुर, मिर्जापुर रानी की सराय, सठियॉव एव जहानागज स्थानो पर एक-एक महाविद्यालय खोला जाय। इस कार्य से कार्यात्मक रिक्तता की पूर्ति होगी एवं भावी विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुये सर्वोत्तम कार्य होगा।

(5) व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान

वर्तमान समय में आजमगढ़ तहसील मुख्यालय पर एक प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान, 4 औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान तथा 5 शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं। सन् 2001 तक ये आवश्यकता की पूर्ति में असमर्थ होगें। अत. ग्रामीण क्षेत्रों में 2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 2 प्राविधिक प्रशिक्षण सस्थान तथा 2 शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान और खोले जायॅ।

(स) अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी नियोजन

स्वतन्त्रोपरान्त औपचारिक शिक्षा को यद्यपि काफी प्रोत्साहन दिया गया परन्तु अपेक्षित सफलता प्राप्त न हो सकी। ग्राम विकास को गति प्रदान करने के लिए शिक्षा के स्तर में वृद्धि करना

आवश्यक है । ग्राम उत्थान के लिए कार्यरत सगठनों की भूमिका इसके लिए और भी महत्वपूर्ण है । परन्तु तहसील मे न तो इनका कोई कार्य क्षेत्र है तथा न ही बहुसंख्यक समाज को इन सगठनो की कोई जानकारी है । आवश्यकता इस बात की है कि इन संगठनों के कार्य क्षेत्र का निर्धारण करके इन्हे लोक-प्रिय एव लोक-ग्राह्य बनाया जाय । अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्रौढ़ महिलाओ की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । इस सन्दर्भ मे गाधी जी का कथन ''यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति को ही शिक्षित करते है जबकि यदि आप एक महिला को शिक्षित करते है तो एक परिवार को शिक्षित करते है '' महत्वपूर्ण है । ग्रामीण क्षेत्रों मे प्रौढ़ो की शिक्षा, व्यवसाय एवं रोजगार परक होनी चाहिये । ग्रामीण युवको को नवीन कृषि उपकरणों, उच्च उत्पादकता वाली फसलो, उर्वरको एव कृषि यन्त्रों के प्रयोगों, फसल चक्र, मिश्रित कृषि, सघन कृषि, विस्तृत कृषि एवं शुष्क कृषि सम्बन्धी तथा लघु एवं कुटीर उद्योग सम्बन्धी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए । ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य, एवं बच्चो के पोषण सम्बन्धी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य ही जीवन है । स्वस्थ शरीर कल्याणकारी कार्यो का प्रारम्भिक बिन्दु है । स्वास्थ्य किसी भी प्रदेश के प्रगति का मापदण्ड होता है। इसलिए सितम्बर 1978 की अल्मा-आता घोषणा के अनुसार सन् 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को पूरा करने के राष्ट्रीय संकल्प को दोहराया गया ।[12] नियोजन काल के प्रारम्भ होने पर विभिन्न योजनाओं मे स्वास्थ्य के महत्व को स्वीकार किया गया । सातवीं पंचवर्षीय योजना मे तो चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कंल्याण सेवाओ को सकल्प के साथ विकसित करने का प्रयास किया गया ।[13] इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण सामाजिक सुविधा का पूर्ण विश्लेषण एवं विकास नियोजन प्रस्तुत करना आवश्यक प्रतीत होता है ।

6.7 वर्तमान प्रतिरुप एवं समस्याएँ

स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओ के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एलोपैथिक औषधालय, आयुर्वेद औषधालय, यूनानी औषधालय, शिशु कल्याण केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, होमियोपैथ केन्द्र, परिवार एव मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, परिवार-कल्याण उपकेन्द्र आदि सेवाओ को सम्मिलित किया जाता है । स्वास्थ्य सम्बन्धी ये सभी केन्द्र ही ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओ के मुख्य आधार होते है ।

(अ) वितरण एवं घनत्व

आजमगढ़ तहसील जनपद की प्रधान तहसील है । अतः इसकी स्थिति जनपद के अन्य क्षेत्रों की तुलना मे बेहतर है । आजमगढ़ तहसील मे कुल औषधालयों एवं चिकित्सालयों में 41 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 9 आयुर्वेद, 1 यूनानी औषधालय, 5 होमियोपैथ स्वास्थ्य केन्द्र तथा 9 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, 153 परिवार एव मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र स्थित हैं (तालिका 6 8 एव मानचित्र 6 3) ।

इस प्रकार तालिका से स्पष्ट है कि आजमगढ़ नगरीय क्षेत्र में कुल 17 स्वास्थ्य केन्द्र है जिसमें 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1 आयुर्वेद, 1 होमियोपैथ तथा, 2 मातृ शिशु कल्याण केन्द्र हैं । सबसे अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मिर्जापुर मे हैं जिसकी संख्या 5 है । तहबरपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या 4 है । तहसील का एक मात्र यूनानी स्वास्थ्य केन्द्र मोहम्मदपुर में है ।

तहसील मे प्रतिलाख जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या 3 97 है जो आजमगढ़ जनपद की संख्या 4.0 से थोड़ा कम है । यह संख्या सबसे अधिक मिर्जापुर में पायी जाती है । यहाँ पर प्रतिलाख जनसख्या पर 4 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं । तहसील में प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथ स्वास्थ्य केन्द्र की सख्या नगरो की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों मे कम है । तहसील में प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथ/प्रा० स्वा० केन्द्र मे शैयाओं की संख्या 18.62 है जो आजमगढ़ जनपद के

तालिका 6.8

आजमगढ़ तहसील में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा केन्द्रों का वितरण, 1991

तहसील / विकास खण्ड	संख्या					
	प्रा० स्वा०/एलोपैथ	आयुर्वेद	यूनानी	होमियोपैथ	मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	मातृ शिशु क० उपकेन्द्र
1. मिर्जापुर विकास खण्ड	5	1	—	—	1	19
2 मोहम्मदपुर	4	1	1	—	1	22
3 तहबरपुर	4	2	—	2	1	22
4. पल्हनी	4	1	—	1	1	24
5. रानी की सराय	4	1	—	—	1	22
6. सठियॉव	4	1	—	—	1	24
7. जहानागंज	4	1	—	1	1	20
आजमगढ़ नगरीय	12	1	—	1	2	—
तहसील आजमगढ़	41	9	1	5	9	153

स्रोत — सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद आजमगढ, 1991

TAHSIL AZAMGARH
SPATIAL PATTERN OF MEDICAL FACILITIES
1991
N
TAHBARPUR
MIRZAPUR
RANI KI SARAI
PALHANI
SATHIYAON
MOHAMMADPUR
JAHANAGANJ
MEDICAL FACILITIES
EXISTING
PROPOSED
HOSPITAL
PRIMARY HEALTH CENTRES
MATERNITY & CHILD WELFARE CENTRES
DESPENSARY (PRIVATE)
COMMUNITY HEALTH CENTRES
4
0
4
8
Km

Fig 6·3

औसत 31 से कम है । तहसील मे प्रति परिवार एव मातृ शिशु कल्याण केन्द्र पर आश्रित जनसख्या 6056 है (सारणी 6 9) ।

तालिका 6.9

आजमगढ़ तहसील में एलोपैथ/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/औषधालय का घनत्व, 1991

तहसील विकास खण्ड	प्रति लाख जनसख्या पर एलोपैथ/ प्रा०स्वा० केन्द्र/औषधालय की सख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथ/ प्रा०स्वा० केन्द्र/औषधालय में शैय्या की संख्या
विकास खण्ड मिर्जापुर	4 50	18 1
मोहम्मदपुर	4 00	16 0
तहबरपुर	3 80	24 9
पल्हनी	3 70	14 9
रानी की सराय	4 10	16 5
सठियॉव	3 61	23 6
जहानागंज	4 10	16 4
तहसील आजमगढ़	3 97	18 62

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद-आजमगढ़, 1991.

आजमगढ़ तहसील में चिकित्सालयों में डाक्टर एवं कर्मचारियो की भी उचित व्यवस्था नहीं है । तालिका 6 10 से स्पष्ट होता है कि तहसील की सम्पूर्ण जनसख्या की दृष्टि से ये स्वास्थ्य केन्द्र पर्याप्त व्यवस्था से सम्पन्न नही है ।

तालिका 6.10

आजमगढ़ तहसील के स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाएँ 1991

तहसील / विकास खण्ड	एलोपैथ			आयुर्वेद			होमियोपैथ			यूनानी		
	संख्या	शैय्या	डाक्टर	सख्या	शैय्या	डाक्टर	सख्या	शैय्या	डाक्टर	सख्या	शैय्या	डाक्टर
विकास खण्ड मिर्जापुर	5	20	3	1	4	1	—	—	—	—	—	—
मोहम्मदपुर	4	16	3	1	4	1	—	—	—	1	—	—
तहबरपुर	4	26	2	2	8	2	2	—	3	—	—	—
पल्हनी	4	16	4	1	4	1	1	—	1	—	—	1
रानी की सराय	4	16	3	1	4	1	—	—	—	—	—	—
सठियॉव	4	26	3	1	4	1	—	—	—	—	—	—
जहानागज	4	16	3	1	4	1	1	—	1	—	—	—
नगरीय	12	440	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
तहसील	41	576	21	9	32	8	5	—	4	1	—	1

स्रोत — सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद आजमगढ़, 1991

(ब) अभिगम्यता

अभिगम्यता का अर्थ स्वास्थ्य केन्द्रों से गॉवो की दूरी से है । आजमगढ़ तहसील यद्यपि सख्या की दृष्टि से जनपद में प्रथम स्थान पर है, परन्तु यदि गाँवों से स्वास्थ्य केन्द्रो की दूरी का अध्ययन करें तो स्पष्ट होता है कि तहसील के मात्र 2 64 प्रतिशत गॉवो को ही इसकी सुविधा गॉव में प्राप्त हो पाती है । तहसील के 46 59 प्रतिशत गॉव ऐसे है जिन्हें यह सुविधा प्राप्त करने के लिए 5 किमी० या इससे अधिक दूर चलना पड़ता है । जबकि 18 57 प्रतिशत गांवों को ऐलोपैथ की सुविधा 1 किमी० से 3 किमी० की दूरी पर प्राप्त होती है । तहसील मे मातृ शिशु कल्याण केन्द्र की अभिगम्यता ऐलोपैथ से बेहतर है । तहसील के 14 74 प्रतिशत गॉवो को यह सुविधा गाँव में ही उपलब्ध है । 9 4 प्रतिशत गॉवों को यह सुविधा प्राप्त करने के लिए 5 किमी० या इससे अधिक दूर की यात्रा करना पड़ता है, जबकि 38 25 प्रतिशत गॉव ऐसे है जिन्हे यह सुविधा प्राप्त करने के लिए 1–3 किमी० की यात्रा तय करना पड़ता है । आयुर्वेद चिकित्सालयो की कमी के कारण मात्र 0 72 प्रतिशत गॉवो को ही यह सुविधा गॉव मे उपलब्ध है । जबकि 67.94 प्रतिशत गॉवों को यह सुविधा प्राप्त करने के लिए 5 किमी० से अधिक की यात्रा करना पड़ता है ।

विकासखण्ड स्तर पर एलोपैथ की अभिगम्यता की दृष्टि से मिर्जापुर के 2 84 प्रतिशत गॉव इसकी सेवा गॉव मे ही प्राप्त करते है, जबकि 41 49 प्रतिशत गाँवों को इसके लिए 5 किमी० से अधिक दूरी तय करना पड़ता है। सबसे अधिक अभिगम्यता तहबरपुर में है । यहॉ के केवल 32 58 प्रतिशत गॉवों को एलोपैथ हेतु 5 किमी० या इससे अधिक दूर जाना पड़ता है ।

परिवार एवं मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र की दृष्टि से सबसे बेहतर स्थिति विकास खण्ड सठियाँव की है । यहॉ के 20 प्रतिशत गॉवों को यह सुविधा गॉव में ही प्राप्त है । यहॉ के 30 4 प्रतिशत लोगों को 1–3 किमी० तथा 32 प्रतिशत लोगों को 3-5 किमी० पर यह सुविधा प्राप्त है । ज्ञातव्य है कि मिर्जापुर के शत-प्रतिशत लोगों को ही यह सुविधा 0–3 किमी० तक प्राप्त हो जाती है । तहबरपुर विकास खण्ड के 13.14 प्रतिशत गॉवों को यह सुविधा गॉव में तथा 22 86 प्रतिशत को 5 किमी०

या इससे अधिक दूरी पर प्राप्त होती है। आयुर्वेद केन्द्रो के सन्दर्भ मे गॉवों को अपेक्षाकृत अधिक दूरी तय करना पड़ता है। गॉव मे आयुर्वेद की सेवा प्राप्त करने वाले सबसे अधिक 1 14 प्रतिशत गॉंव तहबरपुर विकास खण्ड के है। परन्तु यहॉ के 78 29 प्रतिशत गॉव इसकी सुविधा 5 किमी० या इससे अधिक दूरी पर प्राप्त करते है।

तालिका 6.11

आजमगढ़ तहसील में स्वास्थ्य केन्द्रों की अभिगम्यता, 1991

तहसील विकास खण्ड	गॉव मे उपलब्ध	1 किमी० की दूरी पर उपलब्ध	1-3 किमी० पर उपलब्ध	3–5 किमी० पर उपलब्ध	5 किमी० या अधिक दूर उपलब्ध
वि०ख० मिर्जापुर					
1 एलोपैथ	2 84	5 68	23.86	26 13	41 49
2 मातृ-शिशु केन्द्र	11 36	7 39	81.25	—	—
3 आयुर्वेद	0.57	2 27	7.38	3 98	85 80
वि०ख० मोहम्मदपुर					
1 एलोपैथ	3 13	9 37	10 93	10 16	66 41
2 मातृ-शिशु केन्द्र	17 97	19 53	30 47	16 41	15 62
3 आयुर्वेद	0 78	0 78	7 03	3 91	87 50
वि०ख० तहबरपुर					
1. एलोपैथ	2.28	6 86	13 71	44 57	32.58
2 मातृ-शिशु केन्द्र	13 14	24 57	26 86	12 57	22 86
3. आयुर्वेद	1 14	5.71	8 57	6 29	78 29

वि०ख० पल्हनी					
1 एलोपैथ	2 5	13 75	23 75	25 63	34 37
2 मातृ-शिशु केन्द्र	15 62	25 00	25 00	20 62	13 76
3 आयुर्वेद	0 63	4 37	11 87	26 88	56 25
वि०ख० रानी की सराय					
1. एलोपैथ	2 21	6 63	25.97	20 44	44 75
2 मातृ-शिशु केन्द्र	12 71	24.31	43 10	11 60	8 28
3 आयुर्वेद	0 55	3 87	2 21	3 87	89 50
वि०ख० सठियॉव					
1. एलोपैथ	3 2	5 6	22 4	11 2	57 6
2. मातृ-शिशु केन्द्र	20 0	17 6	30 4	32 0	—
3 आयुर्वेद	0 8	4.8	13 6	40 8	40.0
वि०ख० जहानागज					
1 एलोपैथ	2 35	8 82	9 4	30 59	48 84
2 मातृ-शिशु केन्द्र	12 35	29 42	30 59	22.35	5 29
3 आयुर्वेद	0.59	2.35	19 41	39.41	38 24
तहसील आजमगढ़					
1. एलोपैथ	2 64	8 10	18.57	24.10	46 59
2. मातृ-शिशु केन्द्र	14 74	21.12	38 24	16.50	9 40
3 आयुर्वेद	0 72	3 45	10 01	17.88	67 94

स्रोत – साख्यिकीय पत्रिका, जनपद आजमगढ़, 1991 से सगणित ।

(स) समस्याएँ

स्वतन्त्रोपरान्त यद्यपि स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं के विकास हेतु प्रयास किया गया परन्तु पर्याप्त साधन के अभाव एवं क्षेत्रीय असमानता के कारण सम्पूर्ण देश में इनका विकास समान रुप से नहीं हो सका । आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, योग एव अन्य सुविधाओं का विकास नगरीय क्षेत्रो मे तो कुछ सम्भव हुआ, परन्तु गॉव इस सुविधा से वंचित ही रह गये । 1970 में हरिजनो द्वारा चलाये गये 'जच्चा-बच्चा सेवा-बहिष्कार' अभियान के परिणाम स्वरुप गॉवो में सरकार द्वारा समन्वित रुप से मातृ शिशु कल्याण केन्द्रो का एक सुविधा विहीन ढॉचा स्थापित किया गया ।[14] सम्प्रति गॉव अपनी स्वास्थ्य सम्बन्धी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हेतु नगरो पर पूर्णरुपेण निर्भर हो गये है । तहसील मे व्याप्त कुछ समस्याओं का वर्णन इस प्रकार प्रस्तुत है-

1 प्रथम तो तहसील मे स्वास्थ्य केन्द्रो का ही अभाव है । जो कुछ सुविधा-विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है वहॉ भी डाक्टरो एव नर्सो का अभाव है । कोई भी डाक्टर शहर की भारी कमाई का परित्याग कर इन अभावग्रस्त जर्जर प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रों मे आना ही नहीं चाहता । ठीक ऐसी ही स्थिति परम्परागत दाइयों के स्थान पर नव-नियुक्त नर्सो की भी है । उचित ज्ञान एवं अनुभव तथा पर्याप्त उपकरणो एवं प्रसव गृह आदि के अभाव में इनका कार्य क्षेत्र ही संकुचित हो गया है ।

2 सर्वेक्षण के दौरान यह सपष्ट हुआ कि अधिकांश स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियुक्त अधिकांश डाक्टर एव नर्से अपने व्यक्तिगत कार्यो एवं अवैधानिक कार्यो के कारण निन्दनीय समझे जाने लगे है। आवास पर ही मरीजों का निरीक्षण एवं परीक्षण, मनमानी अवैध धन की वसूली तथा मरीजों के साथ अभद्रता का व्यवहार आदि क्रिया-कलाप इनके चरित्र का महत्वपूर्ण अंग हो गया है । ऐसे अयोग्य एव निकम्मे डाक्टरो एव नर्सो का स्थानान्तरण भी सम्भव नहीं होता क्योंकि मोटी-रकम के द्वारा ये अपने विभागीय उच्चाधिकारियो के प्रिय-पात्र भी होते हैं ।

3 तहसील में यद्यपि सामान्यतया खाद्यान्न, हरी सब्जी, बसा एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध हैं, परन्तु उनकी उचित देख-रेख न होने के कारण वह मानव-स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो

जाती है। परन्तु उपयुक्त शिक्षा के अभाव में अज्ञानतावश उन वस्तुओं से लोग विरत नहीं हो पाते जिसके कारण हैजा, मलेरिया, तपेदिक, उच्च रक्तचाप एवं न्यून रक्त-चाप, मधुमेह, क्षय रोग, जैसे जानलेवा रोगो के लोग शिकार भी हो जाते है ।

4 क्षेत्र मे गर्भवती महिलाओ के स्वास्थ्य के रख-रखाव और उनके पौष्टिक आहार की समस्या बहुत ही भयकर है । अधिकाश लोग भर पेट-भोजन ही बड़ी मुश्किल से जुटा पाते है । किन्तु जो पौष्टिक आहार प्राप्त करने मे सफल है वे भी अज्ञानतावश ऐसा नही कर पाते है। इनके जो बच्चे स्वस्थ जन्म ले भी लेते है वे भी कुपोषण एव प्राथमिक रोग-निरोधक उपचार के अभाव मे रोग-ग्रस्त हो जाते है ।

5 गॉवो की दूषित आवासीय व्यवस्था, मकानों में वातायन का अभाव तथा पशुओं के साथ निवास की प्रथा भी लोगो, विशेषत स्त्रियो के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है । इसके साथ ही भवनों में शौचालयों का अभाव तथा बस्तियों से लगे हुये बाह्य क्षेत्र में किया गया मल-मूत्र त्याग भी लोगो के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है ।

6 सम्पूर्ण तहसील में पेय जल के दो साधन कूऑ एवं हैडपम्प है । गॉव के कुएँ खुले हुये होते हैं । उनके रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है । उनमें पेड़ों की पत्तियाँ गिर कर सड़ती है तथा वर्षा का पानी भी उसमें जाता है, जिससे दूषित पानी का प्रयोग करने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । शायद ही कभी कूऍं मे लाल दवा डाली जाती हो तथा उनकी सफाई की जाती हो । हैण्ड पम्प इन समस्याओं से तो परे है किन्तु सामान्यतया उनके आस-पास जल निकास की अच्छी व्यवस्था न होने से जलभराव बना रहता है। जल भराव से गन्दा पानी रिस कर भूमिगत जल को दूषित कर देता है, जो विभिन्न रोगों का कारण बनता है ।

7 तहसील मे गॉवों के एवं घरो के गन्दे पानी के निकास की समुचित व्यवस्था का अभाव है । नालियों के अभाव मे गन्दा पानी गलियों में जगह-जगह इकट्ठा होकर सड़ता है जिससे मच्छरो तथा अन्य कीटाणुओ को पनपने का अवसर मिलता है । तथा अनेक संक्रामक रोगों का कारण बनता है ।

8 गाँवों से स्वास्थ्य केन्द्रों की दूरी इतनी अधिक है कि आवागमन के उपयुक्त साधनों के अभाव में त्वरित सेवा नहीं मिल पाती तथा रोग असाध्य हो जाता है ।

इस प्रकार तहसील में स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं के कारण अनेक प्रकार की बीमारियों का प्रकोप है । इसमें मुख्य फाइलेरिया, अल्परक्तता, पोलियो, आन्त्रज्वर, चर्मरोग, कालाजार, मलेरिया, चेचक आदि हैं ।[15] इन रोगों की रोक थाम हेतु शीघ्र ही प्रयास किये जाने की आवश्यकता है ।

6.8 स्वास्थ्य सुविधाओं का सामान्य मानदण्ड

सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल के दौरान चिकित्सा, स्वास्थ्य, एवं परिवार-कल्याण सेवाओं का प्रसार एवं उसके सुदृढ़ीकरण हेतु रुपरेखा,'सन् 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य' राष्ट्रीय नीति के परिप्रेक्ष्य में तैयार की गयी थी । उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 5000 जनसंख्या पर एक उप केन्द्र एव मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र, 30000 जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 100000 जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की संस्तुति थी ।[16] परन्तु तहसील में यहमानक स्तर किसी भी प्रकार तुलना योग्य नहीं है । तहसील में 22371 जनसंख्या पर एक एलोपैथ/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं । अतः तहसील की स्थिति राष्ट्रीय मानक स्तर से बेहतर है । तहसील में 183443 पर होमियोपैथ तथा 101913 पर एक आयुर्वेद चिकित्सालय है । चिकित्सालयों की संख्या, निर्धारित जनसंख्या की सेवा मे समर्थ नहीं है । तहसील में प्रति मातृशिशु कल्याण उपकेन्द्र पर जनसंख्या का औसत 5994 है । तहसील में कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत नहीं है ।

6.9 स्वास्थ्य सुविधाओं का नियोजन

तहसील में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के अध्ययन, निरीक्षण एवं परीक्षण से स्पष्ट होता है कि तहसील में स्वास्थ्य सुविधाओं की सम्यक् व्यवस्था नहीं है । अतः स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्तता को देखते हुये एक ठोस एवं सकारात्मक नियोजन की आवश्यकता है । राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के

लक्ष्यों की पूर्ति हेतु एक नियोजन प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके मुख्यत. दो मानक हैं–

1. स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या राष्ट्रीय मानदण्डों पर ही आधारित है ।
2. स्वास्थ्य केन्द्रों की अवस्थितियॉ, कार्यात्मक रिक्तता एवं परिवहन सुविधाओं के सन्दर्भ में है ।

आजमगढ़ तहसील में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या यद्यपि मानक स्तर से अधिक है परन्तु क्षेत्रीय असन्तुलन की स्थिति के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है । अतः 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जॉय । वर्तमान समय में तहसील में मातृ-शिशु कल्याण उपकेन्द्र की संख्या 153 है अत. राष्ट्रीय मानक स्तर के सन्दर्भ में 31 केन्द्र और खोले जाने की आवश्यकता है । चूँकि तहसील में कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, अतः 10 केन्द्रों की आवश्यकता है जिसे खोला जाना चाहिए ।

तहसील मे नये स्वास्थ्य केन्द्रो की स्थापना के साथ-साथ पुराने एलोपैथ/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/आयुर्वेद/होमियोपैथ आदि चिकित्सालयों को आधुनिक सुविधाओं, मशीनों, एवं उपकरणों से सुसज्जित किया जाय । चिकित्सालयों में शैय्याओं की संख्या में भी वृद्धि की जाय । इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक एवं होमियोपैथिक अस्पतालों को खोला जाय । तहसील में औषधालयों की संख्या मात्र दो है । अत. सन् 2001 तक 10 औषधालयों की आवश्यकता होगी ।

तहसील में ग्रामीण स्वास्थ्य को सुधारने हेतु प्रत्येक 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से किसी एक को 30 शैय्यायुक्त करके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रुप में उच्चीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। परन्तु अभी इस तरफ और भी प्रयास की आवश्यकता है ।

सन् 2001 तक आजमगढ़ की प्रक्षेपित जनसंख्या 1112615 हो जायेगी । राष्ट्रीय मानक स्तर के अनुसार तहसील में 2001 तक 38 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता होगी । चूँकि तहसील में वर्तमान समय में 41 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं अतः उनमें सुविधाओं को उपलब्ध कराने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उनको उच्चीकृत किये जाने का कार्य होना चाहिए । चूँकि तहसील में कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, अतः 2001 तक 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता

पड़ेगी, जिसमें से 9 केन्द्र अविलम्ब खोले जाने चाहिए । इन केन्द्रों की अवस्थिति तहबरपुर, मिर्जापुर, रानी की सराय, मोहम्मदपुर, जहानागंज, सठियॉव, ओरा, निजामाबाद, सरायमीर आदि स्थानों पर हो ।

वर्तमान समय में तहसील में कुल 153 मातृ-शिशु कल्याण उपकेन्द्र कार्यरत है । सन् 2001 तक कुल 223 उपकेन्द्र की आवश्यकता होगी । वर्तमान समय में 34 उपकेन्द्र की और आवश्यकता है जिन्हें अविलम्ब खोला जाय । इनकी तहसील में प्रस्तावित अवस्थितियॉ खरकौली, बैरमपुर, पूरब पट्टी, वीना-पार, भीमल-पट्टी, गोसरी, अब्डीहा, बेलनाडीह, करनपुर प्रमुख हैं ।

प्राचीन काल में भारत ज्ञान-विज्ञान का केन्द्र रहा है । धनवन्तरि वैद्य एव आचार्य चरक का नाम आज भी चिकित्सा पद्धति के विकास के साथ आदर पूर्वक जोड़ा जाता है । आज भी तहसील की अधिकांश जनता की चिकित्सा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से ही हो रही है । भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में भी इन चिकित्सा पद्धतियों के समुचित उपयोग की बात को स्वीकार करते हुये कहा गया है कि, देश मे आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होमियोपैथी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा आदि विभिन्न पद्धतियों से इलाज करने वाले निजी चिकित्सकों की संख्या बहुत बड़ी है । परन्तु इस स्रोत का अभी समुचित उपयोग नहीं हुआ है ।

सर्वेक्षण के दौरान ज्ञात हुआ है कि तहसील की अधिकांशत आबादी आज भी परम्परागत वैदिक चिकित्सा पद्धति के प्रति काफी आस्थावान है । इसलिए इन चिकित्सा प्रणालियों को अपनी-अपनी शैली के अनुसार विकसित होने के अवसर देने की नियोजित प्रयास की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ इन पद्धतियों के चिकित्सकों के काम-काज में सामंजस्य लाने तथा उचित स्तरों पर इन सेवाओ को एक दूसरे से जोड़ने के उपाय किए जाने चाहिए । परम्परागत तथा आधुनिक शिक्षा पद्धतियों के बीच नियोजित एवं चरणबद्ध तरीके से सार्थक सामन्जस्य लाने के लिए भी सुविचारित प्रयास करने होगे ।[17] आम जनता के हित में होगा यदि प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ऐसे चिकित्सकों की नियुक्ति की जाय ।

किसी भी देश की उन्नति, समृद्धि एव विकास में अनुकूलतम् जनसख्या का विशेष महत्व होता है। भारत मे जनसंख्या की तीब्र बृद्धि ने विकास कार्यों को ही अवरूद्ध कर दिया है। तहसील के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी सम्पूर्ण कारकों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तहसील के बहुमुखी विकास हेतु, एवं उन्नत जीवन स्तर हेतु सर्वप्रथम जनसंख्या वृद्धि को रोकना होगा। इसके लिए तहसील मे परिवार नियोजन कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। इन सुविधाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस कार्यक्रम को अपनाने हेतु आम जनता में जागरुकता पैदा करने की आवश्यकता है। सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि बहुसख्यक ग्रामीण परिवार, परिवार कल्याण कार्यक्रमों की महत्ता को स्वीकार करते हुये भी सामाजिक परिवेश, धार्मिक-पूर्वाग्रह, एवं जटिल शल्य क्रिया के भय से इसे अपनाने में असमर्थ हैं। अत· प्रचार-प्रसार द्वारा लोगों में व्याप्त सामाजिक पूर्वाग्रह एवं हिचकिचाहट को दूर करना होगा। एव शल्य किया के दुष्परिणामों के प्रति साहस उत्पन्न कराना होगा। यह कार्य विभिन्न व्यक्तिगत एवं जनसंचार माध्यमों, व्याख्यानों एवं प्रदर्शनियों के आयोजनों से ही सम्भव है।

सन्दर्भ

1. **THAPALIYAL, B.K. AND RAMANNA, D.V.** . PLANNING FOR SOCIAL FACILITIES, 10TH COURSE ON DRD, NKD, HYDERABAD, 1977. SEPT-OCT, P 01.
2 वही, पृष्ठ 1
3. **DRAFT FIVE YEAR PLAN,** 1978, [1978-83], PLANNING COMMISSION, GOVT OF INDIA, NEW-DELHI, P 106
4. पूर्वोक्त सन्दर्भ, पृष्ठ 1.
5 **चाँदना, आर० सी०** : जनसंख्या भूगोल, कल्याणी पब्लिसर्स, नई दिल्ली, 1987, पृष्ठ 179.

6 **भारतीय जनगणना :** जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, प्राथमिक जनगणना सार, जनपद आजमगढ़, 1991

7 **REPORT OF EDUCATION COMMISSION,** 1966 P 234

8 **PATHAK, R.K.** : ENVIRONMETAL PLANNING RESOURCES AND DEVELOPMENT; CHUGH-PUBLICATIONS, ALLAHABAD, 1990, P 153

9 **SINGH, R.N. AND MAURYA, R.S.** MIGRATION OF POPULATION IN INDIA, IN MAURYA, S D [ED] POPULATION AND HOUSING PROBLEMS IN INDIA, VOL 1, 1989, PP 176-189

10 **GIBBS, J.P. [ED]** : URBAN RESEARCH METHODS, 1966, P. 107

11 वही, पृष्ठ. 1

12 **भारत,** 1990-91, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाउस, नई दिल्ली, पृष्ठ. 155

13 **उत्तर प्रदेश वार्षिकी,** 1987-88, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पृष्ठ-330

14. **गौरीशंकर :** ग्रामीण-स्वास्थ्य समस्याँए, ग्रामीण विकास संकल्पना उपागम एव मूल्यांकन (सं०) प्रमोद सिंह एवं अभिताभ तिवारी, पाविके इलाहाबाद, 1989, पृष्ठ 167

15 पूर्वोक्त सन्दर्भ, संख्या-8, पृष्ठ 167.

16 पूर्वोक्त सन्दर्भ, संख्या- 10 एवं 11, पृष्ठ 331-335 तथा 161

17 **मिश्र, एस० के० :** भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में स्वास्थ्य, रक्षा योजना, गणतन्त्र दिवस, 1992 विशेषांक, पृष्ठ 28

* * * * *

अध्याय सात

परिवहन एवं संचार-व्यवस्था तथा उनका विकास-नियोजन

7.1 प्रस्तावना

क्षेत्र के बहुमुखी विकास में परिवहन के साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । विकासशील देशो के सन्दर्भ में यह तथ्य और भी महत्वपूर्ण हो जाता है । पिछड़ी अर्थव्यवस्था में तो परिवहन के साधनो के अभाव मे सामाजिक एवं आर्थिक विकास सम्भव ही नहीं है । परिवहन एवं सचार व्यवस्था क्षेत्रीय विकास के प्रथम सोपान ही है । ये उत्पादन एवं उपयोग को जोड़कर वस्तु-वितरण एव वस्तु-उपलब्धता को नियन्त्रित करते है । इस प्रक्रिया मे वस्तुओ एवं सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होती है । इसी कारण परिवहन एव सचार व्यवस्था को तृतीयक उत्पादक श्रेणी में रखा जाता है । वस्तुत परिवहन एवं संचार माध्यम किसी देश या क्षेत्र की धमनी एव शिराएँ होती हैं जिनसे होकर प्रत्येक सुधार प्रवाहित होता है ।

परिवहन का अर्थ व्यक्तियो एवं वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन से है, जबकि संचार व्यवस्था के अन्तर्गत आचार-विचार, ज्ञान, संदेश, शिक्षा एवं कौशल का ही आदान-प्रदान होता है । परिवहन एव सचार व्यवस्था के द्वारा ही विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में मानव द्वारा किये गये विकास की एक झलक दृष्टिगोचर होती है । यदि किसी क्षेत्र में परिवहन के साधनो ने विकास को चरमोत्कर्ष प्रदान किया है तो कहीं पर दुष्कर प्रदेश मे भी मानव-जीवन-यापन को सुलभ कर दिया है । यहीं तक नही, परिवहन एवं संचार व्यवस्था ने मानव सभ्यता के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है । वस्तुओं के विशिष्ट उत्पादन और उनके विनियम की जटिल प्रक्रिया यातायात एव सचार साधनों द्वारा ही सम्भव हो पाती है । सरकारी प्रतिष्ठानों, निजी व्यावसायिक उद्यमो और विभिन्न तरह के कारखानों में काम करने वाले असंख्य लोग अपने कर्त्तव्यों का पालन ठीक ढग से करने में तभी समर्थ होते है, जब उन्हें समुचित परिवहन एव संचार के प्रभावी साधनों की सेवाएँ उपलब्ध हों । इस प्रकार स्पष्ट होता है कि परिवहन एवं संचार व्यवस्था के अभाव में समुचित, बहुमुखी एव त्वरित विकास की कल्पना भी सम्भव नही हो सकती है ।

यो तो भारत मे सामान्य रूप से परिवहन एवं सचार की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं। वायु-परिवहन से लेकर जल-परिवहन तक तथा समाचारपत्रों से प्रारम्भ करके दूरभाष एवं दूरदर्शन तक इस व्यवस्था ने अपने विकास के कई चरण पूर्ण कर लिए है। परन्तु अध्ययन क्षेत्र इस दृष्टि से अभी काफी पिछड़ा है, एवं स्थानीय तथा प्रादेशिक स्तर पर इनके वितरण में काफी असमानतायें है। परिवहन एव सचार व्यवस्था की एक समुचित आधारिक सरचना के अभाव मे यहाँ इसका अपेक्षित विकास नही हो सका है। प्रस्तुत अध्याय में पविहन एवं संचार व्यबस्था का क्षेत्र के सन्दर्भ मे अलग-अलग अध्ययन किया गया है।

7.2 परिवहन के साधन

अध्ययन क्षेत्र- आजमगढ़ तहसील एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। परिवहन के साधनों के विकास की सम्भावना के बावजूद भी इस क्षेत्र में इसका आज तक का विकास नगण्य ही है। यद्यपि आधुनिक विज्ञान एव तकनीकी युग मे मानव ने प्रकृति के तीनों मण्डल-जल स्थल एवं वायु में परिवहनो के साधनों को विकसित करने में सफलता अर्जित कर ली है परन्तु अध्ययन क्षेत्र की नियति ही स्थल मण्डल तक की है।[1]

तहसील में वायु परिवहन का शुभारम्भ भविष्य के गर्भ में है। जल परिवहन की सुविधा से भी यह क्षेत्र सवर्था वचित ही है। क्षेत्र की एक मात्र बड़ी नदी टौंस, जल-परिवहन के दृष्टिकोंण से प्राय· अनुपयुक्त ही है। कुछ स्थानों पर नदी को पार करने के लिए स्थानीय रुप से नौका का सहारा लिया जाता है। आजमगढ़ नगर के निकट मतौलीपुर गाँव के पास पुल के अभाव में लोग नौका द्वारा नदी को पार करते है। इस प्रकार की सुविधा तहसील के विकास-खण्ड तहबरपुर में निजामबाद एव सोढ़री गाँवों के पास उपलब्ध है। निजामवाद नगर के पास नवनिर्मित सेतु के कारण इसकी कोई आवश्यकता नही रह गयी है।

(अ)रेल-परिवहन

आजमगढ़ तहसील में रेल-परिवहन की सुविधा, जनपद के अन्य चार तहसीलो की तुलना में सुखद अवश्य है, परन्तु परिवहन की दृष्टि से किसी भी रुप में प्रभावशाली अथवा महत्वपूर्ण नहीं।

आजमगढ़ जनपद मे सर्व प्रथम 1898 मे मऊ के लिए रेल-परिवहन का प्रारम्भ हुआ । 1903 में जबआजमगढ़ नगर को शाहगज से जोड़ा गया तो आजमगढ़ में कुल रेलवे लाइन की लम्बाई 66 किमी० हो गयी । यह छोटी रेलवे लाइन आजमगढ़ तहसील के सठियॉव, जहानागंज रोड, रानी की सराय, सरायमीर, फरिहा एवं संजरपुर विश्राम-स्थलों से होकर गुजरती है । आजमगढ़ तहसील की यह रेलवे लाइन उत्तरी-पूवी रेलवे के अधीन है । आजमगढ़ तहसील में इसका 48 किमी० अथवा 32 मील भाग आता है । आजमगढ़ जनपद की शेष रेलवे लाइन जनपद के फूलपुर तहसील मे पड़ती है । आजमगढ़ नगर का स्टेशन पल्हनी, तहसील का सबसे बड़ा स्टेशन है । आजमगढ़ जनपद मे प्रति 100 वर्ग किमी० पर रेलवे की औसत लम्बाई 1 56 किमी० है जबकि आजमगढ़ तहसील मे प्रति 100 वर्ग किमी० पर रेलवे लाइन की लम्बाई 4.14 किमी० है जो उत्तर प्रदेश के औसत 2 93 से अधिक है । तहसील मे प्रति-लाख जनसख्या पर मात्र 5 23 किमी० रेलमार्ग है जो जनपद के औसत से अधिक (2 00 किमी०) परन्तु प्रदेश के औसत 7 78 से कम है (तालिका 7 1) ।

तालिका 7.1

आजमगढ़ तहसील के गाँवों में उपलब्ध रेल सेवाएँ (प्रतिशत) 1991

वि० ख० नाम	निकटतम रेलवे स्टेशन		ग्राम में	1 किमी०	1-3 किमी०	3–5 किमी०	5 किमी०
	नाम	दूरी(किमी०)		पर	तक	तक	से अधिक
मिर्जापुर	सरायमीर	08	1.14	8.52	27.27	30.11	32 96
मोहम्मदपुर	फरिहा	09	—	—	—	5.47	94.53
तहबरपुर	फरिहा	15	—	—	—	—	100.00
पल्हनी	पल्हनी (आज०)	01	—	11.25	7 50	9 38	71.87
रानी की सराय	सरायरानी	02	1 10	8 84	14 91	36 46	38.69
सठियॉव	सठियॉव	01	0.8	0 8	10 40	4 00	84.00
जहानागंज	सठियॉव	11	—	—	—	—	100.0

स्रोत – साख्यिकीय पत्रिका, जनपद आजमगढ़, 1991

अध्ययन से स्पष्ट है कि रेलवे मार्ग की सबसे अधिक सुविधा मिर्जापुर विकास खण्ड के 1 14 प्रतिशत गॉवो को प्राप्त है, जबकि 32.96 प्रतिशत लोग रेलवे मार्ग से 5 किमी० या उससे अधिक दूर निवास करते है । तहबरपुर एव जहानागज विकास खण्ड की 100% बस्तियां ही 5 किमी० या उससे अधिक दूर हैं । जबकि रानी की सराय विकास खण्ड की 1 10 प्रतिशत तथा सठियॉव की 0 8 प्रतिशत बस्तियों को गॉव में ही यह सेवा उपलब्ध है ।

(ब) सड़क परिवहन

वायु परिवहन एवं जल परिवहन सुविधा-विहीन इस क्षेत्र में स्थल मण्डल पर ही परिवहन के साधनो का विकास सम्भव हुआ है। यद्यपि स्थल मण्डल पर परिवहन के साधनों के अन्तर्गत सड़क परिवहन के साथ-साथ रेल परिवहन एवं नल–पथ (PIPE-LINES) को भी सम्मिलित किया जाता है। परन्तु क्षेत्र में परिवहन को सार्थकता सड़कों ने ही प्रदान किया है । सड़क परिवहन निकटतम दूरी तक सुगमता पूर्वक मनचाही सेवा के लिए सर्वोत्तम साधन है । सड़क परिवहन द्वारा छोटे-बड़े सभी स्थानों को सेवा -केन्द्रों से समान रुप से जोड़ना सबसे सरल होता है । प्रो० एम० एच० कुरेशी ने लोच, विश्वसनीयता एवं गति को सड़क-परिवहन की मुख्य विशेषता बताया है ।[2] इसकी लोचकता के स्पष्ट प्रमाण इच्छित स्थान से गन्तव्य तक प्रत्येक समय उपलब्ध सुविधा पूर्ण सेवा भी प्राप्त हो जाता है ।

अध्ययन क्षेत्र गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ समतल मैदान का ही एक भाग है अतः इस पर अल्प समय, अल्प प्रयास एवं अल्प-पूँजी में ही सड़कों का काफी विकास सम्भव हुआ है । राष्ट्रीय मार्ग, वाराणसी से गोरखपुर, आजमगढ़ तहसील के मोहम्मदपुर, रानी की सराय एवं पल्हनी विकास खण्डों से होकर गुजरता है । इसी प्रकार अध्ययन क्षेत्र में राज्य मार्ग, जनपद-मार्ग एवं ग्रामीण-मार्ग का एक घना जाल बिछा हुआ है । क्षेत्र में फैली नहर की पटरियों को मार्ग का रुप प्रदान कर दिये जाने से आजमगढ़ तहसील में सड़क मार्ग की सुगमता एवं विश्वसनीयता और भी बढ़ गयी है । जनपद आजमगढ़ में कुल पक्की एवं खड़ंजा सड़को की लम्बाई 1271 किमी० है । इसमें सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग द्वारा संघृत सड़कों की लम्बाई

1026 किमी०, जिला परिषद एवं नगर समिति के सड़कों की लम्बाई 192 किमी० एवं सिचाई विभाग के सड़कों की लम्बाई 53 किमी० है। जनपद में राष्ट्रीय मार्ग की लम्बाई 45 किमी०, राज्य मार्ग की लम्बाई 123 किमी०, जिले के सड़को की लम्बाई 778 किमी० एवं अन्य सड़कों की लम्बाई 125 किमी० है। जनपद में प्रति हजार वर्ग किमी० पर पक्की सड़कों की लम्बाई 301 किमी० तथा प्रतिलाख जनसख्या पर सड़कों की लम्बाई 42.4 किमी० है। आजमगढ़ तहसील के अन्तर्गत कुल सड़को की लम्बाई 361 किमी० है। इसमें राष्ट्रीय मार्ग की लम्बाई 24 किमी० है। आजमगढ़ तहसील के अन्तर्गत प्रादेशिक मार्ग की लम्बाई 40 किमी० है। शेष सड़के अन्य मार्गो के अन्तर्गत आती है (तालिका 7.2)।

तालिका 7.2

आजमगढ़ तहसील में सड़कों की कुल लम्बाई एवं गाँवों को प्राप्त सुविधा, 1991

विकास खण्ड नाम	कुल पक्की सड़कें (किमी० में)	सुव्यवस्थित सड़कों से जुड़े गॉव (प्रतिशत में)	पक्की सड़कों से जुड़े गाँव (प्रतिशत में)	शेष
मिर्जापुर	55	68.75	25.56	5 69
मोहम्मदपुर	49	66.4	28.13	5.47
तहबरपुर	37	62.85	16.00	21.15
पल्हनी	66	65.0	34.4	0.6
रानी की सराय	62	68.5	28.7	2.8
सठियाँव	46	66.4	20 0	13.6
जहानागंज	46	80.0	16.47	3.53
योग तहसील	367	—	—	—

स्रोत —वार्षिक ऋण योजना, यूनियन बैंक, जनपद आजमगढ़, 1991-92

तालिका से स्पष्ट होता है कि आजमगढ़ के पल्हनी विकास खण्ड में सड़कों की सबसे सुगम एवं सुलभ व्यवस्था है । पल्हनी विकास खण्ड के 65 प्रतिशत गॉव सुव्यवस्थित सड़कों से जुड़े है, तथा 34 4 प्रतिशत गॉव पक्की सड़क से जुड़े है । विकास खण्ड के केवल 6 प्रतिशत गॉव ऐसे है, जो सड़क की सुगमता से वचित है । सुव्यवस्थित सड़कों से जुड़े सबसे अधिक प्रतिशत गॉव जहानागज विकास-खण्ड में हैं । सड़कों की सुगमता की दृष्टि से सबसे पिछड़े गॉव तहबरपुर ब्लाक के हैं । इस विकास खण्ड के 21.15 प्रतिशत गॉव आज भी ऐसे है जिनके आवागमन की कोई उत्तम व्यवस्था सुलभ नहीं हो सकी है । न्याय पंचायत स्तर पर सबसे उत्तम व्यवस्था पल्हनी-वेलइसा की है जबकि सबसे बुरी स्थिति न्यायपचायत भीमलपट्टी की है । ये न्याय पंचायतें क्रमश· विकास खण्ड पल्हनी एवं तहबरपुर में पड़ती है ।

तहसील के अधिकांश पक्के एवं खड़ंजे मार्ग सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत आते हैं । यह निर्विवाद सत्य है कि तहसील के विकास में इस विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है । परिवहन के साधनों के अभाव में तहसील के विकास की रुपरेखा भी तैयार करना दुष्कर कार्य होगा। इस सम्बन्ध में बी० जे० एल० बेरी (1959) का कथन महत्वपूर्ण है कि ''परिवहन तन्त्र विभिन्न क्षेत्रों के मध्य पारस्परिक सम्बन्धों का माप है । विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आर्थिक कार्यात्मक अन्तर्सम्बन्ध, परिवहन साधनों की प्रकृति तथा पारस्परिक व्यापार पर आश्रित होता है ।'' इस प्रकार तहसील की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक एकता, सुरक्षा आदि में परिवहन एवं संचार की प्रभावी भूमिका से इन्कार नहीं किया जा सकता (देखे तालिका 7.3 एवं मानचित्र 7 1) ।

तालिका 7.3

आजमगढ़ तहसील के प्रमुख मार्ग एवं उनकी लम्बाई, 1991

क्रम सं०	सड़कें	लम्बाई (किमी० में)
	कुल सड़कों की लम्बाई	361
	I. पक्की सड़कों की लम्बाई	299.50
1.	सठियाँव–मुबारकपुर मार्ग	5.55
2.	कप्तानगंज–तहबरपुर मार्ग	22.00

3 आजमगढ़-भदुली-मार्ग	4.00
4 कप्तानगंज–ओरा-गौरा मार्ग	6.00
5 गम्भीरपुर–मार्टिनगंज मार्ग	3.00
6. रानी की सराय-रेलवे फीडर तक	0.26
7. सोफीपुर-असलम पट्टी-अहिरौला मार्ग	12.00
8 जहानागज–करहा मार्ग	6 00
9 सठियांव-चक्रपानपुर-जहानागंज मार्ग	10.00
10. रानी की सराय-उर्जा गोदाम	5.80
11. कोटिला से मगरावॉ मार्ग	9.80
12. चण्डेश्वर-कम्हरिया मार्ग	10.00
13. जियनपुर से मुबारकपुर मार्ग	4.00
14 मुबारकपुर से सठियाँव	6.00
15. मुवारकपुर से शाहगढ़	7.50
16. मुबारकपुर से इब्राहीमपुर मार्ग	4.50
17. हीरापट्टी से केन्द्रीय विद्यालय	0.80
18. आजमगढ़ शहर बाइपास मार्ग	9 50
19. मुवारकपुर-जीयनपुर से डिलिया	2.00
20. सठियाँव-मुबारकपुर-नैथी मार्ग	1.00
21. सरायमीर-गम्भीरपुर मार्ग	5.00
22. सरायमीर–राजापुर सिकरौर मार्ग	3.00

23	ओरा-गौरा मार्ग	3 00
24	सजरपुर से मोहनपुर मार्ग	2 00
25	रानी की सराय-फत्तनपुर मार्ग	4 00
26	नियाउज-मिर्जापुर मार्ग	2 00
27	तहवरपुर–फरिहा से चकिया मार्ग	1 50
28	आजमगढ़-मित्तूपुर का शेष मार्ग	0 50
29.	कोटिला-मगरावाँ से-कोइलारी मार्ग	1.50
30.	आजमगढ़–विलरियागंज मार्ग	7.50
31.	आजमगढ़–फैजाबाद मार्ग	5.66
32.	आजमगढ़-गोरखपुर मार्ग	5.00
33	आजमगढ़-सठियॉव मार्ग	10.5
34.	आजमगढ़-वाराणसी-मार्ग	19.00
35.	आजमगढ़-जौनपुर मार्ग	6.50
36.	आजमगढ़-भदुली-निजामबाद मार्ग	9.66
37.	आजमगढ़-रानी की सराय-फूलपुर मार्ग	20.20
38.	आजमगढ़-रानी की सराय-निजामबाद-मुड़ियार मार्ग	18.50
39.	आजमगढ़-जहानागंज से ऊंजी मार्ग	2.50
40.	रानी की सराय से ऊंजी मार्ग	2.50
41.	मिर्जापुर से सरायमीर मार्ग	4.50
42.	शेष नहर मार्ग	35.27
	योग =	**299.50**

II खड़ंजा मार्ग

1	रानी की सराय–करहां-मेहनगर मार्ग	5.00
2	बरहतिल-जगदीशपुर-जहानागंज मार्ग	4.00
3.	गोधौरा-मित्तूपुर-मार्ग	2.00
4	मुवारकपुर-ओझौली मार्ग	2.00
5	सरायमीर-मजीय पट्टी	4.00
6.	कप्तानगज-तहबरपुर से भूरामकबूलपुर	1 60
7.	सरायमीर-शाहपुर मार्ग	1.00
8.	सरायमीर-शोहवली मार्ग	2 00
9	रानी की सराय-सोनवारा-अनौरा मार्ग	1.00
10.	जहानागंज से अकबेलपुर-कोल्हूखोर मार्ग	3.5
11	रानी की सराय-नेवरही मार्ग	1.9
12.	लहबरिया-जमालपुर-कोटिला-मगरावा मार्ग	5.00
13	रानी की सराय-सोनवार मार्ग	7.00
14.	जहानागंज-सठियॉव से महुवा-मुरादपुर	2.00
15.	आजमगढ़–वाराणसी से कलन्दरपुर	2.00
16.	लहबरिया-जमालपुर से मदारपुर	1.50
17	कोटिला-मगरावाँ-मोदनापुर से आवक मार्ग	2.00
18.	आजमगढ़-गाजीपुर से मन्दे मार्ग	1.00
19.	रानी की सराय से करमुद्दीनपुर मार्ग	6.00
20.	जहानागंज-सठियाँव से सीही मार्ग	1.00
21.	शेष खड़ंजा -मार्ग (नगरीय-सहित)	16.00
	योग–खड़ंजा मार्ग	61.5
	पक्का मार्ग	299.5
	महायोग	361.00

स्रोत – उत्तर-प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग, जनपद आजमगढ़, मास्टरप्लान, 1990-91 से संकलित

TAHSIL AZAMGARH
TRANSPORT NETWORK
N
From Kaptan ganj
Kharcauli
Basdev Nagar
Ora
Bibipur
To Manduri
Bairampur
Tahbarpur
Durbasa
Sodhri
Niau
Kishundaspur
From Faizabad
Sehada
To Bilaria ganj
To Gorakhpur
Ukraura
To Sagri
To Ajamat Garh
Amilo
Kakrhata
Mubarakpur
Manchobha
From Shahganj
Jagdishpur
Mirzapur
Sofipur
Bincpar
Nizamabad
Bhaduli
AZAMGARH
Shahgarh
Sathiyaon
Rajapur-Sikraur
Karmu-ddin patti
Palhani
Saraimir
Sanjarpur
Sidhari
Rani Ki Sarai
Chandeshr
Phariha
Kotila
Unjee
Godhaura
Anaura
Awank
Sumbhi
Mittu pur
Brahmr Jagdishpur
Mohammadpur
Chakrawara
Mande
Gosari
Gambhir pur
Sidhara
Sonwara
Mangrawan
Chakrapanpur
Sherpur
Daulatabad
Tisaura
From Jaunpur
From Varanasi
To Meh Nagar
To Tarwa
To Ghazipur
RAILWAY LINE
METALLED ROAD
KHARANJA ROAD
4 0 4 8
Km
Fig 7.1

इस प्रकार सम्यक् अवलोकन एवं शूक्ष्म विवेचन से स्पष्ट हो जाता कि अध्ययन क्षेत्र में सड़के ही परिवहन व्यवस्था की मेरुदण्ड है किन्तु उन्हीं मार्गों को अध्ययन का विषय बनाया गया है जो वर्ष भर परिवहन के योग्य रहते है। धूल से भरे एवं कीचड़ से सने कच्चे मार्गो को अध्ययन के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है।

7.3 सड़क-घनत्व

सुगमता एवं सुलभता की दृष्टि से सड़क-सघनता आधारित अध्ययन अपेक्षाकृत अधिक श्रेयस्कर होता है। इसी कारण सड़कों की लम्बाई को गौड़ मान लिया गया है। सड़क की सघनता उसके घनत्व के ऊपर निर्भर करती है। घनत्व को विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर उसके क्षेत्रफल एवं जनसंख्या को आधार मानकर परिकलित किया गया है जो इस प्रकार है–

1. प्रति हजार क्षेत्रफल पर सड़क घनत्व !
2. प्रति लाख जनसंख्या पर सड़क घनत्व !

सड़क घनत्व को मानचित्रों 7.2 एवं 7 3 से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।

मानचित्रों एवं तालिकाओं के अध्ययन से स्पष्ठ होता है कि सड़क घनत्व की दष्टि से तहसील की स्थिति महत्वपूर्ण तो नहीं है परन्तु सन्तोषप्रद अवश्य है। तहसील में प्रतिलाख जनसंख्या पर सड़कों की कुल लम्बाई 52.24 किमी० है तथा प्रति हजार वर्ग किमी० पर सड़कों की कुल लम्बाई 348.9 किमी० है। तहसील का यह दोनो ही औसत जनपद के औसत क्रमशः 42.4 किमी० तथा 301 किमी० से अधिक है। तहसील में प्रति हजार वर्ग किमी० पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों की लम्बाई 296.7 किमी० तथा प्रति लाख जनसंख्या पर 43.47 किमी० है। तहसील का यह औसत भी जनपद के औसत से अधिक है।

विकास खण्ड स्तर पर सड़क का यह घनत्व सबसे अधिक पल्हनी मे है। इस विकास खण्ड में प्रति लाख-जनसंख्या पर सड़क की लम्बाई 70.6 किमी०, तथा प्रति हजार वर्ग किमी० पर सड़क की लम्बाई 612.9 किमी० है। विकास खण्ड पल्हनी का यह सड़क घनत्व तहसील एवं जनपद के

सड़क घनत्व की तुलना में काफी अधिक है। इसी क्रम में सबसे कम घनत्व विकास खण्ड तहबरपुर में है। प्रति लाख जनसंख्या पर यहाँ सड़कों की लम्बाई 35.4 किमी० तथा प्रति हजार वर्ग किमी० पर 211.4 किमी० है। विकास खण्ड तहबरपुर का यह घनत्व तहसील एवं जनपद दोनो के घनत्व से कम है जो इसकी पिछड़ी अर्थव्यवस्था का स्पष्ट संकेत है (देखें तालिका 7.4 एवं मानचित्र 7.2 एवं 7.3)।

तालिका 7.4

आजमगढ़ तहसील में सड़क घनत्व, 1990-91

तहसील/विकास-खण्ड	क्षेत्रफल/ वर्ग किमी०	जनसंख्या	पक्की सड़क लम्बाई (किमी० में)	सड़क घनत्व	
				प्रति हजार किमी० पर	प्रति लाख जनसंख्या पर
आजमगढ़ तहसील	1158.3	917218	N.A.	348.9	52.24
विकास-खण्ड मिर्जापुर	167.65	139010	55	357.1	53.4
मोहम्मदपुर	186 34	130331	49	268.1	49 9
तहबरपुर	176.07	123559	37	211.4	35.4
पल्हनी	123.21	132607	66	612.9	70.6
रानी की सराय	144.78	123539	62	426.7	63.9
सठियाँव	162.42	161784	46	307.0	44.4
जहानागज	197 83	123745	46	259.4	48.1

स्रोत – साख्यिकीय पत्रिका, 1991 एव चित्र 7 3 से संकलित !

न्याय पचायत स्तर पर सड़क घनत्व का अध्ययन तीन वर्गो के अन्तर्गत किया जा सकता है –

1 उच्च घनत्व के क्षेत्र,

2 मध्यम घनत्व के क्षेत्र,

3 अल्प घनत्व के क्षेत्र।

TAHSIL AZAMGARH
ROAD DENSITY
PER THOUSAND Km2
1991-92
N
ROAD DENSITY IN Km
< 300 VERY LOW
300 - 400 LOW
400 - 500 MEDIUM
>500 HIGH
TAHSIL AVERAGE
(348·9)
4 0 4 8
Km

Fig.7·2

उच्च्व घनत्व के वर्ग के अन्तर्गत उन न्याय पंचायतों को सम्मिलित किया गया है जिनका घनत्व प्रति हजार वर्ग किमी० पर 600 किमी० तथा प्रति लाख जनसंख्या पर 60 किमी० से अधिक है। इसके अन्तर्गत पल्हनी-वेलइसा, मगरावॉ रायपुर, सेठवल रानीपुर-रजमों, मिर्जापुर आदि न्याय पंचायतों को रखा जा सकता है। इसका मुख्य कारण इनका राष्ट्रीय मार्ग एव प्रादेशिक मार्ग से सम्पर्क है।

मध्यम घनत्व के वर्ग के अन्तर्गत उन न्याय पंचायतों को रखा गया है जिनका प्रति हजार वर्ग किमी० पर घनत्व 400 से 600 किमी० तथा प्रति लाख जनसंख्या पर 40 से 60 किमी० तक है। इसके अन्तर्गत बीबीपुर, टीकापुर, किशुनदासपुर, हीरा-पट्टी, खोजापुर-डीह, गोसड़ी, सरसेना-लहबरिया आदि न्याय पंचायतों को सम्मिलित किया गया है। इनमें मध्यम घनत्व का मुख्य कारण जिला मार्गो से एवं प्रादेशिक मार्गो से सम्बन्ध है।

उन न्याय पचायतों को जिनका प्रति हजार किमी० घनत्व 400 किमी० से कम तथा प्रति लाख जनसंख्या पर घनत्व 40से कम है, अल्प घनत्व वाले क्षेत्र के अन्तर्गत रखा गया है। इसके अर्न्तगत भीमल-पट्टी, ओहनी-रमेशरपुर, वैरमपुर कोटिया, ओरा, बेलनाडीह, अनवरा-शाह-कुद्दन, खुटौली-चक-चरहा, परसिया-कमुद्दीनपुर, बस्ती आदि न्याय पंचायतों को रखा गया है। ज्ञातव्य है कि तहबरपुर एव सठियाँव विकास खण्ड की अधिकांश न्याय पंचायतें इसी कोटि के अन्तर्गत रखी जाती है। इन न्याय पंचायतों के अधिकांश गाँव आज भी परिवहन के साधन की सुलभता से वंचित है।

आजमगढ़ तहसील में सभी ऋतु योग्य सड़कों से जुड़े गॉवों की संख्या पर दृष्टिपात किया जाय तो स्पष्ट होता है कि स्थिति अभी सन्तोषजनक नहीं है। तहसील के अगणित गाँव आज भी ऐसे है जिन्हे वर्षा के दिनों में कोई मार्ग सुलभ नही रहता है. (देखें तालिका 7.5)।

N
TAHSIL AZAMGARH
ROAD DENSITY
PER LAC POPULATION
1991-92
ROAD DENSITY IN Km
>60·0 HIGH
40·0 – 50·0 MEDIUM
< 40·0 LOW
TAHSIL AVERAGE
(52·24)
4 0 4 8
Km

Fig 7·3

तालिका 7.5

आजमगढ़ तहसील में सब ऋतु योग्य सड़कों से जुड़े गाँवों की संख्या, 1990

तहसील/ विकास खण्ड	सड़कों की लम्बाई	सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कें	सब ऋतु योग्य सड़क से जुड़े गॉव		
			1000 से कम जन०	1000-1499 जनसंख्या	1500 से अधिक
आजमगढ़ तहसील	361	317	236	37	41
विकास-खण्ड मिर्जापुर	55	53	38	6	5
मोहम्मदपुर	49	41	42	5	4
तहबरपुर	37	30	28	7	8
पल्हनी	66	65	42	5	4
रानी की सराय	62	53	43	4	5
सठियॉव	46	42	28	3	7
जहानागज	46	33	15	7	8

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद-आजमगढ़, 1991

स्पष्ट होता है कि सभी ऋतु योग्य सडक से जुड़े सबसे अधिक गॉव पल्हनी विकास खण्ड के एव सबसे कम गॉव तहबरपुर विकास खण्ड के है । शेष विकास खण्ड मे सामान्य स्थिति पायी जाती है ।

7.4 सड़क-अभिगम्यता

सड़क अभिगम्यता का अर्थ न्यूनतम समय में न्यूनतम शक्ति ह्रास पर सुगमतापूर्वक, निर्वाध गति से गन्तव्य तक पहुँचना होता है । अभिगम्यता की तीव्रता से ही किसी क्षेत्र के विकास का स्तर एव सडक जाल की प्रभावोत्पादकता का मापन होता है ।[3] यह अभिगम्यता परिवहन मार्ग से

एक विशेष दूरी द्वारा प्रकट की जाती है। भारत मे सड़कों की अभिगम्यता के मापन के सम्बन्ध में नागपुर तथा बम्बई योजना द्वारा अभिगम्यता मानदण्ड निर्धारित किया गया है (देखे तालिका 7 6)।

तालिका 7.6

नागपुर एवं मुम्बई योजना द्वारा निर्धारित सड़क अभिगम्यता मानदण्ड

क्षेत्र-विवरण	किसी भी गॉव की अधिकतम दूरी (किमी० में)	
	किसी भी सड़क से	मुख्य सड़क से
1 नागपुर योजना		
I कृषि क्षेत्र	3 22	8 05
II कृषि से अलग क्षेत्र	8.05	32 10
2 मुम्बई योजना		
I विकसित कृषि क्षेत्र	2 41	6.44
II अर्द्ध विकसित क्षेत्र	4 83	12 87
III अविकसित कृषि क्षेत्र	8 05	19 37

यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील अर्थव्यवस्था में इन्हीं नागपुर एव मुम्बई मानदण्डों को सड़क परिवहन के विकास मे सर्वोपरि सार्थकता प्रदान की जा रही है, परन्तु क्षेत्रीय असन्तुलन के कारण अपेक्षित सफलता प्राप्त करना दुष्कर सिद्ध हो रहा है। चूँकि अध्ययन क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है, जिसने अभी अपने विकास के प्रथम-चरण का भी रसास्वादन नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर इन मानदण्डो के आधार पर अभिगम्यता का मापन दो कारणो से सम्भव नहीं है।

1 ये मानदण्ड आर्थिक विकास के स्तर पर ही आधारित है। भौतिक एवं सास्कृतिक दृष्टिकोण से इनमे समानता नही है।

2 बदले हुये भौगोलिक पर्यावरण मे पूर्व निर्धारित ये मानदण्ड असफल सिद्ध हो चुके है।

इस प्रकार इन सिद्धान्तो के आधार पर आजमगढ़ तहसील में अभिगम्यता मापन सम्भव नही है। अत व्यावहारिक अभिगम्यता को ध्यान मे रखते हुये आजमगढ़ तहसील मे निम्न तथ्यो को अभिगम्य माना गया है।

1 किसी भी पक्की सड़क से 1 किमी० की दूरी पर स्थित बस्तियॉ,

2 मुख्य पक्की सडक से 3 किमी० की दूरी पर स्थित बस्तियॉ।

इस प्रकार इन्हीं बिन्दुओ को आधार मानकर आजमगढ़ तहसील मे विकास खण्ड स्तर पर अभिगम्यता का परिकलन किया गया है। इससे अधिक दूर स्थित स्थानों को अगम्य मान लिया गया है (देखें तालिका 7 7)।

तालिका 7.7

आजमगढ़ तहसील में विकासखण्डवार पक्की सड़क अभिगम्यता, 1990

नाम विकास खण्ड	प्रतिशत मे अभिगम्यता			
	गॉव में उपलब्ध	अभिगम्य 1 किमी० से कम दूरी पर	अभिगम्य 3 किमी० की दूरी पर	अभिगम्य योग
तहसील आजमगढ	28 78	32 60	19.31	80 69
1 मिर्जापुर	27 84	22.16	35.79	85 79
2 मोहम्मदपुर	39 48	25 00	27.34	92 18
3 तहबरपुर	21 71	9 72	8 57	40 00
4 पल्हनी	36 25	25 63	32 62	97.5
5 रानी की सराय	28 75	40 33	25 41	94 47
6 सठियॉव	30 40	21 6	25 6	77 6
7 जहानागज	17 65	23.53	31 76	72 94

स्रोत – 1 सार्वजनिक निर्माण विभाग, जनपद-आजमगढ, मास्टर-प्लान 1991, से संकलित

2 साख्यिकीय पत्रिका, जनपद आजमगढ़, 1991

सारणी से स्पष्ट होता है कि आजमगढ़ तहसील का 80 69 प्रतिशत गॉव सड़क मार्ग द्वारा अभिगम्य है, जबकि 19 31 प्रतिशत गॉव ऐसे है जो किसी भी मुख्य सड़क से 3 किमी० से अधिक दूरी पर रहते है जिन्हे अगम्यता माना गया है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि तहसील मे सबसे अधिक अभिगम्य क्षेत्र विकास खण्ड पल्हनी का है। यहॉ की अभिगम्यता 97 5 प्रतिशत है। अर्थात् विकास खण्ड पल्हनी का केवल 2 5 प्रतिशत गॉव अगम्य है। यह भी स्मरणीय है कि गॉव मे ही उपलब्ध अभिगम्यता का प्रतिशत सबसे अधिक विकासखण्ड मोहम्मदपुर में है। आजमगढ़ तहसील मे सबसे कम अभिगम्यता प्रतिशत विकास खण्ड तहबरपुर मे है। तहबरपुर विकास खण्ड का 60 प्रतिशत भाग आज भी अगम्य है, जो इसके सबसे अधिक पिछड़ेपन का एक मुख्य कारक है। एक किमी० की दूरी तक उपलब्धता के आधार पर सबसे अधिक अभिगम्यता रानी की सराय विकास खण्ड मे है जिसका सम्पूर्ण अभिगम्यता मे तहसील मे दूसरा स्थान है।

न्याय-पचायत स्तर पर सबसे अधिक अभिगम्यता न्याय पंचायत रानीपुर-रजमों एव पल्हनी वेलइसा न्याय पचायतो में है। इनका अभिगम्य क्षेत्र क्रमश 97 2 एवं 97 5 प्रतिशत है यदि राष्ट्रीय स्तर पर सडक अभिगम्यता का अध्ययन करें तो ज्ञात होता है कि भारत में प्रत्यक्ष अभिगम्यता 29 7 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 18 2 प्रतिशत तथा जनपद स्तर पर 24 89 प्रतिशत है। इस प्रकार इन सभी का प्रतिशत तहसील के एवं विकास खण्डो मोहम्मदपुर, पल्हनी, रानी की सराय एवं सठियॉव के प्रतिशत से कम है।

7.5 सड़कं सम्बद्धता

सडक मार्गो के सघनता एव मार्ग-जाल के विकास स्तर के बोध हेतु सड़क-सम्बद्धता का अध्ययन आवश्यक होता है। अभिगम्यता, सघनता एवं सम्बद्धता में प्राय· सीधा सम्बन्ध होता है। अर्थात् अभिगम्यता एव सघनता जितनी ही अधिक होगी उतनी ही सड़क सम्बद्धता भी अधिक होगी। सडक सम्बद्धता से मार्गो के तकनीकी-स्तर, जनित वाहनो के गमनागमन तथा यातायात घनत्व का भी बोध होता है। आजमगढ़ तहसील मे सड़क सम्बद्धता का अध्ययन दो सन्दर्भों के परिप्रेक्ष्य मे समीचीन होगा–

1 प्रमुख सेवा केन्द्रो के सन्दर्भ मे एव

2 सड़क जाल सरचना के सन्दर्भ मे ।

(अ) सेवाकेन्द्र-सम्बद्धता

ज्ञातव्य है कि किसी भी क्षेत्र में परिवहन के विकास-स्तर एवं आर्थिक गतिशीलता का अध्ययन सेवा केन्द्रो की सम्बद्धता के परिप्रेक्ष्य मे ही होता है । अध्ययन क्षेत्र में पक्के मार्गों को ही सड़क-सम्बद्धता के रुप में स्वीकार किया गया है । क्षेत्र के निर्धारित 50 सेवा केन्द्रों में से केन्द्रीयता सूचकांक के आधार पर 20 महत्वपूर्ण सेवा केन्द्रों को ही चुना गया है । इन केन्द्रों की सम्बद्धता ज्ञात करने के लिए कनेक्टीविटी मैट्रिक्स का निर्माण किया गया है (तालिका 7.8) ।

(ब)सड़क-जाल-सम्बद्धता

इस पद्धति में सड़क जाल को ग्राफ के रुप में मानकर बिन्दु (VERTICES) एवं बाहु (EDGES) की कल्पना की जाती है । सड़क जाल के उद्गम, संगम तथा अन्तिम सेवा केन्द्र को बिन्दु तथा इनको जोड़ने वाली सड़को को बाहु के रुप मे माना जाता है । इसमे बिन्दुओ के बीच की दूरी की अपेक्षा उनकी मात्रा पर अधिक ध्यान दिया जाता है । आजमगढ़ तहसील में पक्के मार्गो के जाल के सन्दर्भ मे प्रमुख विन्दुओ की सख्या 20 है तथा इनको मिलाने वाले बाहुओं की संख्या 21 है । इस प्रकार इन बिन्दुओं एवं बाहुओं के माध्यम से सड़क जाल सम्बद्धता को प्रदर्शित करने वाले अल्फा [α], बीटा [β] तथा गामा [γ] निर्देशांकों की गणना की गयी है ।

अल्फा [α] निर्देशांक की गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है ।[5]

$$\alpha = \frac{L-v+g}{2v-5}$$

जहॉ α = अल्फा निर्देशाक,

L = बाहुओ की संख्या तथा

v = बिन्दुओ की संख्या ।

अल्फा [α] सूत्र से गणना करने पर मार्ग-जाल की सम्बद्धता का सूचकाक 0 से 1 00 के मध्य

तालिका 7.8

(Formatting-in Ventara) Matalled Road Connectivity Matrix

SC	AZ	RS	JG	TP	SY	MZ	PL	MD	FR	SM	NB	MP	BP	SP	SG	MU	KL	BN	CS	CP	T	
AZ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	6	AZAMGARH
RS	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	RANI-KI-SARAI
JG	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	JAHANAGANG
TP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	TAHABARPUR
SY	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	SATHIYAON
MZ	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	MIRZAPUR
PL	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	PALHANI
MD	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	MOHAMMADPUR
FR	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	6	FARIHA
SM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3	SARAI-MIR
NB	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	NIZAMABAD
MP	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	MUBARAK-PUR
BP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	4	BALRAM-PUR
SP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	SANJAR-PUR
SG	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	5	SHAH-GARH
MU	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	MURIYAR
KL	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	KOTILA
BN	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	BHAVAR NATH
CS	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	6	CHNDESHAR
CP	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	CHAKRA-PANI-PUR
T	6	5	3	2	3	5	3	2	6	3	5	2	4	2	5	2	3	3	6	2	72	TOTAL

आता है । सूचकाक 1 00 पूर्णत सम्बद्ध मार्ग जाल को तथा सूचकाक 0 पूर्णत. असम्बद्ध मार्ग जाल को प्रदर्शित करता है । प्रतिशत मे व्यक्त करने के लिए इसमें 100 से गुणा करना पड़ता है ।

आजमगढ़ तहसील मे सड़क सम्बद्धता के लिए अल्फा सूचकांक का प्रयोग उपयुक्त नही है । अल्फा सूचकांक का प्रयोग ऐसे क्षेत्र के लिए उपयुक्त होता है जहॉ परिवहन तन्त्र कई अलग-अलग स्वरुपो में विभक्त हो, जबकि अध्ययन क्षेत्र में स्थिति इसके ठीक विपरीत है । यहाँ पर केवल सड़क-परिवहन ही एकमात्र परिवहन तन्त्र है ।

बीटा [β] सूचकांक मार्ग जाल के बिन्दुओं एवं बाहुओं के अनुपात को स्पष्ट करता है । इस सूचकाक के अनुसार असम्बद्ध मार्ग जाल का अनुपात-मान 1.00 से कम, एक ही चक्र में विभिन्न केन्द्र बिन्दुओ के मध्य सम्पर्क मार्ग-जाल का मान 1 00 तथा केन्द्र बिन्दुओं के मध्य कई विकल्प वाले मार्ग जाल का मान 1 00 से अधिक होता है । इसकी गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है [6]

$$\beta = \frac{l}{v}$$

जहॉ, β = बीटा-सूचकांक,

L = बाहुओं की सख्या, तथा

V = बिन्दुओ की संख्या !

आजमगढ़ तहसील मे सड़क जाल के सन्दर्भ में बीटा [β] सूचकांक का मान 1.05 है सूचकांक मान इन बात का प्रतीक है कि आजमगढ़ तहसील में सड़क जाल सम्बद्धता निम्न स्तर की है ।

गामा [γ] सूचकाक ही वह माध्यम है जिससे क्षेत्र की परिवहन प्रणाली की सही तश्वीर सामने आती है । इससे भी मार्ग जाल के बाहुओं और बिन्दुओं का अध्ययन किया जाता है । परन्तु यह निर्देशाक विद्यमान बाहुओ का अधिकतम बाहुओं के गुणांक का द्योत्तक है । सूत्र इस प्रकार है [7]–

$$\gamma = \frac{L}{3(v\ 2)}$$

जहॉ, γ = गामा निर्देशांक,

L = बाहुओ की सख्या, तथा

v = बिन्दुओं की संख्या !

इस सूचकाक का मान 0 से 1 00 के मध्य आता है । यदि सूचकांक का मान 1 00 से कम आता है तो अविकसित अवस्था, यदि 1 00 है तो परिवहन तन्त्र सामान्य तथा 1 00 से अधिक आने पर अत्यधिक विकसित परिवहन तन्त्र माना जाता है । आजमगढ़ तहसील का गामा सूचकांक 0 388 है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आजमगढ़ तहसील का परिवहन तन्त्र अविकसित अवस्था मे है ।

7.6 यातायात-प्रवाह

वस्तुओ एव व्यक्तियो के गमन एव प्रत्यागमन, परिवहन दूरी, यातायात-घनत्व एव विभिन्न मार्गो की यातायात सरचना तथा विपणन-प्रकृति के अध्ययन को यातायात-प्रवाह अध्ययन के अन्तगर्त समाहित किया जाता है । इसके द्वारा कार्यात्मक विशेषताओं, आर्थिक क्रिया-कलापों, आर्थिक अन्तर्सम्बद्ध प्रतिरुपो एव आर्थिक विकास के स्तर का सही-सही आकलन किया जाता है ।[8] चूँकि अध्ययन क्षेत्र की अधिकांश जनता का जीवन-यापन कृषि आधारित है अतः यहाँ वस्तु परिवहन में कृषि-उपजो की प्रमुखता होती है । अनुकूल मौसमी दशाओं के समय कृषि मण्डियों एवं गल्ला-मण्डियो की चहल-पहल इसको और भी प्रमाणित कर देती है । मण्डियों एवं समितियों में व्यापार ट्रको द्वारा ही होता है । परन्तु गावों के तो अपने साधनों ट्रेक्टर, बैलगाड़ी, इक्का, ताँगा, रिक्सा, एव सायकिलों की ही प्रधानता होती है । तहसील से बाहर भेजे जाने वाले कृषि-उत्पादनों में खाद्यान्नों सब्जियों एवं फलों की अधिकता होती है । जबकि बाजारों से दैनिक उपभोग की वस्तुओं, कृषि उपकरणों, एव भवन निर्माण की सामग्रियों आदि का परिवहन गाँवों की ओर होता है । तहसील मे ग्रामीण क्षेत्रो को उपलब्ध बाजारों एवं हाटों में आजमगढ़, सठियॉव, जहानागंज, मुबारकपुर, रानी की सराय, मोहम्मदपुर, गम्भीरपुर, निजामवाद, सरायमीर, फरिहा, संजरपुर, फूलपुर, तहबरपुर, एवं कप्तानगज महत्वपूर्ण हैं ।

यातायात प्रवाह का अध्ययन व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित है । यात्रियों के प्रादेशिक एवं अन्तर्प्रादेशिक आवागमन के आधार पर ही तहसील के यातायात प्रवाह का विश्लेषण किया गया है। यातायात प्रवाह के अन्तर्गत उत्तर-प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के साथ-साथ

व्यक्तिगत अथवा निजी परिवहन को भी समाहित किया गया है । बसो की कुल सख्या आने और जाने वाली बसो के सन्दर्भ मे है ।

तहसील मे यातायात प्रवाह के घनत्व में क्षेत्रीय असमानता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है । तहसील के कुछ मार्गो पर प्रवाह अति सघन है परन्तु कुछ मार्गो पर नगण्य है । -आजमगढ़ से वाराणसी एवं आजमगढ़ से गोरखपुर-देवरिया मार्ग पर यातायात प्रवाह सबसे अच्छा है । इस मार्ग पर प्रतिदिन लगभग 120 बसें उत्तर-प्रदेश राज्य-सड़क परिवहन निगम की एवं 20 निजी बसों का आवागमन होता है । इसके अतिरिक्त इस मार्ग पर छोटी-सवारी गाड़ियों की भी चहल-पहल रहती है । इसी प्रकार, आजमगढ़ जौनपुर, इलाहाबाद मार्ग पर भी प्रतिदिन लगभग 60 बसें चलती है । आजमगढ़ का दूसरा मार्ग बलिया-मऊ -आजमगढ़-फूलपुर-शाहगंज-लखनऊ-कानपुर है । इस मार्ग पर भी प्रतिदिन लगभग 80 बसें परिवहन निगम की एवं 10 निजी बसें चलती है । आजमगढ़ का तीसरा मार्ग-गाजीपुर-आजमगढ़-फैजाबाद–लखनऊ-कानपुर है । इस मार्ग पर भी प्रतिदिन लगभग 80 बसें चलती है । तहसील के इन चारो व्यस्त मार्गो के अतिरिक्त मिर्जापुर, देवरिया सठियॉव, घोसी आदि स्थानों के लिए 10 से 20 बसे प्रतिदिन चलती है । इसके अतिरिक्त तहबरपुर, कप्तानगंज सोफीपुर,-बैरमपुर, तरवा,मेहनगर, विलरियागंज, महराजगंज आदि स्थानों के लिए भी 5 से 10 बसें प्रतिदिन चलती है (देखें मानचित्र 7.4) ।

इस प्रकार इन व्यस्त मार्गो के यातायात प्रवाह के अध्ययन से प्रतीत होता है कि आजमगढ़ तहसील में यातायात-प्रवाह उच्च्य स्तर का है, परन्तु ऐसा नहीं है । इन मार्गो पर चलने वाली अधिकाश बसें अन्तर्राज्यीय अथवा अन्तर्जनपदीय है । आज भी तहसील के कुछ मार्ग ऐसे हैं जहां आवागमन के साधनों का सर्वथा अभाव है ।

7.7 **परिवहन-नियोजन**

जैसा कि अध्ययन से स्पष्ट होता है कि तहसील में जल एवं वायु-परिवहन का तो पूर्णतः अभाव है तथा रेल-परिवहन भी लगभग नगण्य है । इस प्रकार सड़क परिवहन ही एक मात्र यातायात का प्रमुख माध्यम है । क्षेत्र मे सड़कों के घनत्व एवं अभिगम्यता के निम्न स्तर से इसकी भी दयनीय स्थिति स्पष्ट हो जाती है । पक्की सड़कों एवं खड़ंजा मार्गो की स्थिति भी सुधारों के

TAHSIL AZAMGARH
FREQUENCY OF BUSES
1992-93
N
To Kaptan ganj
Kharcauli
Basadev Nagar
To Manduri
Newada
Bibipur
To Basahi
Bairampur
Tahbarpur
To Phul pur
Durbasa
To Faizabad
Sehada
To Bilaria ganj
To Dohari ghat
Ukraura
To Sagri
Balram pur
Mubarakpur
Sofipur
Mirzapur
Bhaduli
AZAMGARH
To Shahganj
Nizamabad
Palhahi
Sathiyaon
To Mau
Saraimir
Shahgarh
Rani Ki Sarai
Chandesher
Phariha
Godhaura
Jahanaganj
Mohammadpur
Sonwara
Chakrapanpur
To Jaunpur
From Varanasi
To Ghazipur
To Mehnagar
FREQUENCY OF BUSES
< 20
20 - 60
60 - 80
80 - 100
>100
4
0
4
8
Km

अभाव मे दिन-प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। परिवहन साधनों के अभाव मे क्षेत्र का सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक ढाचा ही चरमरा जाता है। इसके अभाव मे क्षेत्र के विकास की कल्पना भी नही की जा सकती है। अतः तहसील के विकास के लिए यह आवश्यक है कि परिवहन सुविधाओ मे गुणात्मक एव मात्रात्मक सुधार एव वृद्धि करके तहसील के अगम्य क्षेत्रो को अभिगम्य

बनाया जाय। प्रस्तुत अध्याय मे तहसीलों में परिवहन नियोजन के सम्बन्ध में एक सुझाव आगामी वर्षो के परिप्रेक्ष्य मे प्रस्तुत किया गया है। नियोजन का मुख्य लक्ष्य तहसील के

प्रत्येक गॉव को किसी न किसी विकास केन्द्र/सेवा केन्द्र अथवा पक्की सड़क अथवा खड़ंजा मार्ग अथवा कच्चे मार्ग से जोड़ना है।

(अ) रेल-मार्ग

तहसील में रेलमार्ग के अभाव एवं क्षेत्र मे इसके विकास की आवश्यकता को देखते हुये यह प्रस्ताव प्रस्तुत है कि शाहगज-मऊ मार्ग को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करके इसको गोरखपुर, जनपद से सीधे जोड़ा जाय। यदि तहसील मुख्यालय आजमगढ़ को दक्षिण में जौनपुर से एवं उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में सीधे गोरखपुर से रेलवे सुविधा से जोड़ दिया जाय तो यातायात प्रवाह एवं अभिगम्यता के स्तर मे आशाजनक वृद्धि हो सकती है। इसका एक लाभ यह होगा कि इलाहाबाद-गोरखपुर की सीधी रेल सेवा के फलस्वरुप सड़क मार्ग की निर्भरता में कमी आयेगी जिससे दूसरे अगम्य क्षेत्रो को अभिगम्य बनाने मे सहायता प्राप्त होगी। इस रेलवे लाइन के निर्माण के लिए घाघरा नदी पर एक रेलवे पुल की आवश्यकता पड़ेगी।

(ब) सड़क-सम्पर्क मार्ग

तहसील मे सड़क-मार्ग को और सुगम एव सुलभ बनाने हेतु नये मार्गो के निर्माण के साथ ही पुराने मार्गो में सुधार भी आवश्यक है। खड़ंजा मार्गो को पक्के मार्ग में, एवं कच्चे मार्गो को खड़ंजा मार्गो मे परिवर्तित कर दिये जाने से सड़क अभिगम्यता एवं यातायात प्रवाह में अपेक्षित वृद्धि होने की सम्भावना है। यातायात नियोजन की दृष्टि से बृहत्, मध्यम् एवं लघु ग्रामों को क्रमशः पक्की सड़को, खड़ंजा मार्गो तथा सम्पर्क मार्गो द्वारा जोड़ा जाय।

(1) **प्रस्तावित पक्की सड़कें**

सड़क-निर्भरता को देखते हुये-परिवहन व्यवस्था को और उपयोगी बनाने हेतु सड़कों के दोनों किनारे ईट की सोलिंग अविलम्ब बिछाई जाय । उबड़-खाबड़ सड़को की मरम्मत कराई जाय । तहसील मे सड़क परिवहन के महत्व को स्वीकार करते हुये सन् 2001 तक 108.1 किमी० अतिरिक्त पक्की सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है । तहबरपुर विकास खण्ड में सड़क-परिवहन की दुर्लभता को देखते हुये इसके विकास की ओर तुरन्त ध्यान देना आवश्यक है । कप्तानगंज-ओरा मार्ग को सड़क मार्ग द्वारा कप्तानगंज-तहबरपुर मार्ग से जोड़ने हेतु खरकौली-जिगना नहर की पटरी को पक्का अथवा खडंजा करने का कार्य किया जाना चाहिए । कप्तानगज-ओरा-गौंरा मार्ग को विकास खण्ड मिर्जापुर तक पक्का करके ऋषि दुर्वाषा की तपोभूमि से जोड़ा जाना चाहिए । इस स्थान पर फूलपुर तहसील तक परिवहन की आवश्यकता को देखते हुये टौस नदी पर अविलम्ब एक पुल-निर्माण की महती आवश्यकता है (देखे तालिका 7.9 एवं मानचित्र 7.5)।

तालिका 7.9

तहसील में प्रस्तावित पक्की सड़के

क्रमाक	सम्पर्क मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी०)
1	कप्तानगंज-गौंरा-ओरा-दुर्वासा मार्ग	14.3
2	कप्तानगंज ओरा मार्ग को कप्तानगंज तहबरपुर मार्ग से जोड़ना (खरकौली की नहर पटरी द्वारा)	3 5
3	कप्तानगज तहबरपुर मार्ग से किशुनदासपुर-भवरनाथ मार्ग	7.5
4	मिर्जापुर से बनबीर पुर मार्ग	3.0
5	सजरपुर-करीमुद्दीनपुर निजामबाद मार्ग	4.5
6	रानी की सराय से करीमुद्दीनपुर मार्ग	6 00
7	सरायमीर से गोठॉव-जमुवावॉ-ठेकमा मार्ग	2 5

8	रानी की सराय से सोनवारा-आवक मार्ग	7 5
9	छतवारा-सोनवारा-मेहनगर मार्ग	6.00
10	जहानागंज से सठियॉव मार्ग	7.50
11	जहानागज से भुजही-चक्रपानपुर मार्ग	7.50
12.	जहानागज-अकवेलपुर मार्ग	9.00
13	बलरामपुर-मनचोभा मार्ग	3.50
14	ककरहटा-हाफिजपुर मार्ग	3 50
15	तहबरपुर से भूरा-मकबूलपुर मार्ग	3 50
16	सजरपुर-वीनापार-मंजीर पट्टी मार्ग	5 00
17	रानी की सराय-ऊजी-जहानागंज मार्ग	3.00
18	तिसौरा-मांझी-शेरपुर-अकबेलपुर मार्ग	3 50
19	मिर्जापुर-नियाउज मार्ग	2 30
प्रस्तावित पक्की सड़कों का योग =		108 1 किमी०

(ब) प्रस्तावित खड़ंजा मार्ग

यद्यपि आजमगढ़ तहसील के अधिकाश गॉव किसी न किसी कोटि के मार्ग की सेवा से युक्त है, परन्तु ये मार्ग वर्ष भर परिवहन के योग्य नहीं रहते है। अत. आवश्यकता इस बात की है कि इन कच्चे मार्गो एवं पगद्रण्डियो को ऊँचा करके खड़ंजा लगाकर पक्के मार्ग से जोड़ दिया जाय। इस सन्दर्भ मे तहसील मे कुल 70.9 किमी० खड़ंजा मार्ग प्रस्तावित है (देखें-तालिका 7.10 एवं मानचित्र 7 5)।

TAHSIL AZAMGARH
PROPOSED TRANSPORT NET WORK
N
To Gorakh pur
Kharcauli
Basdev Nagar
Ora
Bibipur
Tahbarpur
Bheemal pat'i
Ohani
Durbasa
Chandabhari
Sodhri
Kishundaspur
To Dohari ghat
Ukraura
Hafizpur
Manchobha
Balrampur
Niauj
Mirzapur
Mundiar
Binapara
Nizamabad
Amilo
Mubarakpur
AZAMGARH
Palhani
Shahgarh
Sathiyaon
Rajapur-Sikraur
Vasti
Saraimir
Gandhuai
Sanjarpur
Rani Ki Sarai
Sethwal
Unjee
Chandeshr
Phariha
Kotila
Godhaura
Lachhira Mpur
Awank
Mohammad pur
Sonwara
Jahanaganj
Barahtir
Jagdishpur
Gosari
Gambhirpur
Gambhirban
Mangrawan
Chakrapan pur
Sherpur
Daulatabad
To Jaunpur
RAILWAY LINE
METALLED ROAD
KHARANJA ROAD
4 0 4 8
Km

Fig.7.5

तालिका 7.10

तहसील में प्रस्तावित खड़ंजा मार्ग

क्रमाक	प्रस्तावित खड़ंजा मार्ग	लम्बाई (किमी०)
1	कप्तानगंज-खरकौली-मेहमौनी-तहबरपुर मार्ग	8 5
2.	मुजफ्फरपुर-निजामबाद मार्ग	7 3
3.	ओरा-बैरमपुर-पूरब पट्टी-दुर्वासा मार्ग	12 5
4	मिर्जापुर-तहबरपुर मार्ग	10.5
5	मुबारकपुर-बलरामपुर मार्ग	10 3
6.	रानी की सराय छतवारा मार्ग	9.5
7	मिर्जापुर से भुजही-गजही-अहिरौला मार्ग	12 3
प्रस्तावित खड़ंजा मार्ग का योग		70.9 किमी०

जैसा कि अध्ययन से स्पष्ट है इन प्रस्तावित मार्गो का कार्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक मार्ग मे पड़ने वाली नदियों एव नालो पर पुलों का निर्माण न कर दिया जाय । पुलों में, नदी टौस पर मिर्जापुर-दुर्वासा के पास तथा बलरामपुर एवं मनचोभा को सठियाँव तथा मुबारकपुर से जोड़ने हेतु, तथा सिलनी नदी के पुल महत्वपूर्ण हैं ।

7.8 संचार-व्यवस्था

सचार विचारों के आदान प्रदान का सबसे सशक्त माध्यम है । परन्तु इतना अवश्य है कि पिछले दशक मे वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के साथ ही संचार व्यवस्था ने मानव जीवन के व्यावहारिक पक्ष को जितना प्रभावित किया उतना किसी और ने नहीं । इसके माध्यम से ही घर बैठे-देश-विदेश की सूचनाओ का सकलन एवं विवेचन कर लिया जाता है । राजनैतिक जीवन, सरकारी-प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, कृषि, उन्नत शैक्षिक प्राविधियॉ, विज्ञापन, उद्योग, मनोरंजन आदि सभी क्रियाएं सचार के माध्यमों से ही संचालित हो रही हैं ।[9] संचार व्यवस्था के अन्तर्गत दो प्रकार के माध्यमो का अध्ययन समीचीन है–

1 व्यक्तिगत अथवा निजी सचार व्यवस्था ।

2 जन संचार अथवा सार्वजनिक सचार व्यवस्था ।

(अ) व्यक्तिगत अथवा निजी संचार व्यवस्था

इसके अन्तर्गत प्रायः परम्परागत सचार माध्यमों जैसे डाक, तार एवं दूरभाष को सम्मिलित किया जाता है । सम्प्रति आजमगढ़ तहसील में 126 डाकघर, 13 तारघर एवं 26 दूरभाष केन्द्र हैं । सबसे अधिक दूरभाष केन्द्र रानी की सराय विकासखण्ड में, 07 है । इसके अतिरिक्त मिर्जापुर एव मोहम्मदपुर विकासखण्डों में क्रमशः 05 एवं 04 दूरभाष केन्द्र हैं । इन केन्द्रो के अतिरिक्त तहसील में 6 सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र भी है । पिछले वर्ष सरकार की उदार नीतियों के फलस्वरुप तहसील में अनेक दूरभाष केन्द्र न्यायपंचायत एव ग्राम सभा स्तर पर खुले हैं । प्रति लाख जनसंख्या पर दूरभाष केन्द्रो की संख्या जनपद में 53 एव तहसील में 6 है ।

तहसील मे तारघरो की कुल संख्या 13 है । सबसे अधिक तार-घर विकास खण्ड जहानागंज में हैं। यहॉ पर दो तारघर स्थित है । शेष विकास खण्डों में प्रत्येक में एक-एक तारघर स्थित है । प्रतिलाख जनसख्या पर तारघरों की सख्या लगभग 1 है ।

व्यक्तिगत संचार व्यवस्था के अन्तर्गत डाक व्यवस्था का विकास, तार एवं दूरभाष की तुलना में अधिक हुआ है । तहसील मे कुल 126 डाकघर है । विकास खण्ड स्तर पर सबसे अधिक डाकघर जहानागज में स्थित है । यहाँ पर डाकघरों की कुल संख्या 21 है । शेष विकास-खण्डों में, मिर्जापुर मे 17, मोहम्मदपुर में 20, तहबरपुर मे 15, पल्हनी में 20, रानी की सराय में 1८ एवं सठियाँव में 15 डाकघर स्थित है ।

(1) डाकघर

आजमगढ़ तहसील में स्थित 126 डाकघरों द्वारा, सभी क्षेत्रों में समान स्तर से समुचित सेवा करना अपने आप में बहुत कठिन कार्य है । सारणी (7 11) के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि तहसील के मात्र 11 52 प्रतिशत ही गॉव ऐसे हैं जिन्हे गॉव में ही डाकघर की सुविधा प्राप्त है ।

तालिका 7.11

आजमगढ़ तहसील के गाँवों में उपलब्ध संचार सेवाएँ ,1990-91

तहसील/विकास खण्ड	उपलब्ध सेवाओं वाले गॉवो का प्रतिशत				
	गॉव में उपलब्ध	1 किमी० से कम दूरी पर	1–3 किमी० की दूरी पर	3–5 किमी० तक की दूरी पर	5 किमी० या अधिक दूरी पर
A तहसील–आजमगढ योग					
1 डाकघर	11 52	18 25	41 05	11.43	17 75
2 तारघर	0 72	3 39	15.44	11 56	68 89
3 दूरभाष	0 57	1 81	10 27	16 78	70 57
1. विकास खण्ड मिर्जापुर					
1. डाकघर	9.65	14 77	63.64	6 82	5 12
2. तारघर	0 57	2 27	19 89	6 25	71.02
3 दूरभाष	0 57	2 27	19 89	6 25	71 02
2 विकास खण्ड मोहम्मदपुर					
1. डाकघर	15 63	14.84	16 41	10 16	42.96
2 तारघर	0 78	6 25	3.13	3 13	86 71
3 दूरभाष	1.56	3.90	7 81	43 75	42.98

3 विकास खण्ड तहबरपुर					
1 डाकघर	8 57	30.85	34 29	14 86	11 43
2. तारघर	0 57	1 14	12 57	7 43	78 29
3 दूरभाष	—	—	—	—	100 0
4 विकास खण्ड पल्हनी					
1 डाकघर	12 50	18.13	44 37	8 13	16 87
2 तारघर	0 63	1 87	5 63	13.12	78 75
3 दूरभाष	1 88	3 76	25 00	36 86	32 50
5 विकास खण्ड रानी की सराय					
1 डाकघर	9 94	22.11	45 86	11 60	10 49
2 तारघर	0.55	8 29	32 04	16.02	43 10
3. दूरभाष	—	2 76	7.18	19 33	70 73
6 विकास-खण्ड सठियाँव					
1 डाकघर	12.00	8.8	41 6	12 8	24 8
2 तारघर	0 8	1 6	16.0	14.4	67 2
3 दूरभाष	—	—	12 0	11 2	76 8
7 विकास-खण्ड जहानागंज					
1 डाकघर	12 35	18.24	41 17	15.88	12 36
2. तारघर	1.17	2 35	18 82	20 59	57 07
3 दूरभाष	—	—	—	—	100 0

स्रोत – सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद आजमगढ़ 1991

तहसील के 18 25 प्रतिशत गाँव ऐसे है जिन्हे एक किमी० की दूरी पर डाकघर की सुविधा प्राप्त है। आज भी तहसील के 17 75 प्रतिशत गॉव ऐसे हैं जो डाकघर से 5 किमी० या इससे भी अधिक दूर स्थित है । विकास खण्ड स्तर पर गॉव में ही डाकघर की सुविधा प्राप्त करने वाले सबसे अधिक 15 63 प्रतिशत गॉव मोहम्मदपुर विकास खण्ड के है । इसी प्रकार सबसे कम 8 57 प्रतिशत गॉव तहबरपुर विकास खण्ड के है ।

एक किमी० तक की दूरी पर डाकघर की सुविधा से युक्त सबसे अधिक 30.85 प्रतिशत गॉव तहबरपुर विकास खण्ड के है, जबकि यहॉ के 34 29 प्रतिशत गॉव ऐसे है जिन्हे यह सुविधा 3 किमी० की दूरी पर प्राप्त होती है । आज भी मोहम्मदपुर विकास खण्ड के 42.96 प्रतिशत गॉव ऐसे है जिन्हे डाकघर की सुविधा प्राप्त करने के लिए 5 किमी० या इससे अधिक चलना पड़ता है । आजमगढ़ जनपद मे प्रति लाख जनसख्या पर डाकघरो की संख्या 1991 में 13 थी ।

(2) तारघर

आजमगढ़ तहसील में तारघरों की कुल संख्या 13 है । तहसील के मात्र 0 72 प्रतिशत गॉव ऐसे है जिन्हे गॉव मे ही तारघर की सुविधा उपलब्ध है । जबकि तहसील के 68.89 प्रतिशत गॉव ऐसे है जिन्हे यह सुविधा 5 किमी० या उससे भी अधिक दूरी पर उपलब्ध है । विकास खण्ड स्तर पर तारघर की सबसे सुन्दर व्यवस्था जहानागज की है । यहॉ के 1 17 प्रतिशत गॉव को यह सुविधा गॉव मे ही प्राप्त है, जबकि 57 07 प्रतिशत लोगो को यह सुविधा 5 किमी० पर उपलब्ध है । सबसे घटिया व्यवस्था मोहम्मदपुर की है जहॉ 86 71 प्रतिशत गाँव 5 किमी० या उससे भी अधिक दूर पर सेवा प्राप्त करते है । रानी की सराय मे यह प्रतिशत 43 10 है (तालिका 7 11)।

(3) दूरभाष केन्द्र

आजमगढ़ तहसील में दूरभाष केन्द्र की व्यवस्था सुखद नहीं-कही जा सकती है । तहसील के केवल 0 57 प्रतिशत ही गॉव ऐसे है जिन्हे दूरभाष केन्द्र की सुविधा गॉव में ही प्राप्त है । जबकि 10 27 प्रतिशत गॉवो को इसकी सुविधा 1-3 किमी० की दूरी पर प्राप्त है । तहसील के 70.57

प्रतिशत-गाव आज भी ऐसे है जिन्हे दूरभाष केन्द्र तक पहुँचने के लिए 5 किमी० या इससे अधिक यात्रा तय करना पड़ता है ।

विकास-खण्ड स्तर पर दूरभाष केन्द्र की सबसे उत्तम व्यवस्था पल्हनी की है । यहाँ के 25 प्रतिशत गॉवो को यह सुविधा 1-3 किमी० की दूरी पर प्राप्त होती है, जबकि मिर्जापुर एवं रानी की सराय विकास खण्डो में यह सुविधा केवल क्रमशः 19.89 एवं 7 18 प्रतिशत गाँवों को प्राप्त है । पल्हनी के 32 50 प्रतिशत गॉव ऐसे है जिन्हें दूरभाष केन्द्र की सुविधा 5 किमी० या इससे अधिक दूरी पर प्राप्त है जबकि यह प्रतिशत मिर्जापुर में 71.02, रानी की सराय में 70 73, सठियाँव में 76 8, मोहम्मदपुर में 42 98 तथा तहबरपुर एव जहानागंज में 100.0 है । पल्हनी विकास खण्ड की उत्तम स्थिति का कारण नगरीकरण का प्रभाव है (तालिका 7 11) ।

(ब) जनसंचार अथवा सार्वजनिक संचार-व्यवस्था

सार्वजनिक संचार व्यवस्था के अन्तर्गत सूचनाओं, समाचारों, एवं मनोरंजन के ऐसे माध्यम सम्मिलित किए जाते है जो एक ही साथ एक ही समय मे, सार्वजनिक स्तर पर इनका प्रचार एव प्रसार करने मे समर्थ होते हैं । अतीत मे लोग इनकी पूर्ति नाटक, रामलीला एवं कठपुतलियों आदि के माध्यम से करते थे, परन्तु विज्ञान एवं तकनीक विकास ने जनसंचार के माध्यमों के विकास में क्रांति सा ला दिया है । इस प्रकार आज रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा समाचार पत्र-पत्रिकाएँ एव विज्ञापन जैसे नवीन माध्यमों का उदय हुआ । इन माध्यमो द्वारा सूचना, ज्ञान, विचारों, शिल्पकलाओ आदि का संकेतों, चिन्हों, शब्दों, चित्रों एवं आरेखों द्वारा प्रभावी प्रसारण किया जाता है । अपनी कार्य कुशलता एवं बुद्धि क्षमता के बल पर आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं सिनेमा आदि माध्यमो ने समाचारो, सूचनाओ, सदेशो एवं कलाओ में संगीत का समावेश करके जो प्रसारण नीति अपनाई है, उसने इन माध्यमों की ओर लोगों को आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की है । सामाजिक शिक्षा एवं जीवन पर्यन्त शिक्षा में इनकी प्रभावी भूमिका से इन्कार नही किया जा सकता। आकाशवाणी के माध्यम से प्रतिदिन नियत समय पर देश-विदेश के समाचारों, खेल-कूद, सगीत, विज्ञापन एव मौसमी दशाओं की सूचनाओ आदि का प्रसारण किया जाता है । यद्यपि-आजमगढ़

तहसील अथवा आजमगढ़ जनपद मे कोई आकाशवाणी केन्द्र नही है परन्तु यहॉ पर वाराणसी, गोरखपुर लखनऊ, पटना, आल-इण्डिया एव B.B C आदि केन्द्रो से प्रसारण सुनने की सेवा उपलब्ध है । क्षेत्र मे जीवन यापन मे लगे अपनी जीवन नौका को मन्थर गति से आगे बढ़ाते हुये, अपने कुटुम्ब एवं परिवार को ही मनोरजन का साधन समझने वाले लोग आज भी इसकी तरफ पूर्णरुपेण आकर्षित नहीं हो पाये है । तहसील के मात्र 60 प्रतिशत लोगों को ही समुचित रुप से इसकी सेवा उपलब्ध हो पाती है । इसका एक कारण आर्थिक विपन्नता भी है जिससे लोग रेडियों सेट खरीदने मे अपने आपको असमर्थ पाते है ।

जन सचार के माध्यमो के विकास का यदि सूक्ष्म विवेचन किया जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पिछले दस वर्षो मे जितना विकास दूरदर्शन के क्षेत्र में हुआ है उतना किसी और क्षेत्र में नहीं । दूरदर्शन, रेडियों की तुलना मे अधिक सशक्त् माध्यम है । यह श्रवण के साथ ही दर्शन की भी सेवा उपलब्ध कराता है । मैट्रोचैनल एव स्टार तथा केबिल T.V ने तो जनसंचार के सम्पूर्ण वातावरण को ही प्रभावित कर दिया है । आजमगढ़ तहसील में तहसील मुख्यालय पर एक कम दूरी वाले प्रसारण-केन्द्र की स्थापना की गयी है । परन्तु इस प्रसारण केन्द्र से जन-आकांक्षाओं की सम्यक पूर्ति सम्भव नही है । तहसील मे वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ एवं दिल्ली के कार्यक्रमों को सुनने एवं देखने की भी सुविधा उपलब्ध है । सिनेमा एवं विदेशी प्रसारणों की प्रतियोगिता को देखते हुये देश में मैट्रोचैनेल पर कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है । स्टार टी०वी० एवं केबल टी०वी० की सुविधा अभी नगरीय क्षेत्रों मे ही उपलब्ध है । सुनने एवं देखने की प्रबल इच्छा ने अभी आर्थिक एव सामाजिक अवरोधों को पार करने में पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त की है । समाज में लोग इसके कार्यक्रमो मे अश्लीलता का सम्पुट देखते है जो परिवार में एक-साथ बैठकर देखने योग्य नहीं होता। टी०वी० के महगे सेटो ने लोगों को असहाय एव लाचार सिद्ध कर दिया है ।

जनसचार के माध्यमों में सिनेमा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है । यद्यपि तहसील में सिनेमा घरो की समुचित व्यवस्था का अभाव है परन्तु तहसील के नगरीय क्षेत्रों में लोगों की आवश्यकता की पूर्ति मे अवश्य ही सफलता मिली है । आजमगढ़ तहसील में कुल 9 सिनेमा हाल है इसमें से 5 सिनेमाहाल तहसील मुख्यालय पर ही है । सिनेमा मध्यम वर्गीय, समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण

TAHSIL AZAMGARH
SPATIAL PATTERN OF COMMUNICATION FACILITIES
1991
N
Tahbar pur
Mirzapur
Rani Ki Sarai
Palhani
Sathiyaon
Jahanaganj
Mohammadpur
COMMUNICATION FACILITIES
EXISTING
PROPOSED
POST OFFICES
TELEGRAPH OFFICES
TELEPHONE CENTRES
TELEVISION CENTRE
RADIO CENTRE
4
0
4
8
Km

Fig. 7 6

स्वस्थ मनोरजन प्रदान करने का माध्यम था परन्तु पिछले कुछ वर्षो मे इसके सामाजिक एव सास्कृतिक स्तर में काफी गिरावट आयी है। अश्लील सगीतों एवं नग्न तस्वीरों के द्वारा स्वस्थ मनोरजन तो प्रदान ही नहीं किया जा सकता है मानसिकता को कलुषित अवश्य किया जा सकता है। एक तथ्य स्मरणीय है कि जनसचार के सशक्त माध्यमों में एक सिनेमा,में आयी कमियों को दूर कर दिया जाय तो इसके आज की महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता।

शैक्षणिक वातावरण मे मुद्रण भी जनसचार का एक सशक्त माध्यम होता है। इसके अन्तर्गत समाचार पत्रो, पत्र-पत्रिकाओं आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तहसील मुख्यालय पर देवल-दैनिक, तमसा, आदि समाचार पत्रो के प्रकाशन की व्यवस्था है। तहसील में वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ एव दिल्ली से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र, दैनिक जागरण, आज, स्वतन्त्र-भारत, नवभारत टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा, टाइम्स आफ इण्डिया आदि भी उपलब्ध रहते हैं। तहसील में माया, इण्डिया टुडे, रविवार, आज-कल एवं अन्य प्रतियोगी एवं खेल-कूद सम्बन्धी पत्रिकाएँ भी उपलब्ध रहती है। जैसा कि अध्ययन से स्पष्ट है कि तहसील में साक्षरता का प्रतिशत काफी कम है। अत. इन समाचार पत्रो एवं पत्रिकाओ की ओर बहुसंख्यक समाज का कोई आकर्षण नही है।

7.9 संचार-नियोजन

सम्यक अध्ययन एव गहन विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि क्षेत्र में आज जो सामाजिक आर्थिक एव राजनैतिक प्रगति सम्भव हुयी है उसमे संचार माध्यमों की प्रभावी भूमिका से इन्कार नही किया जा सकता यद्यपि तहसील ने संचार माध्यमों के विकास मे उल्लेखनीय प्रगति की है परन्तु आज भी तहसील की बहुसंख्यक जनसंख्या इसके लाभ से वंचित है। आजमगढ़ तहसील मे सचार माध्यमों के विकास एव संचार-व्यवस्था को और सुगम एवं सुलभ बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव एव सुझाव प्रस्तुत है-

1 अध्ययन से स्पष्ट होता है कि तहसील में डाकघरों की संख्या उपयुक्त नहीं है, फलस्वरुप जन-आकाक्षाओं की समुचित पूर्ति सम्भव नहीं हो पाती। अत. सन् 2001 तक प्रत्येक गॉव मे कम से कम एक पत्र-पेटिका अवश्य लगाई जाय जिसके नियमित खुलने की व्यवस्था की

जाय । तहसील मे नियमित डाक वितरण व्यवस्था होनी चाहिए । यह सभी लाभ तभी सम्भव है जब तीन किमी० के अन्दर वितरण कार्यालय (Delivary-office) स्थित हो ।

2 गॉवो की प्रत्येक क्षेत्र मे भूमिका एवं उसकी आवश्यकताओं को देखते हुये त्वरित संचार की व्यवस्था अति आवश्यक हो गयी है । गॉवो में आग लगने, चोरी, डकैती एवं मारपीट की घटनाए प्राय होती रहती हैं जिनकी सूचना समय से न मिल पाने के कारण गॉव के लोग उपयुक्त एवं त्वरित लाभ से वचिंत रह जाते है । अतः गाँवो मे त्वरित दूरभाष केन्द्र की स्थापना की जाय जिससे सूचनाओं का आदान-प्रदान समय से हो सके ।

3 प्रत्येक गाँव में त्वरित सूचना भेजने एव प्राप्त करने के लिए सन् 2001 तक डाकघरों को तारघरों से जोड़ दिया जाना चाहिए ।

4 तहसील मे सिनेमाघरों की प्राय. कमी है । तहसील के नगरीय क्षेत्रों के साथ-साथ छोटे कस्बों एवं बाजारों में सिनेमाघरो की व्यवस्था की जाय । विकास खण्ड मिर्जापुर, तहबरपुर, मोहम्मदपुर, सठियाँव एवं जहानागंज में कम से कम दो-दो तथा शेष में 1-1 सिनेमाघर स्थापित किये जॉय ।

5 तहसील में कृषि, शिक्षा, समाज सुधार, एवं मनोरंजन सम्बन्धी विभिन्न लाभकारी प्रसारणों हेतु प्रत्येक गॉव-सभा मे कम से कम दो सार्वजनिक दूरदर्शन सेट लगाये जॉय । इस प्रणाली से तहसील की सम्पूर्ण जनता को नये-नये कृषि प्रयोगों, कृषि-यन्त्रो, उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओ की लाभ प्रद सूचना मिल सकेगी । इसकी देख-रेख का पूर्ण उत्तरदायित्व गॉव-सभा के प्रधान एव सदस्यो पर होना चाहिए । तहसील मुख्यालय पर एक आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना भी की जानी चाहिए ।

6 प्रत्येक-गॉव में विविध राजनीतिक, आर्थिक, एवं सास्कृतिक सूचनाओं हेतु एक अत्याधुनिक सुविधाओ से युक्त वाचनालय खोला जाना चाहिए । वाचनालय में समाचार पत्रो-पत्रिकाओं के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रो से युक्त ज्ञानवर्द्धक पुस्तकों की व्यवस्था होनी चाहिए । शिक्षितो

के सम्पर्क एव इच्छाशक्ति से साक्षरता प्रतिशत को भी बढ़ाने मे सहायता प्राप्त होगी । वाचनालय को रेडियो प्रसारण की सुविधा से भी जोड़ा जाना चाहिए । इस प्रकार के सुनियोजित प्रयास से वाचनालय में विविधता आयेगी एव उसकी लोक-प्रियता मे भी वृद्धि होगी ।

सन्दर्भ

1 **THOMAMS, R.L.** · TRANSPORTATION AND DEVELOPMENT OF MALAYA, A A A G , VOL 65, NO 2, JUNE 1975, p 279

2 OP CIT, FN 2, p. 66

3 **सिंह, जगदीश :** परिवहन एव व्यापार भूगोल; उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ, 1977, p 48

4 OP CIT, FN 3, p. 184

5 **म्हों, f.** MICRO-LEVEL PLANNING, A CASE STUDY OF CHHIBARAMAU TAHSIL, UNPUBLISHED, PH D THESIS, GEOGRAPHY DEPTT, ALLAHABAD UNIVERSITY, 1981, p 244.

6 IBID, p 245

7 IBID

8 OP CIT FN 6, p 56

9 **PRAKASH, BHALCHANDRA SADASHIVA** INDIA, ECONOMIC GEOGRAPHY, N C E R T , NEW-DELHI, 1990 p. 151

10 **सांख्यिकीय पत्रिका,** जनपद आजमगढ़, 1991.

उपसंहार

आजमगढ़ तहसील : समन्वित क्षेत्रीय विकास

इक्कीसवीं सदी की ओर खिसकता हुआ यह कालखण्ड भयावह विचारहीनता से ग्रसित है । अकेले अध्ययन प्रदेश ही नही अपितु समूचे भारत में जो हिसक या गैर-हिसक सघर्षो का दौर चल रहा है, उसके पीछे सैद्धान्तिक-वैचारिक आग्रह नही बल्कि वैयक्तिक अहम् के दुराग्रह, कौमी क्षुद्रताओं एव राष्ट्रीय कट्टरताओं की टकराहट, साम्प्रदायिक पश्चगामी मनोवृत्ति और नंगी सत्ता लिप्सा के कारक सक्रिय है । समूची आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में सुधार वादी एव कल्याण चेता तत्व अपने आप को ऐसे धुधलके मे खड़ा हुआ पा रहे है, जहॉ से आगे बढ़ने के रास्ते साफ-साफ नही दिखलाई पड़ते है । प्रदेश की सम्पूर्ण नगरीय एव ग्रामीण बस्तियों का अध्ययन भारत के सम्पूर्ण गॉवो एवं शहरों के सन्दर्भ मे करे तो अभी भी सामाजिक, नैतिक एवं आर्थिक आजादी का स्वरुप काफी अस्पष्ट है । महती आवश्यकता है अध्ययन प्रदेश को राजनैतिक दलों एवं अन्य अवरोधो की घटिया प्रतिद्वद्विता से अलग रखने की । अध्ययन प्रदेश में उत्पादन के साधनों के समाजीकरण हेतु अभी भी भगीरथ प्रयास की आवश्यकता है । इसके फलस्वरुप ही इस व्यवस्था का समाज कल्याणवादी स्वरुप दृष्टिगोचर होगा जो बाजार सिद्धान्त पर आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए आज बहुत अधिक प्रासंगिक है ।

अध्ययन प्रदेश आजमगढ़ तहसील का विकास अभी अपने प्रारम्भिक चरणो में है । यह मूलत ग्रामीण प्रदेश है जिसके सम्यक् विकास के लिए समाज के वचितो एव पिछड़े वर्गो का उत्थान आवश्यक है । इसी स्तम्भ को आधार स्वीकार करते हुये महात्मा गाधी ने ग्रामीण भारत का स्वप्न देखा था । वे स्वावलबी भारत का निर्माण करना चाहते थे । उनके अनुसार भारत का हृदय गावों मे निवास करता है । अत- अध्ययन प्रदेश या किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का विकास तब तक सम्भव नही हो सकता जब तक राष्ट्रीय नीति मे गॉवो के महत्व का सही सन्दर्भो मे आकलन न किया जाय और उनसे सम्बन्धित विकास कार्यक्रमो को व्यावहारिक एव स्थानीय स्तर पर क्रियान्वित न किया जाय ।

अध्ययन प्रदेश मे सामजिक एव आर्थिक असमानता को दूर करने हेतु अल्प विकसित एव अविकसित सेवा केन्द्रो का विकास मानवीय एव राष्ट्रीय दोनो ही दृष्टियो से आवश्यक है। असमानता दूर करने के लिए अविकसित क्षेत्रो की पहचान करके उसमे विकास की प्रक्रिया को गतिशील करना होगा । वस्तुत. किसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था का विकास सुनियोजित रणनीति के माध्यम से ही वांछित गति एवं दिशा प्राप्त कर सकता है । किसी प्रदेश के पिछड़ेपन का ज्ञान एव उसका विकास-नियोजन उस क्षेत्र के भौगोलिक पृष्ठभूमि मे ही निहित है । इस प्रकार स्पष्ट है कि समन्वित क्षेत्रीय विकास के अध्ययन हेतु प्रदेश के सम्पूर्ण भौगोलिक स्वरुप का सम्यक सिहावलोकन अनिवार्य हो जाता है ।

आजमगढ़ तहसील एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था का प्रतिरुप है । सात विकास खण्डो एव 67 न्याय पंचायतो मे विभक्त इस तहसील की सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या 917218 तथा पॉच नगरीय क्षेत्रो की जनसंख्या 160211 है । पिछले दशको (1941-1991) में जनसख्या की औसत बृद्धि दर 1 952 थी। जनसंख्या की तीव्र बृद्धि एवं संसाधनों के अभाव ने प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक, एव सास्कृतिक स्वरुप को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है । वर्तमान समय में तहसील में प्रतिवर्ग किमी॰जनसंख्या का घनत्व 792 व्यक्ति है जो राष्ट्र, प्रदेश एव जनपद के औसत से अधिक है । जबकि जनसख्या मे कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत मात्र 26 44 एवं साक्षरता प्रतिशत 30 53 है जो राष्ट्र, प्रदेश एवं जनपद के प्रतिशत से काफी कम है । यद्यपि तहसील मे 402 जूनियर बेसिक विद्यालय, 109 सीनियर बेसिक विद्यालय, 31 माध्यमिक विद्यालय, 5 महाविद्यालय एव अनेक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है, परन्तु तहसील के 0 66 , 16 10 एव 48.36 प्रतिशत गांवो को क्रमश. जूनियर बेसिक, सीनियर बेसिक एव माध्यमिक विद्यालयों हेतु 5 किमी० या इससे भी अधिक दूरी की यात्रा करना पडता है । प्रदेश मे अनेक कुरीतियों का जन्म बढ़ती जनसंख्या के कारण ही हुआ है । उद्देश्यहीन, अर्थहीन एव अनुशासनहीन शिक्षा प्रणाली ने बेरोजगारी को जन्म दिया है । शिक्षकों एवं विद्यालयो की वर्तमान स्थिति सम्पूर्ण जनसख्या को साक्षर बनाने में भी असमर्थ है आवास एवं खाद्य समस्या ने लोगो के सामाजिक स्तर को भी बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है । इस प्रकार स्पष्ट होता है कि

जनसख्या विस्फोट ने अकेले ही शिक्षा, रोजगार, आवास एव खाद्य सम्बन्धी अनेक समस्याओ को जन्म दिया है । प्रदेश मे शिक्षा, रोजगार, आवास एवं खाद्य समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक है कि सर्वप्रथम जनसंख्या वृद्धि को नियन्त्रित किया जाय । इस सम्बन्ध मे परिवार नियोजन कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार एव प्रसार की आवश्यकता है । जनसंख्या नियन्त्रण के माध्यम से ही सीमित साधनों द्वारा भी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है । शिक्षा के उन्नयन हेतु विभिन्न स्तर के और अधिक विद्यालयो एवं शिक्षकों की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है (अध्याय छ:)।

प्रदेश में शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओ की भाति स्वास्थ्य सुविधाएँ भी सर्वजन सुलभ नहीं है । बढ़ती जनसख्या ने स्वास्थ्य सुविधाओ को भी बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है । स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति तहसील के 41 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 9 आयुर्वेद चिकित्सालयो, 5 होमियोपैथ चिकित्सालयो एवं 9 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्रो के द्वारा कदापि सम्भव नही है। शैय्या एवं औषधि के अभाव ने स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी पंगु बना दिया है । आज भी तहसील के 46 59, 9.40 एव 67 94 प्रतिशत गांवों को क्रमशः एलोपैथिक, मातृ शिशु कल्याण केन्द्र एवं आयुर्वेद चिकित्सालय की सुविधा हेतु 5 किमी० या इससे भी अधिक दूरी तय करना पड़ता है । इन सुविधाओं को सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय बनाने हेतु इसमे वृद्धि के साथ-साथ जनसंख्या नियन्त्रण भी आवश्यक है । प्रत्येक न्याय पचायत को उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा प्रदान किये जाने की महती आवश्यकता है । इसके लिए अतिरिक्त भूमि एवं पूँजी उपलब्ध कराना सरकार का प्रथम दायित्व है । इसके साथ ही पशु चिकित्सालयो की सुविधा भी यथा सम्भव उपलब्ध करायी जानी चाहिए ।

विकासशील राष्ट्रो के बहुमुखी विकास मे परिवहन साधनो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर परिवहन के साधनों का काफी विकास हुआ है परन्तु अध्ययन प्रदेश में इसे विकास के अभी कई चरण पूर्ण करने हैं । प्रदेश मे वायु एवं जल परिवहन का विकास तो पूर्णरुपेण

भविष्य के गर्भ मे है । रेल परिवहन की सुविधा भी मात्र 48 किमी० के क्षेत्र पर ही उपलब्ध है । इस प्रकार यहॉ प्रति 100 वर्ग किमी० पर रेल मार्ग की औसत लम्बाई 4 14 किमी० तथा प्रतिलाख जनसख्या पर 5.23 किमी० है, जो कदापि समुचित सेवा योग्य नही है । प्रदेश में परिवहन की सार्थकता वास्तव में सड़क परिवहन द्वारा ही सिद्ध होती है । यहॉ राज्य एवं जिला मार्गो की व्यवस्था अपेक्षाकृत अच्छी है । यद्यपि सड़कों की कुल लम्बाई 361 किमी० है परन्तु तहसील के मात्र 68 प्रतिशत गॉव ही सुव्यवस्थित सड़कों से जुड़े हैं । तहसील में प्रति लाख जनसख्या पर सड़कों की लम्बाई मात्र 43 47 किमी० एव प्रति हजार वर्ग किमी० पर 348.9 है । यहाँ के 80 69 प्रतिशत गॉव ही सड़क मार्ग द्वारा अभिगम्य हैं । यातायात प्रवाह की दृष्टि से भी तहसील में सड़क परिवहन का समुचित विकास नहीं हो सका है । इस प्रकार स्पष्ट होता है कि तहसील का एक मात्र साधन सड़क-परिवहन भी अभी पूर्ण विकसित अवस्था में नही है । प्रदेश मे परिवहन के साधनो की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये रेल-परिवहन के विकास की महती आवश्यकता है । त्वरित सेवा प्रदान करने हेतु तहसील मुख्यालय को अन्य जनपद मुख्यालयो से रेल मार्ग द्वारा जोड़ा जाना चाहिए । पक्की सड़को की लम्बाई में विस्तार करके तहसील के शत प्रतिशत गांवो को उनसे जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। सड़कों के गुणात्मक स्तर में भी सुधार आवश्यक है । सड़कों की अभिगम्यता को ध्यान में रखते हुये तहसील में 108.1 किमी० पक्के मार्ग एवं 70 9 किमी० खड़जा मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव है ।

प्रदेश मे संचार व्यवस्था का विकास भी अपेक्षित गति नहीं प्राप्त कर सका है । जबकि वस्तु उत्पादों के वितरण, विचारों के आदान-प्रदान, मनोरंजन एवं शिक्षा के दृष्टिकोंण से व्यक्तिगत एव सार्वजनिक सचार माध्यमों, का अत्यधिक महत्व है । तहसील में वर्तमान समय मे डाकघरो की कुल सख्या 142, तारघरो की कुल संख्या 13 एवं दूरभाष केन्द्रों की कुल संख्या 26 है । ज्ञातव्य है कि यह संख्या सम्पूर्ण जनसख्या को समान रुप से सेवा प्रदान करने मे असमर्थ है । तहसील के 17 75, 68 89 एवं 70 57 प्रतिशत गावो को क्रमश डाकघर, तारघर एव दूरभाष की सुविधा हेतु आज भी 5 किमी० या इससे अधिक दूरी तय करना पड़ता है । यद्यपि तहसील मे आकाशवाणी की सुविधा

बाह्य केन्द्रों से उपलब्ध है परन्तु जनाकाक्षा के अनुरुप स्थानीय, समाजिक, सास्कृतिक विकास हेतु आजमगढ़ में एक आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना अतिआवश्यक है। दो वर्ष पूर्व एक छोटे स्तर के दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना तहसील मुख्यालय पर की गयी जिसकी सेवा सीमित लोगो को ही उपलब्ध है। प्रदेश में यद्यपि स्तरीय समाचारपत्रों एव पत्रिकाओ के प्रकाशन का अभाव है परन्तु अन्य जनपद मुख्यालयों से प्रकाशित समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं सरलता से उपलब्ध रहती है। तहसील में उद्यानों एव छविगृहों की वर्तमान सख्या सम्पूर्ण जनसंख्या के लिये अपर्याप्त है। संचार व्यवस्था को प्रभावशाली स्वरुप प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक गॉव को डाकघर एव तारघर की सुविधा निकटतम दूरी पर उपलब्ध करायी जाय। तहसील मुख्यालय पर आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना के साथ ही दूरदर्शन केन्द्र की शक्ति सीमा एवं गुणवत्ता में व्यापक सुधार किया जाना चाहिए। तहसील के सम्पूर्ण गॉवो को वाचनालय एवं समाचार पत्र की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए आवश्यक है कि तहसील मुख्यालय पर स्तरीय समाचार पत्रों के प्रकाशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

प्रदेश मे पिछड़ी जनसंख्या और अविकसित परिवहन एव संचार व्यवस्था के कारण विकास के लिए उत्तरदायी विभिन्न उपलब्ध संसाधनों का उचित प्रबन्धन एवं विदोहन नहीं हो सका है। यद्यपि अध्ययन प्रदेश एक कृषि प्रधान क्षेत्र है परन्तु यहॉ की कृषि का व्यावसायीकरण एव व्यापारीकरण नहीं हो सका है। यह मात्र निर्वाहन मूलक एव जीविकोपार्जक खाद्यानो की कृषि बन कर रह गयी है। पशुपालन, मत्स्यपालन तथा कुक्कुटपालन का तहसील मे विकास लगभग नगण्य है। निविष्टि सुविधाओ के अभाव मे कृषि की गहनता कम है। व्यापारिक फसलो में जैसे गन्ना एवं आलू की कृषि तहसील के बहुत कम भूमि पर होती है। जबकि इनके विकास के लिए आवश्यक सभी परिस्थितिया तहसील मे उपलब्ध है। हरित क्रांति का प्रभाव यहॉ की कुछ फसलों के उत्पादन पर अवश्य पड़ा है फिर भी प्रदेश में वैज्ञानिक कृषि का सर्वथा अभाव है। यहॉ सिचित भूमि की अपर्याप्तता, रासायनिक उर्वरको एव शोधित उच्च उत्पादकता वाले बीजों के अभाव में वैज्ञानिक कृषि सम्भव नही हो सकी है। तहसील की 87 53, 18.57, 44 49 एवं 91 48 प्रतिशत बस्तियो को

क्रमश· शीत गृह, बीज/उर्वरक केन्द्र, पशु चिकित्सालय एव क्रय विक्रय केन्द्र हेतु पॉच किमी० या इससे भी अधिक दूरी तय करना पड़ता है । प्रदेश के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के 75 77 प्रतिशत भूमि पर ही कृषि की जाती है और सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 54 95 प्रतिशत भाग ही शुद्ध सिंचित है । क्षेत्र की 78 4 प्रतिशत जनसख्या कृषि कार्य मे ही लगी है । इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रदेश की कृषि अत्यन्त पिछड़ी अवस्था में है । कृषि विकास हेतु कृषि प्रशिक्षण केन्द्र की महती आवश्यकता है । अन्य कृषि सम्बन्धी सुविधाओ में वृद्धि करके नवीनतम वैज्ञानिक कृषि के सभी उपागमों-व्यापारिक कृषि, मिश्रित कृषि, फसल चक्र, मिश्रित फसल, शुष्क कृषि, एवं आर्द्र कृषि आदि को अपनाकर प्रदेश की कृषि को विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है । इसके लिए शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल, कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल एवं शुद्ध सिचित क्षेत्रफल मे बृद्धि की आवश्यकता है । अन्यथा सन् 2001 तक लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओ की पूर्ति पूर्णरुपेण सम्भव नही हो सकेगी ।

आजमगढ़ तहसील मे खनिज सम्पदा का तो सवर्था अभाव है । फलस्वरुप खनिज ससाधन आधारित उद्योगों के विकास की सम्भावना काफी क्षीण है । परन्तु प्रदेश मे कृषि उपज, वनसम्पदा एवं मांग आधारित उद्योगों के विकास की काफी सम्भावनाएं है । वर्तमान समय मे यहॉ उद्योगो का प्रतिनिधित्व एक मात्र बड़ा उद्योग 'द सहकारी चीनी मिल, लिमिटेड सठियॉव' द्वारा होता है इसके अतिरिक्त मुबारकपुर का हथकरघा (बनारसी साड़ियां) उद्योग एव निजामवाद का पाटरी (मिट्टी के बर्तन) उद्योग राष्टीय स्तर के गृह-उद्योग है । क्रमिक प्रयासों से पिछले दशक मे यहॉ पर खादी ग्रामाद्योग, इन्जीनियरिंग उद्योग, मशीनरी, कास्ठकला उत्पाद, सीमेट जाली, खाद्य तेल एवं प्लास्टिक उद्योग से सम्बन्धित 764 इकाइयॉ स्थापित की गयीं । आज भी कुल कार्यशील जनसख्या का मात्र 6 64 प्रतिशत भाग ही गृह उद्योगो मे लगा है । इस प्रकार स्पष्ट होता है कि औद्योगिक दृष्टि से तहसील का स्थान लगभग नगण्य है । प्रदेश में ओद्योगिक विकास सुनिश्चित कराने हेतु एक विकास नियोजन का प्रस्ताव है । यहॉ वन सम्पदा पर आधारित कागज उद्योग, दियासलाई उद्योग, लाख उद्योग की छोटी इकाइयॉ स्थापित की जा सकती है । उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त कृषि संसाधान भी उपलब्ध है एव वस्तुओ की माग भी है । कृषि के समुचित विकास होने पर यह

उम्मीद की जाती है कि तहसील मे उद्योगो के लिए कच्चे माल और अधिक मात्रा में उपलब्ध होगे, साथ ही लोगो के जीवन स्तर मे क्रमश सुधार से विभिन्न वस्तुओ की मांग बढ़ेगी जिससे ससाधन एव माग आधारित अनेक उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। तहसील के समुचित विकास के लिए सर्वप्रथम मानवीय प्रबन्धन की आवश्यकता है जिसके आधार पर ही अन्य सभी ससाधनों का प्रबन्धन एव विदोहन निर्भर है।

स्पष्ट है कि उक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, परिवहन एव सचार सम्बन्धी सुविधाओ के विकास के लिए कुछ अनुकूलतम अवस्थितियाँ होनी चाहिए। अध्याय तीन मे इन सुविधाओ की सेवा प्रदान करने वाले कुल 50 विकास सेवा केन्द्रो का विश्लेषण किया गया है। पुन. इनकी अपर्याप्तता एवं स्थानिक रिक्तता को देखते हुये 40 विकास सेवा केन्द्रो का प्रस्ताव भी किया गया है। तहसील का वास्तविक विकास वर्तमान एवं प्रस्तावित विकास केन्द्रो के परिप्रेक्ष्य मे ही सम्भव हो सकता है। परन्तु यह विकास तभी वांछित गति एव दिशा प्राप्त कर सकेगा जब समाकलित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाय। विकास की प्रस्तावित प्रक्रिया त्रिविमीय है जो स्थान, तथ्य एवं समय के सदर्भ मे सम्पन्न होती है। स्थानिक समाकलन में सम्पूर्ण क्षेत्र का एक साथ विकास, तथ्य समाकलन में क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक आर्थिक पहलुओं का एक साथ विकास तथा समय समाकलन मे किसी निश्चित अवधि में सम्पूर्ण क्षेत्र तथा तत्सम्बन्धित सभी सामाजिक आर्थिक तथ्यों के एक साथ विकसित करने का विचार निहित है।

तहसील के समाकलित विकास मे अनेक तरह की आर्थिक एव सामाजिक बाधाएँ भी आती है। लोगो को समय से ऋण उपलब्ध कराने तथा वित्तीय प्रोत्साहन देने का कार्य बिना सरकार के हस्तक्षेप से संभव नही है। सामाजिक अवरोधो को दूर करके ही समाकलित विकास की रुपरेखा तैयार की जा सकती है। व्यवसायो के चयन मे जाति, धर्म एवं लिग सम्बन्धी अनेक अवरोध उपस्थित होते है। घरेलू कार्यो मे सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महिलाओ का माना जाता परन्तु आज भी विविध कार्यालयो मे कार्यरत महिलाओ को पुरुष प्रधान समाज में महत्वपूर्ण स्थान नही प्राप्त हो

पाता है । अत इन सामजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक अवरोधो को दूर करने की महती आवश्यकता है ।

मानव समाज की कुछ ऐसी मूलभूत दैनिक आवश्यकताएँ होती है जिनको विकसित किए बिना क्षेत्र का समाकलित विकास कपोल कल्पित होगा । इस प्रकार की सामाजिक एवं मानवीय सुविधाओं के अन्तर्गत पेय जल की सुविधा, पर्यावरण, आवास एवं ईधन आदि की सुविधाएँ प्रमुख है । ये सुविधाएँ मानव जीवन के लिए आवश्यक आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा, मकान एवं स्वास्थ की पूर्ति करती है । पेय जल की सुविधा तहसील में कूओं, हैण्डपम्पो, तालाबो एव जलकल द्वारा उपलब्ध है । जल प्रदूषण की विषम स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये स्वच्छ जल हेतु सरकारी हैण्डपम्पो की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है । तहसील मे स्वच्छ जल की पर्याप्त आपूर्ति हेतु प्रति 200 जनसंख्या पर एक सरकारी हैडपम्प उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया जाता है । प्रदेश मे जल को प्रदूषण मुक्त करने की अविलम्ब व्यवस्था भी प्रस्तावित है । ग्रामीण क्षेत्रो में भवन-निर्माण एवं ईधन के रुप मे बड़ी मात्रा में लकड़ी की आवश्यकता होती है । तहसील में वनस्पतियों का तीव्र गति से विनाश हो रहा है, फलस्वरुप लकड़ी की पूर्ति में कमी के साथ पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी विकराल रुप धारण करती जा रही है । वनस्पतियों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से होने वाले लाभों को दृष्टिगत रखते हुये वृक्षारोपड़ कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । राष्ट्रीय मानक के अनुरुप तहसील की 33 प्रतिशत भूमि पर वन लगाये जाने का प्रस्ताव किया जाता है । भवन-निर्माण मे प्रयोग आने वाले अन्य पदार्थो, ईट, सीमेट एव सरिया की उपलब्धता तहसील में और अधिक सुनिश्चित की जानी चाहिए ।

इस प्रकार हम देखते है कि अध्ययन प्रदेश का वाछित विकास अब भी भविष्य के गर्भ मे है । विभिन्न राष्ट्रीय समस्याओ पर्यावरण संकट, वायु, जल, एवं पृथ्वी का प्रदूषण, समाज में अशाति, अपराधो मे वृद्धि आदि के अतिरिक्त अध्ययन प्रदेश में और भी विषमताएँ व्याप्त है । जिनके कारण जीवन की आम जरुरतो जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, दवा, शिक्षा आदि की न्यूनतम

पूर्ति भी मुहैया नही हो पा रही है । प्रदेश के समाकलित विकास हेतु, गरीबी, अभाव अशिक्षा, बेरोजगारी को समाप्त करके जीवन को सुखी, स्वस्थ एव सतुलित बनाने की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । पर्यावरण को मानव जीवन के अनुकूल बनाकर प्रदेश के समाजिक कायान्तरण मे सहयोग करने की आवश्यकता है ।

आशा है, आधुनिक शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से तथा जन-सचार माध्यमों के सहयोग से उक्त सामाजिक अवरोधों में क्रमिक ह्रास होगा जिससे अर्थव्यवस्था के विकास को नवीन गति एव दिशा मिलेगी तथा अध्ययन प्रदेश, आजमगढ़ तहसील का समाकलित विकास सम्भव हो सकेगा ।

परिशिष्ट एक

शब्दावली

अकर्मी/अकार्यशील	Non-worker
अध्ययन-प्रदेश	Study-Area
अन्य कर्मी	Other workers
अनौपचारिक	Non-formal
अनुकूलतम् जनसंख्या	Optimum population
अल्पकालिक	Short-Term
अवनलिकाएँ	Gullies
अस्थानिक	Non-Spatial
आकारकीय	Morphological
आर्थिक समृद्धि/बृद्धि	Economic Growth
आधारभूत् कार्य	Basic function
आधारिक संरचना	Infra - Structure
आनुभविक	Empirical
आपेक्षिक आर्द्रता	Absolute Humidity
आलोचनात्मक	Critical
कर्मी/कार्यशील	Wroking
कार्यात्मक आकार	Functional size
कार्यात्मक अक	Functional Score
कार्यात्मक विशिष्टीकरण	Functional specialization
कार्यान्मक सूचकाक	Functional Index

कार्याधार जनसंख्या	Threshold Population
कुटीर उद्योग	Cottage Industry
केन्द्र-स्थल	Central Place
केन्द्र अपसारी	Centrifugal
केन्द्र अभिमुखी	Centripital
केन्द्रीयता	Centrality
केन्द्रीयता सूचकाक	Centrality Index
केन्द्रीय कार्य	Central function
कृषक/काश्तकार	Cultivator
कृषि-आधारित	Agro--based
कृषि योग्य भूमि	Cultivable land
कृषित	Cropped/Cultivated
खेतिहर मजदूर	Agricultural Labourer
खादी एवं ग्रामोद्योग	Khadi and Village Industry
गहनता	Intensity
ग्रामीण अधिवास	Rural settlement
गुणात्मक मॉडल	Qualitative Model
गुरूत्व मॉडल	Gravity Model
गैर-आबाद	Uninhabited
गोदाम/भण्डार	Stores
जनगणना हस्त पुस्तिका	Census Handbook
जनांकिकीय	Demographic

तिलहन	Oilseeds
दलहन	Pulses
नगरीकरण	Urbanisation
नगरीय अधिवास	Urban Settlement
नगरीय घनत्व	Urban Density
नल-पथ परिवहन	Pipeline Transport
निनादिनी/पयस्वनी	River
निर्माण-कार्य	Construction
नियोजन/आयोजन	Planning
निविष्टि/आदान	Inputs
पदानुक्रम	Hierarchy/Ranking
परिमाणात्मक	Quantitative
परिप्रेक्ष्य-नियोजन	Perspective Planning
परिवार-कल्याण कार्यक्रम	Family Planning Programme
प्रकीर्णन/विकेन्द्रीकरण	Decentralization
प्रभाव-प्रदेश	Complementary Region
प्रवेशी जनसख्या	Threshold Population
पारिवारिक उद्योग/गृह उद्योग	Household Industry
प्राकृतिक वनस्पति	Natural Vegetation
प्राचल	Parameter
पुरातन जलोढ़	Older Allumium
फसल-कोटि	Crope Rank

फुटकर व्यापार	Retail Trade
वस्ती/अधिवास गहनता	Settlement Intensity
वस्ती-अन्तरालन	Settlement Spacing
वहु विचार विश्लेषण	Multi-Variate Analysis
बेरोजगार	Unemployed
बृहत् उद्योग	Large-Scale Industry
वृहत् स्तरीय	Macro-level
मध्यम स्तरीय	Meso-level
माध्य औसत	Mean/Average
मानक मानदण्ड	Standard Norm
मुख्य कर्मी	Main Worker
रचनात्मक	Constructive
रूढ़िवादी/परम्परागत	Traditional
लघु उद्योग	Small-Scale Industry
लिंगानुपात	Sex-Ratio
व्यवसाय	Occupation
व्यापारिक वर्ग	Business Group
व्यावसायिक संरचना	Occupational structure
वाणिज्यीकरण/व्यावसायीकरण	Commercialization
वातावरण/पर्यावरण	Environment
वातावरणीय नियोजन	Environmental Planning
विकास-केन्द्र	Growth Centre

विकास-ध्रुव	Growth Pole
विनिर्माण	Manufacturing
विशिष्टीकरण	Specialization
विशिष्ट जनसंख्या	Saturation Point Population
विक्षालन/निक्षालन	Leaching
श्वेत-क्रान्ति	White-Revelution
शस्य गहनता	Crop Intensity
शस्य-संयोजन/सहचर्य	Crop combination/association
शस्य-संयोजन प्रदेश	Crop Combination Region
शुद्ध बोया गया क्षेत्र	Net Sown Area
शुद्ध सिंचित क्षेत्र	Net Irrigated Area
स्वतन्त्रतोपरान्त	After Independence
स्थानिक/स्थानात्मक	Spatial
स्थानान्तरण/प्रव्रजन	Migration
सघन	Compact
सघनता	Intensity
सड़क अभिगम्यता	Road Accessibility
सड़क जाल	Road Network
सड़क सम्बद्धता	Road Connectivity
समाकलन	Integration
समन्वित	Integrated
सर्वगत्	Ubiquitous

सार्वजनिक (लोक) निर्माण विभाग	Public Works Department
साक्षरता	Literacy
सीमान्त कर्मी	Marginal-Worker
सीमान्त कृषक	Marginal Cultivator
सुगमता/अभिगम्यता	Accessibility
सूचकांक	Index
सूक्ष्म स्तरीय	Micro-level
सेवा केन्द्र	Service centre
सेवित जनसंख्या	Served Population
सेवित-प्रदेश/क्षेत्र	Served Area
सकेन्द्रण/केन्द्रीकरण	Centralization
सचयी	Cumulative
सरचनात्मक	Structural
संसाधन आधारित	Resource-Based
सांस्कृतिक भूदृश्य	Cultural Landscape
हरित क्रान्ति	Green Revolution
हृदय-प्रदेश	Heart-Land

———————— X ————————

परिशिष्ट दो

आजमगढ़ तहसील में जनांकीकीय संमक तालिका

न्याय पंचायत	घनत्व /squ	लिगानुपात (1000 पुरुष पर)	साक्षरता (प्रतिशत में)			अनुसूचित जाति (प्रतिशत में)			कार्यशील
			कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पु०	स्त्री	जन०
भीमल पट्टी	584	1022	23 63	35 32	12 19	22 00	21 94	22 06	33 16
ओहनी रमेशरपुर	723	1025	34 48	52 58	16 81	21 86	20 55	23 71	24 58
वैरमपुर कोटिया	722	980	34 46	46 20	22.47	27 37	26 79	29 97	29 60
रैसिंहपुर-सुदनीपुर	623	1040	22 97	40 39	06 19	29 34	28 99	29 64	23 70
वरसरा खालसा	625	989	28 11	44 79	11 24	14 19	14 57	15 25	26 45
ओरा	679	1041	31 82	49 47	14 86	25 95	25 96	25 93	24 12
बीबीपुर	696	992	35 42	50 10	20 63	32 12	32 06	32 18	27 16
जानकीपुर-अहियाई	763	1023	34 15	47 05	21 54	28 96	28 95	28 97	23 69
टीकापुर	786	935	25 95	38 30	12 75	17 80	17 01	18 65	27 76
सोधरी-कुलकुला	883	1013	28 37	41 10	15 80	20 15	20 30	20 02	23 76
ददरा-भगवानपुर	682	1065	26 90	43 22	11 58	21 21	20 61	21 77	23 85
लखमनपुर-वादलराय	806	1006	37 57	52 79	22 44	32 53	32 37	32 69	24 95
किसुनदासपुर I	949	962	28 44	39 60	16 83	18 61	18 21	19 02	25 56
किसुनदासपुर II	858	944	30 73	43 66	17 03	27 17	27 04	27 31	29 09
हाफिजपुर-खदरा	1270	903	32 66	47.23	16 52	16 85	16 54	17 18	29 66
करीमुद्दीनपुर रानी	1031	944	31 45	44 14	18 00	32 34	31 52	33 21	26 10
हीरा पट्टी	1092	887	36 85	50 25	21 74	21 99	21 76	22 26	29 69
खोजापुर डीह	1101	894	41 64	57 14	24 30	20 35	20 61	20 05	29 56
पल्हनी-वेलइसा	1247	940	36 46	52 41	19 49	22 24	22 09	22 39	27 63
वेलनाडीह-जोर इनामी	1350	931	36 29	48 47	23 12	25 18	25 15	25 20	27 91
वयासी बुन्दा	1097	954	36 10	50 49	21 02	19 19	18 73	19 67	27 12
करनपुर	755	949	20 54	33 99	06 35	26 69	25 78	27 66	27 41
नदौली प्यारे पट्टी	880	1015	20 71	32 31	9 28	29 94	28 97	30 89	25 14
हुसामपुर-बड़ा गॉव	972	1055	31 89	46 23	18 30	26 39	25.42	27 31	21 66
गन्धुवई	697	1007	26 75	42 84	10 77	32 79	31 92	33 64	29 22
रानीपुर-अली	954	975	33 84	49 98	18 73	25 94	25 83	26 05	25 23
मझगवॉं-हरीरामपुर	881	929	36 93	52 20	20 50	26 02	24 56	27 59	26 63
सेठवल	1419	941	34 41	47 85	2012	37 77	33 58	36 03	27 83
अनऊरा-शाह कुद्दन	763	1042	35 97	43 11	29 12	41 05	40 00	42 06	27 28

नक्षिरामपुर	968	1059	24 45	38 34	11 34	26 85	26 56	27 13	24 89
गम्भीरवन	566	1027	22 46	35 24	10 02	17 35	16 51	18 17	26 55
मद्धू रामपुर	920	1044	37 47	44 18	23 21	18 55	18 45	18 65	25 43
खुटौली चक-चरहा	868	1074	37 73	52 21	24 24	20 97	20 53	21 38	24 32
मिरजापुर	896	1010	28 95	39 79	18 22	28 88	28 34	29 41	24 08
पाइन्दापुर	768	971	24 98	40 49	09 20	23 42	23 71	23 11	31 26
अवडीहा रूकनुद्दीनपुर	1059	1003	34 39	43 13	25 67	24 56	24 78	24 35	24 67
राजापुर-सिकरौर	793	1002	39 20	52 43	26 01	25 60	24 73	26 46	23 65
बस्ती	573	1085	28 39	45 01	13 07	38 17	38 38	37 98	24 75
पेंडरा-मोहिउद्दीनपुर	730	1009	30 10	43.50	16 82	25 02	24 22	25 82	25 36
फरीदुनपुर	786	1033	31 45	46 16	17 22	22 92	22 71	23 12	26 38
संजरपुर	1125	1079	35 67	42 72	29 13	27 33	26 96	27 67	23 27
परसिया कयामुद्दीनपुर	886	1032	33 76	45 87	22 03	26 87	26 56	27 16	32 38
गोसड़ी	600	1088	24 68	34 71	15 46	31 23	30 51	31 89	26 27
परसुरामपुर	653	1016	27 73	40 60	15 07	30 47	29 86	31 07	28 87
सरसैना लहबरिया	912	976	30 60	42 26	18 64	21 31	20 66	21 99	29 42
रानीपुर-रजमों	707	1007	35 17	46 09	24 32	25 48	25 29	25 67	26 21
वैराडीह उर्फ गम्भीरपुर	715	1079	26 92	40 66	14 18	31 67	30 91	32 37	30.20
मगरावा-रायपुर	645	1001	31 49	41 88	21 11	29 73	29 15	30 31	24 67
आवक	699	1043	33 86	44 93	23 24	29 44	29 17	29 70	24 86
सोनपुर	1535	936	23 71	32 28	14 56	22 96	23.16	22 74	30 87
गूजरपार	1222	934	22 59	31 24	13 34	36 19	36 20	36 18	32 60
पिचरी	1072	942	28 92	39 96	17 18	26 76	26.65	26 88	28 50
अमिलों	1568	941	16 91	24 71	08 62	26 09	24 98	27 27	27 76
वम्हउर	920	939	24 12	33 46	14 18	24 09	23 45	24.78	25 28
शाहगढ़	1066	953	35 04	48 31	21 11	21 68	21 47	21 90	26 14
सठियांव	1136	918	29 93	41 90	16.89	28 56	27 13	30 11	27 90
समेंदा	711	999	24 66	36 37	12.94	24 63	24 66	24 60	22 86
असौना	731	1007	30 34	44 23	16 56	22 31	22.85	21 76	22 72
गोधौरा	551	937	31 35	44 35	17 48	23 13	22 65	23 64	24 06
बरहतिर जगदीसपुर	894	980	36 81	48 63	24 74	24 51	23 88	25 16	28 02
मिन्नूपुर	680	1043	28 32	43 19	14 07	40 46	40 08	40 83	24 09
किशुनपुर	580	1081	30 84	44 40	18 29	27 06	26 75	27 41	27 00
दौलताबाद	670	1020	28 62	41 65	15 85	31 64	31 41	31 86	24 53
भुजाही	683	1024	31 50	47 46	15 92	33 81	32 13	35 45	29 44
बोहना-मुनवरपुर	672	1007	26 55	38 34	14 85	36 05	34 96	37 14	24 60
सोहवल	636	1037	31 28	45 65	17 41	30 87	30 16	31 56	20 85
बरहलगज	718	1003	32 96	46 50	19 45	34 31	34 50	34 10	28 00

परिशिष्ट तीन

Further Readings

(A-Books)

Ahmad, E. (1977) : Soil Erosion in India, Asia Publishing House, Bombay

Ahmad, E. and D.K. Singh (1980) : Regional Planning with Special Reference to India, Vol. I & II, Oriental Publishers and Distributors, New Delhi

Alagh, Y. (1972) : Regional Aspects of Indian Industrialization, University of Bombay, Economic Series No. 21.

Ashton, J. and S.J. Rogers (1967) Economic Change and Agriculture, Oliver & Boyd, Edinburgh.

Ayyar, N.P. (1961) : The Agricultural Ggeography of the Narmada Basin, Unpublished Ph. D. thesis, Sagar University

Barlowe, R. and V.W. Johnson (1954) : Land Problem and Policies, McGraw Hill Book Company, Inc. New York.

Bhalla, C.B. (1972) : Changing Agrarian Structure in India, A study of the Impact of Green Revolution in haryana, Meenakshi Prakashan, Meerut.

Bhat, L.S (1965B) . Some Aspects of Regional Planning In India, Ph. D. thesis, Indian Statistical Institute, New Delhi.

Bhat, L.S. (1972) · Regional Planning in India, Statistical Publishing Society, Calcutta

Bhavya, Lakshmi (1968) : Transportation and Regional Planning in Madhya Pradesh, Unpublished Ph. D. thesis, B.H.U Varanasi

Butter, J.B. (1980) : Profit and Purpose in Forming, A study of Farm and Small Holding in Part of North Riding, Deptt. of Economics, University of Leeds.

Calcutta Metropolitan Planning Organisation (1965) Regional Planning for West Bengal; A Statement of Needs, Prospects and Strategy, Govt. of West Bengal

Chauhan, D S (1966) : Studies in the Utilisation of Agricultural Land, Shiv Lal and Co. Agra.

Chandma, R.C. and S. Manjit (1990) : Introduction to Population Geography, Concept Publishing Company, New Delhi

Chisholm, M (1962) : Rural Settlement and Land Use . An Essay in Location, Hutchinson Library, London.

Chandra R. (1985) : Micro-Regional Diagnostic Planning for Social Facilities : A Case Study of Bulandshahar District, U.P. Unpublished Ph. D. Thesis, Kanpur University, Kanpur

Cohen, R.L. (1959) : The Economics of Agriculture, University Press, Cambridge.

Dahlberg, K A. (1979) : Beyond the Green Revolution—The Ecology and Policies of Global Agricultural Development, Plenum Press, New York

Dunn, F S. (1934) : The Location of Agricultural Production, University of Florida, Gainesville.

Ficher, C.K. and W W. Lawrences (Eds) (1964) . Agriculture in

Economic Development, McGraw Hill, New York

Friedman, J. (1964) : Regional Development Planning Reader, Cambridge, M.I.T. Press, London.

Gadgil, D.R. (1967) : District Development Planning, Gokhale Institute of Politics and Economics, Pune.

Glasson, J. (1978) · An Introduction to Regional Planning Concept, Theory and Practice, Hutchinson Library, London

Government of U.P. (1977) . Agriculture and Husbandry, Extension and training Bureau, Department of Agriculture, Lucknow

government of India (1974) Town and Country Planning Organisation, Goa Regional Plan, Town and Country Planning Organisation New Delhi.

Haggerstrand, I. (1967) : Innovation Diffusion as a Spatial Process, Chicago.

Haggett, P. (1967) : Locational Analysis in Human Geography, Arnold, London

Harvey, D. (1973) : Social Justice and the City, Edward Arnold, London.

Indian Statistical Institute (1962) : South India Micro-Regional Survey, New Delhi

Johnson, E A J. (1965) Market Town and Spatial Development in India, NCAER, New Delhi.

Khan W. and R.N Tripathi (1976) : Plan for Integrated Rural Development in Pauri Garhwal, NICD, Hyderabad

Lahri, T B. (ed) (1972) Balanced Regional Development, Oxford, I.B.H. Publishing Co., Calcutta

Loknath, P.S. (1967) : Cropping Pattern in Madhya Pradesh National Council of Applied Economic Research, New Delhi.

Maithani, B.P. et al (1986) . Planning for Integrated Rural Development, Yelburga Block, Karnataka State, National Institute of Rural Development, Rajendra-nagar, Hyderabad.

Majid Hussain (1982) : Crop combination in India, Concept Publishing Company, New Delhi.

Mishra, R.P. (1968) : Diffusion of Agricultural Innovation, University of Mysore.

Mishra, R.P. (1972) . District Planning Development Studies, University of Mysore.

Mishra R P (1976) : Regional Planning and National Development Vikas Publishing House, New Delhi.

Mishra, R.P. and K.V. Sundaram (1980) Multi-level Planning and Rural Development in India, Heritage Publishers, New Delhi

Mishra, R.P. (1984) . Rural Development, Capitalist and Socialist Path (in 5 volumes), Concept, New Delhi.

Mishra R P. (1985) . Integrated Rural Area Development and Planning, AGeographical Study of Kerakat Tahsil, District Jaunpur, U P Ratan Publications, Varanasi.

Mishra R.P. and V.L.S.P Rao (1972) : Spatial Planning for a Tribal Region : A Case Study for Bastar District M.P , Development Studies No. 4, Institute of Development Studies, University of

Mysore.

Mishra R.P. and V.L.S.P. Rao (1979) : Urban and Regional Planning in India, Vikas Publishing House, New Delhi

Pandit, P. (1968) : Planning for Micro-Regions and the Plan for Infrastructure in Wardha, Wardha.

Rao. P. and B.R. Patil (1977) Manual for Block-level planning, The Macmillan Company, New Delhi.

Rao V.L.S.P. (1960) : Regional Planning in the Mysore State, the Need for Readjustment of District Boundaries, Indian Statistical Institute, New Delhi.

Sen, L.K. and Wanmali, et al (1971) : Planning of Rural Growth Centres for Integrated Area Development : A Case Study in Suryapet Taluka, Nalgonda District, A.P. NICD, Hyderabad.

Sen, L.K. and G.K. Mishra (1974) : Regional Planning of Rural Electrification–A Case Study in Suryapet Taluka, Nalgonda district, A.P. NICD, Hyderabad

Shafi, M (1960) : Land utilization in Eastern U.P., Aligarh

Sharma, A.N. (1980) · Spatial Approach for District Planning : A Case Study of Karanal District, Concept, New Delhi.

Singh, R.C. (1979) . Land Utilization in Kadipur Tahsil District Sultanpur, Unpublished Ph. D. thesis, University of Allahabad

Singh, R.C. (1973) : Pre and Post Consolidation and Landuse Pattern in Jaunpur, Unpublished Ph D thesis, B.H U., Varanasi.

Singh. V.R. (1982) . Land Utilization in Neighbourhood of Mirzapur, U.P. Unpublished Ph. D thesis B.H.U., Varanasi.

Sundaram, K.V. (1983) : Geography of Underdevelopment the Spatial Dynamics of Underdevelopment, Concept Publishing Company, New Delhi.

Symons, L. (1968) : Agriculture Geography, G Bell and Sons, Ltd , London.

United Nations Organisation, (1957) . Economic Bulletin for Asia and Far East, Vol VIII, No. 3

UNESCAP (1978) : Local level planning for Integrated Rural Development, a Report of An Expert Meeting, Bankok (6-10 Nov 1978).

UNECAFF (1973) Ed L.S. Bhat Mannual on Regional Planning, Bankok.

Wanmali, S. (1968) : Hierarchy of Towns in Vidarbha : India and its Significance for Regional Planning, M. Phil (Eco.) Deptt. of Geography, London School of Economics (Vol. II).

(B-ARTICLES)

Alves, W.R. and R.L. Morrill (1973) : Diffusion Theory and Planning, Economic Geography, 51 (3), pp. 290-304.

Banerjee, S. and H.B Fisher (1974) : Spatial Analysis for Integrated Planning in India, Urban and Rural Planning Thought, XVII (1), pp. 1-45.

Berry, B.J.L. and L.G. William (1958) · A Note on Central Place Theory and the Range of a Good, Economic Geography, Vol. 34, pp. 304-311.

Berry, B J.L. and W.L Garrison (1958) : The Functional Bases of the

Central Place Heirarchy, Economic Geography, Vol 34, pp 145-54.

Basu, J.K. (1973) : Determinants of the Regional Distribution, Bank Credit, and Regional Development : Indian Journal of Regional Science, Vol. V, No. 2, pp. 176-84.

Bracey, H.E. (1953) : Towns As Rural Service C entres an Index of Centrality with Special Reference to Somerset : Transaction, Institute of British Geographer, No. 19, pp 85-105.

Cartor, H. (1935) : Urban Grades and Sphere of Influence in South West Wales, Scotish Geographical Magazine, Vol. 71, pp. 43-58.

Chakrovorty, A.K. (1973) : Green Revolution in India, A.A.A G Vol 63, pp. 319-30.

Chauhan, V.S. (1971) : Crop Combination in the Yamuna-Hindon Tract, Geographical Observer, Vol. VIII, pp. 66-72.

Dayal, E. (1967) : Crop Combination Region : A Case Study of Punjab Plain. Netherland Journal of Economics and Social Geography, Vol. 58, pp. 39-47.

Dickinson, R.E. (1930) : The Regional Functions and Zones of Influence of Leeds and Bradford ; Geography, Vol. 15.

Dickinson, R.E. (1934) : The metropoliton Region of United States, 'Geographical Review, Vol. 24, pp 278-81.

Daik, (1957) : The Industrial Structures of Japanese Prefectures . Proceedings, I.G.U. Regional Conference in Japan, pp 310-16.

Dutta, A.K. (1972) : Two Decades of Planning–India · An Anatomy of Approach' National Geographical Journal of India, Vol. XVIII

(3-4), pp. 187-205.

Dutta, A.K. (1968) : Some lessons for Regional Planning in India : National Geographical Journal of India, Vol. 14, Nos 2-3, pp 130-164.

Dwivedi, R.L. (1964) : Delimiting the Umland of Allahabad . Indian Geographical Journal, Vol. 39, pp. 123-139.

Eyre, J.d. (1959) : Sources of Tokyo's Fresh Food Supply : Geographical Review, Vol. 49, pp. 435-74.

Friedman, J. (1961) : Cities in Social Transformation, Reprinted in J Friedman, et al (ed) 1964, Regional Development Planning–A Reader, pp. 343-60.

Green, H.L. (1955) : Hinterland Boundaries of New York City, & Boston in Southern New England, Economic Geographer, Vol. 31, pp. 283-301.

Haggerstrand, I. (1952) : Propagation of Innovation Wayes Lund Studies in Geography, Series B. Human Geography Vol. 4, pp. 3-19.

Harris, B. (1978) : An Unfashionable View of Growth Centres : in Regional Planning and National Development by R.P. Mishra, et al (eds) Vikas, New Delhi, pp. 237-244.

Harvey, E.M. (1972) : The Identification of Development Regions in Developing Countreis, Economic Geography, Vol. 48, No. 3, pp. 229-243.

Harvey, D. (1972) : 'Social Justice in Spatial System, in R,. Prat (ed) Geographical Perspectives on American Poverty, Anti Pods Monograph in Social Geography, Vol. 1, Worcester Mars, pp. 87-

106.

Hussain, majid (1960) : Pattern of Crop Concentration in Uttar Pradesh, Geographical Review of India, Vol. XXXII, No. 3, pp. 169–185.

Hussain, M. (1972) : Crop Combination Regions in Uttar Pradesh : A Study in Methodology, Geographical Review of India, Vol. 34, No. 20, pp. 134-136.

Hussain, M. (1976) : A New Approach to the Agricultural Productivity Regions of the Sutlej Ganga Plains of India Geographical Review of India, Vol. 38, No. 33, pp. 230–236.

Jha, D.C. (1983) : Economics of Crop Pattern of Irrigated Farms in North Bihar, Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. 18, No. 1, pp. 168–172.

Kataria, M.S. (1969) : Spatial Changes in Sugarcane Cultivation in Karnal District ; 1965-66, National Geographical Journal of India, Vol. 15, Part 38-4, pp 224-234.

Kaur, S. (1969) : Changes in Net Sown Area in Amritsar Tahsil (1951-64) : Spatial Temporal Analysis · National Geographical Journal of India, Vol. 15, No. 1, pp. 24-37.

Kayastha, S.L. and T. Prasad (1978) : Approach to Area Planning and Development Strategy : A Case Study of Phulpur Block, Allahabad District, National Geographical Journal of India, Vol. 24, pp. 16-28.

Krishna, G. and S.K Agrawal (1970) : Umland of Planned City Chandigarh, National Geographical Journal of India, Vol. 16, pp 31-46.

Kuklinski, A.R. (1978) : Some Basic Issues in Regional Planning, in R.P. Mishra (ed) Regional Planning and National Development, Vikas, New Delhi, pp. 3-21.

Mandal, R.b. (1985) : Hierarchy of Central Places in Bihar Plain, National Geographical Journal of India, Vol. 21, pp. 120-126.

Mandal, R. B. (1969) : Crop Combination Regions of North Bihar, National Geographical Journal of India, Vol. 15, No. 2, pp 125-137.

Mathur, O.P. (1974) : National Policy for Backward Area Development : A Structural Analysis, Indian Journal of Regional Science Vol. 6, No. 1, pp. 73-90.

Mathur, P.N. (1963) Cropping Pattern and Employment in Vidarbha, Indian Journal of Agricultural Economics, Vol. 18, No. 1, pp. 39-42

Mishra, H.N. (1971) · The concept of Umland : A Review, National Geographer, Vol. 6, pp. 57-63.

Mishra, H.N. (1971) : Use of Models in Umland Delimitation . Deccan Geographer, Vol. 6, pp. 231-234.

Mishra, R.P. (1966) : A Peliminary Quantitative Analysis of Spatial Diffusion in a Human Geography Continuum, National Geographical Journal of India, Vol. 7 (3), pp. 147-157.

Mishra, R.P. (1978) : Regional Planning in Federal System of Government the Case Study of India, in R.P. Mishra et al (ed) 1976), Regional Planning and National Development, Vikas New Delhi, pp 56-71

Mukerji, A.B. (1974) : The Chandigarh-Siwalikh Hill Aspects of

Rural Development, Indian Journal of Regional Science, Vol. 6 (2), pp. 206-222.

Mukerji, S.P.L. (1968) : Commercial Activity and Market Hierarchy in a Part of Eastern Himalayas-Darjeeling, National Geographical Journal of India, Vol. 14, Nos (2-3), pp 168-199.

Nath, V. (1970) : Level of Economic Development and Rates of Economic Growth in India, a Regional Analysis, National Geographical Journal of India, Vol. 16, Nos. 3 & 4, pp 183-198

Nityanand, (1972) : Crop Combination in Rajasthan, Geographical Review of India, Vol. 44, No. 1, pp. 46-60.

Pal, M.N. (1963a) : A Method of Regional Analysis of Economic-Development with Special Reference to South India, Indian Journal of Regional Science, Vol 5, pp 41-58.

Pathak, C.R. (1973) : Integrated Area Development, Geographical Review of India, Vol. 35, No. 3, pp. 221-231.

Ramchandran, K.S. (1962) : Development of Regional Thinking in the World; the Indian Geographical Journal, Vol. 37, Nos 1 & 2. pp 95-105.

Rao, P.P. and K.V. Sundaram (1973). Regional Imbalances in India; Some Policy Issues and Problems, Indian Journal of Regional Science, Vol. 5 (1), pp. 61-75.

Saha, M. (1975) : Planning Approach for Rural Development, Indian Geographical Studies, Vol. 5, pp. 43-49.

Saini, G.R. (1963) Some Aspects of Changes in Cropping Pattern in Western U.P., Agricultural Situation in India, Vol 18, pp. 411–416.

Scott, p. (1961) : Farming Type Regions in Tasmania, New Zealand Geographer, Vol. 7, pp. 53-76.

Shafi, M. (1960) : Measurement of Agricultural Efficiency of Uttar Pradesh, Economic Geography, Vol. 36, No 4, pp 296-305

Sharma, R.C. and A. Kumar : Spatial Organisation of Market Facilities : A Case Study of Kannauj Block in Planning Perspective; Transactions Indian Council of Geographers, Vol 9, pp. 17-18.

Sharma, T.C. (1972) : Pattern of Crop landuse in Utar Pradesh, Deccan Geographer, Vol. 1, pp. 1-17.

Siddiqui, M.F. (1967) Combination Analysis A Review of Methodology, The Geographer, Vol. 14, pp. 81-99.

Singh, B.B. (1973) : Cropping Pattern in Baraut Block : A Temporal Variation 'Geographical Observer, Vol. 9, pp. 61-60.

Singh, D.N. (1977) Transportation Geography in India—A Survey of Research, National Geographical Journal of India, Vol 23, Nos. 1 & 2, pp. 95-114.

Singh, Jasbir (1972) : A New Technique of Measuring Agricultural Productivity in Haryana, The Geographer, Vol 19, pp. 14-33.

Singh, K.N. (1966) : Spatial Pattern of Central Places in the Middle Ganga Valley, India, National Geographical Journal of India, Vol 12 (4), pp. 218-226.

Singh, O.P. and S.K. Singh (1978) : Rural Service Centres in Rewa-Panna Plateau, M P , National Geographer, Vol 13, No 1, pp. 67-74.

Singh, R.L. and U. Singh (1963) : Road Traffic Survey of Varanasi,

National Geographical Journal of India, Vol. 9, Nos 3-4

Singh, R.N. and Shahab Deen (1981) Occupational Structure of Urban Centres of Eastern U.P.—a case study of Trade and Commerce, Indian Geographical Journal Vol. 56, No 2, pp. 55-62

Singh, R.N. and Shahab Deen (1982) : Transport and Communication in the Occupational Structure of Urban Centres of Easter U P.—a Case Study of Services, University of Allahabad studies, Vol. 13, Nos. 1-6, pp 27-41.

Srivastava, V.K. (1977) : Periodic Market and Rural Development, Bahraich District–A case study, National Geographer, Vol 12, No. 1, pp. 47-55.

Sundaram, K.V. (1978) : Some Recent Trends in Regional Development Planning In India, in R.P. Mishra et al (eds) Regional Planning and national Development, Vikas, New Delhi, pp. 72-87.

Sundaram, K.V. (1971) : Regional Planning in India, in Symposium On Regional Planning (21st I.G.C.), Calcutta, pp. 109-127.

Trewartha, G.T. (1953) : The Case for Population Geography, A.A.A.G., Vol. 43, pp 71-97.

Tripathi, B.L. (1979) : Block Level Planning : An Approach to Local Development, Paper presented at a seminar on National Development and Regional Policy, UNCRD Nagoya, Japan.

Ullman, E.L. (1956) : The Role of Transportarion and the Base for Interaction in Thomas W.L. (ed.) Man's Role in Changing the Face of the Earth, pp. 862-880.

Wanmali, S. (1967) : Regional Development, Regional Planning and

the Hierarchy of Towns, Bombay Geographical Magazine, Vol. 15 pp. 1-29

Wood, J.L (1958) : The Development of Urban and Regional Planning in India : Land Economics Vol 34, pp. 310-315.

———— x ————